(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 39वां दिवस [संख्या 20

सोमवार,

दिनांक 1 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

——

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

——

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री सूरज पालसिंह ।

जालौर में ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग व पालिशिंग फैक्ट्री की स्थापना

454. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर एवं उसके आस पास की पहाड़ियों में ग्रेनाइट पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग व पालिशिंग की फैक्ट्री जोधपुर में लगाई गई है ? यदि हां, तो उसको जालौर में न लगाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जालौर में भी ग्रेनाइट कटिंग एवं पालिशिंग की फैक्ट्री शीघ्र लगाई जायेगी ? यदि हां, तो शिलान्यास किए जाने के बावजूद फैक्ट्री न लगाने के क्या कारण हैं ? अब जालौर में फैक्ट्री कब तक लगा दी जायेगी ?

उपमन्त्री खनिज (श्री रामपाल उपाध्याय) :

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि ग्रेनाइट पत्थर की कटिंग व पालिशिंग की फैक्ट्री जोधपुर में लगाई गई है। उस फैक्ट्री को जालौर में लाना इस समय इसलिए संभव नहीं है कि जोधपुर में फैक्ट्री चल चुकी है, काम हो रहा है।

(3) जी नहीं।

श्री सूरजपालसिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि कारखाना जोधपुर में लग गया है और अब जालौर में लगाना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में लगाने से पूर्व कारखाना जालौर में लगाए जाने का उद्घाटन हो चुका था इसके बाद में इसको जोधपुर में क्यों स्थापित किया गया ? जोधपुर में स्थापित करने के बाद में जब उस क्षेत्र से घोर विरोध हुआ और विधान सभा

(2)

(श्री सूरजपाल सिंह)

में भी जन प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई तब तत्कालीन उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जालौर के अंदर ग्रेनाइट का कारखाना लगाया जाएगा। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने सम्माननीय प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न नम्बर (2) के उत्तर में बताया है कि इस फैक्ट्री को जालौर में लगाना इस समय संभव नहीं है मैं शब्द 'इस समय' पर जोर इसलिए देता हूं कि यह अंतिम निर्णय की बात नहीं है। हमने केवल यह बात कही है कि इस समय जो जोधपुर में फैक्ट्री चल रही है उसमें पालिशिंग के अलाधा बाकी सब वर्क चल रहा है। केवल पालिशिंग का काम नहीं चल रहा है क्योंकि पुरानी मशीनरी है, दरअसल सरकार की मंशा मशीनरी को रिप्लेस करने की है। इस मंशा को दृष्टिगत करते हुए प्रशासन के समक्ष कई प्रकार के विचार हैं। कुछ मशीनों के लिए उसने विचार विमर्श किया है,कुछ करना चाहती है। कुल मिलाकर नई मशीनरी लगानी पड़ेगी ही, ऐसा मैं मान कर चलता हूं। मैंने इसलिए 'इस समय' शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जोधपुर में वर्तमान में जो कारखाना लगाया गया है, वहां कटिंग पालिशिंग सबका अनुभव किया जा रहा है। यह मशीन कितनी कामयाब होती है, यह प्रक्रिया कितनी कामयाब होती है, मार्केटिंग वगैरह सभी संभावनाओं का पता लगा कर जालौर में लगाने का निर्णय लिया जाना सरकार के विचाराधीन है,जहां तक भूतपूर्व मंत्री माननीय बिरदमल सिंघवी द्वारा शिलान्यास वाली बात आपने कही है, सरकार के पास इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने मौके पर आश्वासन दिया हो लेकिन इस बारे में मेरे पास कोई रिकार्ड नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या कहा,मैं विश्वस्त रूप से निश्चियात्मक रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सूरजपाल सिंह : उद्योग मंत्री श्री सूर्य नारायण चौधरी ने वहां निश्चित तौर से शिलान्यास किया। राज्य सरकार को यह जानकारी नहीं होगी मगर उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। उद्योग मंत्री ने निश्चित तौर से सदन को आश्वासन दिया है कि जालौर में ग्रेनाइट फैक्ट्री लगाई जाएगी। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, यह जो जोधपुर में लगाई है इसमें पुरानी मशीन हैं, एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर लगाई गई है। वहां देखना चाहते हैं कि यह फैक्ट्री पालिशिंग की ठीक है या नहीं यदि एक्सपेरीमेंट ही है तो एक्सपेरीमेंट आप जालौर में भी कर सकते थे।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : जब रॉ मैटीरियल जालौर के पास में है तो किन किन कारणों से यह फैक्ट्री जोधपुर में लगाई गई है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्यों की बात काफी ठीक है। इस पर सरकार विचार कर रही है कि जब बेस्ट क्वालिटी का रॉ-मैटीरियल वहां मिलता है तो उसका उपयोग भी वहीं होना चाहिए ताकि उत्पादन की कीमत भी कम बने और मार्केटिंग भी अच्छी तरह से चल सके, इसलिए सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री सूरजपालसिंह : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सदन में इस प्रश्न को पहले भी

(श्री सूरजपाल सिंह)

उठाया गया था कि जालौर में यह कारखाना कब लगाया जाएगा ? मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद, आज भी इसको टालमटोल में टालना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से जानना चाहता हूं कि क्या यह कारखाना जालौर में लगेगा या नहीं ? मंत्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि कब तक जालौर में लगाया जाएगा ? जब रॉ-मेटीरियल वहां पर है, विभिन्न रंगों का पत्थर मौजूद है, वह हैवी पत्थर है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह करके उसको जोधपुर ले जाकर उसकी कटिंग करें, पालिशिंग करें, यह कहां तक वाजिब है ? जालौर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। जब हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का विकास करना चाहते हैं और रॉ-मेटीरियल भी वहां उपलब्ध है तो यह कारखाना वहां ले जाया जाएगा इस तरह का सरकार से निश्चित आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : जब उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हम अधिक से अधिक कारखाने गांवों में लगाने के लिए कार्यरत हैं········

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जहां रॉ-मेटीरियल भी है क्यों नहीं वहां कारखाना लगाते हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जिस आश्वासन के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तत्कालीनउद्योग मंत्री ने दिया था, यह बात सही नहीं है। सही बात यह है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। माननीय सदस्य मेरी बात सुन लें। ना ही श्री बिरदमल सिंघवी ने दिया, वह आपूर्ति मंत्री थे। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने आश्वासन दिया, पता नहीं किस आधार पर उन्होंने शिलान्यास किया। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न केवल जालौर में बल्कि समूचे राजस्थान में जहां भी कच्चा माल पूर्ण कैपेसिटी में उपलब्ध है, सरकार गंभीरता से इस पर विचार कर रही है कि सारे मार्केट में टिकने, स्थानीय रोजगार बनाने, स्थानीय महत्व को बनाने के लिए और सारी क्षमता का उपयोग करने के लिये हमें वहां उद्योग लगाना है। इसलिए पहली सरकार ने क्या किया, जोधपुर में भूतपूर्व सरकार ने क्यों लगाया, मैं नहीं समझता उसका क्या·····

श्री सूरजपाल सिंह : गलती को ठीक करने का आप आश्वासन दें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि जोधपुर में लगाने के क्या कारण थे ?

प्रश्न संख्या 454

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री सी.पी. जोशी (मावली) : मुझे पूछने को कह कर गए थे।

श्री अध्यक्ष : लिखित में ?

श्री सी.पी. जोशी : नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(4)

जयपुर नगर में गुड़ व खाण्डसारी के इस वर्ष प्रदत्त लाइसेन्स

455. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल): क्या खाद्य एवं रसद आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1979 के बाद जयपुर शहर के कितने व्यापारियों ने गुड़ व खाण्डसारी के लाइसेन्स के लिये जिला रसद कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किये ?

(2) किस-किस व्यापारी ने कब-कब लाइसेन्स के लिये आवेदन किया एवं किस तारीख को उनको लाइसेन्स दिया गया ?

(3) गुड़ व खाण्डसारी लाइसेन्स देने के क्या कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की की कृपा करें

खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) दिनांक 1-1-80 से 31.7.80 तक जयपुर शहर के 31 व्यापारियों ने गुड़ व खाण्डसारी के लाइसेन्स के लिये रसद कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

(2) व्यापारियों से लाइसेंन्स के लिये प्राप्त आवेदन पत्र पर प्रदत्त लाइसेन्स अथवा लाइसेन्स नहीं दिया गया, की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) जी हां, गुड़ एवं खाण्डसारी लाइसेन्स देने के नियम बने हुए हैं । सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 1 देखें)

(नियम विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखें गये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मुझे जो सूची दी गयी है उसमें 17 नम्बर की संख्या पर भगवती स्टोर के लिये लिखा गया है कि दरखवास्त छोटी चौपड़ पर लाइसेन्स मांगने तथा अभद्र व्यवहार करने के कारण खारिज की गई है । मैं मन्त्री महोदय से दो बातों की जानकारी करना चाहता हूं । एक तो यह है कि क्या छोटी चौपड़ पर लाइसेन्स मांगना जुर्म है ? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां पर लाइसेन्स देने की प्रक्रिया क्या है ? इसमें एक व्यक्ति को तो लाइसेन्स के लिये एप्लीकेशन देने के तुरन्त बाद ही लाइसेन्स मिल जाता है, दूसरे ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको सब खाना-पूर्ति करने के बाद भी लाइसेन्स महीनों नहीं मिलता है । अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति ने 1.2.80 को लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया और उसे 6.2.80 को ही लाइसेन्स मिल गया । इसी प्रकार एक व्यक्ति ने 1.2.80 को लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया उसको 7.2.80 को ही लाइसेन्स मिल गया । लेकिन कइयों को दो-दो और तीन-तीन महीनों तक लाइसेन्स नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूची के संख्या नम्बर 17 के बारे में पूरक प्रश्न उठाया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि लाइसेन्स देने को उक्त प्रार्थी द्वारा छोटी चौपड़ के खन्दे में लाइसेन्स मांगा गया था और राज्य सरकार द्वारा मन्डी सूरजपोल घोषित की जाकर समस्त फर्मों को वहां स्थानान्तरित किया जा रहा है । चूंकि मुख्य बाजार में किसी को भी लाइसेन्स नहीं दिया गया है.

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

अतः इन्हें भी लाइसेन्स देना उचित नहीं समझा गया । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये एप्लीकेशन फार्म में कई प्रकार की खाना पूर्ति करनी पड़ती हैं, उन खानापूर्तियों के अभाव में भी लाइसेन्स मिलने में देरी हो जाती है । दूसरे इस केस में यह भी है कि इनके द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण मुकदमा भी चला था, अतः हो सकता है इसके कारण विलम्ब हुआ हो । इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें दोनों ही पार्टियों ने पुलिस में एफ. आई आर. दर्ज करायी थी, तो हो सकता है पुलिस में इन्वेस्टीगेशन होने में देर होने के कारण भी देरी हो गयी हो ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने जो पुलिस में जांच होने में देरी की बात बतायी वह तो मानने में बात आ सकती है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 1.2.80 को लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया उनको 6.2.80 को ही लाइसेन्स मिल गया। दूसरे ने अगर 4.2.80 को लाइसेन्स के लिये एप्लाई किया उसको भी 7.2.80 को लाइसेन्स मिल गया , लेकिन कई फर्मों को दो-दो तीन-तीन महीनों तक लाइसेन्स नहीं दिया गया । यहां पर आपने जो अभद्र व्यवहार की बात कही उसके बारे में मेरा निवेदन है कि प्रार्थी को तीन महीने तक लाइसेन्स नहीं मिला । कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पैसा देते हैं उनका काम तो तुरन्त कर देते हैं और जो पैसा नहीं देते हैं उनके काम में रुकावट डाली जाती है ? अध्यक्ष महोदय, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है ।

इसके साथ-साथ मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही नहीं हमेशा से ही इस सप्लाई डिपार्टमेन्ट की रेपूटेशन यह है कि इसमें भ्रष्टाचार का बोल बाला है इसमें जो पैसे देता है उसका तो काम कर देते हैं और जो पैसा नहीं देता है उसको परेशान किया जाता है इस व्यक्ति ने जब पूरी खाना पूर्ति कर दी फिर इसे लाइसेन्स क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने निवेदन किया था कि हो सकता है पुलिस इन्वेस्टीगेशन में देरी हुई हो । इसमें गलती किसकी रही . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं गलती के बारे में नहीं कह रहा हूं । खानापूर्ति जब पूरी है तो फिर लाइसेन्स क्यों नहीं मिला ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: अध्यक्ष महोदय, खानापूर्ति के अन्दर कोई कमी रह सकती है । आपने कह दिया कि लाइसेन्स जल्दी क्यों मिला, इसका उत्तर तो देना मुश्किल होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर । कृपया व्यवधान नहीं डालें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । उसमें एक नहीं कई मामलों में गड़बड़ियां चल

(6)

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

रही हैं, चाहे आप सीमेन्ट ले लो, चाहे आप चीनी ले लें, इस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये मन्त्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे ? दूसरे लाइसेन्स देने के लिये क्राइटेरिया सरकार ने रख रखा है ? आज एक नहीं, मैं आपको जयपुर के मेन बाजार में 22 दुकानें ऐसी बता सकता हूं जिनको लाइसेन्स मिला है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, पहले कोई आदेश हो गये होंगे तो पता नहीं, मैं अभी की बातें बता रहा हूं। दूसरे भ्रष्टाचार के बारे में जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसके लिये तो मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य खुद काफी जागरुक हैं, अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक शिकायत हो किसी के बारे में तो मुझे बतायें, मैं उसके लिये जांच करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। सिर्फ यही कह दें कि भ्रष्टाचार अधिक है तो इससे किसके खिलाफ कार्यवाही करें ? यह तो जनरल बात हो जाती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, सप्लाई विभाग में कई लोगों को लाइसेन्स जल्दी मिल जाता है और कइयों को बहुत दिन तक नहीं मिलता है। इसमें ऐसे कौन-कौन से व्यापारी हैं जिनको किन किन कारणों से लाइसेन्स जल्दी नहीं दिये गये जब कि उन्होंने सभी शर्तें पहले ही पूरी कर दीं ? अध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स के लिये एप्लीकेशन होती है। जब व्यक्ति लाइसेन्स के लिये एप्लाई करता है तो उसको पूरा भर कर देता है। जब पूरी खाना पूर्ति पहले ही हो जाती है तो क्या कारण है कि उसको लाइसेन्स नहीं दिया जाता है? जब खानापूर्ति कर दी जाती है तो सिर्फ लेने-देने के अभाव में ही देरी होती है। इसके लिये क्या आप कोई जांच करवायेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : बात यह है कि हर व्यापारी के बारे में तो जांच नहीं हो सकती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक केसे बतावें तो जांच हो सकती है।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मेरा तो यही कहना है कि यह पता लगावें कि डिले क्यों हुई?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपके पास कोई स्पेसिफिक मामला हो तो आप प्रस्तुत कर दें, उसके लिये जांच करवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

विभिन्न निकाय, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त वरिष्ठ/ कनिष्ठ लेखाधिकारी

456. **श्री नाथूसिंह** (बान्दीकुई) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सरकार के वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखाधिकारियों को विभिन्न निकाय, निगमों एवं अन्य अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति की अवधि से अधिक कितने वर्ष की हो सकती है और प्रतिनियुक्ति की अवधि कितनी बार बढ़ायी जा सकती है ?

(2) वर्तमान में ऐसे कितने व कौन-कौन से वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखाधिकारी हैं जो गत पांच वर्षों से अधिक समय से वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे हुए हैं ?

उप मंत्री वित्त (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) वांछित अनुदेशों की प्रति संलग्न है। इन अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर भेजा हुआ अधिकारी एक बार में तीन वर्ष तक रह सकता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति की अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

(2) केवल एक, श्री आर. के. अग्रवाल वरिष्ठ लेखाधिकारी, पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं, परन्तु वह भी भिन्न-भिन्न संस्थाओं में रहे हैं।

(अनुदेशके लिय कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूची मुझे दी गयी है उसको मैं तो क्या मन्त्री महोदय भी खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सूची को आपके पास भेजे रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप भी इसको नहीं पढ़ सकेंगे। इसको पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें। आप, नाथूसिंह जी कोई पूरक प्रश्न पूछें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम यह नहीं है कि प्रतिनियुक्ति पर किसी भी अधिकारी को तीन साल से अधिक रखा जाय। नियम यह है कि कोई विशेष परिस्थितियों में ही उसका कार्यकाल दो साल और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार पांच साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता है। हमारे जो राजस्थान सर्विस रूल्स हैं उनमें स्पष्ट लिखा है कि डेपूटेशन पर किसी भी अधिकारी को तीन साल से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। मुख्य मंत्री जी भी नहीं भेज सकते हैं। अगर मुख्य मंत्री भी चाहें तो बाद में केबीनेट में रूल्स रिलेक्शन करा कर ही कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रकार का केवल एक ही केस बताया है उन्होंने कहा है कि एक ही व्यक्ति है जो पांच साल से अधिक डेपुटेशन पर है। मैं मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अधिकारी वर्ग ने आपको गलत सूचना देकर गुमराह किया है।

दूसरे, उन्होंने पांच साल के डेपूटेशन पर होने का जिस व्यक्ति के लिये कहा है, वह व्यक्ति पिछले 11 साल से डेपूटेशन पर है: इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति अपने डिपार्टमेन्ट, अपने पेरेन्ट डिपार्टमेंट में 1150रु० ही तनख्वाह लेता है वह डेपूटेशन पर 2000 से लेकर 2500 रुपये तक का वेतन ले लेता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया भाषण नहीं दें।

श्री नाथूसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ही व्यक्ति बताया जो कि पांच साल से अधिक समय से डेपूटेशन पर हैं, पर मेरे पास ऐसे कई अधिकारियों के नाम हैं जो पांच साल से ज्यादा डेपूटेशन पर हैं। इनके पास चाहे वह सूची नहीं हो पर यह चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इनसे ज्यादा जानकारी रखते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा। मैंने जो प्रश्न पूछा है उसमें मैंने पूछा कि वर्तमान में ऐसे, कितने व कौन कौन वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखाधिकारी हैं जो गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से वित्त विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भेजे हुए हैं? इसकी सूची नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : जब एक ही व्यक्ति है तो सूची किसकी दें। इन्होंने बता दिया कि एक व्यक्ति ही प्रतिनियुक्ति पर है जो कि पांच वर्षों से अधिक समय से डैपूटेशन पर है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं उत्तर देने के पहले, जिससे इनको उत्तर देने में सहूलियत रहे। अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी का राज्य सरकार ने पांच साल से अधिक डैपूटेशन के लिए नाम दिया है, वह अपने पैरेन्ट डिपार्टमेन्ट में सिर्फ दो साल ही रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय : पहले माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें कि कितनी जानकारी चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस बारे में सब का पता लगायेगी और ऐसे लोग, जो 5 साल से अधिक डैपूटेशन पर गये हुए हैं, को वापिस अपने पैरेन्ट डिपार्टमेन्ट में भेजेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसको नकारा है, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : दूसरे, कब तक भेजेगी? तीसरे, इस बारे में क्या सरकार पूरी जानकारी करायेगी कि जिस व्यक्ति का नाम लिया है वह कितने साल से डैपूटेशन पर है? कितना पैसा लिया है ? मैं चाहता हूं कि पूरी जानकारी मेरे पास आ जाये।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो विभाग द्वारा पठन योग्य सूची नहीं दी गयी है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं विभाग को निर्देश दूंगा और अविलम्ब आपको पठन योग्य प्रति दिलवाने की कोशिश करूंगा।

जहां तक आपने अग्रवाल के बारे में पूछा है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्य महानुभाव से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह यह है कि इस जगह अभी इनको प्रतिनियुक्ति पर कार्य किये 5 वर्ष से अधिक हो गये हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। श्री आर. के. अग्रवाल, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं, जैसी योग्यता के अधिकारी हमारे राजस्थान में दो, तीन या चार ही हैं। इन्होंने जिस प्रकार काम किया, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं:—

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में लेखाधिकारी के पद पर इन्होंने काम किया अप्रेल, 66 से सितम्बर, 67 तक।

2. गंगानगर शुगर मिल, जयपुर में लेखाधिकारी के पद पर काम किया सितम्बर, 67 से जून, 70 तक।

3. गंगानगर शुगर मिल, जयपुर में विशेषाधिकारी के पद पर काम किया जून, 70 से अगस्त, 71 तक।

4. राजस्थान स्टेट टैनरी लि., जयपुर में लेखाधिकारीकम-सचिव के पद पर काम किया दिसम्बर, 71 से दिसम्बर, 72 तक

(श्री रामपाल उपाध्याय)

5. राजस्थान टैनरी लि., जयपुर में वरिष्ठ लेखाधिकारी-कम-सचिव के पद पर काम किया दिसम्बर, 72 से अक्टूबर, 74 तक।

6. राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स निगम, जयपुर में सचिव के पद पर काम किया अक्टूबर, 74 से 3.10.79 तक।

7. राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेन्ट कारपोरेशन, जयपुर में वित्तीय सलाहकार-कम-सचिव के पद पर काम किया 4.10.79 से आज तक।

अगस्त, 71 से दिसम्बर, 71 तक लेखाधिकारी, राजकीय उपक्रम विभाग में भी यह रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि इस प्रकार का इनका अनुभव है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि एक गली निकाल रखी है अधिकारियों ने डेपूटेशन पर जाने की, जब कि नियम यह है कि 3 साल से ज्यादा डेपूटेशन पर नहीं भेजे जा सकते। लेकिन यह क्या करते हैं कि डेपूटेशन पर एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट और एक कारपोरेशन से दूसरे कारपोरेशन में और दूसरे से तीसरे में ट्रान्सफर कराते रहते हैं। यह गली निकाल रखी है जब कि यह कानून के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके कमिश्नर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं वे जहां जिस डिपार्टमेंट में गये हैं वहां वे जाते हैं ऐसे लेखाधिकारी होते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। जिन के बारे में आपने बताया, यह पहले राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स में भी रहे हैं। डवलपमेन्ट कारपोरेशन में थे, अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय इसके जो कमिश्नर थे उनका जब ट्रान्सफर हुआ और दूसरे डिपार्टमेन्ट में गये, राजस्थान माइन्स एण्ड मिनरल्स कारपोरेशन में, तो वह उनको भी अपने साथ में ले गए क्योंकि मैनेजिंग डाइरेक्टर भी वही हैं, चेयरमैन भी वही हैं और कमिश्नर भी वही हैं। इतना ही नहीं यह इसलिए ले जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मिल कर घपला करते हैं। मेरे क्षेत्र कोटपूतली के रहने वाले लोगों को एक एक हजार रुपये की रिश्वत ले कर नौकरी दी है। लोगों ने 500 रुपये एडवान्स में दे दिये और बाद में 500 नहीं दिये तो उनको नौकरी से निकाल दिया, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि विभिन्न डिपार्टमेन्ट में, कारपोरेशन में जो दो तीन साल से पहले ही ट्रान्सफर कर देते हैं, दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में भेज देते हैं, यह जो गली निकाल रखी है, क्या इस सब की जांच करवायेंगे? आपने पाबन्दी लगाई है कि 3 साल के पश्चात् वह अपने पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में वापस आये, इस तरह से 3 साल के बाद अलग-अलग कारपोरेशन में या विभाग में डेपूटेशन पर नहीं भेजें ......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि गली निकाल रखी है, इसके बारे में मेरा निवेदन है कि गलियों का निकालना और नहीं निकालना तो समझ में नहीं आता। मैं तो सरकार की तरफ से कहना चाहूंगा कि सरकार सुदृढ़ रूप से जितनी जरूरी कार्यवाही है, वह करेगी और करती

(10)

श्री माधूसिंह : जांच करवायेगी क्या इनकी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं मंत्री महोदय से आपकी मार्फत पूछना चाहूंगा। आपने बताया था कि श्री अग्रवाल की कोई विशेष क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से इनको लगाया जा रहा है। वह क्या क्वालिफिकेशन है जो दूसरों में नहीं है ?, यह बताने की कृपा करें ?

श्री रामपाल उपाध्याय: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास जानकारी है श्री आर के. अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता, एम. कॉम. है और तकनीकी योग्यता, एसोसियेट इ चार्टड........

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो सारे ही होते हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : इसके साथ ही साथ मैं एक बात कह सकता हूं, जैसा लम्बा विवरण दिया है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, इनको अनुभव भी है और दक्षता भी है।

प्रश्न संख्या 457

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री देवेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सी. एल. कंवरिया।

वाणिज्यिक कर विभाग की अपीलों आदि के निवर्तन हेतु जयपुर में प्रस्तावित ट्रिब्यूनल कोर्ट

458. **श्री सी. एल. कंवरिया** (दूदू) : क्या वाणिज्यिक कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वाणिज्यिक कर विभाग की अपीलों व निगरानी आदि के लिए एक पृथक ट्रिब्यूनल जयपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो राजस्व मण्डल से पृथक बनाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या निर्माणाधीन वाणिज्यिक कर भवन में ट्रिब्यूनल के लिए अदालत व कार्यालय भवन बनाने की भी योजना है ?

उप-मंत्री, वाणिज्यिक कर (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, प्रस्ताव में यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल की स्थापना से निगरानी के मुआवजे शीघ्रता से निपटाये जा सकेंगे, जिससे व्यापारियों को और लोगों को राहत मिलेगी।

(2) जी नहीं।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत से जानना चाहूंगा कि क्या रेवेन्यू बोर्ड के अब तक के फैसलों और निर्णयों से राज्य सरकार सन्तुष्ट नहीं है ?

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य महोदय को मैंने निवेदन किया कि सन्तुष्ट या असन्तुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कार्य निरन्तर बढ़ रहा है उसके बावजूद जल्दी से न्याय सुलभ हो सके, इसके बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सी. एल. कंवरिया: क्या यह मसले रेवेन्यू बोर्ड के ही दो सदस्य और बढ़ाकर हल नहीं किये जा सकते ? हम यह सोचते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में ही अपील के 12 एक्ट्स हैं, जिनके अन्तर्गत रेवेन्यू बोर्ड अपील सुनता है एक तरफ एक्सपर्टाइज को डवलप करना चाहते है और दूसरी तरफ अलग ट्रिब्यूनल कायम करना चाहते हैं । क्या राज्य सरकार दो सदस्य और बढ़ा कर यह कार्य नहीं कर सकती ?

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, जब सरकार इस पर अन्तिम रूप से विचार करेगी तो जो माननीय सदस्य महोदय के विचार हैं उनका जरूर ध्यान रखेगी ।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब जोधपुर से हाई कोर्ट हटा तब भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल सैट हुआ तो उसकी स्थापना जोधपुर में ही की जायगी । तो क्या नये ट्रिब्यूनल को जोधपुर में लगाने का प्रावधान है?

श्री दाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, सस्ता न्याय दिलाने के लिए . . .

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर । उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अलग से है । अगर आप से पूछते तो इसका भी उत्तर दिया जा सकता था ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या राज्य सरकार कोटा में अलग से ट्रिब्यूनल स्थापित करने का विचार करेगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : सारा मामला सरकार के विचाराधीन है, इसलिए आज निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने जो सुझाव दिया है, उसका ध्यान रखेंगे ।

नैक्स्ट प्रश्न । अमीन खां ।

बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों में सीमेंट वितरण

459. श्री अमीन खां (शिव): क्या रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की पंचायत समितियों व नगरपालिकाओं में वर्ष 1970, व 80 में कुल कितना सीमेन्ट आया था तथा किस आधार पर उसका वितरण किया गया?

(2) बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति में सन् 1970 व 80 में कितना सीमेन्ट आया और उसमें से कितना- कितना वितरण किन-किन कार्यों के लिये किया गया? पंचायतवार आंकड़े बताने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि शिव पंचायत समिति के मुख्यालय पर कोई जिम्मेदार कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने के कारण सीमेन्ट के लिये कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ? यदि हां, तो प्रशासन इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रहा है ?

रसद एवं आपूर्ति मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) बाड़मेर जिले को वर्ष 1979 व 1980 में सीमेन्ट का आवंटन व प्राप्ति निम्नानुसार हुई:—

वर्ष	आवंटन	प्राप्ति
1979	6850	4885
1980	3950	3128

12

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

प्राप्त सीमेन्ट का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में वितरण किया गया ।

(2) शिव पंचायत समिति में वर्ष 1979 में 202 टन और वर्ष 1980 में 111 टन सीमेन्ट आवंटित की गई । वितरण के आंकड़े कार्य अनुसार अथवा पंचायत वाइज नहीं रखे गये और इस कारण वांछित आंकड़े प्रस्तुत करने में असमर्थता है ।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह सीमेन्ट का वितरण जिला लेवल पर होता है या तहसील स्तर पर होता है ? पंचायत समितियों और नगरपालिकाओं के क्षेत्र में किस प्रकार विभाजन किया जाता है या राज्य सरकार के स्तर पर ही आदेश दे दिये जाते हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आवंटन तो वहीं पर होता है, राज्य स्तर पर नहीं । यदि आप चाहते हैं कि जिला स्तर पर कितना वितरण किया गया है और तहसील लेवल पर कितना किया गया है . . .

श्री अमीन खां : मेरा मतलब है सीमेन्ट का वितरण यहां से किया जाता है या जिला स्तर से ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वहां जिलाधीश महोदय आवश्यकता के अनुकूल वितरण करते हैं । वितरण का आधार ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में 30 प्रतिशत होता है । पंचायत समिति वाइज आंकड़े चाहें तो ये आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं ।

श्री अमीन खां : मैं मंत्री महोदय से एक उत्तर चाहता हूं । पंचायत समिति शिव मुख्यालय पर जो सीमेन्ट वितरण के लिये दुकान है, वहां ग्राम सहकारी समिति में ग्राम सेवक को प्रमोशन देकर सुपरवाइजर लगाया है लेकिन वहां कोई आदमी नहीं मिलता है, हमेशा दुकान बन्द रहती है । सरपंच जैसा आदमी भी चार- चार बार आता है तब जाकर माल मिलता है, इसकी सरकार को जानकारी है या नहीं ? नहीं है, तो सरकार सख्त आदेश दें या फिर दुकान कैन्सिल कर दें या जांच करें ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार व्यवस्था कर दी जायेगी । एक- एक सहकारी समिति के बारे में क्या व्यवस्था है, यह तो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) : क्या यह सही है कि राजस्थान में गांवों में बसने वाले लोगों की आबादी 80 प्रतिशत है और शहरों में बसने वाले लोगों की आबादी 20 प्रतिशत है लेकिन 80 प्र. सीमेन्ट अधिकारी शहरों में ले लेते है और केवल 20 प्रतिशत सीमेन्ट ही गांवों के आदमियों को मिलती है ? यह वास्तविक तथ्य है । पिछले पांच साल के आंकड़े देख सकते हैं, जो गांवों में सीमेन्ट दी है वह 30 प्रतिशत है और 70 प्रतिशत सीमेन्ट शहरों को दी है । क्या इस व्यवस्था में सुधार करने का सरकार का विचार है ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दूसरा मेरा निवेदन है कि तहसील लेवल पर जो स्टाकिस्ट है वे एक तरह से मोनोपोली रखते हैं और ग्रामवासियों की कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं, तो क्या नये लाइसेन्स देकर प्राथमिकता के आधार पर इस व्यवस्था में भी सुधार करने का सरकार का कोई इरादा है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह बात सही है कि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में है। इस तथ्य को कौन मना कर सकता है। जिस पंचायत का प्रश्न है, उसके फेक्ट्स मेरे पास है। 70 प्रतिशत सीमेन्ट गांवों को दी गई है। सारे राजस्थान के आंकड़ों के आधार पर तो मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं।

प्रश्न संख्या 460

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह ।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री रामकंवार बैरवा ।

चाकसू व फागी तहसीलों के ग्रामों का विद्युतीकरण

461. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चाकसू व फागी तहसीलों में कितने गांव विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हुए हैं ? कृपया प्रत्येक गांवों की सूची प्रस्तुत करें।

(2) इन गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ।

(3) फागी में सहायक अभियन्ता कार्यालय कब तक खोला जायेगा ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तहसील चाकसू के 189 ग्राम तथा तहसील फागी के 102 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है ।

(2) चाकसू तहसील के चार ग्रामों का विद्युतीकरण माह जुलाई, 1980 के अन्त तक किया जा चुका है। शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है । योजनाओं का कार्यकाल 4-5 वर्ष का है ।

(3) फागी में सहायक अभियन्ता का कार्यालय माह अप्रेल, 1980 में खोला जा चुका है ।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि जहां-जहां रिजर्व सीटें होती है वहां-वहां अनुसूचित जाति का क्षेत्र होता है। क्योंकि वहां अनुसूचित जाति के मतदाता ज्यादा होते हैं इसलिए उनको रिजर्व रखा जाता है। फागी एवं चाकसू जयपुर से लगता हुआ है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि नगरपालिका चाकसू क्षेत्र भी बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यही आश्वासन चाहता हूं कि आपने दोनों तहसीलों में जो स्थिति बताई है, उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं लेकिन यह आश्वासन देते हैं क्या कि इस वर्ष प्राथमिकता देकर कितने गांवों का विद्युतीकरण कर सकेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी: जैसी योजना बनाई है उसके अनुसार 4-5 साल का कार्यक्रम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो तहसील चाकसू है इसमें पहले साल में

(14)

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

76 गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा, दूसरे साल में 39 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा, तीसरे साल में 52 गांवों को बिजली दी जायेगी। इसके अलावा 22 गांवों में भी बिजली दी जायगी जो नान-पोटेन्शियल है। इसी तरह मैं फागी के लिये बताना चाहता हूं, 102 गांवों में बिजली देने की योजना है। पहले साल में 35 गांवों को बिजली दी जायेगी, दूसरे साल में 40 गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जायेगी और तीसरे साल में 27 गांवों को बिजली दी जायेगी। इस तरह जो योजना है वह 4-5 साल में पूरी कर दी जायेगी।

श्री रामकंवार बैरवा : जिन गांवों में इस वर्ष आप बिजली देने वाले हैं, उन गांवों की जानकारी देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। दूसरा प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि फागी की आर.ई.सी स्कीम कौनसे वर्ष में प्रारम्भ की गई और पहला वर्ष कौन सा है ? आपने कहा है कि पहले वर्ष में 35 गांवों का विद्युतीकरण किया जायगा। इसमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया हुआ है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : फरवरी 80 में शुरू होनी थी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो यह बताने की कृपा करें कि फरवरी, 1980 के पहले वर्ष में कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ ? गांवों की संख्या बता दीजिये कि कहां कहां बिजली दे दी गई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं जानते हैं कि बिजली का काम है, वह योजना के अनुसार चल रहा है· ·

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Give me specific answer.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बड़े आश्चर्य की बात है, इस सवाल से सम्बन्धित है। माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पहले साल में कितने गांव करने हैं, यह बता दीजिये।

श्री अब्दुलरहमान चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, वह मैं बता चुका हूं - फरवरी, 80 में संक्शन हुई है। इसमें आफिस खुलने की बात थी। अब जुलाई से इस कार्यालय का काम शुरू हुआ है। योजना के अनुसार 35 गांव लिये जायेंगे। अभी यह योजना बनाई जा रही है कि कौन कौन का पहले विद्युतीकरण करना है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी . मैं चेलेंज कर रहा हूं फरवरी, 80 में आफिस वहां खुलने की बात थी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं लेकिन शायद मंत्री महोदय संकोच कर रहे हैं। योजना के अनुसार फरवरी, मार्च, 80 में 35 गांव विद्युतीकरण होने को थे· ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये प्रश्न आमतौर से आते रहते हैं, सब प्रोग्राम के अनुसार होता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 1980 तक 35 गांव होने थे, वह करेक्ट करें आपने आपको, उनमें से कितने गांव हो गये? 4 गांव हो गये तो कितने गांव और बच रहे हैं इस वर्ष के · · ·

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 461

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कमलेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री मोहन लाल मोदी।

नीम का थाना छावनी में बालिका विद्यालय खोलना

463. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने नीम का थाना छावनी में अप्रेल, 1977 में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी थी? यदि हां, तो वह स्वीकृति किन कारणों से रोक दी गई?

(2) क्या इसके लिए वहां के नागरिकों द्वारा उपयुक्त भवन तैयार कराकर सरकार को देने के लिए लिखा गया था?

(3) क्या सरकार वहां बालिकाओं की संख्या को देखते हुए बालिका विद्यालय शीघ्र खुलवाने पर विचार करेगी?

शिक्षा मंत्री (श्रीहनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) जी हां, जनता सरकार ने इनके लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी।

(2) जी हां।

(३) नये विद्यालय खोलने के सभी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ सुनायी नहीं दिया। जो आपने बताया, जरा दोबारा बताइये।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जी हां, जनता सरकार ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी।

श्री मोहनलाल मोदी: मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस विद्यालय को खोलने का क्या सरकार विचार रखती है या नहीं?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अभी कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है, विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े क्षेत्र में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है महिलाओं के लिए तो क्या इसको आप प्राथमिकता देंगे?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, आज इस सम्बन्ध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। वहां स्थिति क्या है जब इसकी जानकारी हो जायगी तभी इस प्रकार उत्तर दे सकूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, स्थिति आपके सामने है। कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1977 के अन्दर इसको स्वीकृत कर दिया और जनता सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी। इस स्थिति में क्या इस पर विचार कर रहे हैं या आप भी राजनैतिक कारण सामने ले आयेंगे?

(व्यवधान)

(16)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री भैरुलाल)

श्री मोहन लाल मोदी : उत्तर आया नहीं हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न है । सारे एरिया में एक भी सैकन्डरी स्कूल लड़कियों का नहीं है। इसके बारे में सरकार से उत्तर आना चाहिये। अब कब तक इसको स्वीकृति दे देंगे, कम से कम यह तो उत्तर दें ।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय ने आपकी समस्या को ध्यान में कर लिया है । आगे आप कार्यवाही कीजिए ।

अगला प्रश्न । श्री भैरूलाल ।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों को निर्धारित वेतन देना

464. **श्री भैरूलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या देव स्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने श्रमिकों के लिय न्यूनतम रुपये 7 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से मजदूरी देने के आदेश प्रसारित किये हैं ?

(2) क्या देवस्थान विभाग के कर्मचारियों को उक्त दर से वेतन अथवा मजदूरी दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामपाल उपाध्याय.)

(1) जी हां । राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 अनुसूचित नियोजनों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की हैं । इनमें से कृषि के अतिरिक्त 29 नियोजनों में अकुशल वयस्क श्रमिक की न्यूनतम वेतन दर 7/- रुपये निर्धारित की गयी है ।

(2) जी नहीं । देवस्थान के कर्मचारियों को वेतन राज्य सरकार के सेवा नियमों एवं आत्मनिर्भर (फण्ड) कर्मचारी सेवा नियमों के अनुसार दिया जाता है ।

श्री भैरूलाल : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि वे किस श्रेणी में आते हैं, और उनको किस आधार को मानकर यह वेतन दिया जाता है ? उन पर मिनिमम वेजेज लागू होना चाहिये । देवस्थान विभाग के कर्मचारी सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों के हिसाब से काम करते हैं और 24 घन्टे काम करते हैं, उन पर क्या यह कानून लागू नहीं है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महानुभाव को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ पर दूसरे श्रमिक कानून हैं, इस मूलभूत अन्तर को माननीय सदस्य महानुभाव को समझना चाहिए ।

जहाँ पर श्रमिक को 7 रुपये प्रति दिन देने का प्रावधान है वहाँ पर देवस्थान विभाग की अकेली व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की व्यवस्था है । कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनका व्यय देवस्थान विभाग उठाता हैं । कुछ मंदिर ऐसे हैं जो विभाग द्वारा प्रतिबन्धित हैं । उनकी आय और व्यय का हिसाब किताब वे लोग खुद रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं ।

श्री रामपाल उपाध्याय : कुछ मंदिर इतनी कम आमदनी वाले हैं कि केवल मात्र उनमें सुबह और शाम पूजा करने के लिए श्रमिक रखे जाते हैं । कुल मिलाकर मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस परिस्थिति और देवस्थान विभाग की परि-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

स्थिति में मूलभूत अन्तर है उसी अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए यह उत्तर दिया गया है।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जयपुर में गोविन्द देव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आये दिन उसमें हड़ताल होती है, उसके अन्दर झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है। वहां जो काम करने वाले हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता है। कुछ वेतन मिलता है और कुछ भोग में आता है वह भी मिलता है। लेकिन वह कम है। इसकी जांच करायी जाय। वास्तव में उनको पैसा कम मिलता है। जो मजदूर पेशा काम करते हैं कम पैसा उनको मिलता है।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि देवस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को कितना पैसा दिया जाता है और अन्य काम करने वाले कर्मचारियों को कितना पेमेन्ट किया जा रहा है?

श्री दाऊ दयाल जोशी: क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग की तरह राजकीय मंदिरों में, भिन्न भिन्न पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी, जैसे मुखिया, बाल भोगिया और तैलिया को अलग अलग वेतन मिलता है या सब को एक समान वेतन मिलता है? मुखिया, बाल भोगिया और तैलिया के जो वेतनमान हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नॉन मजदूर का प्रश्न है।

श्री दाऊ दयाल जोशी: एक मुखिया है आज लेकिन उसको भी 4 रुपये वेतन मिलता है। अगर वह बाल भोगिया है तो भी 4 रुपया वेतन मिलता है...

श्री अध्यक्ष: यह परिधि से बाहर का प्रश्न है।

श्री दाऊ दयाल जोशी: आज उनको जो वेतन दिया जा रहा है वह चपरासी के वेतन के बराबर भी नहीं है। 7 रुपये रोज मजदूरी की बात कही गयी है।

श्री दिनेश डांगी: अध्यक्ष महोदय, गोविन्ददेवजी के बारे में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दें।

श्री रामपाल उपाध्याय: जहां तक गोविन्द देव जी के मंदिर के बारे में सवाल है वह राजकीय मंदिर नहीं है। उसका एक अलग ट्रस्ट है उस पर उसी ट्रस्ट का नियन्त्रण है।

दो, जहां तक गोविन्द देव जी का मंदिर है, वह फण्डेड मंदिर की श्रेणी में आता है। उसका अपना एक बजट है उसी के आधार पर जो मंदिर का श्रेणी बद्ध कार्यक्रम है उसके अनुसार वेतन उनको मिलता है। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा श्री जोशी साहब दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, यह प्रक्रिया सभी लोगों पर एक साथ लागू नहीं हो सकती। अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग प्रकार के मंदिरों की श्रेणियों के अनुसार, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार, उनकी कार्य अधिकता के अनुसार मुखिया को पैसा देते हैं। उनकी सारी जो आमदनी आती है उसके अनुसार, उस आधार पर वेतन स्वाभाविक है। मैं समझता हूं आप सहमत हैं।

(व्यवधान)

(18)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री विनेश डांगी : इन्होंने कहा है कि गोविन्द देव जी का मंदिर सरकार के अधीन नहीं है तो प्राइवेट पार्टियों के जो मंदिर चलते हैं उन पर क्या सरकार के नियम लागू होते हैं या नहीं ?

श्री भैरूंलाल : जैसा कि बताया कि अपनी अपनी जगह पर हिसाब किताब होता है। अलग-अलग उनकी नीति रीति पर क्या सरकार विचार करेगी कि उन मंदिरों की कितनी आमदनी होती है, किस आधार पर उनको मिली ? देवस्थान के कमिश्नर हैं, उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है और उनको कुछ नहीं देते हैं। क्या सरकार यह सोचेगी कि इस तरह के लोगों की जो आमदनी होती है, इन पर कोई सरकार की तरफ से नियंत्रण हो ताकि मजदूरों को पूरा पैसा मिल सके ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महानुभाव ने जो सहानुभूति जाहिर की है उसके लिए तो बहुत प्रसन्नता है। दरअसल मैं मंदिर कई श्रेणियों में विभक्त हैं और श्रेणीबद्ध हैं। उसके लिए मैंने निवेदन किया है। फिर भी सरकार इस बात को देखना उचित समझेगी कि चाहे वह सरकार के अधीन प्रत्यक्ष रूप से नहीं है उन पर नियंत्रण हो चाहे तो शोषण होने का प्रश्न हो, वेतनमानों का प्रश्न हो और ऐसे ही दूसरे प्रश्न हों, देवस्थान विभाग से सम्बन्धित जो मंदिर हैं या नियंत्रित हैं उन सब को सरकार देखना उचित समझेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है और मेरे पास प्रमाण है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, श्री हीरालाल आर्य।

इन्द्रयाणी बांध से सम्बद्ध मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान

476. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में बन रहे इन्द्रायणी बांध के मजदूरों को माह अप्रेल, मई व जून, 1980 का वेतन नहीं मिला है ?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा कितने मजदूरों को ?

(3) क्या सरकार उन मजदूरों की मजदूरी के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था करेगी तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी नहीं। 627 मजदूरों में से केवल 29 मजदूरों का भुगतान बकाया है।

(2) केवल 29 मजदूरों का भुगतान करना शेष है क्योंकि यह मजदूर भुगतान करते समय उपस्थित नहीं थे।

(3) जो मजदूर भुगतान के समय उपस्थित नहीं होते वह तीन माह तक भुगतान ले सकते हैं। जब भी यह मजदूरी लेने आवेंगे भुगतान कर दिया जावेगा। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला क्वेश्चन है उसमें छः माह का वेतन बकाया बताया गया था। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मजदूरों को किस तारीख को रुपया चुकाया गया ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अप्रेल का भुगतान 20-5-80 को किया गया, मई का भुगतान 28.6.80 को और जून का भुगतान 18.7.80 को हुआ है।

प्रश्न संख्या 466

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कुंजीलाल,

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री रामधन।

मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करना

467. **श्री रामधन (लाडनूं)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जसवन्तगढ़ से लाल थाना सुजानगढ़ सड़क का निर्माण पुरानी रेलवे लाइन के ऊपर हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस स्वीकृत राशि का सही उपयोग हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मजदूरों को न केवल समय पर भुगतान नहीं किया गया, बल्कि भारी कटौतियां भी की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

अकाल राहत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां, यह सही है कि जसवन्तगढ़ से सुजानगढ़ सड़क का निर्माण जसवन्तगढ़ की पुरानी रेलवे लाइन के ऊपर काम के बदले अनाज योजना में अकाल राहत के तहत हुआ है और उसकी स्वीकृत राशि का सही उपयोग हुआ है।

(2) जी नहीं। मजदूरों को समय पर तथा मजदूरी के अनुपात में पूरा भुगतान किया गया था।

श्री रामधन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो सड़क बनाई है, यह सिर्फ कागजों में बनी है। न कोई सड़क बनी है और न कोई भुगतान हुआ है। सिर्फ कागजों में सड़क बनी है...

श्री अध्यक्ष : भुगतान भी कागजों में हुआ है।

श्री रामधन : भुगतान तो असल में हुआ है। अभी मैं स्वयं उसको देखने को गया था। बी. डी. ओ. ने बताया कि सड़क तो बह गई पानी में। मैं उनके साथ गया हूं। उन्होंने कहा कि आपने असेम्बली क्वेश्चन करा कर परेशानी में डाल दिया है। हमारे सामने परेशानी पैदा कर दी है। सड़क तो बनी थी लेकिन बाढ़ में बह गई। मैं स्वयं वहां पर जाकर आया हूं। अभी सीधा वहीं से आ रहा हूं, घर पर भी नहीं गया हूं। उन्होंने कहा कि बहुत पानी पड़ा इसलिए सड़क बह गई। उसके पड़ोस में ही दूसरी सड़क है वह नहीं बही है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो जसवन्तगढ़ से सुजानगढ़ तक की सड़क है इसकी पूरी जांच करावें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो जानकारी दी है माननीय सदस्य ने, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं इस को स्वीकार करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री भरोसी लाल।

हिण्डौन-खरेटा-झिरना सड़क का निर्माण

468. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि हिण्डौन से खरेटा-झिरना जाने वाली सड़क स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री रामपाल उपाध्याय) : जी हां। यह दोनों कार्य वित्तीय वर्ष 82-83 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री भरोसी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया यह बतावें कि यह सड़क पांच वर्ष से बन रही है लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है और उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा डकैतियां होती हैं इसलिए क्या इस सड़क को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बातें नहीं करें आपस में।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जिक्र किया है उसका मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है कि 82-83 के अन्दर पूर्ण हो जाएगी।

प्रश्न यह है कि अभी हमने दस किलोमीटर की सरहद ली है तीन किलोमीटर से आगे की पूरी हो रही है और 0 से 2 किलोमीटर तक की जो सड़क है उसके लिए समस्या यह है कि वहां की भूमि अवाप्त नहीं हो रही है। कई तरह की कानूनी उलझनें पैदा हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य महानुभाव भी इसमें सहयोग करें। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे पास फण्ड है और हम उसको शीघ्र पूरा कराना चाहते हैं लेकिन भूमि अवाप्ति में देरी हो रही है। इसलिए और भी दूसरी उलझनें आ रही हैं। फिर मैं समझता हूं कि 82-83 तक पूरा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्य वीर।

झालावाड़ जिले के सिंचाई बांध

469. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में सिंचाई के कितने बांधों पर वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनमें से कितने कार्य पूरे हो चुके हैं और कितने कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में आगे सिंचाई हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) झालावाड़ जिले में 9 बांधों पर कार्य चल रहे हैं जिनमें से 5 बांधों का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और उनमें से 4 बांधों का कार्य अभी अधूरा है जो प्रगति पर है। सूची संलग्न है।

(2) झालावाड़ जिले में निम्न सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं:–

1) वृहत योजनाएं – 4
2) मध्यम योजनाएं – 3
3) लघु सिंचाई योजनाएं – 10

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(21)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन बांधों की आपने सूची दी है उनमें भीमसागर बांध और हरिशचन्द्र बांध, इन दोनों बांधों का कार्य कब शुरू हुआ ? इनमें अभी तक कितनी राशि लग चुकी है और स्वीकृत राशि में से इन पर कितनी राशि खर्च हो चुकी है ? इस वर्ष कितनी राशि खर्च होगी और ये कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैं आपको बतला चुका हूं कि 9 बांधों में से 5 का कार्य पूरा हो चुका है और 4 का बाकी है। इनके बारे में मैं आपको सूचना दे रहा हूं · · ·

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य केवल भीमसागर की बात पूछ रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : भीमसागर बांध के बारे में आपने जो सूची में दिया है, उसका उत्तर दीजिये पहले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : भीमसागर की कुल प्रस्तावित राशि 747.10 लाख थी जिसमें से अभी तक · · ·

श्री बालचन्द्र आर्य वीर : सुनाई नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, शांति रखें तो सुनाई देगा।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अभी तक कुल खर्चा 205.4 लाख हो चुका है भीमसागर बांध पर · · ·

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रश्न यह है कि भीमसागर योजना कब से प्रारम्भ हुई ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह कि पिछले वर्ष कितना खर्चा हुआ और इस वर्ष कितना खर्चा होने का प्रावधान है ? ये तीन सवाल किये हैं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : पहले प्रश्न का जवाब तो मैं दे चुका हूं कि 747 लाख की योजना थी जिसमें से 205 लाख का खर्चा तो हो चुका है और बाकी इसमें और खर्चा करने का प्रोविजन है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह योजना कब प्रारम्भ हुई और पिछले वर्षों में इस योजना पर कितना खर्चा करने का प्रावधान था ? उसके तहत पिछले वर्ष में क्या प्रावधान था और इस वर्ष में इस कार्य के लिए कितना कितना खर्चा करने का प्रावधान है ? ये तीन सवाल किये हैं।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत आवश्यक है, वह रह जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह योजना कब से चल रही है इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। पिछले वर्ष 176 लाख का प्रावधान इसमें था और इस वर्ष भी इतना ही प्रावधान है।

(व्यवधान)

22

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1944 से यह योजना चालू है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

जयपुर के बनीपार्क विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शिक्षण संस्थाएं

470.**श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र, जयपुर में कितने हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी मिडिल व प्राइमरी स्कूल्स हैं ? निकट भविष्य में सरकार द्वारा कितने और स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नत करने का विचार है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इसी क्षेत्र में कितने प्राइवेट विद्यालय हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता रहा है ? अनुदान देने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) वर्तमान में बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र (जयपुर) में चल रहे विद्यालयों की सूची संलग्न है । नए विद्यालय खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(2) इस क्षेत्र में 20 सहायता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं जिनकी सूची अनुदान विवरण सहित संलग्न है । इन संस्थाओं को अनुदान नियम, 1963 के तहत निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकृत पदों तथा उसके अनुसार कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष भरके वास्तविक व्यय (वेतन तथा अन्य भत्ते) पर तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिशत के अनुसार वर्ष के व्यय की जांच करके अनुदान दिया जाता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं सरकार के अनुदान के जरिये, उनमें टैगोर विद्यालय, बनीपार्क के विद्यार्थियों से फीस क्या ली जाती है ? आप 99358 रुपये वार्षिक दे रहे हैं, वह कब से दे रहे हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : टैगोर विद्यालय के विद्यार्थियों से कितनी फीस ली जाती है, यह मूल प्रश्न में नहीं है । बाकि 99358 रुपये अनुदान दिया जाता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, निजी शिक्षण संस्थाओं को जो सहायता दे रहे हैं, इसके कोई रूल्स बने हुए हैं या नहीं ? इसके लिये कोई समिति बैठती है या नहीं ? या ये कोई प्राइवेट दुकान हैं, जिनको आप सहायता दे रहे हैं ? रूल्स के अन्तर्गत सहायता दे रहे हैं, जो रूल्स के अन्दर ग्रान्ट इन एड दे रहे हैं, उसके लिये एक कमेटी का होना आवश्यक है, उसमें स्टूडेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव होते हैं । यह जो इतनी निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, जिनको सहायता दे रहे है, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह उपरोक्त शर्तों को पूरा करती हैं ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में कई बार प्रश्न आये हैं। मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था, अभी एक सरकारी कमेटी, ग्रान्ट इन एड कमेटी बनी हुई है, उसके सामने सब पत्र जाते हैं। उसके बाद जो खर्चे होते हैं, उसे अनुदान किसको स्वीकृत करना है, किसको नहीं है, उस कमेटी के द्वारा एड दी जाती है। जहां तक यह प्रश्न है, मैं समझता हूं एक शिक्षण संस्था का प्रश्न नहीं है सारी जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको किस प्रकार से अनुदान दिया जाय, उनमें किस प्रकार के शिक्षक हों, इसके बारे में मैं निवेदन करूं, विचार करके कोई निर्णय लिया जायेगा। कई शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनको शिकायत प्राप्त हो रही हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें,)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीयर की खुली बिक्री की योजना

454. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नियमों में तहसील या पंचायत समिति स्तर पर देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानें खोलने का प्रावधान है ?

(2) क्या प्रदेश में बीयर जो कम मात्रा की शराब है, पूर्णरूपेण खुली करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब लागू किये जाने का विचार है ?

(3) बीयर में एलकोहल एवं अन्य द्रव्यों की कितनी मात्रा होती है ?

उत्तर

(1) नियमों के अन्तर्गत देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें खोले जाने हेतु लाइसेन्स दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं।

(3) बीयर में 2 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बाई वोल्यूम (Volume) एलकोहल होती है। इसे जो, मकई के माल्ट और होप्स के सम्मिश्रण एवं शुद्ध जल मिलाकर फरमेन्ट कर बनाया जाता है। एलकोहल के अतिरिक्त शेष फरमेन्टेड माल्ट का पानी एवं कार्बन डाई ऑक्साइड होती है।

पंचायतों का पुनर्गठन

457. श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का पंचायतों का पुनर्गठन करने का विचार है ? यदि हां, तो पुनर्गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के पंचायतों का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पलसाना में सब-तहसील कायम करना

460. **श्री नारायणसिंह** (दांतारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पलसाना में सब- तहसील बनाने हेतु जनता की मांग पर जिलाधीश सीकर ने सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) क्या सरकार जनता की सुविधार्थ पलसाना में सब-तहसील खोलने का विचार रखती ?

उत्तर

(1) जी हां, दांतारामगढ़ तहसील के ग्राम पलसाना में सब-तहसील बनाने हेतु जिलाधीश सीकर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तहसील दांतारामगढ़ में नायब तहसीलदार का पद एक ही है। चूंकि तहसील दांतारामगढ़ के मुख्यालय पर न तो उपखण्ड अधिकारी का मुख्यालय है, और ना ही सहायक कलेक्टर का मुख्यालय है, अतएव पलसाना में उप-तहसील स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

(2) जी नहीं।

उदयपुर सीमेंट वर्क्स, डबोक से भूमि पर अवैध कब्जा करने की पैनल्टी वसूल करना

472. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

उदयपुर सीमेंट वर्क्स, डबोक ने कितनी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है और उस पर कितनी पेनल्टी लगाई गई, कितनी पेनल्टी सरकार द्वारा वसूल कर ली गई और बाकी राशि कब तक वसूल हो जायगी ?

उत्तर

सीमेन्ट फैक्ट्री का ग्राम मंदेरिया में 225 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण था। तहसीलदार वल्लभनगर ने दिनांक 21-4-80 को अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश दिये और कुल 25260.80 शास्ती लगाई। इस शास्ती में से अभी तक कोई रकम वसूल नहीं हुई है। शास्ती की वसूली की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। उक्त आदेश के विरुद्ध अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में अपील दायर हो चुकी है।

बांडोर ट्यूब वैल से पेयजल का प्रदाय

466. **श्री कुन्जीलाल** (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

समस्याग्रस्त बामनवास क्षेत्र में बांडोर ट्यूब वैल से पेयजल का प्रदाय कब तक किया जायगा तथा बामनवास पट्टी कलां की संशोधित योजना कब तक चालू की जा रही है ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

बामनवास क्षेत्र के समस्याग्रस्त ग्रामों को बांडोर नलकूप चालू होने के पश्चात तथा योजना हेतु धन उपलब्ध होने पर जल प्रदाय किया जायेगा। बामनवास पट्टी कलां की आगमेन्टेशन (क्षमता वृद्धि) योजना को भी धन उपलब्धि के पश्चात् ही कार्यान्वित करना सम्भव होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भारत सरकार के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में क्रमोन्नत व नये खोले जाने वाले विद्यालय

381. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये नयी शैक्षणिक संस्थायें खोली व क्रमोन्नत की जाती हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष किस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं कहां खोली व क्रमोन्नत की जा रही हैं ?

उत्तर

भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में एकमुश्त राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से सभी स्कीमों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने / नयी शैक्षणिक संस्थाएं खोलने के लिये राशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

वर्ष 1980 - 81 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजाति उप योजना क्षेत्र में कोई नयी पाठशाला खोलने अथवा मौजूदा पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय में कार्यरत अधिकारी

382. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के कार्यलय में कितने आर. ए. एस. अधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) इन अधिकारियों पर जनवरी, 80 से अब तक कहां कहां की यात्रा पर कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय में वर्तमान में एक आर.ए.एस. अधिकारी कार्यरत है, गत दिनांक 27-7-80 तक इस कार्यालय में 2 आर.ए.एस. अधिकारी कार्यरत थे। दिनांक 27-7-80 को स्थानान्तरण हो जाने के कारण एक अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

(2) इन अधिकारियों ने जनवरी, 80 से माह जुलाई, 80 तक निम्नलिखित यात्राएं सम्पन्न कीं जिन पर हुआ यात्रा व्यय यात्राओं के सामने अंकित है:–

(मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

नाम अधिकारी

1. श्री जी. एच. नरवानी,

अतिरिक्त आयुक्त, आर. ए. एस.

माह	कहां से कहां तक	व्यय राशि
जनवरी 80	उदयपुर से देहली व जयपुर	651.00
फरवरी 80	उदयपुर से सलूम्बर, बांसवाड़ा, तलवाड़ा, सज्जनगढ़, सीमवाड़ा, डूंगरपुर से रतनपुर	175.72
मार्च 80	उदयपुर से जयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, किशनगंज, रामपुर, भंवरगढ़, शाहबाद, कोटा	629.50
अप्रेल 80	उदयपुर से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, आबू रोड, देलवाड़ा, आमथला, गिरवर, चनार, मा. आबू, अचलगढ़, सिरोही	176.40
मई 80	उदयपुर से चित्तौड़गढ़, बड़ीधार	
जुलाई 80	उमेश्वर, कुण्डाल, जयपुर, गढ़ी कुशलगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर डूंगरपुर	432.85

श्री रामजीवन मीणा

उप निदेशक, आर. ए. एस.

जुलाई 80	उदयपुर से बांसवाड़ा	168-40

जिला बीकानेर की कच्ची बस्तियां

383. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बीकानेर जिले की कच्ची बस्तियों को सन् 1976 में मान्यता दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उनको पट्टे देने की कोई योजना है और कौनसा आधार वर्ष मान कर ?

(2) क्या कच्ची बस्तियों को जल, विद्युत, सड़क, स्कूल, औषधालय आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी एवं उनका आधार क्या होगा ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को कच्ची बस्तियों में कब्जा दे दिया गया उन गरीबों से समर्थ व्यक्तियों ने क्रय कर बड़े बड़े भवन बना लिये हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या इन कच्ची बस्तियों से उच्च अधिकारी एवं समर्थ व्यक्तियों को सरकार हटाने का विचार रखती है ?

(5) भविष्य में कच्ची बस्तियों में जो भूमि आवंटित की जावेगी उसका क्षेत्रफल कितना होगा ? अधिक जमीन पर अधिकार होने पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(6) कच्ची बस्तियों में पानी के स्टेण्ड कितनी आबादी पर होंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा 1976 में बीकानेर की किसी कच्ची बस्ती को मान्यता नहीं दी गई। इसलिए पट्टे देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। चूंकि आधार वर्ष केवल 21-8-71 माना गया है।

(2) पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत बीकानेर शहर की आठ कच्ची बस्तियों (सुभाषपुरा, रामपुरा, सर्वोदय बस्ती, सादुलगंज, अमरसिंहपुरा, बंगला नं. 10 के पीछे, धूड़ीजी धर्मशाला के पीछे नायकान गंगाशहर रोड) में विकास कार्य (जल, विद्युत, सड़क) हेतु रुपया 17,05,830 रुपये अनुदान के रूप में राज्य सरकार ने गत दो वर्षों (1978-79, 1979-80) में स्वीकृत किया जिसका उपभोग उपरोक्त कच्ची बस्तियों में सड़कों के निर्माण नाला व नालियों के निर्माण, बिजली पानी व्यवस्था में खर्च किया जा चुका है।

(3) ऐसा कोई मामला नगर विकास न्यास, बीकानेर की जानकारी में नहीं है। यदि कोई मामला सामने आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) इसका उत्तर प्रश्न के भाग (3) के अनुसार है।

(5) यह कहना अभी संभव नहीं है।

(6) इसका सम्बन्ध जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से है।

ग्राम बांजड़ली (बून्दी) की प्राथमिक पाठशाला का भवन

384. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम बांजडली पंचायत समिति केशोरायपाटन में प्राथमिक विद्यालय हेतु पंचायत द्वारा भवन निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब तथा भवन निर्माण में कितनी राशि किसके द्वारा खर्च की गई ? कृपया नाम व पद सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केशोरायपाटन द्वारा उक्त भवन का असेसमेंट कराया गया है तथा सरपंच के विरुद्ध इस भवन निर्माण की राशि के संबंध में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो कब तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने हेतु भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत समिति तथा अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता प्राप्त की है ? यदि हां, तो कहां कहां से कितनी कितनी राशि तथा वह खर्च की गई या नहीं ?

(4) उक्त भवन का कब्जा वर्तमान में किस के पास है और छात्रों के उपयोग में आ रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश बूंदी के आदेशानुसार दिनांक 14-11-79 को तहसीलदार पाटन व थानेदार कापरेन उक्त भवन का ताला तुड़वाया था और वर्तमान में भवन पर किस का कब्जा है ?

उत्तर

(1) जी हां। भवन निर्माण करवाया गया था। यह कार्य इस पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री भूरालाल मीणा द्वारा दि. 25-5-77 से 24-12-77 की अवधि में 10430.75 रुपये में करवाया गया है।

(2) जी हां। असेसमेन्ट करवाया गया था। अभी तक कोई जांच नहीं की गई है।

(3) जी हां। निर्माण अपूर्ण है क्योंकि इस भवन पर श्री भूरालाल का नाजायज कब्जा है। अपूर्ण भवन को पूर्ण करवाने के लिए पंचायत समिति से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

(4) उक्त भवन का कब्जा वर्तमान में भूतपूर्व सरपंच श्री भूरालाल के पास है तथा यह छात्रों के उपयोग में नहीं आ रहा है।

(5) जी हां। ताला तुड़वाया गया था। परन्तु दि. 16-11-79 को उक्त भूतपूर्व सरपंच ने फिर से कब्जा कर लिया तथा भवन पर अभी उक्त भूतपूर्व सरपंच ने स्वयं का ताला लगा रखा है।

रामनगर नाहरी का नाका जयपुर के अनिर्मित भू-खण्ड

385. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रामनगर, नाहरी का नाका, जयपुर कॉलोनी में कुल कितने भू-खण्ड हैं?

इनमें से कितने आवंटित हैं और कितने नीलामी में दिये हुए हैं? नाम व पते सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन आवंटित व नीलामी में दिये गये भू-खण्डों में से कितने निर्मित हो गये हैं और कितने भू-खण्ड खाली पड़े हैं?

(3) क्या सरकार के ऐसे नियम थे कि यदि कब्जा लेने के पश्चात किसी भू-खण्ड पर दो वर्ष में निर्माण कार्य नहीं हो, तो उसे वह वापस अधिग्रहण कर लेगी? यदि हां, तो क्या इन नियमों में कोई संशोधन हुआ है? क्या सरकार कालोनी के विकास को ध्यान में रख कर खाली पड़े भू-खण्डों को नीलाम करने या संबंधित व्यक्तियों को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये निर्देश देगी?

उत्तर

(1) रामनगर, नाहरी का नाका नाम की नगर विकास न्यास, जयपुर की कोई योजना नहीं है। नगर विकास न्यास, जयपुर की नाहरी का नाका (पूर्व) नाम से योजना है, जिसके एक भाग को वहां के नागरिकों ने रामनगर का नाम दे रखा है। नाहरी का नाका (पूर्व) योजना में 1200 (एक हजार दो सौ) आवासीय भू-खण्ड तथा व्यवसायिक हैं। नीलामी में क्रेताओं तथा आवंटियों की सूची तैयार की जा रही है।

(2) इस योजना में कितने भू-खण्ड निर्मित हो गये हैं व कितने खाली हैं इसकी सूचना प्रत्येक भू-खण्ड की मौके से जांच कराई जाकर, सर्वेपरान्त प्रस्तुत किया जाना संभव होगा।

(3) राजस्थान नहर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 में आवंटन द्वारा बेचे गये भू-खण्डों पर कब्जा देने की तारीख से दो वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने का प्रावधान रखा गया है। यदि

(मन्त्री, नगर आयोजन)

निर्धारित अवधि के भीतर भू-खण्ड पर निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो उक्त नियमान्तर्गत भूखण्ड का आवंटन रद्द कर पुनर्ग्रहण करने का प्रावधान भी था। इन नियमों में संशोधन हुआ है।

ग्राम आंवली कलां में स्वीकृत पशु चिकित्सालय

386. श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) व श्री **गोवार्नसिंह** (पिड़ावा): क्या पशुपालन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या झालरापाटन पंचायत समिति के ग्राम आंवली कलां में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत है? यदि हां, तो उसे कब तक चालू कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

रायपुर (झालावाड़) में पशु चिकित्सालय खोलना

387. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) व **श्री शोवार्नसिंह** (पिडावा): क्या पशुपालन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या झालावाड़ जिल के रायपुर कस्बे में कोई पशु चिकित्सालय है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक खोलने का विचार रखती है? पशु चिकित्सालय से आसपास के कितने अन्य ग्रामों के लोगों को पशु चिकित्सा का लाभ मिलेगा? ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में नये पशु औषधालय/पशु चिकित्सालय खोलने हेतु बनाये गये मास्टर प्लान में रायपुर में औषधालय खोलने का नाम प्रस्तावित है।

रायपुर में ही ग्राम आधार योजना झालावाड़ का एक उप-केन्द्र कार्यरत है, जिस केन्द्र में इस कस्बे के आसपास के गांवों के लोग पशु चिकित्सा हेतु आते हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

आयुर्वेद औषधालय मकराना के भवन का प्रकरण

388. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर ने मकराना में आयुर्वेद भवन, जो करीब 40 वर्ष से किराये के भवन में चल रहा है, को खाली कराने के लिए आदेश दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी ने औषधालय के लिए दूसरे भवन का इन्तजाम नहीं किया है?

(3) क्या यह सही है कि मकराना में जिस भवन में औषधालय चल रहा है वह एक महात्मा जय शिव बाबा द्वारा निर्माण कराया गया और उनकी वसीयत के अनुसार औषधालय इसी भवन में चलते रहना चाहिये?

(श्री जेठमल वरवड़)

(4) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी इस भवन के ट्रस्टीज से मिल कर इसको खाली कराने की कार्यवाही कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर ने वैद्य प्रभारी को यह लिखा था कि यदि भवन मालिक पूर्व स्वीकृत किराये लेने को तैयार नहीं हो एवं भवन खाली कराना चाहते हों तो भवन खाली कर देवें ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्तमान, औषधालय भवन जय शिव 'बाबा' ट्रस्ट, मकराना के अधीन है । महात्मा जय शिव बाबा की वसीयत क्या थी - विभाग की जानकारी में नहीं है।

(4) जी नहीं । जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर, जय शिव बाबा ट्रस्ट, मकराना से औषधालय हेतु भवन दान में प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है ।

ब्यावर नगर के सीमेंट पाइप बनाने के कारखाने

389. **श्री विष्णुप्रकाश बजारी** (ब्यावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर नगर में सीमेन्ट पाइप फिटिंग के कितने कारखाने उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हैं और प्रत्येक यूनिट को तिमाही कोटे में से कितने टन सीमेन्ट का आवंटन किया जाता है ?

(2) क्या इन उद्योगों की क्षमता के आधार पर उन इकाइयों को सीमेन्ट दिया जाता है ?

उत्तर

(1) ब्यावर नगर में सीमेन्ट पाइप फिटिंग के 92 उद्योग पंजीकृत हैं। प्रत्येक तिमाही में सीमेन्ट का आवंटन उस तिमाही में उपलब्ध सीमेन्ट की मात्रा पर निर्भर करता है। अन्तिम आवंटन तृतीय तिमाही 1980 में किया गया गया है जिसमें पाइप फिटिंग बनाने वाली इकाइयों को 390 मै. टन सीमेन्ट का आवंटन किया गया।

(2) जी नहीं । उपलब्ध सीमेन्ट की मात्रा के अनुसार इन इकाइयों को सीमेन्ट दिया जाता है । आवंटित मात्रा क्षमता के मुकाबले स्वाभाविकत: कम है ।

मासी व बांडी नदी फागी से निकलने वाली बजरी

390. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तहसील में मासी व बांडी नदी से आने वाली बजरी की वार्षिक आय कितनी है ?

(2) क्या सरकार द्वारा बजरी के ट्रक की कीमत निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर के फागी तहसील में मासी व बांडी नदी से आने वाली बजरी की आर्थिक आय निम्नानुसार है :-

स्थित विभागीय नाका	79-80 व आय 4-80 से 30-6-80
मासी नदी (सांगानेर)	2,27,441.50—
नाका	69,357.25
बांडी नदी (सोडाला)	81,909.50
नाका	21,786.35

(खनिज मंत्री)

(2) नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के परिशिष्ट II के अनुसार रायल्टी की दर रु.0.75 पैसे प्रति टन के हिसाब से बजरी की रायल्टी प्रत्येक ट्रक से क्षमता के अनुसार वसूल की जाती है व साथ ही प्रत्येक वाहन से 5/- परमिट फीस वसूल की जाती है। नियमावली में प्रति ट्रक रायल्टी निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

कोटा क्षेत्र के लघु उद्योग

391. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर के लघु उद्योग क्षेत्र में कितने लघु उद्योगों को लाइसेंस दिए हुए हैं और उनमें कौन-कौन से उद्योग कार्यरत हैं ?

(2) किन-किन उद्योगों को कितना-कितना कच्चा माल केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा किन-किन लाइसेंसधारी को दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि अनेक लघु उद्योगों को उनके चाहे अनुसार कच्चा माल नहीं दिया जाता है जिसके कारण वे उद्योग बन्द पड़े हैं या बन्द पड़ने की स्थिति में हैं ?

(4) कोटा नगर में गत तीन वर्षों में कौन कौन से नए लघु उद्योग लगाए गए ?

उत्तर

(1) लघु उद्योग को लाइसेंस नहीं दिया जाता है केवल पंजीकरण दिया जाता है। कोटा नगर परिषद सीमा के अन्दर 753 इकाइयां पंजीकृत हैं, इनमें से 747 इकाइयां कार्यरत हैं।

(2) पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 में दिये गये कच्चे माल की सूची संलग्न है।

(3) लघु उद्योगों को उनकी आवश्यकता का कच्चा माल नीति अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। कच्चे माल की कमी के कारण किसी भी उद्योग के बन्द होने की सूचना नहीं है।

(4) गत तीन वर्षों में (1977-78, 78-79, 79-80) में कोटा नगर में 257 नये उद्योग लगाये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. वन आधारित उद्योग	24
2. कृषि आधारित उद्योग	26
3. खनिज आधारित उद्योग	27
4. लोह व इस्पात आधारित उद्योग	102
5. रासायनिक उद्योग	46
6. पशु आधारित उद्योग	9
7. वस्त्र आधारित उद्योग	2
8. अलोह धातु उद्योग	2
9. अन्य उद्योग	19
	257

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

(32)

7 मई, 1980 को थाना बांदीकुई में पंजीकृत हत्या का मामला

392. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7 मई, 1980 को बांदीकुई थाने में कोली जाति की श्रीमती ग्यारसी की हत्या के संबंध में कोई मामला पंजीकृत किया गया था ?

(2) क्या इस केस में अभियुक्त नामजद था ? यदि हां, तो क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या अभियुक्त को फरार घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस विषय में अपराध 8-5-80 का दर्ज हुआ था।

(2) जी हां, अभियुक्त फरार है। वारन्ट गिरफ्तारी प्राप्त किया जा चुका है। उसे गिरफ्तार करने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) अभी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। असफल होने पर ही फरार घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया की जा सकेगी।

तहसील प्रतापगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

393. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील प्रतापगढ़ में अब तक कितने गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं ? विद्युतीकृत गांवों के कितने काश्तकारों ने अपने कुओं पर बिजली लगाने के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ? सरकार ऐसे प्रार्थियों को कब तक बिजली कनेक्शन दे देगी ?

(2) तहसील के शेष विद्युतीकृत गांवों को, जो विद्युत लाइन से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, कब तक विद्युतीकृत किए जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में अब तक 100 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। विद्युतीकृत ग्राम में 351 काश्तकारों से अपने कुओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवंटन पत्र प्राप्त हुए है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए मण्डल के नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) स्वीकृत कार्यक्रम के अभाव में इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

मन्डी खाजूवाला एवं पूगल में वाटर वर्क्स एवं विद्युतीकरण का प्रकरण

394. श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सन् 1976 में राजस्थान नहर क्षेत्रीय विकास अधिकरण की बैठक में मंडी

(श्री मालूराम लेघा)

खाजूवाला एवं पूगल के वाटर वर्क्स एवं विद्युतीकरण हेतु अगले वर्ष 1977-78 में प्रावधान करने का निर्णय हो चुका था ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

जी नहीं ।

केवल मण्डी पूगल में पेयजल एवं विद्युतीकरण हेतु निर्णय इस बैठक में लिया गया ।

पूगल पेयजल योजना के लिए वर्ष 77-78 में प्रस्ताव रखे गये थे जो वर्ष 78-79 में स्वीकृत एवं कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पूगल वाटर स्कीम को मुंगराला माइनर के माध्यम से पानी देने की योजना है जो निर्माणाधीन है । जब तक नहर नहीं बन जाती और उसमें पानी प्रवाहित नहीं होता तब तक यह स्कीम कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती । विद्युतीकरण हेतु पूगल के लिये वर्ष 77-78 में प्रस्ताव रखे गये थे । विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है ।

जलदाय विभाग द्वारा तहसील प्रतापगढ़ में बनाई गई पानी की टंकिया

395. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील प्रतापगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा अब तक पानी की कितनी टंकियां बनाई गई हैं ?

(2) क्या जलदाय विभाग सभी गांवों में जल वितरण टंकियों से ही करता है ? यदि नहीं, तो टंकियां के अभाव में जल वितरण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा 9 पानी की टंकियां बनायी गई हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । कुछ योजनाओं पर टंकियों द्वारा एवं कुछ पर पाइप लाइनों में सीधे ही पम्पिंग द्वारा जल वितरण किया जाता है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

"स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था"

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करता है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया व 14 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से राजस्थान में अध्यापकों के स्थानान्तरणों में की गई निर्धारित नीति की अवहेलना व राजनैतिक आधारों के विषय में,

(2) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 1 अगस्त को राज्य पथ परिवहन निगम की अजमेर–टोडारायसिंह जाने वाली एक बस के चालक श्री अमीन खां द्वारा एक गर्भवती बनजारन महिला से किये गये बलात्कार के विषय में,

(3) सर्व श्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम जोरावरपुरा के निवासी

(श्री अध्यक्ष)

श्री पूनाराम नट की पुत्री कश्मीरी के साथ श्री शैतानाराम पुत्र अन्ना द्वारा किये गये बलात्कार के विषय में,

(4) श्री गोपाल पचेरवाल सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 2 व 3 अगस्त की रात को ग्राम नया वास तहसील नीम का थाना में पुलिस के जवानों द्वारा औरतों, बच्चों व मर्दों की पिटाई व असंवैधानिक गिरफ्तारियों के विषय में,

(5) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 21 जुलाई, 80 को ग्राम फागी में गोपी मीणा व लक्ष्मीनारायण मीणा द्वारा दो नाबालिग बच्चों को बंधक मजदूर बनाकर की गई पिटाई के विषय में;

(6) श्री बंशीलाल पठवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा कस्बे में पत्रकार मामचन्द लखपतानी की पिटाई के विषय में;

(7) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 जून को ग्राम विकरनी में श्रीमती गीता कुमारी की उसके पति श्री भरतकुमार द्वारा की गई हत्या के विषय में,

(8) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय तथा दौसा क्षेत्र में भैंसों व बैलों में भाड्डा नामक रोग फैलने से पशुओं की मृत्यु के विषय में;

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) सर्वश्री रामकिशोर मीणा व नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में गत 3-4 अगस्त को पड़ी सशस्त्र डकैती के विषय में,

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाब में कई लाख रुपये के गबन की घटना के विषय में,

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर क्षेत्र में सिहावली गांव के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की छत गिर जाने से एक बालक की मृत्यु व कुछ छात्रों के घायल होने के विषय में;

प्राप्त तथ्यों के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया, अनंग कुमार जैन व श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राजकीय आयुर्वेद धात्री उपवैद्य संघ द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

मैं चाहूंगा कि इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जावे।

(5) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया व मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर के नाथद्वारा तहसील के नाथूवास क्षेत्र में फल रही एक बीमारी के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य हो चुका है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

अब मैं माननीय सदस्यों से, जिनके प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये हैं सरकार से जानकारी करने के पश्चात् निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात संक्षेप में कहे।

श्री रामकिशोर मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर यूनिवर्सिटी में गत 15 दिनों से दफ्तरियों की क्रमिक भूख हड़ताल व धरना चल रहा था।

श्री अध्यक्ष : किसकी भूख हड़ताल ?

श्री गोपाल पचेरवाल : दफ्तरियों की इनकी क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है और धरना चल रहा है। यह सूचना सरकार को देनी चाहिये थी। वहां एक दफ्तरी है, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। दो दिन से वह भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं व पत्नी है। वहां पर उनका आन्दोलन चल रहा है। गरीब आदमी रोटी-रोजी सरकार से मांग और रोजी - रोटी मांगता-मांगता अपना दम तोड़ दे और सरकार चुपचाप सोती रहे अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका आन्दोलन चल रहा था, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही थी। 4 बजे रात को वह मर गया। उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और उसकी पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में यहां प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्या ?

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में देते। मैं जानकारी मंगवाता.....

श्री गोपाल पचेरवाल : उनका पालन-पोषण, उनकी आवास की व्यवस्था सरकार करे।

श्री अध्यक्ष : इसको प्रस्ताव के रूप में देने का कष्ट कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना दे रहा हूं आपके काले कारनामे जिनके कारण मजदूर लोग पूर्ण परेशान है अपनी मांगें मांगते-मांगते,

श्री अध्यक्ष : सूचना देने के भी कुछ नियम होते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, जो सूचना केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने दी है, उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं दे पाये हैं। मानवीय दृष्टिकोण से मेरा निवेदन है कि उसकी मृत्यु भूख हड़ताल करते हुए हो गई। मैं सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके विषय में कोई वक्तव्य दे दे।

श्री अध्यक्ष : तथ्य मेरे सामने नहीं आयें तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप भी फैक्ट्स लिख कर दे दें तब मैं जानकारी करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो माननीय सदस्य ने फैक्ट्स रखे हैं उनके अनुसार निश्चित रूप से वक्तव्य दिला सकते हैं। आप सक्षम हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने अध्यापकों के स्थानान्तरण को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया उसके पश्चात् पूरे दो दिन तक छुट्टियां रहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझ वह आज प्राप्त हुआ है। मैं इसकी जानकारी...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसके बारे में जगह जगह आन्दोलन किये जा रहे हैं और विधान सभा के बाहर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज सुबह मुझे प्राप्त हुआ था उसके बाद जानकारी.....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : शुक्रवार के दिन मैंने चार बजे दिया था।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम् मसला है इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री माधूसिंह (बांदीकुई) : तीन दिन पहले स्थगन प्रस्तावों की सूचना हम दें उस पर जब तक सदन में दुबारा याद नहीं दिलावें तब तक व्यवस्था नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : आपके याद दिलाने के पहले ही मुझे ध्यान है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको एडजोर्नमेंट मोशन लिख कर दिया है, श्रीमान, हमने उसमें एलिगेशन लगाये हैं कि पैसा लेकर ..

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 ट्रांसफर अकेले उदयपुर में हुए हैं। जब तक विधान सभा चल रही है कुल दो हजार ट्रांसफर होने जा रहे हैं। 417 की मेरे पास एग्जेक्ट सूची है। मैं सदन के सामने रख सकता हूं यह अनीति है। मैं कहता हूं जनता पार्टी के राज में क्या किया--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया कार्यवाही को आगे चलने दीजिये।

श्री रामकिशोर मीना, चांदूसा गांव में····

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दौगोद) : इस पर सरकार वक्तव्य दे, श्रीमान, ट्रांसफर्स हो रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता (पाली) : जनता पार्टी के शासन में आपने हजारों ट्रांसफर किये थे। उस वक्त क्या हुआ था ? अब किस बात पर नाराज हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह नहीं हुआ था जनता पार्टी के राज में।

श्री माणकमल मेहता : केवल जनसंघ वाले लोगों को· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव साढ़े नौ बजे के बाद दिया जाता है उसको दूसरे दिन लिया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने शुक्रवार को दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव जानकारी प्राप्त करने हेतु सरकार को प्रेषित करने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेंट मोशन का समय दे रखा है साढ़े नौ बजे.....

एक माननीय सदस्य : नियम बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : मैं नियम ही बता रहा हूँ। कृपया सुन लीजिये।

मेरा पाइन्ट यह है, नियमों में यह है कि जिस दिन स्थगन प्रस्ताव दें, साढ़े नौ बजे का इसलिए रखा है कि साढ़े नौ बजे दे दें तो आप उसकी जानकारी लेने सरकार को भेजें और सरकार उस पर तुरन्त जानकारी प्राप्त करके या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो जैसी परिपाटी बना रखी है, रूल्स के हिसाब से 24 घंटे में आपने कहा कि उसकी जानकारी सरकार को दे दें।

श्री अध्यक्ष : अगर संभव हो।

श्री नाथूसिंह : जानकारी के लिये उस एडजोर्नमेंट मोशन को उसी समय भेज देते हैं। साढ़े नौ बजे उस दिन शुक्रवार को रखा गया था उस पर अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह यह है· · ·

(व्यवधान)

मैं पूरा कर लूं। अध्यक्ष महोदय, उस दिन साढ़े नौ बजे नहीं दिया गया तो अगले दिन साढ़े नौ बजे मान लिया जायगा, ऐसा कायदा है। आज चार बजे रखते हैं तो अगले दिन नौ बजे माना जायेगा। तो शुक्रवार न मान कर अगले दिन मान लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बीच में न बोलें।

श्री नाथूसिंह : जब शुक्रवार को एडजोर्नमेन्ट मोशन दे दिया गया था तो यह होना चाहिए था कि उसी दिन उसे सरकार की जानकारी के लिए भेज दिया जाता। लेकिन

(श्री नाथूसिंह)

आज जब माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां पर उठाया तो, माननीय अध्यक्ष, आपने यह कहा कि यह सरकार को जानकारी के लिए भेजा जा रहा है। मेरी आपत्ति यह है कि कोई भी एडजोर्नमेन्ट मोशन जिस तारीख को लिख कर दिया जाता है उसी दिन उसे सरकार को भेजा जाना चाहिए या जैसा कि रूल्स में है उस दिन भेजा जाना चाहिए, जिस दिन हाउस में उस मसले को लिखित में दिया जाय, उस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर व्यवस्था दी जाय या दुबारा हाउस में यह पूछा जाए कि हमारे एडजोर्नमेन्ट मोशन का क्या हुआ है। तो क्या आप इस परिपाटी को हाउस में लाना चाहते हैं कि दुबारा उसमें इस मामले को उठाना चाहिए तब राज्य सरकार को आप भेजेंगे? मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी गलत होगी। आप पर भी वर्डन पड़ेगा और जो एडजोर्नमेन्ट मोशन की भावना है, उस पर कुठाराघात होगा, समय बर्बाद होगा। प्रति दिन 20-25 एडजोर्नमेन्ट मोशन माननीय सदस्य देते हैं क्या आप उनको सरकार के पास जानकारी के लिए नहीं भेजेंगे? जिस दिन लिख कर देते हैं उसी दिन सरकार के पास भेज दें तो दुबारा उसे हाउस में नहीं उठावें। एडजोर्नमेन्ट मोशन जानकारी के लिये उस दिन सरकार को भेजी जानी चाहिए और आज तक सरकार से उसकी जानकारी आ जानी चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आप व्यवस्था दें, उसके पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले इसी विषय पर एक सवाल यहां पर उठाया गया था। जिस दिन एजूकेशन की डिमाण्ड थी उस दिन भी माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया था। पिछले 8 दिन से लगातार शिक्षक यहां पर घूम रहे हैं, मंत्री महोदय से मिल रहे हैं और आन्दोलन की चर्चा भी चल रही है। आज धरने पर आठ सौ से अधिक शिक्षक यहां पर बैठे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इम्पोर्टेन्ट इश्यू है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। सरकार कब इस पर वक्तव्य देना चाहती है, यह मालूम नहीं हो रहा है उस दिन मंत्री महोदय ने कहा, मैं यह बता सकता हूं कि कितने ट्रान्सफर हुए हैं। मैं इस केस के मैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं। अगर शिक्षा मंत्री जी इस स्थिति में नहीं हैं तो, अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का अवसर दें ताकि हम उन तक सूचना पहुंचा सकें। तीन दिन से शिक्षा मंत्री जी इस मसले को टाल रहे हैं...It is no Government.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत कोई भी माननीय सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी भी निश्चित विषय पर एडजोर्नमेन्ट मोशन देता है। आसन से यह व्यवस्था दी गई है कि वह मोशन साढ़े नौ बजे तक असेम्बली सचिवालय में प्रस्तुत कर दिया जाए। उस पर अध्यक्ष महोदय उसी दिन हाउस की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले अपनी व्यवस्था देंगे। व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि सरकार से अध्यक्ष महोदय जानकारी प्राप्त करें। अगर अध्यक्ष

(श्री परसराम मदेरणा)

महोदय यह समझें कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है तो उसको आउट राइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। हर एडजोर्नमेन्ट मोशन पर सरकार से जानकारी मंगवाना जरूरी नहीं है। जो एडजोर्नमेन्ट मोशन यहां पर शुक्रवार को दिया गया था वह शुक्रवार को साढ़े नौ बजे नहीं दिया गया था लकिन जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं वह उस दिन दो से चार बजे के बीच दिया गया था। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उस पर व्यवस्था उसी दिन हाउस की कार्यवाही को एडजोर्न कर के दी जाती क्योंकि उस दिन हाउस बिजनेस में एन्टर हो चुका था। उसके बाद विधान सभा का दो दिन का अवकाश था उसके बाद आज विधान सभा की पहली कार्यवाही हुई है उसमें अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है कि मैं इसकी राज्य सरकार से फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवा रहा हूं ताकि आया इसको एडजोर्नमेन्ट मोशन एडमिट कर कन्सेन्ट दें, हाउस के बिजनेस को सस्पेन्ड कर के इस विषय पर आपको कुछ कहने का मौका दें। एडजोर्नमेन्ट मोशन अधिकतर स्वीकार नहीं होता है जब तक कि उसमें ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय न हो कि हाउस के बिजनेस को सस्पेन्ड कर के पहले उस पर पर विचार किया जाए। परन्तु माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिए सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा जाता है ताकि माननीय सदस्य इस पर अपनी बात को कह सकें और सरकार से जानकारी ले सकें। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि विधान सभा का दो दिन का अवकाश हो तो अध्यक्ष महोदय विधान सभा सचिवालय को दो दिन खुला रखें इस प्रकार के एडजोर्नमेन्ट मोशन पूर्व में रखे जाते रहे हैं और अवकाश के बाद जो नैक्स्ट वर्किंग डे होता है उसमें व्यवस्था दी जाती है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर यह व्यवस्था दे दी कि मैंने सरकार से रिपोर्ट मंगवाई है। इसमें दो-तीन दिन का प्रश्न नहीं है। शुक्रवार को 9 बजे के बाद यह मोशन पेश किया गया है इसलिए उस पर उसी रोज कार्यवाही नहीं हो सकती थी। इसलिए जो व्यवस्था दी गई है वह पहले की व्यवस्थाओं के अनुरूप में है और उन्हीं की अनुपालना में है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है वह काफी वेदना को लिये हुए है, शायद उनको याद होगा..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, ये मेरिट पर जा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था के प्रश्न पर ही कहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने काल में 17 हजार तबादले किए थे। मैंने दस बार इनको कहा था। राजस्थान में इन्होंने 2200 वैद्यों के ट्रान्सफर किये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री जयकृष्ण शर्मा : ये खड़े होकर जवाब दें। आज ये इस बात को यहां पर उठा रहे हैं, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन्क्वायरी करवा लीजिए।

(40)

श्री दाऊदयाल जोशी : तबादले में पैसा खा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जाकी रही भावना जैसी, प्रभू मूरत देखी तिन तैसी ।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तबादलों में पैसा खाया इसलिए वही आरोप ये दूसरों पर लगा रहे हैं । तब इनको तकलीफ नहीं हुई थी जब इतने तबादले इन्होंने किये थे । यह आरोप लगा रहे हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : स्कूलों में जो शाखाएं लग रही थीं वे बन्द हो रही हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : सारे शिक्षा क्षेत्र में नेकर वालों को इन्होंने भर्ती कर दिया है जो शिक्षा क्षेत्र को बिगाड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे नेकर ही नेकर भर दिये ।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : ये उस वक्त कहां चले गये थे····

(व्यवधान)

ये सारे आप ही निकालते रहे हैं । आपका आर. एस. एस. करता रहा है ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने किसी को बाड़मेर भेज दिया, जैसलमेर भेज दिया हम तो··········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ट्रान्सफर के विषय पर नहीं जाइये । बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी पाइन्ट आफ आर्डर...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी कह रहे हैं कि होंगे ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बैठ जाइये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कह रहे हैं कि विरोधी दल चिल्लाता रहेगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चिल्लायें, कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने एक एक थाने में 9-9 थानेदार भेज दिये····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी अपन ट्रान्सफर पर पहुंचे नहीं है । अभी तो व्यवस्था का एक प्रश्न बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था । मैंने अन्य माननीय सदस्यों के विचार सुने । व्यवस्था का प्रश्न यह था कि एक स्थगन प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शुक्रवार को करीब ढाई बजे दे दिया था तो उसके आठ रोज बाद सरकार के पास सूचनार्थ आज क्यों भेजा गया ? यह उसी दिन सरकार के पास क्यों नहीं भेज दिया गया । आपका कहने का आशय यही है ना ?

माननीय सदस्य, अच्छी तरह जानते हैं कि स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था दिन में एक दफा ही आया करती हैं । व्यवस्था 12 बजे के पश्चात, प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात दो जाती है । आज भी जो प्रस्ताव 8 तारीख को सुबह 9-30 बजे से पहले प्राप्त हो गये थे उन पर आसन ने व्यवस्था दे दी थी उस दिन 12 बजे के पश्चात जो उसके बाद प्राप्त हुये उसके बाद उसके बाद 2 दिन की छुटियां थी 24 घन्टे में एक दिन वह भी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने का आज प्रथम अवसर था. आज उस पर आसन ने व्यवस्था दे दी कि सरकार से जानकारी मांगी जा रही है । ऐसा कहीं नहीं है कि दिन भर प्रस्ताव आये और दिन भर आसन उस पर व्यवस्था दे । यह सम्भव भी नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य, इसमें किसी नियम को अवहेलना नहीं है । प्रथम अवसर आज ही था और आज ही जानकारी प्राप्त की जा रही है । मैं समझता हूं कि उस पर जल्दी सरकार से सूचना प्राप्त हो जायेगी और जैसा भी उचित होगा हम निर्णय लेंगे । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इतना एजीटेड होने का मेरे सामने कोई कारण नहीं दिखता है । वे इतने एजीटेड नहीं हों ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजनैतिक कारण हैं । आपने बहुत ट्रान्सफर जो कर दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर या व्यवस्था का जो प्रश्न था उसको मैं निरस्त करता हूं ।

माननीय सदस्य श्री रामकिशोर मीणा और श्री नाथूसिंह, ग्राम चांदूसा तहसील सिकराय में जो डकैती हुयी थी उसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो गयी थी । उस संबंध में 2-4 मिनट जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है उनको बोलने का मैं अवसर दूंगा । सदन की कार्यवाही है उसके आगे बढ़ायें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । मैंने विस्तार से चर्चा की थी उसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल ही वक्तव्य आ जावे । इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर । माननीय सदस्य सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद व्यवस्था दूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

42

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तकलीफ है हमको। आपके भी सामने आ जायेगी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। सरकार से तथ्यों की जानकारी आने दीजिये। उसके बाद विचार करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज अध्यापक सस्पेंस में है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ही स्थगन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पांइट आफ आर्डर सर। मैं इस पर आप से व्यवस्था चाहता हूं कि आपने पूर्व में एडजोर्नमेंट मोशन की अनुमति नहीं दी है इसमें इस प्रकार के निर्देश दिये हैं माननीय सदस्यों को परामर्श दिया है क्योंकि डिफरेंट विभागों की डिमान्ड्स के ऊपर बहस हो रही है डिमाण्ड पर विचार के वक्त वे उठा सकते हैं। मेरे कॉल अटेंशन मोशन पर यह व्यवस्था दी थी, मुझे सूचित किया गया था। एजूकेशन को डिमान्ड 7 तारीख को थी और प्रभारी मंत्री दिन भर 30-40 माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया उसका उत्तर प्रभारीमन्त्री देने वाले थे लेकिन कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

(व्यवधान)

विधान सभा दल के उपाध्यक्ष चुने गये है। आप मेरी बात सुनिये। वैसे तो आप वरिष्ठ नहीं है, वरिष्ठ सदस्य नहीं है लेकिन आप जनता पार्टी के अन्दर वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। मैं ऐसा देखता हूं कि जब भी कोई मामला होता है सबसे पहले आप उत्तेजित होते हैं और आपके उत्तेजित होने के बाद दूसरे माननीय सदस्य भी उत्तेजित होते हैं तो आप थोड़ा नियंत्रण और संयम रखिये।

(व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस दिन एक अवसर मिला था, उस अवसर का उपयोग न करके अब ये एडजोर्नमेंट लाये हैं। I can definitely say.

यह कोई भी डेफिनेट मैटर आफ अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस का नहीं है। सभा का कीमती समय आप जाया करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। थोड़ा सा के बारे में कहेंगे।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठाया गया है। विषय पर आ जाये। आर्डर आर्डर।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : आप बैठ, जाइये।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि जो इन्होंने कहा कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आसन की व्यवस्था दी गई थी।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन आप स्वीकार करें या न करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आसन की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य , आप चांदूसा के बारे में कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सदन को गुमराह करते हैं । बकवास करते हैं ।

एक अन्य माननीय सदस्य : छात्रों का जीवन मरण का सवाल है । पढ़ाई रुकी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर , आर्डर ।

(निरन्तर व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है । आपको वरिष्ठतम सदस्य माना है ।

एक माननीय सदस्य : आपकी तारीफ की ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आपको काम्पलीमेंट दिये है ।

एक माननीय सदस्य : आपकी महिमा का गान हो रहा है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य परसरामजी ने जो बात कही है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं । उत्तेजित होने का सवाल नहीं है, आवाज जरूर ऐसी है । इतना फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह इम्पार्टेण्ट इश्यू है, बड़ा इम्पार्टेण्ट इश्यू है । आप हम पर भी आरोप लगायें तो वह स्पष्ट हो जायेंगे वक्तव्य में, सारे वादविवाद में वह बात भी स्पष्ट हो जायेगी । यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये सोचने का इश्यू है

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली, मैं उस पर सहानभूतिपूर्वक विचार करूंगा ।

माननीय सदस्य, श्री नाथूसिंह ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपनी व्यवस्था दी कि सरकार से जानकारी चाही जा रही है । आप हमको आर्डर में रहने को बार बार कहते हैं । हम जो यहां दो सौ सदस्य बैठे हैं पूरे राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं। बाहर डिस्आर्डर हो रहा है, उसको यहां हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं । उस स्थिति में बाहर डिस्आर्डर क्रियेट करने वाले कौन हैं ? उसके बाद यहां आर्डर कैसे बना रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप यह ···

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : यह आपकी दोहरी पालिसी है जनता आपको जानती है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्या, आप समझती नहीं हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सवाई माधोपुर के कागज हैं ।

(४५)

श्रीमती विद्या पाठक : मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है। आप इस मामले में बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। यह कैसे होगा। मैं कह रही थी, डिस्आर्डर अगर माननीय सत्ता पक्ष के लोग क्रियेट करते हैं उसको भोगेंगे तो वे ही लोग। यह बात निश्चित रूप से है। मगर वह लोग हमें परेशान करते हैं। हमें भी कष्ट होता है। उस पर माननीय मंत्री महोदय यह बाहर डिस्आर्डर कौन क्रियेट करता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप करती हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपका बनाया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वास्तव में ऐसा है जिसके कारण यह उत्तेजना प्रगट हो रही है।

श्री अध्यक्ष : इतना उत्तेजित होने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आपका बनाया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मींडकी को जुकाम लग गया है। मींडकी को जुकाम लग गया है उनको वेदना है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो सम्भल नहीं सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नाथू सिंह।

श्री भंवर लाल शर्मा : जानकारी आपने मंगाई है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी ली जा रही है इस सम्बन्ध में।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है..

एक माननीय सदस्य : आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : कोटा से बाड़मेर ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हमने नहीं किया था।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : शिक्षा अनुदान की मांग पर भी उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : रात के ग्यारह बजे तक का समय दिया गया। उसके बाद भी आप कुछ सुनना नहीं चाहते थे।

(व्यवधान)

आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं, माननीय सदस्य। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर। श्री नाथूसिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष, महोदय, यह जानकारी मंगाना कौन सी बड़ी बात है। ये स्वयं आदेश कर रहे हैं। यहीं सचिवालय है।

श्री अध्यक्ष : आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते। कौन सी सूचना देंगे। कहां से सूचना देंगे। आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इस मामले की सूचना के लिए निवेदन कर रहा हूं। स्थानान्तरण जितने हो रहे हैं, जो हो गये हैं, उनकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

आज दोनों ही हैं। श्री रामकिशोर मीणा।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, 2,3 अगस्त की रात के 9 बजे ग्राम चन्दूसा में यह डकैती हुई। उस समय गांव के लोग जगे हुये थे। वह लोग एक घर में घुसे। कन्हैया गूजर, जिसके घर में डाका डालना चाहते थे, उस समय गांव में नहीं था। एक ग्राम पांचोली में उपस्थित था। मैं कल वहां जाकर आया हूं और एक रोज पहले भी गया था। तथ्य आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं वहां पिछले दिनों में तीसरी डकैती है और पिछले दो माह में चौथी बड़ी डकैती है। रात के 9 बजे यह डाका डाला गया। करीब आठ दस डाकू थे। सबसे पहले वे मकान के अन्दर घुसे, दो मकान के ऊपर चढ़े, तीन मकान के अन्दर रहे और दो बाहर गेट पर खड़े रहे। उन्होंने वहां जाकर औरतों के साथ मारपीट चालू की, एक वृद्धा थी नारायणी, उसको मारा पीटा। उसके गहने उतरवाने की कोशिश की, मकान में जो चोरी करने के लायक सामान था उसको बताने के लिये कहा। वृद्धा नारायणी को बहुत बुरी तरह मारा गया। पूरणमल और टुड्डा नाम के बहुत गरीब थे जिनके यहां डाका डालने की कोई मंशा नहीं थी लेकिन वे गलत जगह चल गये और उन गरीब व्यक्तियों के यहां से माल उठा कर ले गये। इसमें मेरा निवेदन यह करना है कि डाका 9 बजे पड़ा साढ़े नौ बजे वहां से रति राम नाम का व्यक्ति सिकराय होता हुआ मानपुर पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पर सूचना करने के बाद, बार बार चिल्लाने के बावजूद भी कि वहां पर दो तीन आदमियों की हत्या की जा चुकी है पुलिस वाले एक घन्टे के अन्तराल से तैयार हुए सिकराय के पास बजारा नाम की ढाणी है जो कि चान्दूसा से दो किलोमीटर दूर है वहां पर जाकर उन्होंने गाड़ी को बन्दकर दिया और लालटेन की सहायता से रास्ते पर गये। मेरा निवेदन है कि पुलिस वाले करीब 10-12 व्यक्ति थे। वे चाहते तो यहां पर टाइम पर पहुंच सकते थे पैदल भी जाना चाहते तो वे वहां पर जा सकते थे लेकिन धीरे धीरे गये और डाका करीब 11.30 पर पड़ा वे वहां पर 11.40 पहुंचे। सिर्फ 10 पर मिनट का अन्तराल था, डाकू वहां से जा चुके थे। गांव वालों ने बहुत आग्रह किया कि आप चलिये लेकिन उन्होंने कहा कि हम शस्त्र नहीं चला सकते गांव वालों ने कहा कि हमारे पास शस्त्र नहीं हैं, हम चलते हैं। नागरी, चांदूसा और गलीपुर के ग्रामवासी उपस्थित थे। उनके पास शस्त्र नहीं थे और डाकुओं के पास शस्त्र थे। गांव वालों के बहुत आग्रह करने पर भी पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद बहुत देरी से रवाना हुए। आगे-आगे गांव वाले रास्ता बता रहे थे। चांदूसा से उदयपुरा करीब दो किलोमीटर है। इतने छोटे रास्ते को उन्होंने पांच घन्टे में नापा।

(46)

(श्री रामकिशोर मीणा)

दूसरा मेरा निवेदन है कि उदयपुरा तक डाकू पैदल गये हैं, उनके पांवों के निशान मिले हैं। एक डाकू नंगे पांव था, बाकी सब जूते पहने हुए थे। लेकिन जब पुलिस इन्चार्ज से कहा गया कि गांव की घेराबन्दी कीजिये तो पुलिस वालों ने कहा कि यहां कुछ नहीं है। फिर एक धर्मशाला में घुस कर मार पीट चालू कर दी, जबरदस्ती लूटपाट की, लोगों पर कोड़े बरसाये। मेरा निवेदन है कि आधे घन्टे में डाकू लोग बहुत दूर चले गये। गांव वालों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर नहीं गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और यह इन्तजार करते रहे कि जब उसके बाद दूसरे गांव वापस नहीं आयेगा तब हम आगे बढ़ेंगे डकैती पड़ी। डाकू लोग किसी भी औरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उनके गहने छीनते हैं। लेकिन वहां पर औरतों के साथ भी मारपीट की और जबरदस्ती उनके गहने छीन ले गये। इससे ऐसा आभास लगता है कि आस पास के डकैत तो नहीं कहला सकते लेकिन कोई चोरों के गिरोह में से है, डकैत नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकिशोर मीणा : इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई बाहर के डकैत नहीं हैं।

(12.50 म. प्र.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह सभापति, पदासीन)

डकैत नहीं है और यदि पुलिस वाले डी. वाई. एस. पी. जो कि बाहर से और दूसरे आये थे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट और सवाई माधोपुर से उन्होंने भी एस.एच.ओ. को कहा कि तुम्हारी वजह से डकैती हुई है। तुम टाइम पर कार्यवाही करते तो गांव वालों को डकैती से बचाया जा सकता था। गांव वालों के पास हथियार नहीं थे। पुलिस वालों ने पहुंचने में देरी कर दी इसलिए डाकू भागने में सफल हो गये।

इसी तरह से पिछले डेढ़ महीने में सात चोरियां सिकराय तहसील में हुई हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव केवल चांदूसा गांव के बारे में है।

श्री रामकिशोर मीणा: वहां पर भयंकर आतंक छाया हुआ है। अभी माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गिरफ्तारी हुई या नहीं? उन लोगों ने एक झोंपड़ी में घुस कर खाना खाया था। अब पुलिस गांव वालों को परेशान कर रही है। जिन आदमियों पर शक है उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूसिंह, आप बोलना चाहेंगे? माननीय सदस्य, काफी विस्तार से बोल चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : यह क्षेत्र मेरे पास ही है।

श्री सभापति : दो मिनट बोल लीजिये।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, हम सदन में विभिन्न घटनाओं और समस्याओं को रखते हैं। बलात्कार की बात आती है तो सरकार कहती है कि इसको उछाल रहे हैं। डकैती की बात होगी तो भी यही कहेंगे कि उछाल रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विषय पर आ जायें, भूमिका नहीं बांधें । दो मिनट का समय आपको दिया गया है ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, यह लॉ-एण्ड आर्डर से सम्बन्धित है ......

श्री सभापति :-आपको व्यवस्था दी गई है दो मिनट में बोल लीजिये । माननीय सदस्य मीणा को छ. मिनट का समय दिया गया है, आप भी दो मिनट बोल लीजिये ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, पांच मिनट का समय मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : आसन ने जो व्यवस्था दी है वह मैं आपको बता रहा हूं । मैं रिजिड नहीं हूं, I am sorry दो मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, दो मिनट में कैसे कह सकते हैं ।

श्री सभापति : आप भूमिका बांधने की चेष्टा न करें, विषय पर बोलें ।

श्री नाथूसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि दौसा सब डिवीजन में लगातार डकैतियां हो रही है । पूरे क्षेत्र में आतंक छाया हुआ है यह कोई मामूली घटना नहीं है, महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, चोरियां की गई, लोगों को पीटा गया और पुलिस ने कोई सतर्कता नहीं वरती । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले 16 जून को चोरी हुई, और उसके बाद 30 जून को, उसके बाद तीसरी चोरी 16 जुलाई को हुई, उसके भी बाद 4 अगस्त को हुई । यह एक गैंग है जो सिलसिलेवार डकैती डाल रहा है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन डकैतों की एक टेन्डेन्सी रही है, ये लोग रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच आते हैं, पुलिस को यह बात मालूम है 9 और 11 के बीच में आते हैं, 5-7 आदमी होते हैं, उनके पास हथियार होते हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके जेवर उतार कर ले जाते हैं । पिछले दो माह से डकैतियां लगातार पड़ रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया । पुलिस को भेजते हैं, पुलिस जानकारी करके वापस आ जाती है । मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि अब तक किन किन डकैतों को गिरफ्तारी किया, इस सम्बन्ध में सदन में कोई सूचना नहीं दी गई । बार बार हम इस प्रश्न को उठाने की कोशिश करते हैं तो भी सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आता है । मेरा एतराज है, सरकार ने जानबूझ कर कह दिया कि वक्तव्य नहीं देंगे । हमने आज से 10 दिन पहले सरकार के सामने स्थगन प्रस्ताव रखा फिर भी सरकार आज कहती है कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं । 10 दिन के बाद कहते हैं कि कोई वक्तव्य नहीं है । आप कहते हैं कि केवल दो. मिनट बोलना है । जान माल के खतरे से संबंधित इश्यू है । सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करें ; उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा करें । लेकिन सरकार न जीवन की सुरक्षा कर पाती है और न सम्पत्ति की सुरक्षा कर पा रही है मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किस लिए है ? अगर इन घटनाओं के संदर्भ में सरकार को देखें तो सरकार नाम की चीज नहीं । तो मेरा एतराज है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए । सरकार चांदूसा की डकैती, महिलाओं पर अत्याचार

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, आर्डर प्लीज। आपस में बात न करें।

श्री नाथूसिंह : पुलिस थाना पास में ही है एक आध फर्लांग पर लेकिन उसके पश्चात भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती। लालसोट में एक फर्लांग के अंदर डकैती पड़ी। दो किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस 5 घंटे लेती है। अगर, सभापति महोदय, पुलिस की गति यही रही, पुलिस इस रफ्तार से डकैतों का पीछा करती रही तो, सभापति महोदय, आप स्वयं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित आपका क्षेत्र रहेगा। सरकार और पुलिस की रफ्तार . . .

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपसे विरासत में पुलिस मिली है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : इस विषय पर अधिक नहीं बोलना चाहता। आप आसन पर हैं इसलिए अपनी बात नहीं कह सकते, लेकिन आपकी भावनाओं को देख कर मैं कह सकता हूं कि यदि पुलिस 2-2 किलोमीटर चलने के लिए 5-5 घंटे ले और पुलिस को सामने एक किलोमीटर की दूरी पर डकैत दिखाई दें फिर भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करें तो यह स्पष्ट है कि पुलिस डरपोक है। आप ऐसे पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण करें, ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जब सामने डकैत दिखाई देते हैं और गांव वाले हथियार लेकर सामना करने को तैयार होते हैं लेकिन पुलिस दुम दबाकर पीछे भाग जाती है। अगर पुलिस की यही स्थिति रही, इस तरह से कायर और डरपोक बनी रही तो आज दौसा सब-डिवीजन में डकैतों का तांता बना हुआ है, पब्लिक में डर छाया हुआ है, इस तरह से आते आते जयपुर में भी आयेंगे और सिविल लाइन्स तक पहुंच सकते हैं। तो मंत्री महोदय सावधान रहें, यह स्थिति आ जाएगी कि मंत्रियों के बंगलों पर डकैतियां पड़ने लग जायेंगी उस समय आप क्या करेंगे ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इससे मालूम पड़ता है आप के कितने नेक इरादे हैं।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापतिजी, मंत्री नहीं बोल रहे हैं, यह माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति ; समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अहमद बक्शजी से ज्यादा सरकार का शुभचिंतक हूं, मंत्रियों का ज्यादा शुभचिंतक हूं, मंत्रियों के साथ ऐसी घटना हो यह मैं नहीं चाहता। इसलिए जिस तरह से पुलिस कायर है उस तरह से सरकार कायर न बने। सरकार सख्त आदेश दे। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए था। पुलिस को कहे कि डकैतों को पकड़ो, उस क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियां हैं उनको रोको। अगर नहीं तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करो। सरकार को ऐसा आभास जनता को कराना चाहिए वरना हम कहेंगे कि सरकार कायर है; इस सरकार की पुलिस कायर है। जनता के जीवन व माल की रक्षा नहीं कर सकती। अगर ऐसी स्थिति हो गई तो सरकार के सामने भयंकर प्रश्न खड़ा हो जाएगा ? मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं इसलिए अच्छा है सरकार शर्म करें और वक्तव्य के साथ ही कुछ कार्यवाही करे।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाब में गबन के बारे में था। आपने अभी बताया व्यवस्था के द्वारा कि सरकार की तरफ से इसके बारे में सूचना प्राप्त हो गई है। यदि सूचना के बारे में हमें पता होता तो अच्छा रहता। सभापति महोदय, ग्राम सहकारी समिति तलाब में गबन की बात थी, वहां के किसानों ने, वहां के सदस्यों ने उसकी शिकायतें की, अधिकारियों से इसकी जांच हुई, जांच अधिकारियों ने वहां जाकर किसानों से पूछताछ करके और एक एक बात को अच्छी तरह से समझ कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने जो तथ्य दिए हैं उन तथ्यों के आधार पर पर एक सहकारी समिति में करीब 6-7 लाख का गबन दिखाया गया है। और भी तथ्य हैं, वे तथ्य इस तरह के हैं जो बिल्कुल सही हैं। इसमें सारे किसान ऐसे थे जिनके नाम पर गलत ऋण लिखा हुआ था। जिन किसानों ने ऋण ही नहीं लिया उनके नाम पर ऋण दिखाया गया। कई किसान ऐसे थे जो मर चुके थे, उनके नाम के कोई किसान ही नहीं थे ऐसे नामों पर ऋण लिखा हुआ है। कई किसानों के इस तरह के हैं लिये 2 के है लिखे 5 के हैं। इसके अलावा किसान हैं जिनके नाम पर ऋण है ही नहीं ऋण लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सहकारी समितियों द्वारा खरीद होती है उस खरीद में भी गबन घोटाले के मामले थे। जो सामान खरीदा ही नहीं गया था लेकिन उन्होंने कहा खरीदा गया। कुछ सामान ऐसा था जिसकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन अधिक लिखी गई। इस तरह के तथ्यों की विस्तार से जांच करके दी। इसमें सहकारिता विभाग के कुछ कर्मचारी और सहायक रजिस्ट्रार कोटा शामिल थे। जब जांच हुई थी चूंकि वह कोटा आ गए थे और सहायक रजिस्ट्रार थे इसलिए उन्होंने तथ्यों को छिपाने के लिए अनावश्यक रूप से देरी की। विलंब करके उन्होंने कहा कि जिन-जिन किसानों ने शिकायतें की हैं उनको परेशान करो। उनको परेशान कर उनसे इस तरह के तथ्य लाओ ताकि उनका जो गबन सिद्ध हो रहा है वह सिद्ध न हो सके। यहां से अधिकारीगण जाते थे, कर्मचारी भी जाते थे और किसानों को वसूलियों के नाम पर परेशान करते थे, जबकि नियमानुसार जांच हो रही थी। वहां अधिकारी गए थे, उन्होंने गबन की रिपोर्ट दी। जब तक वह जांच सिद्ध नहीं हो जाती थी तब तक वसूलियां नहीं की जा सकतीं।

सभापति महोदय, वहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा है उनके खिलाफ में कुर्कियां निकाली जा रही हैं तथा उनके साथ गाली गलोच किया जा रहा है। सभापति महोदय, जब इस सहकारी समिति के खिलाफ में जांच की गयी तो प्रारम्भिक जांच में ही सात आठ लाख का गबन पा लिया गया। वह रिपोर्ट सहकारी विभाग के उच्चाधिकारियों के पास भेज दी गयी है लेकिन जो इन्ट्रेस्टेड लोग हैं वह उसको ऊपर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही करें। सभापति महोदय, मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें आगे कार्यवाही के अन्दर जानबूझ कर ऊपर से विलम्ब किया जा रहा है और फैक्ट्स को दबाने की कार्यवाही की जा रही है।

(श्री हीरालाल आर्य)

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह जांच प्रारम्भिक स्तर पर हो रही थी तो सहकारी विभाग ने इसके चुनाव को स्थगित करा दिया। यहां पर लोग आये और उन आदेशों को रद्द कराकर वापस चुनाव होने के आदेशों को बहाल करा ले गये। वहां पर स्थिति ऐसी हो गयी है कि वहीं लोग, जो अभियुक्त थे, वापस चुनकर आ गये है। जिनके खिलाफ में एलीगेशन है गबन के भ्रष्टाचार और दूसरी गड़बड़िया करने के वही यह कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां के लोगों की बहुत जबरदस्त मांग है कि दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय। जो फैक्ट्स छिपाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ में भी कार्यवाही की जाय। नहीं तो, सभापति महोदय, बेचारे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि जिन लोगों ने ऋण लिया नही था जिन्होंने कम ऋण लिया उनसे ज्यादा वसूली की जा रही हैं। इसलिए ऐसे लोगों, जिनका गबन में इनवाल्वमेंट है, के खिलाफ में जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय। बस इतना ही मेरा भी निवेदन है। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय' मेरा स्थगन प्रस्ताव था इसके साथ।

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह तो श्रीमती उजला अरोड़ा का अकेले का स्थगन प्रस्ताव है आपका नाम नहीं है। भरतपुर के क्षेत्र में रूपवास गांव से दो किलोमिटर दूर सिंघयाली गाव के उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरे का छत गिरने के संबंध में।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है सवाई माधोपुर के अन्दर हुए अमानवीय...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, आज से 6 दिन पहले ही आसन से यह व्यवस्था दी गयी थी कि इस पर मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे। पर अभी तक उसका कोई जिक्र नहीं है। मैंने 13 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। अगर यह कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से उत्तर आयेगा तो जरूर आयगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। क्योंकि रोजाना एक दो उत्तर राज्य सरकार की तरफ से आते हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण था।

श्री सभापति : सभी स्थगन प्रस्ताव जो माननीय सदस्य देते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और मानवीय प्रश्न से सम्बन्धित होते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, इसके लिये मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। जब इनका नाम पुकारा गया था तब यह उपस्थित नहीं थे इसलिए यह पूछना चाहते हैं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव की जानकारी कब निवेदन करना चाहते हैं। शायद मन्त्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि वह कब जानकारी देंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज आसन की जो व्यवस्था है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप ज्यादा बहस नहीं करें।

माननीय सदस्या, श्रीमती उजला अरोड़ा, आप भाषण शुरू करें।

(व्यवधान)

आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रीमती उजला अरोड़ा आप जारी रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया था कि भरतपुर क्षेत्र के रूपवास के पास दो किलोमीटर दूरी पर सिंघाल के ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 7 अगस्त को एक कमरे की छत, जो इसी साल बन कर तैयार हुई थी, गिरने से बालक की मृत्यु हो गयी और उस दुर्घटना में 17 बच्चे घायल हो गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार जो छत अभी बनकर तैयार हुई वह गिर गयी। उस दुर्घटना में 1 बालक मर गया और 17 बच्चे घायल हो गये हैं। सभापति महोदय, आज कई स्कूल राजकीय भवनों में चलते है और कई स्कूल प्राइवेट भवनों में चलते हैं। सभापति महोदय, उन भवनों की की देखभाल पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा की जाती है। मेरी यह जानकारी है कि जो प्राइवेट भवनों में चलते हैं उनकी स्थिति यह है कि उनकी मरम्मत वर्षों तक नहीं होती है। जो राजकीय स्कूल भवनों की मरम्मत करायी जाती है चाहे पी. डब्ल्यू. डी. करे या किसी प्राइवेट ठेकेदार से करायें वह इस तरह से काम होता है कि इस प्रकार की दुर्घटनायें होती रहती हैं। सभापति महोदय, इस स्कूल की छत बनी थी वह छत गिरने से वहां पर एक बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गयी और उसके अलावा बच्चे घायल हो गये। वह बच्चे अब अस्पताल में भर्ती हैं। सभापति महोदय, ऐसा सुना है कि उन बच्चों को देखने के लिये यहां से शिक्षा विभाग के अधिकारी भरतपुर के अस्पताल में गये हैं। इसी प्रकार थोड़े समय पहले, सभापति महोदय, आमेर में भी दुर्घटना हुई तो तत्काल उस समय के मुख्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी ने यह आदेश दिये थे कि राजकीय स्कूल चाहे सरकारी भवनें में चलते हों, चाहे प्राइवेट भवनों में चलते हैं उनकी स्थिति की जांच की जाय ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप आरम्भ रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आप मेरी बात पर तवज्जह शिक्षा मन्त्री जी से कह कर दिलायें।

श्री सभापति : आप जारी रखें। शिक्षा मन्त्रीजी आप महिला सदस्य की तरफ तवज्जह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: सभापति महोदय, उस समय यह आदेश दिये गये थे कि चाहे राजकीय भवन में चलते हों चाहे प्राइवेट भवनों में उनकी क्या हालत है उसकी जांच की जाय। उन आदेशों की पालना कहां तक हुई, उसके आंकड़े तो शिक्षा मन्त्री जी के पास होंगे। पर मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार जो दुर्घटना होती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजकीय स्कूल प्राइवेट

(श्रीमती उज्वला अरोड़ा)

भवनों में चलते हैं कई ऐसे स्कूल हैं जो कि सन् ४२ से प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं । चूंकि किराया नहीं बढ़ाया जा रहा है इसलिए प्राइवेट भवनों की मरम्मत नहीं कराते हैं इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं। सभापति महोदय, भरतपुर के पास सिघावली गांव में जो स्कूल है उसमें दुर्घटना हुई, एक छात्र मर गया और 17 बच्चे उसमें घायल हुए हैं। तो क्या राज्य सरकार कुछ राशि उन बच्चों के लिये देने का विचार रखती है? साथ ही जो बच्चा दुर्घटना स्थल पर ही मर गया था उसके घरवालों को क्या राज्य सरकार अनुग्रह अनुदान देने का विचार रखती है ? इसके अलावा ऐसी स्थिति आइन्दा न हो, ऐसी दुर्घटनाये भविष्य में नहीं हों इसके लिए क्या राज्य सरकार स्कूल चाहे राजकीय भवनों में चल रहे हों, चाहे प्राइवेट भवनों में चल रहे हों उन भवनों की क्या स्थिति है इसका सर्वे कराने की कार्यवाही करेगी ? सभापति महोदय, अगर स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं की गयी तो जो बच्चे अपने घर से पढ़ने के लिये जाते है वह लौट कर अपने घर नहीं जा पाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से चाहूंगी कि वह इस बात की तरफ विशेष ध्यान दें। वह इस हाउस में एक स्टेटमेन्ट दें कि इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। साथ ही जैसा कि मैंने निवेदन किया कि मृत्यु जिस बच्चे की हुई है उसके परिवार वालों को क्या आर्थिक सहायता सरकार दे रही है ? सभापति महोदय, आज आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं उधर माननीय सदस्य जो बैठे हैं उनके बच्चे हैं, जो अधिकारीगण गैलेरी में बैठे हैं उनके बच्चे हैं और जो प्रेस के लोग ऊपर बैठे हैं उनके बच्चे हैं, सभी के बच्चे हैं, इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह चाहूंगी कि वह इस सम्बन्ध में सदन में आश्वासन दें कि इस प्रकार की दुर्घटना भविष्य में नहीं होगी ।

अन्त में मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यही आग्रह करूंगी कि वह इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं उससे सदन को अवगत करावें ।

श्री सभापति: अनुपस्थिति के लिए अनुमति ।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरी बात का जवाब नहीं आया ।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज । माननीय सदस्या, आप यह चाहती हैं कि...

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) आप यह चाहती हैं कि आपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया और एकाएक वह आपको उत्तर देने की स्थिति में हो जायें । यह सम्भव नहीं है।

आप स्थान ग्रहण करें ।

न आसन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था दी गयी है । मैं आपसे निवदन करूंगा कि बड़ी दुखद घटना के बारे में आपने निवदन किया है। स्कूलों की स्थिति जैसी है आप चाहें तो मंत्री महोदय से मिलकर उनको जानकारी दे सकती हैं या फिर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं । राज.

(श्री सभापति)

स्थान के अंदर छात्रों की संख्या लाखों है और हजारों स्कूलों की ऐसी बिल्डिंग हैं। यह हमारे लिये दुःख की बात तो है। वर्तमान स्थिति में शासन सरकार को निर्देश नहीं देना चाहता है। जो अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है उसके अनुरूप सरकार की तरफ से वक्तव्य आना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जानकारी है तो दे दें।

श्री बाऊ दयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है . . .

श्री सभापति: एक के बाद एक, माननीय सदस्य। आपके ही दल की माननीय सदस्या खड़ी हुई हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: एक बात उनसे पूछना चाहती हूं कि उनका जानकारी है या नहीं? मंत्री महोदय हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको जानकारी है और वह जानकारी देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उनकी तरफ देखें तो सही।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप थोड़ा उनकी तरफ देखें तो। एक बार कह दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सहयोग करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप मुझ से सहयोग करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप सदन की वरिष्ठ सदस्या हैं। आसन को सहयोग कीजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं बैठ जाती हूं लेकिन एक बार तो कह दीजिए उनकी तरफ देख कर।

श्री सभापति: स्थान ग्रहण कीजिए। अब, माननीय सदस्य, ज्यादा समय न लें।

श्री बाऊ दयाल जोशी सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं वह यह है कि आज मैंने और उजलाजी ने छात्री उपवेद के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा था और मंत्री महोदय उस पर वक्तव्य देंगे। इस सदन में मुझे पहली बार लगा कि सदन के मुख्य द्वार पर तोरन मारने आई थी, एक महिला छात्री घोड़े पर सवार होकर राजस्थान विधान सभा पर तोरण मारने आई कि हम गरीबों को हमारे अधिकार दिलाय जायें। वह कोई दान नहीं मांग रहे हैं, कोई जबरदस्त आन्दोलन लेकर खड़े नहीं हो रहे हैं . . .

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज।

श्री बाऊ दयाल जोशी : मैं जो सूचना चाह रहा हूं . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर।

श्री बाऊ दयाल जोशी : मैं जो सूचना दे रहा हूं वह यह है, मंत्री महोदय ने कहा है कि उस पर हम कल वक्तव्य देंगे लेकिन . .

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। सरकार की तरफ से वक्तव्य आयगा।

(54)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज ।

श्री सभापति : आज तो नहीं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज के लिए हीं कहा है ।

श्री दाऊ दयाल जोशी: आज एक भूख हड़ताली भूख से मर चुका है · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

गवर्नमेन्ट को डाइरेक्शन दिया है कि वह वक्तव्य देगी । मैं आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा । संभव हो सका तो उसको शीघ्रातिशीघ्र ले लेंगे ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय तक मेरी यह भावना पहुंचा दें कि कल इस पर वक्तव्य नहीं दिया तो 15 तारीख को आत्मदाह कर लेंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी बात सुन ली । अब आप स्थान ग्रहण करें ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री मालूराम लेघा को अस्वस्थतावश विधान सभा की बैठकों से 25 जुलाई, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मालूराम लेघा, सदस्य, विधानसभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 25 जुलाई, 80 से 31 अगस्त, 80 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है । क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में विलम्ब से छात्रों में व्याप्त असन्तोष

श्री राजबहादुर, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री सी. पी. जोशी, श्री घनश्याम तिवाड़ी सदस्य विधान सभा राजस्थान में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में विलम्ब से छात्रों में व्याप्त असन्तोष तथा विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के बहिष्कार व हिंसक घटनाओं की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री राजबहादुर ।

(अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

माननीय सदस्य, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ध्यान आकर्षित करने के लिए संक्षेप में अपनी बात कह दें । फिर सरकार का वक्तव्य आ जायेगा । उसके बाद आप प्रश्नों के रूप में पूछना चाहें तो पूछ सकेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस बड़ी कठिन समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वर्ष परीक्षायें बहुत देर से प्रारम्भ हुई हैं । जो तीन विश्वविद्यालय अपने यहां पर हैं उनमें से राजस्थान विश्वविद्यालय में 45 प्रश्न पत्रों का विद्यार्थियों के द्वारा बहिष्कार किया गया । सैकिण्ड ईयर कामर्स का एक विषय है स्टेटिस्टिक्स जिसका 25 स्थानों पर बहिष्कार किया गया । माननीय सभापति महोदय, इस बहिष्कार के कुछ

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कारण होते हैं। माननीय मंत्री महोदय, उस बारे में अपना वक्तव्य दें। मैं कुछ तथ्य और कारणों को आपके माध्यम से उनके सामने रखना चाहता हूं।

पहला कारण तो यह है कि प्रश्न पत्रों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आउट आफ कोर्स रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि प्रश्न पत्रों में बेलेन्स नहीं रखा जाता, जो शायद पिछले वर्षों में रखा जाता रहा हो, 5 सवाल प्रेक्टिकल के आयेंगे और 5 थ्योरी के आयेंगे। 2 प्रेक्टिकल के रखे गये, 8 थ्योरी के हो गये। इससे बड़ा असन्तोष पैदा होता है विद्यार्थियों में। तीसरा कारण यह होता है कि कई बार कुछ छात्रों का छोटा सा समूह उद्दंडकारी होता है। वह उद्दण्डता का प्रकटीकरण करते हैं और 90 से 95 प्रतिशत विद्यार्थी जो परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें परीक्षा देने के लिए जाने नहीं देते। वह अन्दर चले जाते हैं तो उनको बाहर लाकर उनकी कापियां फाड़ देते हैं। उनको फोर्स करते हैं बाहर निकलने के लिए। फिर सरकार यह कहती है, विश्वविद्यालय कहता है कि हम इनकी परीक्षा अभी नहीं लेंगे। उनका कोई कसूर नहीं है। 90 प्रतिशत विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है किन्तु कुछ छात्रों ने इस प्रकार की व्यवस्था कर ली। पुलिस सही छात्रों को संरक्षण नहीं दे सकी, विश्वविद्यालय और सरकार उनको संरक्षण नहीं दे सकी और कहा जाता है कि सप्लीमेन्ट्री परीक्षा होगी तब हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अब कब तो वह परीक्षा होंगे, कब परीक्षा फल निकलेंगे और कब कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन में जायेंगे?

इतनी ही बात नहीं है सप्लीमेन्ट्री परीक्षा होती है उसका यह नियम है कि चाहे 100 में से 90 अंक आयें केवल 36 अंक ही विद्यार्थियों के जोड़े जायेंगे। इससे उसका मेरिट समाप्त हो जायगा। वह कभी कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है। यह तीसरी समस्या अत्यन्त भीषण है। राज्य सरकार कह सकती है कि इस प्रकार की उद्दण्डता कुछ स्कूलों, कुछ कालेजों, हो सकती हैं किन्तु उसके कारण 90 प्रतिशत और 95 प्रतिशत विद्यार्थी इस बात से वंचित रहें, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सब परीक्षायें समाप्त हो गयी हैं, बी.ए. के जिन प्रश्न पत्रों का बहिष्कार हुआ है उसमें इस प्रकार की स्थिति है। तुरन्त तिथि घोषित होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए परीक्षा देने का....

श्री माधवसिंह दीवान : यह भाषण है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह भाषण नहीं है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि संक्षेप में ध्यान आकर्षित कर दें। मंत्री महोदय का उत्तर आने तक विस्तृत सवाल पूछना चाहें तो प्रश्न पूछने की इजाजत दे दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरा विषय है इन प्रश्न पत्रों के बहिष्कार के बारे में। जोधपुर विश्वविद्यालय में बड़ी कठिन परिस्थिति हो रही है, शायद उस कठिन परिस्थिति से आप परिचित हैं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, उचित व्यक्तियों को अन्दर जाने में। कई प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिनका 90 पर्सेन्ट विद्यार्थियों ने स्वतः ही बहिष्कार कर दिया। वाइस चान्सलर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

महोदय ऐसे बिठाये हैं जो यह कहते हैं कि मैं थोड़े समय पश्चात गृह सचिव बनने वाला हूं। वह गृह सचिव बनने वाले हैं तो उनसे कलेक्टर कांपता है और वहां के एस. पी. साहब भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। सारा विश्वविद्यालय जल रहा है। न पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं और न लॉ में बैठे है।

अन्त में मैंने अभी सुना है कि हमारे माननीय सदस्य खेतसिंह ने कहा है मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। तो एक तरफ तो वे मध्यस्थता कर रहे हैं दूसरी और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। कई परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी को, जो स्थितियां विश्वविद्यालयों में पैदा हो रही हैं, इनके बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है, वे कौनसे निर्देश विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं, अविलम्ब परीक्षाओं की तिथि घोषित करनी चाहिए। सप्लीमेन्ट्री वाली बात गलत है इस बारे में स्पष्ट रूप से प्रकाश डालें। मध्यस्थता वाली बात गलत है। उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री जी अपने वक्तव्य में इन सब बातों का उत्तर देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रस्ताव है· · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य। ध्यान आकर्षण हो चुका है· · ·

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मेरा मूल प्रस्ताव है· · ·

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं अलग से कई बात कहना चाहता हूं· · ·

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, माननीय सदस्य। मेरा आपसे निवेदन यह है कि सरकार का ध्यान माननीय चतुर्वेदी जी ने आकर्षित कर दिया है। सरकार का उत्तर आने के पश्चात मैं आपको प्रथम अवसर दूंगा। इसमें चार सदस्यों के नाम है, एक माननीय सदस्य द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित हो चुका है। सदन का समय बचे, इस को ध्यान में रखते हुए मैंने यह प्रक्रिया अपनाई है· · ·

श्री सी. पी. जोशी : मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं· · ·

श्री सभापति : आप कह लीजिये दो मिनट।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है, उसमें माननीय सदस्य ने जो कहा है वह तो एक मुद्दा है। शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य दें, उससे पूर्व मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे ध्यान आकर्षण में मुख्य मुद्दा उदयपुर विश्वविद्यालय का है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह चाहता हूं, आज उदयपुर विश्वविद्यालय की यह स्थिति है कि अधिकांश एडहाक बेसिस पर डीन काम कर रहे हैं। वहां पर चयन इस प्रकार किया गया है कि जो यूनिवर्सिटी का माप दण्ड है उससे हट कर ऐसे लोगों को प्राध्यापक बनाया गया जो यू.जी.सी.

(श्री सी.पी.जोशी)

की मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल नहीं करते हैं। विश्वविद्यालय की यह हालत है। स्टेट्यूटरी क्वालिफिकेशन होती है जो ले डाउन की हुई होती है। सन् 1964 से उदयपुर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है उसके बाद वहां कोई स्टेट्यूटरी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं की हुई है।

सभापति महोदय, मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई वर्ष के शासन काल में विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट का गठन इस तरह किया गया कि स्वायत्तता के नाम पर, लोक तन्त्र के नाम पर जो पूर्व में गठन था उसको 70 में भंग करके जो नामीनेशन किया गया है उसके तहत दो लोगों को नौकरी दिलाकर 70-70 हजार रुपये सरकार के माध्यम से दिए गए। एक तरफ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करें उन लोगों को आप प्राध्यापक कन्टीन्यू करना चाहते है और दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय के मापदण्ड हैं उनको जो पूरा नहीं करें उनको विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रखना चाहते हैं दूसरी तरफ उदयपुर विश्वविद्यालय में जो क्वालिफिकेशन रिसर्च स्कोलर की रखी थी इस क्वालीफिकेशन को जो फुलफिल नहीं करें उसका हम इण्टरव्यू करवा लें। मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं उदयपुर विश्वविद्यालय की जो हालत है, वह निश्चित रूप से बहुत ही चिन्तनीय है। मेरा मानना है कि उसके बारे में शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं।

जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में निवेदन कर दिया। उसमें भी मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति, जो संगीत में पी-एच.डी. हैं, को नियुक्त किया गया है लेक्चरर कन्फर्म्ड इतिहास के अन्दर। मैं निवेदन कर रहा था ऐसे 50 प्राध्यापक होंगे जिनके साथ न्याय नहीं किया गया है। जो स्टेट्यूटरी कमेटी है, सलेक्शन कमेटी है उसको भी उन्होंने पास किया है।

मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्र असन्तोष के बारे में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने एक भी कदम नहीं उठाया। आज जो विश्वविद्यालयों में हिंसक वारदातें हो रही हैं, इनके क्या कारण है, उस पर कभी विचार नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं जो प्रश्न उठाये हैं, उदयपुर विश्वविद्यालय की जो स्थिति है और राजस्थान विश्वविद्यालय में जो व्यवहार हो रहा है। इन सब हालात को देखते हुए यदि आप विश्वविद्यालययों की समस्याओं का कोई निदान करना चाहते हैं तो जो छात्र असन्तोष है और सलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसके बारे में सदन में कुछ आश्वासन दें कि क्या करना चाहते है। हम चाहते हैं जो वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी है, बोर्ड आफ कन्ट्रोल है उसके बारे में आप निर्णय लें। जनता शासन में जो पोलिटिकल गठन किया गया है क्या यह सरकार भी उसी प्रकार का पोलिटिकल गठन करना चाहती है? ढाई वर्ष में जो कार्य हुआ है उसको और छात्र असन्तोष को देखते हुए हम शिक्षा मंत्रीजी से आश्वासन चाहेंगे कि जो डिसीजन टेकिंग बाडी है उसमें क्या आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते है? जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनके सम्बन्ध में और स्वायत्तता के बारे में शिक्षा मंत्री जी अपने वक्तव्य में विस्तार से सदन को अवगत करायें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दूंगा। श्रीमान, परीक्षायें समय पर न होने के कारण एम. ए. के चार सेमेस्टर के प्रयोग समय पर पूरे नहीं हो सके, लॉ के लगभग पांच साल पूरे हो गये हैं लेकिन तीन साल की डिग्री अभी तक हासिल नहीं कर सके। पिछले साल जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, उसको मैं स्वीकार करता हूं लेकिन उसके पहले आखिर राजस्थान सरकार का इतना पैसा हम विश्वविद्यालय को देते हैं तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिये कि जो गरीब बच्चे गांवों से चलकर अपने मां बाप की आंकाक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं लेकिन शहर के ऐसे विद्यार्थियों की शरारत के कारण परीक्षाओं का बहिष्कार करना पड़ता है। वे ठीक प्रकार पढ़ सकें और परीक्षायें दे सकें। सभापति महोदय, शहरों के कुछ विद्यार्थियों की शरारत के कारण उनको परीक्षाओं का बहिष्कार करना पड़ता है, वाक आउट करना पड़ता है। उनको आप प्रोटेक्शन दें। अब तक उदयपुर यूनिवर्सिटी में यह सब कुछ होता आया है लेकिन जो आजकल ट्रेन्ड है उससे स्पष्ट है कि वह अवश्य कम होता जा रहा है। सन् 1970 में पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में 33 विद्यार्थियों ने वाक आउट किया, अन्डर ग्रेजुएट 24 ने किया, कुल 57 ने वाक आउट किया। 1979 में 7 पोस्ट ग्रेजुएट ने और 17 अन्डर ग्रेजुएट ने बहिष्कार किया और सन् 80 में चार पोस्ट ग्रेजुएट ने और 7 अन्डर ग्रेजुएट ने, इस तरह 11 ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया। तो मेरा मतलब है कि पिछले सालों की अपेक्षा सुधार हुआ है। उदयपुर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जहां सारी परीक्षायें अब समाप्त हो चुकी हैं जब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब तक पूरी नहीं की है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में केवल तीन रिजल्टस आने बाकी रहे हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में इम्प्रूमेंट है लेकिन एक बात माननीय सदस्य ने कही कि 1‥ साल से एडहाक चला आ रहा है - कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जिसको रेगुलर किया गया हो। बार बार प्रयत्न किये गये लेकिन कभी स्टे आ जाता है और कभी गवर्नर के माध्यम से कोई चीज आ जाती है चाहे वह डीन हो, चाहे प्रोफेसर हो। मेरा निवेदन है व्यवस्थित रूप से नियुक्ति हो सके, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज ही समाचार सुना होगा, उदयपुर यूनिवर्सिटी में हड़ताल है। व्यवस्थित रूप से प्राध्यापकों को लगाना नहीं चाहते है, सलेक्शन करना नहीं चाहते है तो असन्तोष पैदा होगा ही। अभी कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि इतने समय तक तो एडहाक लगा सकते हैं लेकिन अब हमारे शिक्षा मंत्री जी की नाराजगी है जो कहते हैं कि अब कोई अपाइन्टमेंट नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन है उन लड़कों को किस आधार पर बिठायेंगे? आप यहां से भेज दीजिये, यदि आपको अच्छे लगते हों तो लेकिन जो यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है ठीक कीजिये। कम से कम आज जो उदयपुर यूनिवर्सिटी की स्थिति है उसमें पिछले सालों से इम्प्रूवमेंट है। उदयपुर यूनिवर्सिटी में सन् 77 में अवश्य एक हिंसक वारदात हुई थी एक लड़के के आत्मदाह को लेकर लेकिन उसके बाद आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में समय समय पर झगड़े हो सकते हैं लेकिन वहां एक झगड़ा जातिवाद के नाम से जरूर थोड़े दिन पहले हुआ था उदयपुर विश्वविद्यालय में शान्ति है। वहां राजनैतिक झगड़ेबाजी लगाकर परेशान करने का प्रयत्न किया जा रहा है

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वास्तव में इस समय उदयपुर विश्वविद्यालय का जो वाइस चान्सलर है उसने प्रगति की ओर कदम बढ़ाये हैं केवल उसके पैरों को रोकने की कोशिश मत करें, अगर वह अच्छा काम करता है तो उसके साथ सहयोग करिये । यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा । आप प्रारम्भ करें, शिक्षा मन्त्री जी ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रस्ताव के दो भाग हैं । पहला, परीक्षाओं में भारी अस्त-व्यस्तता के कारण असंतोष व हिंसक घटनायें । दूसरा, उदयपुर में कृषि विश्व-विद्यालय एवम् स्थानीय मैडिकल कालेज के छात्रों में आपस में तथा पुलिस के बीच गम्भीर बलवे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्रश्न-पत्रों का उत्तर ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वह आ गया है ।

परीक्षा में भारी अस्तव्यस्तता के सम्बन्ध में:— परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रारम्भ से ही प्रयत्न किये गये। शिक्षा विभाग से सभी राजकीय कालेजों के प्रिंसिपल एवं सभी जिलाधीशों को पूरी सतर्कता के लिए कहा गया ताकि छात्र शान्तिपूर्वक परीक्षा दे सकें। गृह विभाग से भी आवश्यक निर्देश जिलाधीशों व पुलिस अधीक्षकों को दिये गये थे । प्रत्येक विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी निम्नलिखित है:—

राजस्थान विश्वविद्यालय:— राजस्थान विश्वविद्यालय की 1980 की परीक्षायें 23 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ हुई परन्तु विधान सभा चुनावों के कारण 14 मई तथा बाद में प्रारम्भ होने वाली परीक्षाओं की तिथियां 18-8-1980 के बाद में निर्धारित की गई विधि संकाय की परीक्षायें 18-8-1980 से प्रारम्भ होंगी क्योंकि 79-80 का सत्र अक्टूबर 1979 में प्रारम्भ हो सका था ।

राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, जोधपुर विश्वविद्यालय एवं उदयपुर विश्व-विद्यालय के सम्बन्धित कालेजों को छोड़कर बाकी सभी कालेज सम्बद्ध हैं । राजस्थान विश्वविद्यालय की 1980 की परीक्षाओं में 2131 प्रश्न-पत्र हैं । इन प्रश्न-पत्रों में अब तक 41 प्रश्न-पत्रों का बायकाट हुआ है तथा दो प्रश्न-पत्रों की परीक्षा निरस्त की गयी है । पिछले वर्ष 1979 में 55 प्रश्न-पत्रों का बायकाट हुआ था । बायकाट के दौरान ऐसी कोई मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमें पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है ।

जिन 41 प्रश्न-पत्रों का बायकाट हुआ है उनमें परीक्षा देने वाले छात्रों के मुकाबले बायकाट करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रही है । राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न नगरों में परीक्षा केन्द्र हैं । जो भी बायकाट हुए हैं वह एक समय में कुछ एक ही केन्द्रों पर ही हुए । इस प्रकार से सभी परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ बायकाट नहीं हुआ ।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

एक प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष टी. डी. सी. कामर्स एकाउन्ट्स एवं स्टेटेस्टिक्स- II में 17226 में से 7970 छात्रों ने बायकाट किया था । उसे पुन: कराने का निर्णय ले लिया गया है । पांच प्रश्न पत्रों के बारे में पुन: नहीं कराने का निर्णय लिया गया है । बाकी प्रश्न-पत्रों के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

(बी) जोधपुर विश्वविद्यालय:- परीक्षायें मई, 1980 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ होनी थीं परन्तु विद्यार्थियों की प्रार्थना पर 1980 की परीक्षायें 9-6-80 से प्रारम्भ हुई । फिर 16 कक्षाओं के परीक्षा प्रोग्राम विद्यार्थियों की प्रार्थना पर पुन: निर्धारित तिथियों पर किये गये । दस कक्षाओं के परीक्षा प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । अब तक जोधपुर विश्वविद्यालय में 20 प्रश्न पत्रों का इस वर्ष बायकाट हुआ है । सामान्यत: परीक्षार्थियों ने जिस पेपर का बायकाट किया उसमें छात्रों की तो संख्या अधिक बायकाट करने में सम्मिलित थी परन्तु उन्हीं प्रश्न-पत्रों में छात्रायें अधिकतर उपस्थित रहीं । छात्र और छात्राओं के परीक्षा केन्द्र अलग अलग भवनों में थे ।

इन 20 प्रश्न-पत्रों की परीक्षायें फिर से करायी जायें अथवा नहीं इस बारे में निर्णय शीघ्र लिया जायेगा । बायकाट प्राय: शान्तिपूर्ण थे । केवल एक दिन दिनांक 16-7-80 को बी. ए. फाइनल पॉलिटिकल साइन्स के छात्रों को जबर्दस्ती रोकने की तथा उत्तर पुस्तिकायें फाड़ने की कोशिश की गयी, परन्तु पुलिस एवं मजिस्ट्रेट तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रयास से स्थिति को काबू में किया गया । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई तथा 14 छात्रों को धारा 151 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्रों के बायकाट की विशेषता यह है कि 20 में से 17 प्रश्न विधि संकाय के हैं । इनमें छात्राओं ने तो अधिकतर परीक्षा दी है । विधि संकाय के छात्रों की मुख्य मांगें निम्न प्रकार थीं- 1-पुलिस दल को सुरक्षा हेतु तैनात नहीं किया जाय । 2-विज्ञान संकाय के अध्यापकों को इनविजीलेशन कार्य पर नहीं लगायें जायें । 3-छात्राओं की परीक्षा भी छात्रों के केन्द्रों पर ली जायें ।

उपरोक्त मांगों को नहीं मानने पर छात्रों ने बायकाट किया । विधि संकाय के छात्र परीक्षायें दुबारा करने के लिये क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं ।

(सी) उदयपुर विश्वविद्यालय:- उदयपुर विश्वविद्यालय के सन् 1980 की परीक्षायें 25 अप्रेल, 1980 से प्रारम्भ हुई और 13-5-80 तक सुचारू रूप से सम्पन्न होती रहीं । विधान सभा चुनावों के कारण 14-5-80 के मध्य में होने वाली परीक्षायें स्थगित की जाकर पुन: 7-6-80 से शुरू की गई और सभी परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं ।

उदयपुर विश्वविद्यालय के 10 प्रश्न पत्रों में छात्रों द्वारा बायकाट किया गया । इनमें से 3 प्रश्न पत्रों में तो सभी छात्रों ने बायकाट किया व 5 प्रश्न पत्रों में अधिकतर

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

छात्रों ने बायकाट किया। उन सभी दसों प्रश्न पत्रों के लिये पुनः परीक्षा हो चुकी है। बायकाट के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई जिसम बल प्रयोग करना पड़ा हो।

उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय एवं स्थानीय मेडिकल कालेज के छात्रों में आपस में तथा पुलिस के बीच गम्भीर झगड़े

कृषि विश्वविद्यालय एवं स्थानीय मेडिकल कालेज के छात्रों में आपस में जो गड़ा हुआ उसका परीक्षाओं से सम्बन्ध नहीं है। यह झगड़ा विश्वविद्यालय परिसर के बाहर विद्यार्थियों द्वारा एक सिनेमाघर में हुआ। राजस्थान कृषि महाविद्यालय कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया और छात्रावास खाली कराये गये। अब विश्वविद्यालय पुनः 1.8.80 को खुल चुका है और शान्तिपूर्वक चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय का वर्णन करते समय यह बताया कि लड़कियों के कालेज में बहिष्कार नहीं हुआ। बहुत अच्छा है। वह मेरी बात की पुष्टि करता है कि जहां कुछ इस प्रकार के विद्यार्थी पहुंच गये, वहां बहिष्कार हो गया बॉयज के विषय में उन्होंने बताया कि प्रश्न-पत्रों का बहिष्कार ज्यादा हुआ है। उन्होंने दोनों विषयों में बताया कि इस बारे में विश्वविद्यालय में विचार कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा ली जाय या नहीं ली जाय। मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूं बहुत देरी से हमारी परीक्षायें हुई हैं, रिजल्ट बहुत देरी से आये हैं, हम काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन के लिये और बाहर जाने की दृष्टि से बहुत पीछे रह गये। अभी तक अगर यह विचार चलता रहा कि विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट या बोर्ड आफ कन्ट्रोल विचार कर रहा है, यह बड़ी दुखद स्थिति है। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे उनको निर्देश दें कि अविलम्ब इस पर विचार करके निर्णय लिए जायें। माननीय सभापति महोदय, निर्णय यह होना चाहिए, सचमुच स्थिति यह है कि आज 90 प्रतिशत विद्यार्थी पीछे रह जायेंगे क्योंकि 30 मार्क सप्लीमेंट्री में काउण्ट किये जाते हैं। विश्वविद्यालयों में कहा जाने लगा था और जोधपुर में भी कहा जा रहा है कि वहां के कुलपति महोदय को फुरसत नहीं है। वे तो मनाली घूम रहे हैं, पहले चले गये, फिर जा रहे हैं सारा पैसा जाया हो रहा है विश्वविद्यालय के। कुलपति को फुरसत नहीं है और विश्वविद्यालय छावनी बना हुआ है।

इसके साथ साथ मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं आपने कहा कि हिंसा नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंसा से वहां के अखबार भरे पड़े हैं। 16 जुलाई, 18 जुलाई, सारे अखबार मेरे पास हैं एक के बाद एक जिसमें समाचार है कि लाठीचार्ज हुआ है, लोगों के सिर फूटे हैं। होना तो यह चाहिये था कि जो विद्यार्थी अन्दर जाना चाहते थे, उनको संरक्षण देते, उनको जाने देने के लिए पुलिस प्रयत्न करती वह तो दूर रहा। अगर आप अखबार पढ़ेंगे, पुलिस मेहरबान······

62

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं कहना चाहता हूं हिंसा के बारे में, यह जो घटनायें कह रही हैं, यह नहीं, पुलिस को जो काम करना चाहिए था, प्रोटेक्शन देना चाहिए था, विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवाने का प्रयत्न करना चाहिये वह तो दूर रह गया अनाप शनाप लाठी चार्ज हो रहे हैं। लाठी चार्ज ही नहीं और भी जोरदार घटना घटी है। शिक्षा में पुलिस का एक रोचक तथ्य उजागर हुआ जब एक ऐसे व्यक्ति को विधि की परीक्षा देने का अवसर मिला जिसने कभी भी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। घटनानुसार, जोधपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने स्थित हनुमान वाच कम्पनी के मालिक को पुलिस ने उठाकर विधि परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा था। बाद में पुलिसकर्मियों को बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि यह विद्यार्थी नहीं दुकानदार है। पुलिस ने राहगीर युवक रामदेव मिर्धा को पकड़ लिया और उससे परीक्षा देने के लिए चलने को कहा। इस पर वह हक्का बक्का रह गया उसने कहा कि मैं विद्यार्थी नहीं हूं, परीक्षा किस बात की दूं? तो पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उस युवक को छोड़ा। युवक सामान लेने के लिए जा रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीसरे गहलोत को भी पुलिस ने सोजती गेट के निकट पकड़ा। उसको इसलिए छोड़ा कि वह उस समय अपनी दवा की दुकान खोलने जा रहा था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको तारीख ही बताता हूं कि जिन तारीखों में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज में 4 घायल 14 गिरफ्तार। पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने लाठी चार्ज किया 16 छात्र गिरफ्तार लाठी चार्ज हो रहे हैं। विश्वविद्यालय पुलिस छावनियां बनी हुई हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा देने की सहूलियत तो नहीं दी जा रही बल्कि उनको परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री परीक्षा लेने के लिए विचार किया जा रहा है। क्या हालत है, माननीय सभापति महोदय? इसलिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.......

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लिजिए, माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरी फिर आपसे विनम्र अपील है कि राजस्थान व जोधपुर विश्वविद्यालय और जयपुर विश्वविद्यालय के बारे में जैसा माननीय शिक्षा मन्त्री ने बताया कि 45 प्रश्न-पत्रों का बहिष्कार हुआ है, बात सच है उन्होंने संख्या भी बता दी कि 17 हजार में से 7 हजार ने बहिष्कार किया, उनकी परीक्षा ले ली। सभापति महोदय, अगर 4 कालेज ही हैं जिन 4 कालेजों में अच्छे विद्यार्थियों को रोक लिया उनकी संख्या 2 हजार ही है, हजार या पांच सौ ही है, क्या आप उनको परीक्षा देने से वंचित रखेंगे? क्या यह चाहेंगे कि मेरिट लिस्ट में नहीं आयें? क्या आप यह चाहेंगे कि वे उच्च शिक्षा में नहीं जायें? मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप विश्वविद्यालयों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को निर्देश नहीं देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया जाना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि उसमें होते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं। यह विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। अच्छे विद्यार्थियों का सवाल है। शिक्षा मंत्री महोदय स्पेसिफिक उत्तर दें इस बारे में कि निश्चित रूप से परीक्षा की तिथि घोषित होगी और परीक्षायें ली जायेंगी जिससे उनका वक्त बचेगा ताकि वे काम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकेंगे यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री माधव सिंह दीवान : आपने अपने समय में जोधपुर में क्या हरकतें की थीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, हमारे समय में भी जोधपुर में बहिष्कार हुए थे लेकिन, शिक्षा मंत्री महोदय, हमने सबकी परीक्षा ली थी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप दाऊ दयाल जी स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं आपके एक एक प्रश्न का जवाब देता हूं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसा मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि जोधपुर विश्वविद्यालयों के छात्रों की तीन मांगें पुलिस दल को सुरक्षा हेतु तैनात नहीं किया जाय नम्बर एक, विज्ञान संकाय के अध्यापकों को इनविजीलेशन कार्य पर नहीं लगाया जाय, नम्बर दो। छात्राओं की परीक्षा भी छात्रों के केन्द्र पर ली जाय, नम्बर तीन। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या कोई भी सरकार

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया उनको परीक्षा देने की अनुमति दी जाय। यह कौन सा मांग पत्र पढ़ रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें। आप भी स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्रीजी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नियमों को देखें और विश्वविद्यालय के नियमों को भी देखें। आप दोनों माननीय सदस्य ही वरिष्ठ सदस्य हैं। वक्तव्य पर कोई वाद विवाद नहीं होगा। आसन की व्यवस्था रही है कि यदि माननीय सदस्य चाहें तो दो चार प्रश्न पूछ लें सरकार से, वक्तव्य पर स्पष्टीकरण ले लें। मैं सभी माननीय सदस्यों को अलाउ करूंगा जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, एकाध और माननीय सदस्य को। इसमें विवाद का विषय हो भी सकता है। इसकी मूल भावना क्या है? ध्यानाकर्षण की मूल भावना क्या है वह आपको ध्यान में रखनी है जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें हैं उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दें। माननीय मंत्री

64

(श्री सभापति)

महोदय ने वक्तव्य दे दिया, उसके बाद और कोई सूचना लेना चाहें तो ले लें और माननीय मंत्री महोदय के पास सूचना उपलब्ध होगी तो वे देंगे। माननीय सदस्यों के पास कोई सूचना हो तो दे दें। यह बात दोनों पर लागू होगी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर दे दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में हमें भी प्रश्न पूछने हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): जो स्थिति···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य! आर्डर आर्डर ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। आपने जो निर्देश दिया है उससे तो बंधा हुआ हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव इसी से मूव किया था। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं इस प्रश्न को रखना चाहता था। अब चूंकि और भी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिए थे और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी तुम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रश्न को उठाओ तो मैंने उनकी व्यवस्था को शिरोधार्य कर लिया। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, माननीय सभापति महोदय, जो ज्वलन्त समस्या आ खड़ी हुई है उन विद्यार्थियों की जो, संकट में फंस गए हैं उनको उबारने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट नीति घोषित करें। मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं लेकिन उन विद्यार्थियों के.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैंने आपको पूर्व में अवसर दिया अभी भी अवसर दिया।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। मैं आपको अभी अलाउ नहीं करूंगा, शास्त्रीजी।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : प्रश्न यह कि जो तीन मांगें हैं क्या कोई भी राज्य सरकार इन मांगों को मान सकती है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये तीन मांगें तो उनकी हैं...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया है अब मुझे बोलने दीजिए।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये तीन मांगें हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विधि संकाय में कुल मिला कर बीस

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

वाइस अध्यापक हैं और निरीक्षण की दृष्टि से बीस वाइस अध्यापकों से यह काम नहीं चल सकता है इसलिए और संकायों के अध्यापकों को लगाने की आवश्यकता होगी। अगर विद्यार्थियों का यह डिक्टेशन हो . . .

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं छात्रों के डिक्टेशन की बात नहीं करता ......

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसी तरह से यह भी सम्भव नहीं है कि छात्राओं की परीक्षाओं के केन्द्र अलग से नहीं हों। कोई भी सरकार इस तरह की मांग स्वीकार करके नहीं चल सकती है, यह बहुत साफ है। इसके बाद जैसा मैंने आप से कहा कि बीस प्रश्न पत्रों का बायकाट हुआ है जिसमें से 17 प्रश्न पत्र विधि संकाय के हैं। इन सब प्रश्नों के ऊपर विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौंसिल तारीख 16 अगस्त को विचार कर रही है . . .

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : जो प्रश्न आउट आफ कोर्स हैं . . .

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं जोधपुर विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। मैं अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। वाद विवाद के एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

जहां तक जोधपुर विश्वविद्यालय में 20 प्रश्न पत्रों के बायकाट होने का प्रश्न है उसमें से 17 केवल लॉ के हैं और तीन कुल अन्य हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय की जो मांगें हैं वह मैंने बतायी हैं . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने उनकी मांग के बारे में नहीं कहा है . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय चतुर्वेदी जी, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप क्या कहना चाहते हैं। आपने स्वयं ने अपना भाषण प्रारम्भ किया तब इन शब्दों का प्रयोग किया है कि शायद पूर्व में ऐसा रखा जाता रहा होगा। मतलब यह है कि आप पूर्व की स्थिति जो रही है उसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। गये साल विश्वविद्यालय में 55 प्रश्न पत्रों में से . . .

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम ने वापस परीक्षायें ली हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 55 प्रश्न पत्रों में से 41 प्रश्न पत्रों का बहिष्कार हुआ था और उसका उत्तरदायित्व मंजूर करने को तैयार नहीं है . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंजूर कर रहे हैं लेकिन उन सब की परीक्षायें दोबारा ली थीं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप गलत कह रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर . . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, माननीय सभापति महोदय।

(66)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 16 अगस्त को एकेडमिक कौंसिल विचार करेगी उसके बाद भी इस प्रश्न पर सरकार विचार करेगी। उसके पूर्व कोई निर्देश नहीं देगी क्योंकि इस राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के नाम पर जो राजनैतिक अखाड़ेबाजी आपने मचाई थी उसको आज हम प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं है...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आइ. ए. एस. अधिकारी रखा है, भ्रष्ट अधिकारी रखा है, संस्पेंड हो चुका है। इस तरह से राजनैतिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के हित में जो प्रश्न हैं उन पर विश्वविद्यालय को निर्देश दे, अध्यापकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके सम्बन्ध में दिशा निर्देश दे किन्तु मैंने जैसा कहा कि जिस तरह के उपकुलपति आपने बिठाये और जैसी राजनैतिक अखाड़ेबाजी...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने नहीं बिठाये, आपने बिठाये हैं। राष्ट्रपति शासन में बिठाये हैं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आपको तो जोधपुर विश्वविद्यालय नजर आ रहा है। जयपुर और उदयपुर विश्वविद्यालय नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से छात्रों और अध्यापकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है...

श्री सूरजपाल सिंह : जो आर. एस. एस. के लोगों को बिठा दिया है वे सब जाने वाले हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सरकार चाहती है कि जो छात्रों की उलझी हुई समस्यायें हैं, शिक्षकों की जो उलझी हुई समस्यायें हैं, प्रश्न पत्रों के बायकाट हुए हैं, किन कारणों से हुआ है, इन सब के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। किन्तु जैसा मैंने आपसे कहा...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या कार्यवाही होगी ?

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप क्या कार्यवाही करते रहे हैं जरा उसे देख लीजिए। मुझे मालूम है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आप सुनना चाहते हैं तो बहुत सुनाने की तैयारी है, आप सुनते रहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, Please sit down. माननीय सदस्य। श्री कटारियाजी स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : विरोधी दल की यह नीति रही है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सूरजपाल सिंह जी स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने आपसे कहा कि आप में सहन शक्ति नहीं है, आप में सुनने की ताकत नहीं है। यही कारण है कि उस दिन इसी बात को लेकर ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय जोशीजी आर्डर प्लीज। Please sit down. माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जयपुर उदयपुर विश्वविद्यालय के काले कारनामे आपको सुनने होंगे ...

(व्यवधान)

केवल जोधपुर

एक माननीय सदस्य : सुनने की ताकत रखो भाई।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर दे दें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: मैंने आपसे कहा 16 अगस्त को इस प्रश्न पर..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपसे जो प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर दे दें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक परीक्षाएं दुबारा लेने का प्रश्न है, यह एकेडेमिक कौंसिल के लोगों को तय करना है इस सम्बन्ध में 16 तारीख को वह निर्णय लेगी।

जहां तक ये मांगें हैं, राज्य सरकार स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। एकेडेमिक कौन्सिल को फैसला करना है, उसके बाद राज्य सरकार कोई दिशा निर्देश दे सकेगी तो अवश्य देगी।

इसके बाद जैसा मैंने कहा, जयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर 41 प्रश्न पत्रों का बहिष्कार हुआ, उसमें करीब 8000 छात्र प्रभावित होते थे, उसकी दुबारा परीक्षा लेने का फैसला कर लिया गया है। बाकी प्रश्न पत्र के ऊपर विश्वविद्यालय को स्वयं निर्णय करना है।

मैं एक बात जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय में करीब 1,35,000 के करीब छात्र हैं और 17,000 के करीब छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उनमें से करीब 8,000 छात्रों का फैसला हो चुका है और 9,000 प्रभावित होते हैं। इसी तरह से मैंने निवेदन किया, जोधपुर के अन्दर 18,000 और उदयपुर में 14,000 के छात्र करीब होंगे, तो आप मूल्यांकन करके देखें, स्थिति में सुधार हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय में और जोधपुर विश्वविद्यालय में यह नहीं हुआ तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के इस पवित्र मंदिर को आप अपने दृष्टिकोण, जो तीन साल में बनाने का प्रयत्न किया था, से देखें, यदि उन प्रयत्नों को आज ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, गलतबयानी कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए। I will not allow any question.

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : तीन सालों में आपने जो कुछ किया, उसकी सफाई का काम हमने जरूर किया है। आगामी दो-तीन महीनों में आप देखेंगे कि सब सफाई हो जायेगी

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

आर्डर-आर्डर। No interruption please.

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह पूछना चाहता हूं, जोधपुर यूनिवर्सिटी में आपने आइ. ए. एस. आफिसर लगा रखा है, यह··

श्री सभापति : यह बात तो आप कह चुके हैं। कोई नहीं बात नत कही है। श्री सी. पी. जोशी! Please resume your seat.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा एक सवाल है। जो गवर्नमेन्ट रिप्रेजन्टेटिव सिंडीकेट के हैं, वे क्या रूख लेंगे, दुबारा परीक्षा के लिये ?

श्री सभापति : I have called Mr. C. P. Joshi to ask the question.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ध्याना-कर्षण प्रस्ताव में जो बात मैंने रखी, क्या राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय में डिसीजन टेकिंग बाडीज है, उन सब में परिवर्तन करने का प्रयास करेगी ? पहला। दूसरा प्रश्न, माननीय भू.पू. शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं, सरकार निर्देश दें for your kind information विश्वविद्यालय के एक्ट में प्रोविजन है Academic council in itself compaitent गवर्नमेंट निर्देश नहीं दे सकती है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी इसकी बात नहीं करें। मैं कहूंगा शिक्षा की जो स्थिति है, जो सिंडीकेट जनता पार्टी सरकार ने बनायी, क्या उसको बदलने के लिये राज्य सरकार नयी सिंडीकेट बनाएगी ? जिन लोगों की नियुक्ति निकाली गई, और पैसा दिया गया उनकी जांच करवायेगी ?

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये आपको उत्तर दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के हर रीजनल कालेज, राजस्थान के बाहर के इंजीनियरिंग कालेज में 5 प्रतिशत राजस्थान के छात्रों का कोटा रिजर्व रहता है। परीक्षा पत्रों के बहिष्कार के कारण और परीक्षा समय पर न होने के कारण, राजस्थान के फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. का परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण इंजीनियरिंग कालेज में उनका कोटा पूरा हो रहा है और राजस्थान के छात्रों को जो नुकसान हो रहा है उसकी कैसे क्षतिपूर्ति करेंगे ?

दूसरा, राजस्थान विश्वविद्यालय में जितनी परीक्षाओं का बहिष्कार हुआ, उस समय के अन्दर सीकर के अन्दर सैकिण्ड ईयर टी. डी. सी. का सांख्यिकी का प्रश्न पत्र था। उसके साथ आर्ट्स के दूसरे विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, उनका दूसरा पेपर था। उन लोगों ने जबर्दस्ती वहां जाकर छात्रों की कापियां फाड़ दीं वे परीक्षा से वंचित रहे उनके बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं किया। उनकी परीक्षा का क्या होगा ? एकेडेमिक कौंसिल की जब मीटिंग होगी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उसमें सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सिन्डीकेट में, वह परीक्षा दिलाने में या न दिलाने में, छात्रों की परीक्षा ली जाय इसके पक्ष में रहेंगे या परीक्षा न दी जाय इसके पक्ष में रहेंगे ? सरकार उनको क्या निर्देश देगी ?

श्री सभापति : सरकार की नीति के बारे में है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में बताया, मैं नहीं समझता, विपक्ष के आदमी कोई बात कहें आप वह नहीं मानें यह बात मैं नहीं कहता, शिक्षा मंत्री के नाते आपका यह फर्ज हो जाता है जिन दो सौ बच्चों ने फार्म भरे थे, वह फार्म किन कारणों से रिजेक्ट हुए ? दो सौ फार्म रिजेक्ट हुए, उनकी सहानुभूति में बाकी बच्चों ने बायकाट किया। बायकाट हुआ है, अच्छे बच्चे, ईमानदार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, हजारों की संख्या में जिन बच्चों ने बायकाट किया है, परीक्षा देने के लिये उनकी क्या मजबूरी थीं, जो प्रश्न पत्र वह नहीं दे सके ? क्या आप मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं समझते कि उनकी परीक्षा दुबारा होनी चाहिये ? मैं समझता हूं आपने 16 तारीख दी, उसमें केवल वी. सी. की जिद है यह मैं नहीं कहता। अच्छी परम्परा हो बच्चे अनुशासन में रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें दखलन्दाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ प्रशासनिक दृष्टि से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होता है, गरीब बच्चे अपने माता पिता की कमाई को बर्बाद करते हैं, पढ़ाई होती है नहीं आप हिसाब लगायें साल भर के अन्दर 365 दिन में अध्यापक एक दो पीरियड लेता है एक उनकी गलती यह है। बच्चे साल भर पढ़ नहीं पाते हैं। केवल परीक्षा के दिनों के अन्दर कुछ असामाजिक तत्वों के कारण . . .

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं यह कहता हूं 16 तारीख को जो मीटिंग हो, उसमें आप बीच बचाव करके जो परीक्षा नहीं दे सके उन गरीब बच्चों को ध्यान में रखकर मानवीय दृष्टि से उन बच्चों की परीक्षा वापस लेने के लिये वी. सी. का दिमाग बनायें और जो बच्चे नहीं दे सके हैं, उनको वापस बैठने की आप इजाजत दिलावें।

श्री सभापति : श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें कि क्या बहिष्कार करने और जबर्दस्ती परीक्षा के पेपर फाड़ने का शुरू से ही विचार है ? 10-10 साल तक एक कालेज में पुराने छात्र पढ़े रहते हैं। मैं यह राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में कहता हूं। तो एक कालेज में पढ़ने की सीमा एक पालिसी आप तय करके, लगातार दो साल फेल होने के बाद एज ए प्राइवेट केन्डीडेट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन दे सकता है, रेगूलर छात्र नहीं बन सकता। दूसरा, आउट ऑफ कोर्स पेपर जिन संबंधित अधिकारियों ने विद्यार्थियों को दिया, उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या दंड देंगे? तीसरा यह सही है लास्ट परीक्षा में और अभी परीक्षाओं में जो छात्र एवं छात्रा परीक्षा देने वाले हैं उनमें से कितने ही मौसम, परीक्षा

(70)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

योग्य न होने के कारण बेहोश हो जाते हैं जिसकी दवा के ऊपर राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। यह भी बता दीजिये कि कितना खर्चा कम हुआ है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्री महोदय से मांग करती हूं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रही हूं ।

एक माननीय सदस्य : आपने प्रश्न के लिये कहा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय पर परीक्षाएं हो जावें ? अगर वी.सी. पहले ही कर सकते मार्च अप्रेल में परीक्षाओं को तो उसके लिये क्या तय करने वाले हैं? मैं मांग करती हूं कि अभी समय पर परीक्षाएं करा ली जावे । भगवानदास जी शास्त्री ने कहा मेरा सैकिण्ड ईयर एलएल. बी. का पर्चा, एलएल. एम. का पर्चा मैं देना चाह रही थी। मैं तीन क्वेश्चन कर सकती थी । मेरे पीछे 12 लड़कों ने कापी फाड़ दी ऐसे मामले होते हैं उन पर क्या कार्यवाही करेंगे ? एलएल. एम. का पर्चा सैकिण्ड ईयर के लिये क्या आया? एक बात। मैं जो परीक्षा दे रही थी उसको फाड़ा क्यों गया? इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं ? मैं मांग करती हूं कि मेरे जैसे विद्यार्थियों के साथ क्या आप न्याय करेंगे ?

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप स्थान ग्रहण करें । मैं दो और सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा । श्री ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किस समय में, कब नियुक्त हुए एक? दूसरे क्या यह सही है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री भंवरलाल शर्मा भी सिंडीकेट के मेम्बर थे और शिक्षा मंत्री की हैसियत से उन्होंने डिसीजन्स प्रभावित करने के प्रयत्न किये थे।

श्री सभापति : श्री रामनारायण । आर्डर प्लीज । कटारिया जी, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के विधि संकाय के 20 में से 1 प्रश्नों का बायकाट किया गया उनमें विधि संकाय के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ? साथ ही 200 विद्यार्थियों के फार्म रिजेक्ट किए गए। क्या उन 200 विद्यार्थियों के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा, जो कि क्वालिफाइड थे परीक्षा देने और फार्म भरने के ? क्योंकि उसके मूल में कारण यह था कि 200 विद्यार्थियों के फार्म रिजेक्ट कर दिये थे और उसके आधार पर जोधपुर यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, पिछले 13-14 सालों से जो एड हाक यूनिवर्सिटी में चल रहे है उदयपुर में

श्री सभापति : यह पूर्व में भी आप कह चुके हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसके बारे में कब निर्णय करने वाले हैं ?

श्री सभापति : आप इस प्रश्न को उठा चुके हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मुझे दुःख है कि दुबारा उठाना पड़ रहा है।

श्री सभापति : बार बार कहने से तो समस्या का समाधान होता नहीं। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ! आर्डर प्लीज।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं व कार्यवाहक हैं और विदेश गये हैं, यह धन का अपव्यय है। ऐसी क्या जरूरत थी कि वे फारेन गये ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, कुछ लोगों को एतराज है, पहले सवाल के लिये खड़े होते हैं दुबारा फिर खड़े होते हैं। यह तो मुकद्दर की बात है, पता नहीं कितनी बार खड़ा होना पड़ेगा।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आप बात न करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उदयपुर यूनिवर्सिटी में एड हाक नियुक्तियों के संबंध में राज्य सरकार सभी बातों को जानना चाहती है। मैंने आपसे निवेदन किया कि विश्वविद्यालयों की स्थिति पिछले तीन सालों में जो बना दी गई उससे राज्य सरकार बहुत चिन्तित है। सारे प्रश्नों पर शीघ्र विचार कर कोई निर्णय लेना चाहती है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : वह सभी निर्णय करना चाहती है किन्तु मैंने जैसा आपसे कहा कि सारे प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिये सिंडीकेट का पुनर्गठन, समिति का पुनर्गठन करने के लिये शीघ्रता से कोई ऐसे कदम नहीं उठाना चाहती जिससे ऐसा कहें, जैसे आजकल एक आवाज बना दी गई है कि सरकार शायद प्रतिहिंसा से, राजनैतिक कारणों से कुछ कदम उठाना चाहती है। तो वे अपने आपको ठीक करें और जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक करके विद्यार्थियों के, अध्यापकों के कल्याण की ओर प्रशासन बढ़े। किन्तु ऐसा लगा कि इसकी परिस्थिति नहीं बनती है तो राज्य सरकार कोई भी कदम उठाने में हिचकिचायेगी नहीं।

दूसरी बात कही गई कि 200 परीक्षार्थियों के परीक्षा पत्र रद्द किये गये। वह 200 की संख्या नहीं है। 56 के फार्म रिजेक्ट हुए हैं। वह अलग अलग कारणों से हुए हैं। वे सब कारण मैं बता पाऊं यह मेरे लिये मुमकिन नहीं।

तीसरा एक प्रश्न उठाया गया कि ये जो प्रश्न पत्र हैं इसके सम्बन्ध में जो सरकारी प्रतिनिधि हैं ये बैठकों में जायेंगे वे कौन से पक्ष को समर्थन देंगे ? यह बहुत अच्छी बात आपने उठाई क्योंकि सरकारी अधिकारियों को आप अब तक राजनैतिक दृष्टिकोण से दिशा निर्देश देते रहे। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि हमारे जो नामिनेटेड अधिकारी हैं ये स्वयं इतने विवेकशील हैं कि उनको क्या निर्णय लेना है, छात्रों की दृष्टि से क्या सोचना है, अध्यापकों की दृष्टि से क्या सोचना है, वे स्वयं अपने विवेक से काम लेंगे। छात्रों और अध्यापकों के कल्याण की दृष्टि से सब होगा। सरकारी प्रतिनिधि जो हैं उनको राजनैतिक दृष्टि से दिशा निर्देश देना हमारी सरकार का अंग नहीं है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इसके बाद मैंने आपसे कहा, जहां तक छात्रों के इंजीनियरिंग में प्रवेश का प्रश्न उठाया गया यह बात बहुत अच्छी लगती है ऊपर से, किन्तु जैसे बी. एड. में एडमिशन का सवाल है, इंजीनियरिंग में एडमिशन का सवाल है, पी. एम. टी. में एडमिशन का सवाल है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फर्स्ट ईयर पास करने के बाद उनको प्रवेश लेने की आवश्यकता होगी, बी. ए. और एम. ए. करने के बाद भी यह बहुत जरूरी प्रश्न है, यह केवल इसी वर्ष नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं यह प्रश्न पहले भी मुझे मालूम है, पहले यह सारा हुआ है। हमारा प्रयत्न था कि परीक्षाएं समय पर हों और परीक्षाओं के परिणाम नियत अवधि में निकाले जाये। मेरा निवेदन यह है कि विधान सभा चुनावों की दृष्टि से परीक्षाएं आगे बढ़ानी पड़ीं। उसके बाद प्रश्न पत्रों का बहिष्कार हुआ। इसको देखते हुए एकेडेमिक कौंसिल को इतना कहूंगा कि परीक्षाओं के परिणाम जल्दी से जल्दी निकाले जायें जिसकी वजह से जितनी सुविधा मिल सके वह मिले। जहां तक परीक्षा देने का सवाल है इस संबंध में एकेडेमिक कौंसिल को निर्णय करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न और उठाया गया कि परीक्षाओं का बहिष्कार करने वाले छात्रों ने दूसरे छात्रों की कापियां फाड़ दीं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : एक प्रश्न और उठाया गया कि मापदण्ड के बिना नियुक्तियां · · ·

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य आपके हर स्पेसिफिक क्वेश्चन का उत्तर देना सरकार के लिये संभव नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय तिवाड़ी जी, स्थान ग्रहण करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक मापदण्ड के बिना नियुक्ति का सवाल है, पिछले वर्षों में एडहॉक नियुक्तियां हुई हैं। इसके लिये मैंने कहा, मापदण्ड क्या था पिछली सरकारों का वह आप जानते हैं- संघं शरणं गच्छामि। यही तो एक मापदण्ड था। इस मापदण्ड के ऊपर अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं। यह मापदण्ड तो चला गया। अब निश्चित रूप से जो शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव हैं उसके अनुसार इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जायेगा, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, छात्रों की जो चर्चा की गई कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने वह बिलकुल करेक्ट है। उनकी फीस जमा हुई है। पैसे लिये गये हैं। आपने गुण्डागर्दी से फार्म रिजेक्ट किये थे · ·

(व्यवधान)

उनको परीक्षा देने नहीं दी। 200 विद्यार्थियों के पैसे जमा हो चुके, फीस जमा हो चुकी जो जोधपुर के छात्र हैं उनके बारे में यह सुन रहे हैं कि उनको कोई मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। मंत्री द्वारा उत्तर। सहकारिता मंत्री जी।

सूचना

ग्राम फागला में खुदाई में तीन हजार वर्ष पुराने मंदिर और मूर्तियों की प्राप्ति

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से चेम्बर में मिला था । मैंने उनको एक चिट दी थी । मैं एक महत्वपूर्ण सूचना सदन को देना चाहता हूं ।

श्री सभापति : उन्होंने मुझे निर्देश दे दिये हैं । आप कह सकते हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, सीकर नगर से 14 किलोमीटर दूर ग्राम फागला में खुदाई करने से करीब तीन हजार वर्ष पुराने मन्दिर और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां हड़प्पा और मोहन-जोदड़ो के समय की हैं । जिलाधीश और एस. पी. ने इसकी सूचना वायरलैस द्वारा राज्य सरकार को दे दी है । एक एक मूर्ति की कीमत 2,3 लाख है । अब तक 9 मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। इस प्रकार का संकेत मिला है कि यह बहुत बड़ा मन्दिर है, जमीन के 40 फीट नीचे है और करीब 4 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। पुरातत्व विभाग के द्वारा अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है इस कारण हो सकता है कि जो बहुमूल्य सामग्री खुदाई से प्राप्त हो रही है वह संरक्षित न रह सके। आज के राष्ट्रदूत व नवज्योति में इन मूर्तियों के चित्र छपे हैं। ये हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के अवशेष हैं ।

इसी तरह से आस-पास के क्षेत्र में पानी की एक झील मिली है। यह कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां पर सरस्वती नदी बहती थी । सरस्वती नदी के किनारे जो मन्दिर अवस्थित थे उन्हीं के ये अवशेष हैं । इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं और सदन को यह सूचना दे रहा हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अवशेषों को पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित रखवाया जाए और इस क्षेत्र की पूरी खुदाई करवाई जाए। राज्य सरकार इसकी जानकारी प्राप्त कर के इसकी पूरी सुरक्षा करे ।

श्री सभापति : सूचना हो गई, माननीय सदस्य ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य ने जो सदन को सूचना दी है उसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक निर्देश दिए जायेंगे ।

श्री सभापति : सहकारिता मंत्री महोदय !

शासकीय वक्तव्य

पंचायत समिति, सरदारशहर, जिला चूरू के ग्रामों में सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, पंचायत समिति, सरदारशहर जिला चूरू के 11 गांवों में हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगों को सहकारी समिति द्वारा ऋण वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति, सरदारशहर जिला चूरू में कुल 35 सहकारी समितियों में से 30 जून, 80 ; 17 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को ऋण बांटा जा चुका है। जुलाई, 80 में शेष 16 समितियों में से 5 को ऋण वितरण कर दिया गया ।

74

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जिन 11 सहकारी समितियों को 30 जुलाई तक ऋण प्राप्त नहीं हो सका वे रायसीसर, सोलासर, पिचकराईताल, साडासर, मालसर, जयसिंहसर, रंगाईसर, राजासरबीकान, रातूसर, भादासर व वदनाऊ थी। उक्त समितियों में से भी जयसिंहसर के पूरे मैम्बरों को व रामसीसर, साडासर, मालसर, रंगाईसर, राजसर बीकान में लगभग आज तक पूरा ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। शेष रातूसर, पिचकराई, सोलासर, भादासर व बदनाऊ को ऋण वितरण आज से प्रारंभ किया जाकर 15 अगस्त तक पूर्ण रूप से कर दिया जायेगा।

चूरू सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की साख सीमा 1 करोड़ 75 लाख राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने निर्धारित की थी। उक्त लिमिट में से 1 करोड़ 20 लाख जून माह में अपेक्स कोआपरेटिव बैंक से प्राप्त कर एवं निजी साधनों (डिपाजिट शेयर केपीटल आदि) से 17 लाख कुल 1 करोड़ 37 लाख का ऋण वितरण कर दिया। जबकि जून, 80 तक लक्ष्य के अनुसार केवल 1 करोड़ 2 लाख ही बांटना था। माह जुलाई में अपेक्स बैंक से 55 लाख प्राप्त कर समितियों को वितरण कर दिया गया था। यानी टोटल ऋण वितरण 1 करोड़ 92 लाख खरीफ फसल 80 में बांटा जा चुका है। उक्त कुल ऋण वितरण में 90.93 लाख रुपये की राशि जून, 80 तक कमजोर वर्ग व हरिजन वर्ग को वितरित की गई है। जुलाई व अगस्त में रु. 37,48,288 रुपया कमजोर व हरिजन वर्ग को और दिया जा चुका है।

जिन 11 समितियों को 31 जुलाई तक ऋण वितरण नहीं किया जा सका था उनका ऋण मांग-पत्र, लोन डिमाण्ड एप्लीकेशन, समितियों से प्राप्त नहीं हुआ था। इसके दो कारण थे, प्रथम कुछ सदस्य अकाल के कारण चूरू जिले से बाहर चले गये थे, और उनकी अदम मौजूदगी में उनके लोन डिमाण्ड एप्लीकेशन तैयार नहीं किये जा सकते थे। दूसरा कारण यह था कि इन समितियों के पदाधिकारियों ने भी लोन वितरण में दिलचस्पी नहीं ली। जो सदस्य बाहर चले गये थे वे जुलाई में अच्छी बरसात के बाद लौटे और तदुपरान्त ही उनकी लोन एप्लीकेशन तैयार की जा सकी। साथ ही जून माह में ही जिन समितियों के पदाधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं ली थी उन्हें सहायक निरीक्षक के जरिये हिदायत कराई गई कि यदि लोन वितरण में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो उच्चाधिकारियों को लिखा जाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

तदुपरान्त 10 जुलाई तक बची हुई 11 समितियों की लोन एप्लीकेशन प्राप्त कर 16 जुलाई तक बाद जांच चूरू सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक ने स्वीकृति दे दी और साथ ही विशेष प्रयासों से अपेक्स बैंक से 75 लाख की ऋण साख सीमा और स्वीकृत करा लिया गया है। इस तरह 15 अगस्त तक लगभग ढाई करोड़ रुपया वितरित कर दिया जायेगा और सभी व्यक्तियों को नियमानुसार ऋण वितरण कर दिया जायेगा। यह सही नहीं है कि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को राजनैतिक कारणों से ऋण से वंचित रखा जा रहा है।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल शर्मा।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर): सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत

(श्री मोहनलाल शर्मा)

मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इन 11 सहकारी समितियों में ऋण का वितरण नहीं हुआ है। जो चार सहकारी समितियां हैं उनमें विशेष तौर से हरिजनों को ऋण नहीं दिया गया है। ये बहुत ही कमजोर वर्ग के हैं। मैं यह चुनौती देता हूं कि अभी तक एक पैसा नहीं बंटा है। आप कहते हैं कि 30 जुलाई तक फार्म नहीं आये। फार्म नहीं आये या पैसा नहीं था? मंत्री महोदय आज 11 अगस्त हो चुकी है हमारे चूरू जिले में बरसात एक जून से प्रारंभ हुई थी। कुछ गांवों में 10-11 जून से और कुछ स्थानों पर 24-25 जून को बरसात हुई थी। एक जुलाई से तो वहां पर लगातार बरसात हो रही है। 15 अगस्त तक ऋण बांटा गया तो काश्तकार कब काश्त करेंगे? जो गरीब काश्तकार हैं वे तो काश्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही तो गरीब लोग कब तक अपना काश्त कर पाएंगे? पिछली साल चूरू जिले में एक बूंद पानी नहीं बरसा। इसके पहले वहां अति-वृष्टि से अकाल था। इस प्रकार दो साल से वहां लगातार अकाल की स्थिति है। मेरा निवेदन है कि इस जिले की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए और इन गरीब तबके के लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से कर्जा बांटा जाना चाहिये। सरकार की ओर से भी कोई तकावी नहीं बांटी गई है ये गरीब लोग हैं, हरिजन लोग हैं और किसी प्रकार से काश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये गरीब काश्तकार काश्त नहीं कर सके तो इनकी आजीविका बंद हो जाएगी। इसलिए शीघ्र से शीघ्र ऋण बांटे जाने की व्यवस्था की जाए और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि मई, जून के महीने में ऋण बंट जाए। ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। इतना ही निवेदन है कि तकावी या सहकारी ऋण जल्दी से जल्दी बांटा जाए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, यह सही है कि ऋण वितरण में विलम्ब हुआ है। इसको स्वीकार करने में कोई संकोच मुझे नहीं है। 10.6.80 को, 6.5.80 को 15.6.80 को सहकारी समितियों के निरीक्षकों को और पदाधिकारियों को लिखा गया कि आप लोन एप्लीकेशन भिजवाएं जिससे इन लोगों की मदद की जा सके। मैंने पत्रावली पर भी इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जिन पदाधिकारियों द्वारा समय पर लोन एप्लीकेशन नहीं भेजी गई उनके सम्बन्ध में आवश्यक जांच करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। आखिर में जो गरीब किसान, आदिवासी, हरिजन चाहे जो कोई भी हो उसकी एप्लीकेशन समय पर न आये तो सरकारी नियम की ऐसी स्थिति है कि लोन में विलम्ब हो जाता है। इसके संबंध में कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर खींचा है इससे हरिजनों और कमजोर वर्ग को काफी तकलीफ हुई है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि भविष्य में इस तरह की बात नहीं होगी। उचित व्यवस्था की जाये इसके लिए हम वायदा करते हैं।

श्री मोहन लाल शर्मा : मंत्री महोदय, क्या यह आपके ध्यान में आया है कि जिन सहकारी समितियों के चुनाव हुये उन लोगों को राजनैतिक दुर्भावना से, जो हाल के चुनाव हुये थे उस कारण से गरीब लोगों को ऋण वितरण नहीं किया गया?

(78)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शुक्रवार को सदन में चर्चा हो रही थी कडाना बांध के संबंध में तो उस समय आसन ने यह कहा था सर्वमान्य राय से सोमवार को सदन के नेता द्वारा एक प्रस्ताव इस संबंध में पेश होगा । उस प्रस्ताव पर विचार करके इसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जायेगा । कडाना बांध में राजस्थान का हिस्सा काटा गया है और राजस्थान की अवहेलना की गयी है ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिस समय सदन में यह चर्चा चल रही थी उस समय में मैं भी सदन में उपस्थित था ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था । आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी । फिर भी मैं रिकार्ड को दिखवा लूंगा । मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा था पर फिर भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री परसराम जी मदेरणा ने कहा था कि औपचारिक रूप से प्रस्ताव आ जाय तो उस पर विचार कर लेंगे ।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1980-81 द्वितीय अवस्था, अनुदानों की मांगों पर विचार व मतदान । निम्नांकित अनुदानों को मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

मांग संख्या 29, श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर ।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास एवं मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मंत्री, नगर आयोजना) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 45, 40, 000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

एक और भी है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री सभापति : वह भी ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मंत्री, सामुदायिक विकास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49,37,74,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ।

मांग संख्या 29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29—मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. नगर आयोजना अधिकारी की लापरवाही से नगरों की हो रही दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री चौतमल जैन (अलवर) :

2. जयपुर शहर के बनाये गये मास्टर प्लान में उचित परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

3. एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में भूमिगत नाले बनाने हेतु नगरपालिकाओं को अनुदान नहीं दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

4. बीकानेर नगर विकास न्यास एवं नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

5. नगर आयोजना विभाग की योजना के अनुसार विकास हेतु चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

6. नगर आयोजना विभाग द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने में अनावश्यक देरी किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

7. भीनमाल नगर के विकास हेतु राज्य सरकार की उदासीन नीति के संदर्भ में चर्चा के लिए ।

श्री बिहारी लाल (माण्डलगढ़) :

8. माण्डल नगरपालिका को नगरपालिका घोषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

9. नगर आयोजना विभाग की अकर्मण्यता से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

10. प्रदेश की नगरपालिकाओं में सेवारत सफाई कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण सफाई कार्य हेतु न दिये जाने के कारण नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

11. उदयपुर नगर का मास्टर प्लान तुरन्त पास किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

12. नसीराबाद नगर को अन्य नगरपालिकाओं के समान Per Capita अनुदान दिये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

13. परबतसर नगरपालिका द्वारा बोहरों के बास में सड़क निर्माण तथा खारिया तालाब तथा पुलिस स्टेशन पर जाने के लिये नाले को पार करने के लिये पुलिया का निर्माण कराने हेतु नगरपालिका को अनुदान नहीं दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

14. सवाई माधोपुर नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को सवाईमाधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री तक विस्तृत करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

15. नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

16. प्रदेश के नगरों के विकास हेतु समयबद्ध व सुनियोजित कार्यक्रम न बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।

17. नगर आयोजना विभाग में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा) :

18. प्रदेश के नगरों का विकास करने में नगर आयोजना विभाग असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (सांगोद):

19. सरकार द्वारा बड़े उद्योगों को चुंगी कर में दी जाने वाली छूट से नगर परिषदों की चुंगी की आय में होने वाले ह्रास के संबंध में चर्चा के लिये ।

20. सांगोद नगरपालिका को विशेष अनुदान देने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

21. टोंक का व्यापक सर्वे किया जाकर योजनाबद्ध विकास करने हेतु मास्टर प्लान बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना):

22. नगरों में निरन्तर बढ़ रहे अवैध निर्माण की रोकथाम करने में नगर आयोजना विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

23. राज्य के नगरों के विकास के लिये विशेष रूप से आवासीय समस्या के समाधान के लिये सस्ता तथा सामान्य कार्यक्रम तैयार किये जाने के लिये न्यासों को अधिक अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) :

24. मध्यम श्रेणी के लोगों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास न्यास को कम राशि अनुदान के रूप में दिए जाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा):

25. फुलेरा नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान की कमी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली):

26. करोली नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

27. झालावाड़ एवं झालरापाटन नगरपालिकाओं की दयनीय आर्थिक दशा को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा):

28. बालोतरा नगरपालिका को दी जाने वाली सहायता की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-बाजार):

29. जयपुर के रामगंज बाजार की फुटपाथ के बन्द निर्माण कार्य को पुनः चालू कराने हेतु जयपुर नगरपालिका को विशेष अनुदान दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जयपुर के किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों की मरम्मत हेतु जयपुर नगर विकास न्यास को उचित अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर):

31. जैसलमेर नगरपालिका की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति हेतु आवश्यक अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

32. नगर आयोजना विभाग द्वारा जैसलमेर में निर्माण कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर):

33. आमेर नगरपालिका को कम अनुदान दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

34. नाथद्वारा नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. नाथद्वारा में यू. आई. टी. की पुनः स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी):

36. नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह):

37. टोडारायसिंह नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री भालू खां (चूरू):

38. चूरू नगर परिषद् को अन्य नगर परिषद् से अपेक्षाकृत कम अनुदान दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

39. जिला बाड़मेर के नगरों के विकास हेतु मास्टर प्लान नहीं बनाये जाने से इनकी हो रही दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(80)

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा) :

40. नगर आयोजना विभाग योजना के अनुसार विकास कराये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी):

41. जिला डूंगरपुर की नगरपालिकाओं के विकास हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर):

42. डूंगरपुर जिले की नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नाथू राम (डूंगरपुर):

43. जिला डूंगरपुर के नगरों के विकास हेतु नगरपालिकाओं को और अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल (चौमू):

44. चौमू नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

45. नगरपालिकाओं के चुनाव कराने हेतु चर्चा के लिये।

46. लाडनूं नगरपालिका को कम अनुदान दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छू राम (मण्डावा):

47. नगरपालिका मण्डावा जिला झुंझुनूं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा):

48. नगरों का विकास करने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

४९. नगर न्यासों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

50. चाकसू नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):

51. अजमेर नगर विकास न्यास को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

1. विभाग द्वारा पंचायत समितियों के प्रधानों व जिला प्रमुखों के चुनाव न कराये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

2. राजस्थान राज्य में पंचायती राज्य को लोकतांत्रिक बनाने के लिये थ्री टायर व्यवस्था कायम रखने व प्रधान व प्रमुख के चुनाव शीघ्र कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

3. पंचायत समिति क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनायी गई सड़कों पर डामर न किये जाने पर चर्चा के लिये।

4. पंचायत समितियों की चुनाव तारीख राज्य सरकार द्वारा न बताये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

5. विकास के समस्त काम पंचायत समिति को दिये जायें, इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

6. सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रम को व्यापक बनाने के लिये कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

7. पंचायत समितियों एवम् जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

8. पंचायतों से हटाये गये प्रशिक्षित सचिवों को पुनः पंचायतों में नियुक्त करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

9. काम के बदले अनाज योजना में हुये अनाज के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह (जैतारण)

10. पंचायतों के व पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

11. ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिये ग्राम पंचायतों को राजस्व वसूली के अधिकार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

12. जिला बूंदी में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत भवन एवं कुओं के अधूरे निर्माण को पूरा कराने हेतु चर्चा चर्चा के लिये।

13. केशवराय पाटन पंचायत समिति में जीप की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

14. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जन उपयोगी बनाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

15. पंचायतों में ग्रुप सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं एक पंचायत पर एक सचिव की नियुक्ति किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

17. सामुदायिक विकास के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ऋण उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

18. सरपंच व प्रधानों तथा जिला प्रमुखों के चुनाव अविलम्ब कराने और प्रत्येक पंचायतों में अलग अलग ग्रुप सचिव रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

श्री श्रीरामगोटेवाला (किशनपोल बाजार)

19. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद)

20. पोषाहार कार्यक्रम हेतु दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (बग.)

21. पंचायत समिति सवाई माधोपुर में काम के बदले अनाज योजना में सरपंचों से मिल करके विकास अधिकारी व पंचायत ओवरसियर द्वारा लाखों रुपये का घोटाला किया गया है उसकी जांच कराने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

32. पंचायती राज संस्थाओं में दिनों-दिन बढ़ती जा रही लालफीताशाही के आधिपत्य से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा के लिये ।

23. पंचायती राज संस्थाओं के अधूरे चुनाव कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

24. पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को सामुदायिक विकास की मूल भावना से हट जाने से हुए गम्भीर परिणामों पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

25. काम के बदले अनाज योजनाओं में होने वाली अनियमितता पर चर्चा के लिये ।

26. प्रधानों व प्रमुखों के चुनाव नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बालदयाल जोशी (दीगोद):

27. राज्य की पंचायतों को मिलने वाले अनुदान की राशि को दुगनी कराने के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

28. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भवनों का निर्माण काम के बदले अनाज योजना के द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

29. पंचायतों को विकास के लिये एक सामान्य कार्यक्रम बनाने तथा समुचित सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर)

30. पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का चुनाव अविलम्ब कराने हेतु चर्चा के लिये ।

(83)

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)

31. पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा)

32. पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

33. पंचायतों व पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

34. पंचायती राज में दिनों दिन बढ़ रही लालफीताशाही से जनता को राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

35. निवाई में पोषाहार कार्यक्रम चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

36. ग्राम पंचायतों के मजदूरों को काम के बदले अनाज योजना में बकाया मजदूरी चुकाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

37. पंचायत राज की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम (पचपदरा)

38. पंचायत समितियों द्वारा काम के बदले अनाज योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़)

39. पंचायत समितियों व जिला परिषदों को अधिक अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भंवरलाल (मनोहर थाना)

40. पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निर्माण कार्यों हेतु अधिक धनराशि आवंटित करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

41. पंचायती राज संस्थाओं में प्रधान एवं प्रमुख के चुनाव में बरती जाने वाली ढिलाई के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

42. पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य समय पर कराये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास डोसी (चोहटन)

43. पंचायती राज एवं न्याय पंचायतों के ढांचे में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह चौधरी (भादरा)

44. पंचायती राज के ढांचे में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(84)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

45. आमेर निर्वाचन क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

46. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में चलने वाले पोषाहार केन्द्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

47. पंचायती राज के सम्पूर्ण चुनाव न होने से पंचायती राज में जनता की आस्था उठती जा रही है; इस पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

48. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के श्रमिकों को समय पर मजदूरी देने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

49. पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता व सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गति दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री रेवतराम (डूंगरगढ़)

50. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

51. पंचायती राज व्यवस्था में सुधार एवं न्याय पंचायत को सुदृढ़ करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़)

52. सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की बड़ी पंचायतों को छोटी पचायतों में परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

53. पंचायती राज संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं न्याय पंचायतों को पुनर्गठित कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द आमलिया (चोरासी)

54. जिला डूंगरपुर में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को गतिशीलता देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर)

55. जिला डूंगरपुर के सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत चल रहे पोषाहार कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महेश कुमार (आसपुर)

56. जिला डूंगरपुर में पंचायती राज संस्थाओं में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

57. ग्राम पंचायत कुलमीपुरा के सरपंच द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन में किये गये बदल बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (लाडनूं)

58. पंचायतों तथा पंचायत समितियों के चुनाव कराने बाबत चर्चा के लिये ।

59. काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

60. सामुदायिक विकास खण्डों में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर)

61. नांगल राजावतान ग्राम पंचायत, तहसील दौसा के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं की जांच अविलम्ब कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

62. राज्य सरकार पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव कराने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

63. राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त करने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

64. हंसमहल ग्राम पंचायत तहसील बस्सी के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत की गई अनियमितताओं की जांच न कराने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 29 व 41 पर विचार

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह। माननीय सदस्य, आप प्रारम्भ करें उससे पूर्व निवेदन करूंगा कि समय का भी आप ध्यान रखें।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : बहुत थोड़ा समय लूंगा, सभापति महोदय, आप चिन्ता न करें।

(2.34 अम.पम.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैंने मांग संख्या 29 और मांग संख्या 41 पर अपने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। सभापति महोदय, मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं वह भीनमाल नगरपालिका क्षेत्र के विषय में हैं। इसका विकास जो नहीं हो रहा है, और इसमें जो विकास हो रहा है, उसके विषय में है।

सभापति महोदय, नगरपालिका भीनमाल में अतिक्रमण के मामले निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इस ओर नगरपालिका प्रशासन का कतई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अतिक्रमण के मामले हैं व जो विचाराधीन हैं वे निपट नहीं रहे। अतिक्रमण और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि जितने भी अतिक्रमण के मामले आपके विचाराधीन हैं उनको आप एक तरफ रहने दीजिये और जो नगरपालिका की शेष जमीन आपके पास बच गयी है उसको आप कम से कम सुरक्षित कर लीजिये। मेरा एक सुझाव यह है कि नगरपालिका क्षेत्र में जो भूमि बची हुयी है जो नगरपालिका में है उसके लिये आप एक बोर्ड बना दीजिये। नगरपालिका सम्पति का बोर्ड लगा दीजिये।

86

(श्री सूरजपाल सिंह)

जिस किसी पर ऐतराज हो, जिसके पास भी टाइटल डीड है वह टाइटल डीड पेश कर दें तो आपको क्या एतराज है? नगरपालिका बोर्ड लगा दीजिये तो जिसके पास होगी डीड वह दिखा देगा। यह उचित तरीका होगा। इससे यह जो आपकी कई वर्षों से अतिक्रमण की समस्या है, एन्क्रोचमेंट की समस्या है उसका निपटारा हो जायेगा।

मेरा एक सुझाव यह है कि आप सब नगरपालिकाओं को यह निर्देश दें कि कोई भी नगरपालिका भूमि है वहां एक बोर्ड लगा दीजिये और जिसके पास भी टाइटल डीड हो उसके लिये 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने का समय दीजिये कि इसमें वह प्रस्तुत कर दे। टाइटिल डीड देखने के बाद, उसके रूल्स नियम वगैरह देखने के बाद नगरपालिका सम्पत्ति घोषित कर दें।

सभापति महोदय, नगरपालिका भीनमाल क्षेत्र के अन्दर भूमि की कीमत बहुत अधिक है, इसलिए एन्क्रोचमेंट बहुत अधिक हो रहे हैं। भूमि उपलब्ध नहीं है। पिछले 20-25 वर्षों के अन्दर नगरपालिका द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं बनायी गयी जिसमें अल्प आय के लोगों को भूमि मिल सके, भूतपूर्व सैनिकों को मिल सके या अन्य जाति को मिल सके। इस प्रकार की अन्य कोई योजना आपने बना कर नहीं दी है; नगरपालिका इस प्रकार की कोई योजना बनाये नहीं, नगरपालिका इस मामले में उदासीन रहे, समय पर एक्शन नहीं हो, रहने को स्थान नहीं हो, निरन्तर आबादी बढ़ रही हो तो लोग एन्क्रोचमेंट निश्चित तौर पर करेंगे तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर अल्प आय के लोगों के लिये, भूतपूर्व सैनिकों के लिये, मध्यम वर्ग के लिये और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये ऐसी स्कीम बनाकर के उन्हें भूमि उपलब्ध करायें ताकि जो अतिक्रमण एन्क्रोचमेंट की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लग सके।

टैक्सेज के मामले में भी मेरा कुछ निवेदन था। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर भीनमाल के अन्दर आय की कोई कमी नहीं है। मगर अपव्यय बहुत होता है। हमारे यहां एल. डी. ओ. और डीजल काफी बहुतायत में आता है। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में करीब औन एवरेज पैट्रोल डीजल प्राप्त होता है उस पर जो चुंगी की दर है वह पहले 1 पैसा प्रति लीटर थी, आज चुंगी बढ़कर 3 पैसा प्रति लीटर हो गयी है यह अधिक है। इसका नतीजा यह होता है कि आय बढ़ने की अपेक्षा गिरती जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि आप उसे फिर से 1 पैसा प्रति लीटर कर दीजिये। व्यापारियों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि म्युनिसिपल भीनमाल में न बेचकर उन्होंने अपनी सब एजेंसी बाहर भिजवा दी है। इस कारण भीनमाल को जो टैक्स से आय मिलनी चाहिये थी उस टैक्स से भीनमाल वंचित हो गया है। 3 पैसा करने से पहले जितनी आय थी उसमें वृद्धि की जगह नुकसान हो रहा है। मेरा यह सुझाव है कि पुनः एक पैसा कर दिया जाय तो आय में वृद्धि होगी।

सभापति महोदय, नगरपालिका भीनमाल में कुछ मामले नियमन किये गये। 27 फाइलें थीं जिनमें नियमन कराकर उनके फैसले भी कर दिये, सारी कार्यवाही पूर्ण हो गयी, उन पर भवन निर्माण भी हो गये उसके बाद निदेशक महोदय ने उन रेगुले-

(श्री सूरजपालसिंह)

राइजेशन को निरस्त कर दिया। जब कि उन पर भवन भी बन गये, अब उनको निरस्त करके क्या मकान वापस गिराना चाहते हो ? उन लोगों की गलती भी क्या है। उनको टाइटल भी दिये थे, आपने रेगुलेराईज किया था। जो आयोजना सीमा में आते थे और टैक्स के पैसे भी जमा करा दिये थे, जिनके आयकर के सम्बन्ध में आने वाले फार्म्स थे, उनको रेगुलेराइज किया। मेरा निवेदन है कि आप पुनः रेगुलेराइजेशन करें। उनको रेगुलेराइज करें। नगरपालिका ने स्वयं उनको पर्मीशन दी है। भवन निर्माण हो गया है फिर कोई औचित्य नहीं है।

मैं और ज्यादा इसमें समय न लेकर मांग सं. 41 पर अपने कुछ विचार रखूंगा। सबसे पहले मेरा यह सुझाव है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो चुनाव हैं, वह अविलम्ब कराये जायें। पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनावों में विलम्ब होने से हमारी विकास की गति बिल्कुल रुक गई है। वहां प्रशासक बैठे हुए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। इस अफसरशाही से छुटकारा पाने के लिए मेरा यह निवेदन है कि इनका जिस तरीके से कराना चाहें, चुनाव करायें। चाहे सरपंचों की ओर से करायें पर मैं यह मानता हूं कि पंच और सरपंच दोनों ही वोट दें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आप जैसा उचित समझें मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि चुनाव निश्चित तौर से कराये जायें।

पंचायत समितियों में और पंचायतों में ग्रुप सचिव काम कर रहे थे कुछ सचिवों का काम कर रहे थे। कुछ लोग 10-15 साल से काम कर रहे थे। उन लोगों को पंचायतों से हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उन्होंने 10-15 साल नौकरी की है, उन लोगों को हटा देना उनके साथ में अन्याय है। मैं चाहूंगा, कुछ लोगों को एब्जार्व कर लिया गया है तो जो और रहे गये हैं उनको भी रख लिया जाये। जो भी रिक्त स्थान है, वहां उनको लगाया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, पंचायत समितियों में अध्यापकों का अभाव है। जिन स्थानों पर स्कूल खोलते हैं, वहां अगर अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो तो वहां स्कूल नहीं खोले तो अच्छा है, इसके बनिस्बत जहां अध्यापकों का अभाव है अगर हमारे पास बजट नहीं और अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं तो निश्चित तौर पर हमें संकोच नहीं होना चाहिये प्राथमिक विद्यालयों के अन्दर 100-150 बच्चे हैं लेकिन एक अध्यापक है ऐसे स्थान पर निश्चित रूप से पढ़ाई नहीं हो सकती इसलिए जहां अध्यापकों की कमी है, वहां कमी पूरी की जानी चाहिये।

पंचायत समितियों के माध्यम से ही पौध संरक्षण वगैरह हो अलग यूनिट है, गांवों में यह देखा जाता है कि पूर्व में हो पंचायत समिति से ही दवाई, बीज और खाद वगैरह की मांग करते हैं। इस तरह के जो सुपरवाइजर हैं, वह अलग बैठे हैं। उनका सम्पर्क पंचायत समिति से नहीं रहता है। होना यह चाहिए कि उनको पंचायत प्रिमिसेज में रखा जाये ताकि जो आते हैं, उनको समय पर बीज, खाद मिल सके और पौध संरक्षण समय पर हो सके।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदया, टाउन प्लानिंग का हर शहर के विकास का अपना एक ढांचा है। मैं यह चाहता हूं कि हर शहर का विकास टाउन प्लानिंग की मार्फत ही हो। हमको विश्वास है कि इसकी मार्फत शहरों का यदि विकास हुआ तो हमको जो कठिनाइयां शहरों में देखनी पड़ती है, वह नहीं होंगी। जैसलमेर में अजीब परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। जैसलमेर में आपने आर्डर दिये कि जैसलमेर में कोई भी नया कन्सट्रक्शन, एडीशन, आल्ट्रेशन, डी.टी.पी. की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। इस आर्डर से भी हम सहमत हैं। लेकिन, आज जो भी एप्लीकेशन लेकर जाता है, वह म्युनिसिपैलिटी में जाकर देता है। म्युनिसिपैलिटी वाले उसको कहते हैं, आप डी. टी. पी. पी. जोधपुर के पास तशरीफ ले जाइये। जब डी. टी. पी. आफिस जोधपुर जाता है, वहां पहुंचता है तो मालूम पड़ता है कि उसकी एप्लीकेशन अभी आफिस में पहुंची नहीं है। माननीय सभापति महोदया, यह बहुत गम्भीर समस्या बन गई है। सैकड़ों एप्लीकेशन आज तक जोधपुर में डिस्पोज आफ नहीं हो पाई हैं। इसके कारण जैसलमेर में कई सुप्रसिद्ध मकान बन गये। अब आप उन मकानों को गिरा नहीं सकते। अगर गिरा नहीं सकते तो आप समस्या के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें। जैसलमेर आज टूरिज्म के मैप के हिसाब से सारे वर्ल्ड में अपना स्थान रखता है। इसी विचार से मैंने यह कहा कि यह जो निर्णय लिया गया था कि कोई भी कन्सट्रक्शन, एडीशन, आल्ट्रेशन, डी.टी.पी. के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। डी. टी. पी. में इस प्रकार का कोई सैल बनायें जिसमें यह एप्लीकेशन आती हैं, उनका तुरन्त प्रासेस हो सके और वहां के लोगों को सुविधा तुरन्त उपलब्ध हो सके। दूसरा मेरा प्रश्न यह था, हमारा निवेदन यह है कि जैसलमेर में कुछ कई एरिया आर्किटैक्चर कण्ट्रोल एरिया के अन्तर्गत लिया गया। इस एरिया में आपने यह रखा है कि कोई भी नया मकान कन्सट्रक्ट करता है तो उसको झरोखा या जाली, इसी प्रकार की कई चीज मकान में लगानी पड़ेगी ताकि जैसलमेर के और मकानों के साथ हार्मोनाइज हो सके। आपका विचार बहुत अच्छा है। मैं भी यह चाहता हूं कि इस प्रकार का विकास हो जिससे कि जैसलमेर जो इतना सुन्दर शहर है और जो नये एरिया के अन्दर मकान बनें वह भी पुराने शहर के अनुकूल बनें। लेकिन, श्रीमान, आज जो आदमी मकान बनाने जाता है, वह बड़ी मुश्किल से मकान का कन्सट्रक्शन कर सकता है। आप स्वयं परिचित हैं कि आज किस चीज की शार्टेज नहीं है। अब आप कहते हैं, आप झरोखा लगा दीजिए या जाली लगा दीजिए। वह यह भी सब कुछ करने को तैयार है लेकिन हर व्यक्ति में इतनी क्षमता है नहीं कि वह झरोखा या जाली लगा सके। आपके विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि इस प्रकार का ही कन्सट्रक्शन होना चाहिए। लेकिन आपसे मैं साफ साफ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप झरोखा या जाली लगाने की बात करते हैं तो उनको क्या आप कुछ सुविधा प्रदान करने को तैयार हैं? क्या आप उनको कुछ धनराशि अनुदान के रूप में देने को तैयार हैं कि जिससे वह झरोखा या जाली बना सकें और लगा सकें? अगर

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

ऐसा नहीं हुआ तो मुझे विश्वास है कि झरोखा या जालियां लग नहीं सकतीं। अगर झरोखा या जाली लग नहीं सकती तो आप कन्सट्रक्शन होने नहीं देंगे और कन्सट्रक्शन होंगे तो फिर आप नोटिस देकर तुड़वाओगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें। मन्त्री महोदय, आप जो नया मकान कन्सट्रक्ट करने की परमिशन देते हैं उसमें झरोखा जाली अवश्य लगावें लेकिन आपको कम से कम 50% सब्सिडी देनी पड़ेगी।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जैसलमेर के सौंदर्यीकरण के लिए हवेलियों के आसपास के कुछ मकानों को एक्वायर किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण एक आब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग का हम इसमें बाधा या व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहते। लेकिन सौंदर्यीकरण के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या जो जगह और मकान एक्वायर हो रहे हैं, उनकी वास्तविकता में जरूरत है या नहीं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसलमेर में जैन धर्मशाला जैन ट्रस्ट की धर्मशाला, का मकान है। आपने उनको नोटिस दिया है, आपका मकान इसलिए एक्वायर किया जा रहा है कि हम यहां पर एक सड़क बनाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा, जो मकान जैन धर्मशाला का एक्वायर करने जा रहे हैं, उसके आगे हवेली है तो क्या आप उस हवेली को तोड़ कर भी सड़क बनायेंगे? अन्यथा उस मकान को एक्वायर करना आपको आवश्यक नहीं है। जैसलमेर जैन धर्म का एक बड़ा भारी तीर्थ स्थान है। जैन धर्म का तीर्थ स्थान होने के नाते जैन धर्म के बड़े बड़े संघ वहां आते हैं जिनमें हजार हजार पन्द्रह पन्द्रह सौ व्यक्ति संघ में आते हैं। अब जैसलमेर शहर में जैन धर्मशाला के पास इतना ही मकान है जिसमें अपना वह कालेज रखते हैं। जैन ट्रस्ट वालों मेरी बात हुई, वह यहां तक भी तैयार हैं कि अगर आप चाहें तो वह पक्का फर्श बनवा सकते हैं। जिस तरह से भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट उनको आज्ञा दे झरोखा जाली जैसी भी बनवाना चाहे, वह बनवाने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इस मकान को एक्वायर किया तो बाहर से आने वाले यात्रियों के लिये समस्या हो जायगी। इसी तरह से जैसलमेर के कई मकानों को आपने नोटिस दिया है। अगर आप उसको पुनरवलोकन करायेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने मकानों को एक्वायर कराने की जरूरत है। मेरा उन मकानों के सम्बन्ध में निवेदन है कि उनका रि-सर्वे करावायें। माननीय सभापति महोदया, जैसलमेर आज विश्व के नक्शे पर आ गया है उसका एक ही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने सोच लिया था कि और कुछ रहे या न रहे लेकिन जैसलमेर कला और संस्कृति को आगे बढ़ा कर ले जाय। परिणाम यह है कि आज विश्व के कोने कोने से लोग इसको देखने आते हैं। लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्यों को वहां ट्रान्सफर पर आपत्ति है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आप जितने भी वहां भेजें उनका स्वागत करेंगे।

सभापति महोदया, जैसलमेर को राजस्थान से अलग मानना एक विचित्र बात है। ट्रान्सफर की बात आती है तो जैसलमेर और बाड़मेर का नाम लिया जाता है। कई माननीय

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

सदस्य कहते हैं कि जैसलमेर भेज देंगे या बाड़मेर भेज देंगे । क्या बाड़मेर, जैसलमेर राजस्थान का एक अंग नहीं ?

एक माननीय सदस्य: खारापानी है ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : खारा पानी जब आप पीयेंगे तो मालूम पड़ेगा, श्रीमान् । आज विश्व में जैसलमेर की ख्याति है । वह ख्याति केवल एक चीज की वजह से है, वहां के झरोखे और जालियां बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं । मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान, सभापति महोदया, आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि इन झरोखों और जालियों के लिये कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है । फलस्वरूप कई झरोखे और जालियां अन्य स्थानों पर जा चुकी हैं । अगर इन झरोखों और जालियों को ढंग से संरक्षण नहीं दिया गया तो हालत यहां तक हो सकती है कि कुछ भी नहीं बचेगा।

सभापति महोदया, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की जो नगरपालिका है उसकी आय बहुत कम है इसलिए वहां पर कोई विकास कार्य नहीं किये जा सकते । वहां पर सफाई की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, पानी की सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है । इन सब के लिए धनराशि की आवश्यकता है । धन के अभाव में वहां की नगरपालिका कोई भी विकास के काम नहीं कर सकती । इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि नगरपालिका को ज्यादा से ज्यादा अनुदान देकर जैसलमेर शहर को एक ऐसा शहर बनायें कि वहां आने वाले यात्री उसकी प्रशंसा कर सकें, उसकी प्रशंसा आपकी, हमारी और सारे प्रदेश की प्रशंसा होगी । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय सभापति महोदया, मैंने नगर आयोजना के सम्बन्ध में और सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनको प्रस्तुत करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां पर नगरपालिका की जो व्यवस्था है उसको केन्टोनमेंट कहते हैं । मैं मंत्री महोदय का ध्यान, सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को जो अनुदान पर-कैपिटा दिया जाता है वह बहुत ही कम नसीराबाद को दिया जाता है । खेद की बात है कि नसीराबाद फौजी छावनी है, जहां फौजी भाई रहते हैं इस शहर को राज्य सरकार कोई भी अनुदान प्रदान नहीं करती । इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के नागरिकों को कोई भी सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं । सुविधायें प्राप्त नहीं होने की वजह से वहां का जीवन अन्य नगरों के मुकाबले निम्न स्तर का है । सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना

(श्री गोविंद सिंह गुर्जर)

चाहता हूं कि जो ग्रान्ट दूसरी नगरपालिकाओं को दी जाती है उसी के अनुसार ग्रान्ट नसीराबाद केन्टोनमेंट को भी दी जावे। सभापति महोदया, अजमेर जिले के २७ गांव, जो पहले अलग थे, को अब अजमेर नगरपालिका की सीमा में लिया गया है। उन २७ गांवों को अजमेर नगरपालिका की सीमा में लेने के बाद उनमें कार्य जो चलते थे, जैसे काम के बदले अनाज योजना है, या पंचायतों के जरिये जो काम होते थे वे सब बन्द हो गये हैं जिससे गांव वालों को जो सुविधायें और लाभ मिलते थे उनसे वे वंचित हो गये हैं क्योंकि वे गांव अजमेर नगर परिषद की सीमा में आ गये हैं। अफसोस की बात है कि जो नगर को सुविधायें प्राप्त हैं वे उन गांवों को नहीं दी जा रही हैं। नतीजा यह हुआ है कि वे 27 गांव न इधर के रहे और न उधर के। उन गांवों में सुविधाओं का अभाव हो गया है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों के लिए अलग से कुछ राशि की घोषणा की जावे जिससे वहां सड़कों का विकास हो, फ्लश टाइप शौचालय बनायें जा सकें, नालियों की सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें। अगर ऐसा हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी।

सभापति महोदया, हमारी नगरपालिकाओं में भी दूसरी जगह जिस प्रकार से अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार फ्लश टाइप शौचालय बनाने के लिये अनुदान दिया जावे। इसके लिए वर्षों से मांग की जाती रही है, उसको कृपया अब दिलाने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदया, नसीराबाद नगर में जो नागरिक इलाका है, जिसको सिविल एरिया कहते हैं व इतना कन्जस्टेड है और भर गया है कि विकास के लिये यहां तक कि छोटी सा स्कूल भी खोलने के लिये या और कोई सुविधा देने के लिये जगह नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो भूमि है नसीराबाद केंटोनमेंट में, जो आपने विकास के कार्य के लिए भूमि दी है, उसी तरह से जैसे विद्यालय खोलने की योजना है, आवासीय कालोनी बनाने की बात है, उसके लिए जमीन प्राप्त करनी है, वह जमीन उपलब्ध कराई जावे क्योंकि वहां पर ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि एक ही परिवार के दस बारह सदस्य छोटी-छोटी कोठरियों में रह रहे है। जो नई रोशनी आई है उससे आशा करते हैं कि वहां पर विकास के कार्यों के लिये लाभ मिल सकेगा।

आदरणीय सभापति महोदया, कई वर्षों पूर्व जब बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था तब पंचायतों में आवासीय पट्टे दिये गये थे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भी बीस सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है इसको नसीराबाद केन्टोनमेन्ट में लागू करने के लिये जो वहां के गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, जो सालों से किराये के मकानों में रहते आ रहे हैं, या टूटे-फूटे मकानों में रहते हैं, उनके लिए कुछ भूमि आवंटन करने की कृपा करें।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो नगरपालिकाएं, नगर विकास न्यास और नगर परिषदें हैं

(92)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

इन तीनों एजेन्सियों के काम करने में बड़ी देरी होती है उस देरी को रोकने के लिये इन तीनों के कार्यालय एक ही स्थान पर होने चाहियें। इस तरह की व्यवस्था की जावे जिससे नागरिकों को सारी सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें और लोगों को जगह-जगह फिरना नहीं पड़े।

सभापति महोदया, मैं सामुदायिक विकास के संबंध में मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे बड़ा कटु अनुभव है कि दो दो तीन तीन पंचायतों के लिए एक सैक्रेटरी दिया हुआ है। हर पंचायत में काम का भार इतना बढ़ गया है कि वहां पर एक फुल-टाइम सेक्रेटरी होना बहुत अनिवार्य है। यह न होने से नतीजा यह हो रहा है कि जो काम होने चाहिए थे, जो एस्टीमेट्स वगरह बनने चाहिए थे और जो समय पर तैयार होने चाहिए थे वे नहीं हुए हैं। कई जगह काम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो सरपंच हैं उनको करीब करीब पूरा समय इन कामों में लगाना पड़ता है तब जाकर काम हो पाता है। इसलिए प्रत्येक पंचायत में एक सैक्रेटरी होना अनिवार्य है। यह सुविधा दी जानी चाहिये अन्यथा जितने काम पड़े हुए हैं, उनकी आडिट रिपोर्ट होगी तो बहुत सारी दिक्कतें सरकार के सामने आयेगी।

इसके अलावा प्रत्येक पंचायत समिति में दो ओवरसियर के पद हैं लेकिन पंचायत समिति क्षेत्र में एक ही ओवरसियर दिया हुआ है और एक स्थान रिक्त है। बड़ी कोशिश करने के बाद भी ओवरसियर्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जो एस्टीमेट्स बनाने हैं या मेजरमेंट्स बनाने हैं वे नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए बहुत से काम इकट्ठे हो रहे हैं और इस कारण बहुत देरी हो रही है। अतः मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र अगर आप ओवरसियर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आप पी. डब्ल्यू. डी. से या इरिगेशन डिपार्टमेंट से ओवरसियर की व्यवस्था करायें ताकि जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको सुविधापूर्वक किया जा सके।

इसी के साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो ग्राम सेवक थे वे पंचायत समितियों के माध्यम से काम करते थे लेकिन जब से कृषि विस्तार कार्यक्रम विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से चला रखा है, जिसको वहां स्टोर योजना कहते हैं, उसके तहत बहुत से ग्राम सेवक, कृषि कार्यक्रम प्रोजेक्ट अधिकारियों के अधीन कर दिए गए हैं और पंचायत समितियों का जो नियंत्रण था, वह समाप्त हो गया है इस कारण से पंचायत समितियों की काम करने की जो विकास एजेंसी थी, वह समाप्त हो गई है। कृषि विस्तार कार्यक्रम पूर्णतः ऐसा कार्यक्रम रहा है, जिसकी उपादेयता नहीं हैं, उपयोगिता नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विस्तार कार्यक्रम को पंचायत समितियों के जरिए अगर चलाया जाए तो कर्मचारियों की सुविधा पंचायत समितियों को मिलेगी और वह काम अच्छी तरह से हो सकेगा। मेरा निजी अनुभव है कि कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं या कागजी चीजें प्राप्त हो रही हैं, वे केवल कागजी हैं और जो घर घर जाने का कार्यक्रम है,वह नहीं हो रहा है। फर्जी डायरीज, फर्जी रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं। इसलिए पंचायत समितियों के अधीन करके यह कार्यक्रम चलाया जाए।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

इसके अलावा न्याय पंचायतों का कार्य अफसोसजनक रहा है इसलिए न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ।

पंचायतों में अतिक्रमण के लिए कुछ व्यवस्था नियमों में की गई है, कानून में की गई है लेकिन अनुभव से पाया गया है और मैंने भी अनुभव किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस वगैरह की सहायता उनको मिलनी चाहिए या उनको शक्ति मिलनी चाहिए जिसके द्वारा वे अवैध चीजें हटा सकें। वह सहायता उनको प्राप्त नहीं हो रही है, नतीजा यह होता है कि प्रत्येक पंचायत में खास तौर से जो शहरों के नजदीक पंचायतें हैं, उनमें अतिक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इतनी ज्यादा हद तक कि संभालना मुश्किल हो रहा है। उनको हटाने की शक्ति नहीं है इसलिए वे अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं ।

अजमेर जिले में जो पहले पंचायतें थीं 27 नगरों की उन सबको सरकार ने अजमेर नगरपालिका के अधीन कर दिया है और अब यू. आई. टी. उनकी सारी भूमि को अवाप्त करने की कोशिश कर रही है। इससे जो 27 गांव पहले पंचायतों के अधीन चल रहे थे उनका सारा काम खराब हो रहा है और वहां के लोग जिनको पहले भूमि दी गई थी या भूमिहीन हैं वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें रहने का सहारा नहीं है, सारी जमीन यू. आई. टी. ने हथिया ली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जमीन दी जाए ।

जो पंचायत समितियों के अधीन हमारी प्राइमरी स्कूल चलाई जा रही हैं वहां भी एक तो अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है, ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और एक ही मास्टर है। ज्यादा स्थिति इसलिए गंभीर है कि जो भी अध्यापक वहां जाते हैं वे शहरों की तरफ आने की कोशिश करते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अनुभव यह बताता है कि प्राइमरी स्कूलों को पंचायत विभाग से निकालकर वापस शिक्षा विभाग को दिया जाए ताकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वे उन पर नियंत्रण रख सकें और उस काम को बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई ।

(अनुपस्थित)

श्री माधव सिंह दीवान ।

(अनुपस्थित)

श्री छोगाराम ।

(अनुपस्थित)

डा. हरिसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उनकी तरफ से कोई बोल लें ।

श्री सभापति : उनके भी काफी नाम हैं। दो इधर से एक उधर का ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत ।

(अनुपस्थित)

(३५)

(श्री सभापति)

श्री राम रघुनाथ चौधरी ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, नगर आयोजना पर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव थे उन पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में नगर आयोजना एक छोटी सी इकाई है और प्रारंभ में यह इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत थी। लेकिन जब यह महसूस किया गया कि नगरों का विकास होने जा रहा है और यह ज्वलंत समस्या है इसलिये योजना बनाकर बाकायदा अच्छा रूप देकर इसको किया जाए तब 1960 में इसका एक स्वतंत्र विभाग बनाकर इसका कार्य शुरू किया गया। 1960 से 1980, 20 वर्ष हो गए, इन 20 वर्षों में इस विभाग ने कुछ नहीं किया। ये हाथ पर हाथ धर कर बैठ गए, जितना पैसा मिला उसका दुरुपयोग किया, उसके सिवा कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू में 5 नगरों, जिनको अपने राजस्थान में चाहे तो महानगर कहें या नगर कहें, जो बड़े नगर थे, इन के प्लान बने और आज भी उनके पास में 5 नगरों के प्लान हैं। उनमें क्या है? उनमें थोड़ा सा सुधार किया या थोड़ा सा संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद में वही 5 नगरों का प्लान इनके पास उपलब्ध है। तो इनकी उपलब्धि यह हुई कि 20 सालों में जब यह स्वतंत्र विभाग बना तब से लेकर 5 प्लान इन्होंने तैयार किए। और भी तैयार किये हुए जो समस्या है हमारी कच्ची बस्तियों की, राजस्थान नहर परियोजना को जो विश्व की महत्वपूर्ण योजना है, इसका रीजनल डवलपमेंट प्लान 20 वर्ष से प्रारंभिक चरण में पड़ा हुआ है। जब शुरू किया था, जैसा शुरू किया था वैसी ही हालत में आज पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बतायें कि यह विभाग जिसको स्वतंत्र विभाग 1960 में बनाया गया, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उससे लाभ क्या हुआ ?

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का यह नगर आयोजना विभाग सिवाय घोटालों के और अनियमितताओं के क्या करता है अगर चिन्तन किया जाय तो दिमाग पागल हो जाय। सभापति महोदय अगर आपने मुझे समय दिया तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कच्ची बस्तियों को ले लीजिये। आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में सभापति महोदय कच्ची बस्तियों की समस्या है लेकिन समस्या को सुलझाने के लिये कुछ नहीं किया। आज 20 हजार परिवार इन कच्ची बस्तियों में रहते हैं। आखिर नगर आयोजना विभाग ने इन स्लम्स की प्राब्लम को सुधारने के लिये क्या किया? अगर चाहते तो भूमि लेकर उनकी स्थिति के अनुसार 100 वर्ग गज या 150 वर्ग गज भूमि देकर के उनको बसाया जा सकता था। वहां पर सड़क बनाते और बिजली वगैरह की व्यवस्था करते इससे जो लोग आज दूरी से अप डाउन करते हैं वह शहर में जहां कहीं भी काम होता वहां रहता।

अगर हम इस प्रश्न को गहराई से देखें तो पता लगेगा कि जो लोग देहात से यहां आते हैं खाने कमाने को गरीब व्यक्ति शहर में आते हैं उनके पास कोई रहने को जगह तो होती नहीं है बाद में जहां कहीं भी उन्हें भूमि मिलती है चाहे वह सरकारी भूमि हो चाहे वह किसी व्यक्ति की भूमि हो उसमें आकर बस जाते हैं। सभापति महोदय, पहले तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता पर यह एक पर्टीक्यूलर एरिया में जब ज्यादा बस जाते हैं या ऐसी जगह बस गये जहां शहर के विकास या नगर आयोजना विभाग कोई अपनी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

योजना बनाता है तब यह बीच में आते हैं तो यह महसूस होने लगता कि यह कच्ची बस्ती है। उनको हटाने की व्यवस्था की की जाती है तब यह लोग आन्दोलन करते हैं।

सभापति महोदया, राज्य सरकार ने उन समस्त लोगों, जो कच्ची बस्तियों में रहते थे, को सन् 73 तक रहने वाले लोगों को नियमित कर दिया। सभापति महोदया, जब राजस्थान सरकार ने सन् 70 तक कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते थे उनको नियमित कर दिया तो बाद में कोई कच्ची बस्ती हनी ही नहीं चाहिये थी। पर चूंकि नगर आयोना विभाग ने कोई कार्यवाही इनके लिये नहीं की कोई इनके लिये योजना नहीं बनायी तो फिर, सभापति महोदय, तकलीफ किसको हुई? यह तकलीफ गरीब तबके के लोगों को होती है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, जब इनको हटाते हैं उस वक्त यह लोग हड़ताल करते हैं और विधान सभा के बाहर प्रदर्शन करते हैं। अगर संबंधित विभाग के अधिकारी इनके लिये पहले योजना का प्रारूप बना कर दें तो यह कठिनाई नहीं होगी। सभापति महोदया, इस जयपुर में सन् 73 तक की बस्तियों को नियमित करने के बाद भी आज 13 कच्ची बस्तियां और तैयार हो गयी हैं जिनमें हजारों परिवार रहते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि इन कच्ची बस्तियों के परिवार के लोगों को अच्छी जगह जमीन लेकर नियमित ढंग से बसाया जाय। लेकिन वह काम इस विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है और गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज हमारी सरकार राजकीय अधिकारियों को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं है उनको सुविधा देने के लिये नहीं है, इसे गरीब लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये रखा है। सभापति महोदय, आज जो हमारे मुख्य नगर नियोजक हैं उनके पास दो तीन प्लाट हैं एक जयपुर में बहुत ही शानदार बंगला है। उन्हें गरीब लोगों की कोई चिन्ता क्यों हो?

सभापति महोदया, मैं नगर आयोजना विभाग के बारे में यह निवेदन कहना चाहूंगा कि आखिर नगर आयोजना विभाग के अधिकारी लोग करते क्या है? सभापति महोदया, इस विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली के न तो कोई माप दण्ड है और न ही कोई वर्किंग मेनुअल है। वह काम कैसे करते हैं बिना मापदण्ड के अगर आप चाहे तो, सभापति महोदया, इसकेमन्त्री महोदय से जानकारी करालें। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो नये मंत्री महोदय हैं वह काफी सतर्क हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बिना टाउन प्लानिंग एक्ट के एवं रीजनल एक्ट के यह कार्य हो रहा है। एक्ट नहीं बने हुए हैं लेकिन कार्य हो रहा है। सभापति महोदया, जो विभाग पिछले बीस साल से बिना एक्ट के चल रहा है, बिना माप दण्ड के, बिना कार्य प्रणाली के चल रहा है तो उसमें अनेक तरह के घपले होना स्वाभाविक है। इस विभाग की कार्य प्रणाली एक प्राइवेट फर्म के समान है। जिसमें न कोई कानून है और न अधिकारियों में विभिन्न प्रकार के कार्यों का बंटवारा है। पर किसी को कोई चिन्ता नहीं सिवाय घपले के। यह अधिकारी सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मैं आपको तीन चार मामले ही निवदन करूंगा कि इसमें कितना भारी भ्रष्टाचार है।

(९६)

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, मेरे दल का तो मैं ही अकेला बोलने अकेला वाला हूं। मेरे दल का समय मुझ दे दें।

श्री सभापति : सभी पार्टियों के एक एक सदस्य बोलेंगे।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, नगर आयोजना विभाग का जो मुख्य काम है वह है नगरों एवं गांवों के मास्टर प्लान तैयार करना। वह तो उन्होंने नहीं किया। इनको जो काम करना चाहिये था उसको ताक में रख कर सिनेमा, होटल पैट्रोल पम्प तथा अन्य व्यापारिक केन्द्रों के साइट की स्वीकृतियां देने के सिवाय कुछ नहीं किया। कई बार स्वीकृतियां पहल दी जाती है फिर उनको केन्सिल कर दिया जाता है फिर वापस उनको स्वीकृतियां दी जाती है। कई बार तो लोगों ने स्वीकृतियां लेने के लिये कोई प्रार्थनापत्र भी नहीं दिये। पर पहले स्वीकृति दे दी फिर ,उसी को अस्वीकृत कर दिया और फिर बाद में वापस स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्वीकृतियां भी निजी भूमि पर दी जाती हैं जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। सभापति महोदय अभी हाल ही में इस विभाग द्वारा जयपुर नगर में स्वीकृत युगल सिनेमा वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्वीकृत अंकुर सिनेमा, मोती डूंगरी रोड पर प्रस्तावित सिनेमा, सूचना केन्द्र के पास सात मंजिला होटल, सांगानेर हवाई अड्डे के निकट सात मंजिला क्लार्क होटल आमेर और होटल मानसिंह है। इसमें नक्शा देने में मुख्य नगर नियोजक द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है।

सभापति महोदय, जयपुर में युगल सिनेमा बनाने के लिये जयपुर के एक धनाढ्य जौहरी ने महावीर मार्ग सी स्कीम क्षेत्र में गुजराती समाज के पास खाली पड़ी भूमि पर सिनेमा की साइट स्वीकृत करवाने हेतु आवेदन सन् 72 में किया था। मुख्य नगर नियोजक द्वारा साइड में तथा पीछे की साइड में 100 फीट का सेट बैक छोड़ते हुए स्वीकृत कर दिया जिस पर तत्काल जिलाधीश ने स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद में उक्त जौहरी ने पुनः नया नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया जिसके अन्दर 100 फीट के सेट बैक को घटाकर 30 फीट कर दिया जिस पर भी मुख्य नगर नियोजक ने अपनी स्वीकृति नियमों की अवहेलना कर के दे दी। सभापति महोदय, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ। इसकी बाद में बहुत सी शिकायतें हुईं और यह मामला भ्रष्टाचार विभाग को सौंप दिया गया। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार विभाग के एक अधिकारी ने उसकी रिपोर्ट दी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मुख्य नगर नियोजक एवं उनकी पत्नी की यूरोप यात्रा का 25000 रुपये का खर्चा उस सेठ जौहरी द्वारा वहन किया गया। सभापति महोदय, कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार विभाग द्वारा दिसम्बर नहीं नवम्बर, 1979 में दी गई। सभापति महोदय, नहीं, यह 15 दिसम्बर, 1978 को रिपोर्ट दी गयी थी। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पड़ी है पर राज्य सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की है। सभापति महोदय, इन्होंने किस तरह जबरदस्त

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

भ्रष्टाचार किया है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में इन्होंने होस्पिटल रोड पर सूचना केन्द्र के पास एक होटल के निर्माण की स्वीकृति और दे दी है। सभापति महोदय, यह वही महाशय हैं जिन्होंने युगल सिनेमा बनाने के लिये योजना स्वीकृति ली थी। सभापति महोदय, ऐसी जगह सात मन्जिला होटल बन रहा है, यदि एक सामान्य आदमी उधर से गुजरें तो समझ सकता है कि इसका साईडिंग कितना गलत है और इसमें जरूर भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसके पीछे सैट बैंक को देखते हुए नियमानुसार तो उन्हें तीन मन्जिल के लिये भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके आगे का सैट बैंक जो मात्र 15 फीट है उसमें कार भी मोड़ी नहीं जा सकती है इसमें सात मन्जिल की ईमारत बनाने की स्वीकृति कैसे दे दी। सभापति महोदय, इसी के पास कांग्रेस आइ के अध्यक्ष का मकान है वह खुद ही इस असमन्जस में हैं कि इस इमारत को बनाने की स्वीकृति कैसे दे दी सभापति महोदय, आप चाहें तो देख सकते हैं कि इस विभाग के वाहनों की लॉग बुक देखने से यह पता लग सकता है कि मुख्य नगर नियोजक सामान्यतया निरीक्षण हेतु इस मार्ग से गुजरते हैं। सभापति महोदय, इन्हें रिजर्व बैंक के निर्माणाधीन भवन पर छठी मन्ज़िल के निर्माण का कार्य होना तो दिखाई दे गया तो क्या उन्हें इस होटल की तीन के बजाय सात मन्जिल का निर्माण होता दिखाई नहीं दिया। सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात और यह है कि जब तीन मन्ज़िल से ज्यादा मन्जिल का कोई होटल बनाना हो तो उसके लिये म्यूनिसपल कारपोरेशन से मन्जूरी लेनी होती है उसके बाद ही वह बन सकता है पर इसमें इन्होंने नगर परिषद जयपुर से कोई मन्जूरी नहीं ली है। इससे पता चलता हैं कि इन्होंने इसमें कितना भ्रष्टाचार किया हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि चीफ टाउन प्लानर का अपोइन्टमेन्ट सन् 1977 में हुआ था। इस पद पर कम से कम दो साल काम करने के बाद उनका स्थायीकरण हो सकता है। पर इनके केस में एक साल बाद ही इनको स्थायी कर दिया गया। सभापति महोदय, जब नियमों में दो साल बाद स्थायी किया जा सकता है तो बिना नियमों में संशोधन किये इनको कैसे स्थायी कर दिया गया। इसके साथ में उसमें यह भी है कि उस व्यक्ति को हिन्दी का प्रोफिसियेन्सी टेस्ट पास करना पड़ता है पर यह बिना हिन्दी का टेस्ट पास किये ही वहां पर स्थायी हो गये। इसके लिये, सभापति महोदय, हमें तो पता नहीं हैं कि कोई रूल्स में संशोधन किया गया है कि नहीं? अगर यह संशोधन किया गया तो कब किया गया? हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि अभी तक कोई रूल्स में संशोधन नहीं किया गया है।

अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य नगर नियोजक को मासिक वेतन 2500 रुपया मिलता है। उस 2500 रुपये में मकान ऋण कटौती के 358 रुपये प्रति माह, राजकीय बीमा कटौती के 200 रुपये प्रति माह, अतिरिक्त बीमा कटौती के 7 रुपये प्रति माह, आयकर की कटौती 300 रुपये प्रति माह, जीवन बीमा की कटौती 118.09, बीमा ऋण की कटौती 175 रुपया, फर्नीचर का किराया कटौती 11.75 और वाहन ऋण 500 रुपया

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

प्रति माह कटाते हैं। इस तरह से प्रति माह कुल मिलाकर 1670.94 की कटौतियां हैं। इसके बाद में इनकी एक पुत्री दिल्ली में आर्कीटेक्चर में पढ़ती है उसको वह 500 रुपया महीना भेजते हैं। बाकी दो पुत्रियां एम. जी. डी. स्कूल में पढ़ती हैं और उनके ऊपर इनका खर्चा आता है करीब 400 रु. महीना। सारी कटौतियों के पश्चात इनकी लड़कियों की पढ़ाई पर 500 और 400 रु. दोनों मिलाकर 900 रुपया खर्च करना होता है। सारे बजट को देखा जाय तो 300 रु. का हर महीने डेफीसिट है। इनकी धर्मपत्नी प्रवक्ता हैं जिनका पूरा का पूरा वेतन बैंक में जमा होता है जो इनके खाते से देखा जा सकता है। तो, सभापति महोदय, यह बहुत स्पष्ट है कि 2500 रुपया जिस आदमी को मिलता है वह एक भव्य इमारत में रहता है we cannot imagine to have that house देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। 2500 रुपया पाने वाला इस तरह से रहे इससे बड़ा और क्या भ्रष्टाचारी हो सकता है? मंत्री महोदय इसको बहुत सीरियसली एग्जामिन करें तो बड़ी मेहरबानी होगी इस जनता पर और हम सदस्यों के ऊपर भी।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगर नियोजक अधिकारियों और उप-नगर नियोजक अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है। नगर नियोजन अधिकारियों की नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में राजस्थान के बाहर के व्यक्तियों को प्रिफरेन्स दिया जाता है और राजस्थान के आदमी बैठे बैठे देखते रहते हैं। राजस्थान के बाहर से आये हुए व्यक्ति यहां केवल मात्र प्रारम्भिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं और कुछ अनुभव के बाद स्वयं के राज्य में उच्च पदों के ऊपर रख लिये जाते हैं। हमारे यहां इस विभाग में करीब 40 नगर नियोजक अधिकारी ट्रेनिंग लेकर चले गए। एक अधिकारी की ट्रेनिंग पर खर्चा आता है 20 से 25 हजार का। इस तरह से आज तक 50 लाख का नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ हमारे राज्य के जो निवासी हैं और जो नगर नियोजन अधिकारी की ट्रेनिंग पा चुके हैं उनको बेरोजगार रहना पड़ता है।

इसके आगे सुनिये, सभापति महोदय, जयपुर स्थित उनियारा गार्डन का एक मास्टर प्लान बना। यह मास्टर प्लान भूतपूर्व मुख्य नगर नियोजक श्री मेवाड़ा द्वारा बनाया जा चुका था। इसमें भी इन्होंने रद्दोबदल कर दी और सारे प्लान को बदल कर 2 प्लाट ले लिये और यह खुश हो गए। उस सारी कालोनी को कितना बरबाद कर दिया यह आप सोच भी नहीं सकते।

इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि राजवंशी नाम के एक अधिकारी थे उनको इन्होंने विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा। यह राजवंशी सरकारी खर्चे पर तीन माह के लिए नीदरलैण्ड गये। इसमें सारा राज्य सरकार का खर्चा लगा। ट्रेनिंग पर जाने से पहले इन्होंने राज्य सरकार से 10 हजार रुपये एडवान्स में ले लिए। इन्होंने वहां पर दो महीने ट्रेनिंग ली और बीच में चले आए। अपनी मर्जी से क्यों बीच में चले आए। क्योंकि इनको नियुक्ति ईरान से मिल गयी। इनके ट्रेनिंग को छोड़ जाने को केन्द्रीय सरकार द्वारा काफी गंभीरता से लिया

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गया और मुख्य नगर नियोजक को भी राजवंशी की उपस्थिति के बारे में पूछा गया। अपने उत्तर में उन्होंने कुछ भी मालूम नहीं बता कर राज्य सरकार को धोखा दिया है। आज तक यह जांच अधूरी पड़ी है। वह ईरान के अन्दर पैसा कमा रहा है आराम से घूम रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में समाप्त करता हूं।

राज्य सरकार के खर्चे से जो विदेश जायें और इसलिए जायें कि वापस आकर राज्य सरकार को सेवायें देंगे, उनका अनुबंध है, बाण्ड लिखा हुआ है कि वह 5 साल तक इस सरकार की सेवा करेंगे और अपने अनुभवों से फायदा दे देंगे वह आदमी दो महीने के बाद चला आये, ईरान में पैसे कमाये। उनको हमारे अधिकारी रिकमण्ड करके भेजते हैं। उनके बारे में राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार जानकारी चाहे तो वह दे नहीं, इससे ज्यादा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जब श्री राजवंशी बाहर चले गये ईरान में तो उनकी धर्मपत्नी के यहां टेलीफोन यथावत लगा रहा। अब आप सोच सकते हैं कि यहां तो ऐसे अधिकारी हैं माननीय सभापति महोदय, जिनके घर टेलीफोन और दफ्तर में टेलीफोन होना चाहिए उनके यहां टेलीफोन नहीं है। राज्य सरकार बजट में कटौती कर रही है और उनकी धर्मपत्नी के यहां टेलीफोन आठ, दस महीने तक लगा रहा तथा पता नहीं कितने हजारों का खर्चा आया जिसको राज्य सरकार को देना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि जब अधिकारी ही नहीं है तो उसके घर टेलीफोन क्यों लगा हुआ है?

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जो डेपूटेशन पर पोस्टिंग्स की हैं उसके अन्दर किसी को 500 रुपया भत्ता, किसी को 600 रुपया के ऊपर लगा दिया। जूनियर की जगह सीनियर को लगा दिया और सीनियर की जगह जूनियर को लगा दिया। किस किस चीज का बखान करूं, सभापति महोदय समय नहीं है इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वर्तमान में जो वरिष्ठ नगर नियोजक एवं उप नगर नियोजक के कई पद चार पांच साल से खाली पड़े हैं, जब राज्य सरकार पूछती है कि इन पदों को परमानेंट कर दिया जाय तो जिसमें इन्ट्रेस्टेड होते हैं उनके लिए लिखकर भेज देते हैं और बाकी लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। राज्य सरकार के निरन्तर लिखने के बाद भी यह ध्यान नहीं देते।

यही नहीं यह तो गजेटेड आफिसर्स का हाल है। जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं उनमें एक ताराचन्द जैन प्रशासनिक सहायक हैं। उनमें से किसी को हटा दिया और किसी को लगा दिया। किसी को एड हॉक पे दे दी याने पूर्ण विभाग में इनकी मर्जी के लोग हैं वह तो आराम से बंसी बजाते हैं, और जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं वह तो घर जायें। किसी को 500 रुपये भत्ता दें किसी को तनख्वाह तक नहीं मिलती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब आप सुनिये, सभापति महोदय, कई ऐसे केसेस होते हैं जो इनके विपरीत

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

चल जाते हैं। तब इनके एक मित्र उप-शासन सचिव बैठे हैं उनसे री-ओपन करवा कर अपने पक्ष में फैसला करवा लेते हैं। उनका क्या इन्ट्रेस्ट है कि उनके रिश्तेदार को या नातेदार को लगा दिया और अब किसी नये रिश्तेदार को लगाना चाहते हैं। केम्बो साहब चाहते हैं कि आप हमारा काम करते रहो और हम तुम्हारा काम करते रहें। यह मिली-जुली सरकार है। माननीय मंत्री महोदय, आप बिलकुल नये हैं इसलिए आपको पता ही नहीं है। शायद आप कुछ करें तो हमको कुछ थोड़ी सी तसल्ली तो हो।

इसके साथ ही जो सोसाइटीज बनी हुई हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही लाइन में।

वह यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई है उन्होंने जितना भ्रष्टाचार कर रखा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 1973 में जितनी भी सहकारी समितियां थीं उनकी खरीद बन्द कर दी थी। बन्द करने के बाद में उनको रजिस्ट्री करने का कोई अधिकार नहीं। अब इकरार-नामा लिखकर जमीन बेच और खरीद रहे हैं। ऐसा करने से जितनी भी हमारी योजनायें हैं, वह खटाई में पड़ी हैं। उन्होंने जहां मर्जी आया भू-खण्ड ले लिया। 1973 में राज्य सरकार ने आदेश निकाल दिये कि जितने भी सदस्य हैं वह सहकारी विभाग में नामजद हैं। उन्होंने जितनी जमीन भी ली थी उसका रूपान्तकरण करवा लिया। इससे आपको करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है। आपको करोड़ मिलना चाहिए था लेकिन इन्होंने 30 लाख रुपया ही जमा कराया ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य बहुत समय ले लिया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक मिनट।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए। एक-एक मिनट करते-करते आपने सात आठ मिनट ले लिये। एक मिनट देती हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बता सका हूं और जो नहीं बता सका हूं मंत्री महोदय से मिलकर प्रस्तुत कर दूंगा और चाहूंगा कि इस पर विस्तृत जांच करायें। जांच भ्रष्टाचार विभाग में हो चुकी है उसको लेकर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई करें और उनको दण्डित करें।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री अमरा राम।

(अनुपस्थित)

श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार का ध्यान सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री रामरघुनाथ जी ने जो बात कही है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

निश्चित ही बड़े खेद की बात है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के अन्दर जो मुख्य टाउन प्लानर श्री केम्बो हैं इन्होंने नगर

(श्री सी. पी. जोशी)

विकास की दृष्टि से जो कार्य किया उसकी जितनी सहराना की जाये उतनी ही कम है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अधिकारी इतने से वेतन में इस प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? यदि हां, तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार उनके परिवार की आमदनी और खर्च के आधार पर राजस्थान के दूसरे जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करे कि वे भी अपना बजट इस प्रकार से बनायें कि वे आमदनी कम और खर्चा अधिक कर सकें। अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें और आलीशान मकान भी बना सके। यदि हमारे राजस्थान में ऐसे योग्य अफसर हैं जो नियमित ढंग से अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन कर सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आलीशान मकान बना सकें और उसके बाद भी सब कुछ कर सके तो निश्चय ही ऐसे अधिकारी की प्रशंसा करनी चाहिये। राजस्थान सरकार से चाहूंगा कि ऐसे जो अच्छे प्रशासक हैं उनकी सेवाओं का लाभ अपने बजट के उपयोग के लिये लें जो इतने कम बजट में आलीशान मकान बना सकें, बच्चों को पढ़ा सकें और सब तरह के साधन जुटा सके। मुझे याद है, पिछली बार इस सदन में माननीय सदस्य मूलचन्द जी डागा ने इनके खिलाफ एक प्रश्न उठाया था उस वक्त उनके प्रश्न के उत्तर में सदन को विश्वास दिलाया गया था कि जांच की जायेगी। मैं चाहूंगा कि सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये जो आश्वासन तत्कालीन सदस्य महोदय को दिया गया था, उसके लिये आवश्यक है कि जो पूर्व में आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति करें। यदि भ्रष्टाचार का मामला बनता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो सिनेमा का अलाटमेंट किया गया था वह निश्चय ही गलत किया गया था, दो करोड़ का आलीशान मकान यदि इस बात की सत्यता का प्रमाण नहीं तो क्या हो सकता है? इतने कम वेतन में अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें, किराया भी दे सकें, आलीशान मकान में रह सके तो निश्चय ही इनकी जांच करनी चाहिए जिससे राजस्थान में हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कि राजस्थान में ऐसे योग्य अधिकारी हैं जो कागजों में इतने कम वेतन पर काम कर सकते हैं और इतने आलीशान तरीके से रह सकते हैं जो दूसरे अधिकारी नहीं कर सकते हैं, हम सदस्य भी नहीं कर सकते हैं तो हम भी उस तरीके को अपना सकें कि कौनसा तरीका अपनाया है जिससे इतने कम पैसों में इतने ठाठ से रह सकें। इसलिए मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, सबसे पहले इनकी जांच कराई जाये कि वास्तविक स्थिति क्या है? साथ में यह भी जांच करें कि जब से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट बना राजस्थान के जो विभिन्न नगर हैं, उनके लिये क्या कार्यक्रम बनाया है आने वाले दशक में टाउन प्लानिंग क्या करना चाहेगा। मेरा सबसे पहला प्रस्ताव सदन में यह है कि इस बात की जांच की जाये और यदि यह सत्य प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो अवश्य दण्ड दिया जाना चाहिये और जिन अधिकारियों को उचित अवसर इनके कारण नहीं मिल सका है, जो फरट्रेटेड हैं उनको अवसर दिया जाये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान उदयपुर की यू. आई. टी. के बारे में भी दिलाना चाहता हूं। उदयपुर में जो जम्मा बाई का बाग है, वह

(श्री सी. पी. जोशी)

एग्रीकल्चर लैण्ड है और उसमें प्लाट काटकर बेच दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा इस काण्ड के बारे में भी जांच की जाये कि एग्रीकल्चर लैण्ड पर बिना कन्वर्ट किये प्लाट काटकार बेचने में किसी भी प्रकार से नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया है। उदयपुर में जो चम्पा बाई के बाग के नाम से बाग प्रसिद्ध है वहां ये लोग धन्धा करना चाहते हैं और अनियमित रूप से पैसा कमाना चाहते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिये।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पूर्व यातायात मंत्री जी और चेयरमैन, रोडवेज के माध्यम से यह आश्वासन दिया गया था कि यहां बस स्टेण्ड बनेगा लेकिन रोडवेज ने बस स्टेण्ड बनाने का जो प्रावधान रखा है उसके खिलाफ लोग चाहते हैं कि बस स्टेण्ड नहीं बने, उसके बारे में भी मेरा निवेदन है कि पहले जांच कर ली जाये कि एक व्यक्ति 90 हजार की जमीन खरीद कर ढ़ाई लाख में बेच दें और आवागमन की जो समस्या है, उसके बारे में कहें कि रोडवेज का बस स्टेण्ड नहीं बनाया जाये। तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा पहले जांच कर ली जाये कि क्या एग्रीकल्चर लैण्ड को बिना कन्वर्ट किये ढ़ाई लाख में बेचकर अपनी जब में पैसा बटोर ले। 90 हजार में खरीद कर ढ़ाई लाख में बेचे, इस तरह एक व्यक्ति इतना प्राफिट अपनी जेब में डालकर यह बाधा उपस्थित करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा अपने जवाब में निश्चित रूप से आश्वासन दें कि जहां पर रोडवेज का बस स्टेण्ड प्रपोज किया गया है, वहीं बनेगा। सभापति महोदय, इस तरह की धान्धली नाथद्वारा में ही नहीं हो रही है बल्कि राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों में हो रही है। सभापति महोदय, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं, यह नाथद्वारा की समस्या नहीं है बल्कि उदयपुर की समस्या है, राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों की है। जो लोगों ने इस तरह का धन्धा बना लिया है, मैं चाहूंगा जब भी यू. आई. टी. के माध्यम से कोई काम हो तो सरकार के सामने, जनता के सामने जिलाधीश के सामने स्पष्ट रूप से कानून होने चाहिये कि इस तरह बिना कन्वर्ट किये एग्रीकल्चर लैण्ड में प्लाट काटकर नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। जहां पर पब्लिक इन्ट्रेस्ट होगा, उसका पहले ध्यान रखा जाये। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां दो ढ़ाई वर्ष पहले यू.आई.टी. का निर्माण किया गया था। नाथद्वारा तीर्थ स्थान है, हजारों यात्री वहां पर आते है, जो डवलपमेंट वहां पर होना चाहिये था वह नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि वहां पर जो अधिकांश भूमि है वह टेम्पल बोर्ड की भूमि है और यदि टेम्पल बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी में झगड़ा करना चाहे तो नाथद्वारा का विकास नहीं हो सकता है। आज स्थिति यह कि जो जमीनें हैं उनके लिये दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं, टेम्पल बोर्ड कहता है हमारी जमीन है और म्यूनिसिपैलिटी कहती है हमारी जमीन है इसलिए दोनों में आपस में झगड़ा रहता है। ढ़ाई वर्ष पूर्व जो प्रयास किये गये थे नाथद्वारा के लिये और तीर्थ स्थान होने के नाते जो मास्टर प्लान बनाया गया था, भूतपूर्व सरकार ने, मैं नहीं जानता किन कारणों से बन्द किया। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा सदन में आश्वासन दें कि एक तीर्थ स्थान को हम यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

डवलप करना चाहते हैं तो वहां यू. आई. टी. की आवश्यकता है। नाथद्वारा में यू. आई. टी. की स्थापना की गई थी। आज जब उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा आदि सभी प्रमुख शहरों की यू.आई.टी. की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि नाथद्वारा की वह स्थिति नहीं बैठती है। यह समझ में नहीं बैठता है। जब वहां यू. आई. टी. की स्थापना की गई थी तो यह सोचा था कि नाथद्वारा प्रमुख तीर्थ स्थान है, इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय आश्वस्त करें जहां तीर्थ स्थान है, धार्मिक स्थिति से यदि महत्व का स्थान है तो उन नगरों के लिये आवश्यक है कि यू. आई. टी. की स्थापना की जाये। जो वहां के मूलभूत उद्देश्य हैं, उनको पूरा करें और यदि ये उद्देश्य नहीं हो तो मेरा निवेदन है कि कम से कम टेम्पल बोर्ड में एक सीनियर आई. ए. एस. आफिसर को लगाकर वहां भेजें ताकि वहां जो म्यूनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है उसका कनफिलक्ट न हो। मेरा निवेदन है एक ही व्यक्ति को टेम्पल बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी में लगा दिया जाये ताकि नाथद्वारा का विकास तीव्र-गति से हो सके।

राजस्थान सरकार से एक नया पैसा नाथद्वारा के विकास के लिये नहीं चाहिये लेकिन जो लाखों रुपयों का चढ़ावा आता है उसका दुरुपयोग न होकर सदुपयोग हो। आज उस पैसे का उपयोग इसलिए किया जाता है कि लोगों के काटेज बनाये जाये। कभी इस बात के लिये नहीं सोचा गया कि कोई डेयरी काम्पलेक्स बनाया जाये जो दर्शनार्थी आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए साधन जुटाये जायं इसलिए यह आवश्यक है कि यदि हम यू. आई. टी. की स्थापना नहीं कर पाये तो एक आई. ए. एस. व्यक्ति को दोनों जगह का एडमिनिस्ट्रेटर बना कर एक नई पोस्ट क्रियेट कर दी जायें और दोनों जगह के पावर्स उसको सौंप दिये जायें। जिस प्रकार तिरुपति के बालाजी का विकास किया गया है उसी तरह का विकास करें। हजारों लोग वहां पर आते हैं और उनसे जो प्राफिट मिलता है वह राजस्थान की सरकार की रेवेन्यू बढ़ा सकता है इसलिए मैं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जो टाउन प्लानर है यदि उनकी इकानामी अच्छी है तो उन्हें प्रशस्ती पत्र दिया जाये और यदि कहीं भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। गत वर्षों में कुछ नहीं किया है और इन अगले 10 वर्षों में टाउन प्लानर क्या करेगा, वह भी स्पष्ट रूप से बताया जाये। 10 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज सदन के सामने यह आश्वासन दिया जाये कि अगले 10 वर्षों में राजस्थान के विकास के साथ साथ नाथद्वारा में यू. आई. टी. की स्थापना की जायेगी और यदि यह सम्भव न हो तो टेम्पल बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के अधिकार एक कर दें जिसके द्वारा नाथद्वारा का विकास किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बुलाकी दास।

श्री भगवानदास शास्त्री : व्यवस्था का प्रश्न। मुख्य सचेतक हाउस के

(श्री भगवानदास शास्त्री)

प्रहरी रहते हैं, उन्होंने आपको, सदन को एक संकेत दिया कि पहले तो कांग्रेस दल, जो बहुमत का है के सदस्य बोलेंगे। उसमें जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके आपने माननीय दो सदस्यों को बोलने का मौका दिया अगर आपको हमारे दल से कोई चिढ़ हो तो हम नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : आप चिढ़ की बात क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : आपको शायद चिढ़ है, भारतीय जनता पार्टी से। मुझे तो ऐसा ही लगता है। यह तो आपके मुख्य सचेतक ही कह सकते हैं, उन्होंने व्यवस्था की है, हम तो यह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री बलाकीदास। लेकिन समय का ख्याल रखियेगा, पहले भी जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने काफी समय ले लिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : 10 मिनट समय लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, बीकानेर शहर एक ऐतिहासिक शहर है और उसका टाउन प्लानिंग के हिसाब से मास्टर प्लान वर्षों के प्रयत्न के बाद बना है लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो रहा है। बीकानेर की सबसे बड़ी गम्भीर समस्या है, शहर के मध्य में रेलवे स्टेशन होना। और 4 स्थानों के ऊपर बीकानेर के मुख्य स्थल हैं वहां पर बीच बीच में रेलवे के फाटकों का होना। हमारे राजकीय चिकित्सालय, सरकारी कार्यालय, स्कूल और कालेज तक सारे रेलवे फाटकों को क्रास करने के बाद में हमको जाना पड़ता है। एक रेलवे फाटक के ऊपर लगभग 25 बार दिन में, 24 घंटे के अन्दर लोगों को इन्तजार करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वहां गर्भवती महिलाओं के प्रसव भी हो जाते हैं और दुर्घटना से सम्बन्धित रोगी व्यक्ति और दुर्घटना से सम्बन्धित लोग बिना अस्पताल में चिकित्सा करवाये मृत्यु के काल चक्र में चले जाते हैं। ऐसी स्थितियों में मास्टर प्लान का क्रियान्वयन हो जाना चाहिए था। रेलवे स्टेशन जो घड़सीसर के पास में शिफ्ट होने वाला है उसके लिए तुरन्त व्यवस्था की जाये। मास्टर प्लान के अन्तर्गत बीकानेर के विकास से सम्बन्धित जो सार्वजनिक भवन बनने चाहिए वे भी शीघ्रातिशीघ्र बनने चाहिए।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में नगर-पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत एक बहुत बड़ी भूमि साइंस कालेज के नाम से एक दीगर व्यक्ति ने ले रखी थी। साइन्स कालेज आज 25 वर्ष से नहीं बन पाया है और उस जमीन की कीमत लगभग 50 लाख रुपये हैं। मैं नगर परिषद् से सम्बन्धित मन्त्री महोदय का और टाउन प्लानिंग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टाउन प्लानिंग वाली उस जमीन के ऊपर नगरपालिका का बाजार और एक सिनेमाघर बनाने के लिए योजना बनायें और उसकी नीलामी करें ताकि उससे जो 50 लाख रुपये की आय प्राप्त हो सकती है, वह आय प्राप्त हो सके। बीकानेर की नगर परिषद की जो दयनीय स्थिति है, उससे निपटारा किया जा सके और बीकानेर के नगर परिषद् के विकास के कार्य चालू हो सकें।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सभापति महोदय जी, बीकानेर में पिछले 3 वर्षों में जितने नाजायज कब्जे हुए हैं मैं समझता हूं कि उतने तीस वर्षों में नहीं हुए हैं। कृषि भूमि पर नाजायज कब्जे हुए हैं और कृषि संकाय के कुछ दीगर लोगों ने गोचर भूमि म्यूनिसिपैलिटी की भूमि और नगर विकास न्यास की भूमि पर कब्जे किये हुए हैं अवैध निर्माण किये हैं इसके ऊपर भी प्रभावी रोक लगनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में रिंग रोड बननी चाहिए। बीकानेर, गंगानगर और चूरू की सड़कें म्यूनिसिपैलिटी से सम्बन्धित हैं और यहां पर अनुदान इतनी कम मात्रा में मिलता है जिसके कारण से नालियां और सड़कें सही ढंग से नहीं बन पाती हैं। महोदय जो बीकानेर में नगर परिषद् को जो अनुदान मिलता है, वह 1971 की जनगणना के आधार पर ही मिलता है और एक लाख **86** हजार की जनसंख्या के आधार पर अनुदान मिलता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर की जनसंख्या लगभग 3 लाख से ऊपर हो चुकी है अतएव अनुदान की राशि बढ़ायी जानी चाहिये। नहीं तो उदयपुर, जयपुर और कोटा में जिस प्रकार से नगर परिषद् सड़कों के रख रखाव का कार्य पी. डब्लू. डी. विभाग को सौंप दिया गया है, उसी प्रकार से बीकानेर, गंगानगर चूरू और अजमेर में इस प्रकार के जो अन्य इलाके हैं, उनकी सड़कों के रख रखाव कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाना चाहिये। सार्वजनिक अस्पताल के आसपास और सार्वजनिक चौकों के ऊपर जो कब्जे किये गये हैं उनके लिये तुरन्त राज्य सरकार को स्थायी आदेश देकर उन कब्जों को हटाना चाहिये, नहीं तो बीकानेर के सार्वजनिक अस्पताल का विकास रुक जायेगा। पिछले वर्षों में दीन दयाल शोध प्रतिष्ठान के नाम से जो जस्सूसर गेट के ऊपर कब्जे किये गये थे उन कब्जों में आम अवाम को भारी धक्का पहुंचा था, जो सौ वर्षों से वहां के लोगों को सुख अधिकार प्राप्त है, वह सारे के सारे सुखाधिकार पिछली सरकार के कुछ दीगर लोगों ने बन्द कर दिये है। अन्य नाजायज कब्जों के ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त नगर विकास न्यास में जन प्रतिनिधियों को जब तक नहीं लिया जायेगा, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास में पहले से ही इतने अधिकार हैं कि वे विकास से सम्बन्धित योजनाओं के ऊपर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र नगर परिषद के चुनाव कराये जाने चाहिए और नगर विकास न्यास में जन प्रतिनिधि का मनोनयन किया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक अधिकारी, जो रुटीन के काम करते हैं और उनके पास में जो अतिरिक्त काम दिये हुए हैं, जिसके कारण वे विकास की योजनायें नहीं बना पा रहे हैं, वे जनप्रतिनिधि वहां विकास के काम कर सके नगर विकास न्यास के माध्यम से बीकानेर नगर में जो ट्रांसपोर्ट नगर की योजना है और जो आवासीय सम्बन्धी योजनायें हैं, उनको तुरन्त प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हमारे बीकानेर शहर में नगर परिषद के अन्तर्गत जो फायर ब्रिगेड थी उस फायर ब्रिगेड ने भी काम करना बन्द कर दिया है।

(106)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसको तुरन्त चालू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना पिछली सरकार ने चालू की थी, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतने भ्रष्टाचार के कार्य हुए हैं उसका नमूना मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के अन्तर्गत कुछ पक्के निर्माण के कार्य पंचायत ने हाथ में लिये थे। खुर्रा नांगल राजावतान में 1392 रुपये का पक्का कार्य हुआ, ग्राम रामसिंहपुरा स्कूल में 4998 रु.का पक्का कार्य, ग्राम रामसिंह पुरा कूप निर्माण में 3392 रुपये का पक्का कार्य हुआ, उप स्वास्थ्य केन्द्र नांगल राजावतान में 3488 रुपये का पक्का कार्य हुआ, ग्राम तरपाव खुदाई नांगल राजावतान में 5140 रुपये का कच्चा कार्य हुआ, स्कूल फण्ड नांगल राजावतान में 45 सौ रुपये का कच्चा कार्य हुआ, रास्ता नांगल से डाकाबाल में 4038 रुपये का कच्चा कार्य हुआ, रास्ता दुरुस्ती खुर्रा निर्माण किशोरपुरा में 3444 रुपये का पक्का कार्य"। ये जितने भी कार्य मैंने आपके समक्ष पढ़े हैं, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। मन्त्री महोदय आप मौके के ऊपर जाकर इसका मुआयना करें तो आपको मालूम होगा कि इस ग्राम पंचायत नांगल राजावतान के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो राशि आवंटित की गयी थी, उस आवंटित राशि के आधार पर एक भी पक्का कार्य नहीं हुआ है और जो कच्चा कार्य हुआ है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसमें से 20 पर्सेन्ट कार्य हुए हैं। इसकी जाँच की जाये। इसके अतिरिक्त डूंगरगढ़ तहसील के गाँव कूपनी में 4 पक्के तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिये उसमें केवल 2 जोहड़ों का काम पूरा हुआ है, दो तालाबों के निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। दो तालाब के निर्माण का पैसा वहाँ की पंचायत समिति ने उठाया है, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में व्यापक धांधलेबाजी हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी कराये जाये और काम के बदले अनाज योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी व्यापक जाँच करवायी जाय, मैंने जो ये तथ्य दिये हैं, यहां निर्माण कार्य नहीं हुए। इस कारण से सदन में मैंने उनको पढ़ कर सुनाया है उसकी व्यापक जांच की जावे और काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। इसके अलावा टाउन प्लानिंग बीकानेर की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। धन्यवाद

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री शास्त्रीजी। समय का आप भी ध्यान रखें।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : श्रीमान सभापति महोदय, आज मांग संख्या 2 माननीय मंत्री महोदय पास कराने का विचार रखते हैं, दुर्भाग्य से महानगर जिस इलाके से मैं जीत कर आया हूं, वह भी इसमें आ जाता है। किन्तु यह तो किताबों तक सीमित है। मैं मास्टर प्लान के बारे में जो कहूंगा अपना बाजार

(श्री भगवानदास शास्त्री)

के पास में मार्केट बनाया गया है वह मास्टर प्लानमें दिया गया है परन्तु जैसे सांप चलता है वैसे है अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाना चाहे तो सांप की तरह एक कोने से दूसरे कोने पर एक दुकान दिखने में आती है, दूसरी दुकान दिखने में नहीं आती है। उसका नतीजा यह है माननीय सभापति महोदय, आज वह गधों और घोड़ों के तबेले बन चुकी हैं जो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है या जिनको अलाट की गई हैं, उनको एक कौड़ी भर भी लाभ नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, नगरपरिषद के बारे में कहूंगा आज अजमेर चार लाख आबादी का नगर है, लोग ग्राउण्ड गटर सिस्टम के लिए तड़फ रहे हैं। विश्व भर से यात्री आते हैं जो विकसित देश हैं उनके यात्री आते हैं दरगाह शरीफ में मैं कहता हूं, दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य सरकार अजमेर में अण्डर ग्राउण्ड गटर सिस्टम नहीं बना सकती। बाहर से आने वाले यात्री चौबीसों घण्टों रूमाल मुंह पर लगा कर हमारे नगर से जाते हैं। उस समय हमें भी शर्म आती है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है किन्तु राज्य सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। घनी आबादी का नगर, प्राचीन मुगलों का नगर, जैसे आगरा बसा हुआ है वैसे छोटी-छोटी सकड़ी गलियां है, पानी के लिए जो ऊनाझरी अजमेर का शब्द है वह इसलिए है कि हमारे यहां काफी कुए हैं, काफी और बावड़ियां हैं जिनको बन्द कर दिया गया था, उनको फिर खोल कर चालू किया जावे, पम्प किया जावे तो कम से कम जो घनी आबादी का बना हुआ अजमेर है अण्डर ग्राउण्ड गटर सिस्टम होने से उसके नागरिक दुर्गन्ध से बच सकते हैं। नहीं तो मैं कहता हूं कि विश्व के आने वाले यात्री अजमेर के जैसा रिकार्ड ले जाते हैं राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है। बहुत से अच्छे अफसर आए, रिटायर होने के बाद सिर्फ अजमेर की क्लाईमेट और अजमेर को मिलने वाला कुओं का पानी, गनहेड़ा, भावता वगैराह का ठीक पानी होने की वजह से अजमेर को हैड क्वार्टर बना कर वृद्धावस्था को निपटाते हैं। हमारे यहां अगर सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हो तो न मच्छर है, न मक्खी है, न खटमल है। अजमेर के क्लाईमेट को अगर किसी ने खराब किया है तो मास्टर प्लान ने किया है। अजमेर जैसे ऐतिहासिक नगर को उन्होंने झोंपड़ी के रूप में कर रखा है जिसकी विदेशी आकर सराहना नहीं कर पाते। इसलिए, सभापति महोदय, नगरपरिषद का जो कार्य है, नगरपरिषद की जो व्यवस्था है, मैं कहता हूं कितना भी आप हरिजनों के लिए कहें, न उनको आप तगारी देते हैं न उनको झाड़ू देते हैं, मैं तो कहता हूं कि सात दिन सोफासेटों पर ये सब अधिकारी बैठकर सोते हैं। हमारे यहां पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता। कमिश्नर हैं वह शहर में चक्कर काटते हुए नहीं देखे जाते। उन्होंने अपने कार्य को नहीं सम्भाला उन्होंने जाकर कभी फूड-मार्केट का चैकिंग नहीं किया फूड इस्पेक्टर तो खत्म हो गए जो जाकर मार्केट को चैक करते थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐतिहासिक नगर की सफाई के नाम पर यह हालत है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक नालियों में नाइट सोयल गिरता है। मैं कहता हूं कि आप देखें, चाहे मैं बाजार हो, चाहे दरगाह बाजार हो, चाहे नला बाजार हो चाहे डिग्गी बाजार हो, चाहे हमारा अन्दर कोट हो, चाहे इमामबाड़ा हो, छोटी छोटी नालियों

(108)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

में पानी का बहाव नहीं होने के कारण नाइट सोयल पड़ा रहता है। इतना लोगों के साथ आपने अत्याचार किया हैं। मैं तो कहता हूं कि आपने जो सपना दिखाया है वह सड़ाने के लिए हमें दिखाया है कि अजमेर वालों जाओ दुर्गन्ध में सड़ते रहो आपके कर्म में यही भोगना लिखा है। आपको बताऊं कि पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, सभापति महोदय, अगर सफाई की व्यवस्था और सेनीटेशन में अगर राज्य सरकार या स्थानीय निकाय चाहे हमारे प्रतिनिधि हों, उसमें, फेल हो जाते हैं शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उसको सुविधा प्रदान नहीं करते, न हम पानी सप्लाई कर सकते हैं, न उनको हम नाना प्रकार की सफाई की सुविधा प्रदान कर सकते तो हम दोषी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है कि एक सप्ताह के अन्दर राज्य सरकार के ऊपर, चाहे नगर परिषद के ऊपर, चाहे नगर विकास न्यास के ऊपर हमारे जो बड़े अभिभाषक हैं, वकील हैं वह कोई न कोई रिट प्रस्तुत कर उन पर कार्यवाही करेंगे। अजमेर नगर से मैं उस इलाके से आता हूं, वैसे तो सारा राजस्थान अपना है जीतने के बाद हर व्यक्ति का, सारे राजस्थान प्रान्त का प्रतिनिधि होता है किन्तु जिस इलाके से जीतने के कारण जहां हम रहते हैं, हमारे वोटर रहते हैं, चार लाख की आबादी है लेकिन उसे राज्य की ओर से राशि कुछ ही नहीं मिलती है। जयपुर शहर को सिर्फ सुन्दर बनाये, जोधपुर को बनायें लेकिन मैं कहता हूं कि नगर विकास न्यास की जरूरत क्या है? नगरविकास को भंग कर दिया जावे। नगर विकास न्यास को भंग कर दिया जावे जैसे जनता सरकार ने कुछ नगर विकास न्यासों को भंग किया था। नगर विकास न्यास की जरूरत नहीं है। अजमेर नगर परिषद शुरू से अंग्रेजों की कुर्सी रही है, अंग्रेज चेयरमैन रहे हैं, वह सम्भाल सकते हैं, अंग्रेज एसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें अजमेर सुन्दर, स्वस्थ और स्वच्छ रहे। उन्हें जल भी स्वच्छ मिले, हवा भी स्वच्छ मिले हम सेनीटेशन कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधियों में हमें विश्वास है।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि नगरपरिषद और नगर विकास न्यास दोनों इसमें लगे हुए हैं। मैं कहता हूं परसों शुक्रवार को एक घटना घटी। हमारे माननीय सदस्य कैलाश मेघवाल पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, वहां गोभी की फसल चल रहीहै। दो-दो,तीन-तीन,चार-चार इंच की फसल दिख रही है। 25 हजार का बीज गोभी का डाला हुआ है। वहां पर पांच महिला कांस्टेबल और 25 पर पुरुष कांस्टेबिल जाकर हमला करते हैं कि हमें यहां से सड़क निकालनी है। 25 हजार की गोभी की फसल घोलाभाटा एरिया में है वह कहते हैं कि हमें सड़क निकालनी है। वे कहते हैं कि सड़क पहले बनी हुई है, जो सड़कें तैयार है उनमें पांच-पांच दस-दस फीट के खड्डे हैं। उस पर कोई कार नहीं चल सकती, साईकिल नहीं चल सकती, कोई स्कूटर नहीं चल सकता है, सारे उनके वाहन नष्ट हो जाते हैं। हजारों रुपयों की बर्बादी पब्लिक की होती है। किन्तु दुर्भाग्य से जनता साहसिक है। उनकी अपने राज्य के प्रति देश के प्रति सुचारु रूप से अच्छी भावना है, शुद्ध भावना है पर उसकी सीमा होती है। जबएक

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सभ्य नागरिक और सभ्य व्यक्ति सीमा छोड़ कर चलता है। उस समय वह ऐसा शैतान और सशक्त व्यक्ति बन जाता है जिसके बराबर दूसरा नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, नगर विकास न्यास के पास पैसा तो है नहीं। वहां के मंत्री हैं, वहां के सचिव हैं, कोई जनता का आदमी उनके पास जावे कहेंगे, तो कल आना, 15 दिनों के बाद आना। उनकी पेशी पर पेशी रखते हैं। किन्तु काम कुछ नहीं होता है। जहां तक झुग्गी झोंपड़ियों का सवाल है, वहां पर वर्षा में लोग बेघर हो गए, 75 की बाढ़ में बेघरबार हुए। आपने व्यवस्था दे रखी है कि अच्छे स्थान पर बसायेंगे लेकिन पांच साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, अजमेर को मास्टर प्लान का मैं समझता हूं कि अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अजमेर को क्या देखना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप कुछ भी चाहें इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब यही है कि अजमेर को आज भी अगर आप पैसा देना चाहें तो कम से कम 25 सौ रुपये प्रति व्यक्ति भी थोड़े हैं। अजमेर की एक एक गली, ऐसी है मैं कहता हूं वह दरिद्र से दरिद्र और कंगाल से कंगाल के लिये भी रहने लायक नहीं है। लोगों की बड़ी बुरी हालत है। अंधेरी गलियां, उनमें आपका फर्श नहीं, अण्डर ग्राउण्ड गटर सिस्टम नहीं, मैला रात दिन बहता है और सुअरों का उत्पात और बन्दरों का ऊपर से आक्रमण है। आखिर लोग जायें तो जायें कहां? शहर के मध्य में रहने वाले व्यक्ति मध्यम वर्ग के हैं, बेचारे कहीं जा नहीं सकते। बाहर की जो बस्तियां है वहां पेयजल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। छोटी छोटी बस्तियां हैं, पुष्कर रोड है, शिवनगर और प्रेमनगर है कितनी सुन्दर हवा है, आनासागर और फाईसागर के बीच में ये बसी हुई हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कहते हैं तो पीने के लिए पानी तक नहीं दे सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भंवरलालजी शर्मा को तो अवगत कराओ। ...

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या कहते हैं आप गोटेवाला साहब। मैं निवेदन करता कि हम तो जन प्रतिनिधि हैं, सच्ची बात कहते हैं। आप तो बिजनेस मैन हो, दुकानदारों की आप सुनने वाले हो। माननीय सभापति महोदय, अजमेर शहर की जो समस्यायें हैं, कुछ तो मैं कह चुका हूं, कुछ कहना चाहता हूं। रामबाग कालोनी है दुर्भाग्य से वहां पानी नहीं, जनता कालोनी है, वहां नल नहीं है इसके साथ आप श्री टाकीज के पास देखें कि कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, सामने हास्पिटल है और हरिजनों के पास में घर वह सारा मलवा हरिजनों के मकान के आगे फेंक जाते हैं। दो-दो दिन तक सड़ांध होती है। श्री टाकीज में आने वाले हैं वहां मक्खीमच्छर, है वहां पर ठेले वाले खड़े रहते हैं, खाने की चीजों से नाना प्रकार की बीमारी पैदा होती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, अजमेर की कैसी हालत हैं टैक्सेशन लगाने के बाद। हाउस टैक्स देखें। मनोरंजन टैक्स में शुरु से यह व्यवस्था थी कि मनोरंजन टैक्स नगर परिषद को दिया जाये। हाउस

११०

(श्री भगवानदास शास्त्री)

टैक्स की इनकम होती है । वहां हरिजनों की आवश्यकता है । मनोरंजन टैक्स कम से कम नगर परिषद को प्रदान करें ।

आगे सभापति महोदय, स्वायत्त शासन विभाग पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट है, उन्होंने आज तक अजमेर में कुछ नहीं किया । यह उनका दुर्भाग्य है या नगरवासियों का दुर्भाग्य है कि कुछ नहीं हुआ है । मैं कह सकता हूं, चैलेंज से आपने कितना रुपया खर्चा किया, अजमेर पर । दरगाह के मेले से आपकी लाखों की इनकम है । यात्री आते हैं जैसे हरिद्वार जाते हैं । मैं हवाई अड्डा के लिये तो क्या कहूं, हम तो खुद हवा में घूम रहे हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं कहूंगा । कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जो मकान बने हैं, पहाड़ों के ऊपर, पीछे की बस्तियों में सब गरीबों के हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हैं । आपने 71 के पूर्व की घोषणा कर दी है, जो 71 तक के मकान बने हुए हैं, उनको रेगुलेराइज करेंगे । 15 दिन पहले एक नेता, एक मदनलाल नेता, जो रिजर्व का नेता थे, को खुश करने के लिये मांगीलाल मिस्त्री, रिटायर्ड कर्मचारी होने के बाद, का 20 साल का बना बनाया मकान नगरपालिका ने तुड़वाया है । उसको मुआवजा देना चाहिये उसके पास रजिस्ट्री है जो भी उसके पास कागजात हैं, जिस मुसलमान से मकान खरीदा, उसके कागजात हैं ।

सभापति महोदय, कर्मचारियों के वेतन के बारे में कहूंगा । चाहे कर्मचारी राज्य सरकार का हो, नगर परिषद का हो, आपको केन्द्र के समान, कर्मचारियों को उनके बच्चों को और उनके परिवार को राहत देनी चाहिये । मेडिकल की जो सुविधा है उसकी सुविधा देनी चाहिये । यही मेरी प्रार्थना है । इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, हमारे दल को आपने समय नहीं दिया ; थोड़ी व्यवस्था यह रखनी चाहिये ।

श्री सभापति: सबको मिलेगा । माननीय मोदी जी आप तीन बार बोल चुके हैं, बिलकुल हिसाब से समय दिया है ।

श्री मोहनलाल मोदी: मैं आज के हिसाब से निवेदन कर रहा हूं ।

श्री सभापति: कुछ तो धीरज रखिये वक्त आ रहा है ।

श्री चतुर्भुज ।

(अनुपस्थित)

श्री भालू खां ।

श्री भालू खां (चूरू): सभापति महोदय, चूरू नगर परिषद का जो बजट यहां पर भेजा गया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारा चूरू नगर बहुत बड़ा नगर है । इसके लिये नगर परिषद् के हिसाब से बजट बहुत कम भेजा गया है, नगर बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इसके लिये और बजट

(श्री भालू खाँ)

बढ़ाया जाये, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री सभापति : श्री देवदत्त।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान सामुदायिक विकास की ओर खींचना चाहता हूं जिसका सम्भवतः एक क्लियर कन्सेप्ट यह था कि यहां हम लोग व्यक्तिगत रूप से विकास करेंगे और दूसरी ओर सरकार विकास करेगी, तो जनता और एक व्यक्ति का क्या उसके अन्दर रोल होगा, उसके लिये उन्होंने यह सामुदायिक विकास योजना बनायी थी, जिसके दोनों पक्ष हैं नगरों में नगर-पालिकाएं और गांव में पंचायतें।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दोनों पक्षों में सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। नगरपालिकाओं में बुरी तरह से इसलिए फेल हुई है कि पहले से ही लोगों का ख्याल ऐसा रहा कि नगर के लोग कांग्रेस के खिलाफ होते हैं अधिकतर, इसलिए नगर-पालिकाओं की व्यवस्था अच्छी न की जाये। वहां पर उन्होंने हर वार्ड का सिस्टम बनाया वह इतना डिफेक्टिव है जिसमें दो सौ या सवा दो सौ घर होते हैं और उनसे आबादी दो हजार पूरी हो जाती है। पुराने शहरों में भी इस प्रकार के बने हुए हैं। कभी हम ऐसी लाइन न फेर पाये कि दो सौ घरों में चाहे ब्राह्मण चाहे मोदी। एक कम्युनिटी का बाहुल्य न हो जाये। उन सब शहरों में पहले का स्ट्रक्चर बैठा हुआ है। वहां पर उस कम्युनिटी का बाहुल्य हो जाता है और फिर सही आदमी चुन कर नहीं आ पाता है, उससे जितने भी सदस्य वहां पहुंचते हैं, वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं।

दूसरा डिफेक्ट यह रहा है कि जो हमारा म्युनिसिपल एक्ट है उसमें कुछ पहले पावर्स नगर पालिकाओं को दे दीं, लेकिन धीरे धीरे सब पावर्स उनसे ले ली गयीं और अब वह एक खाली डिब्बे की भांति है। उनकी दुर्दशा ऐसी है कि तीन साल तक बोर्ड रहता है और 6 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहता है फिर तीन साल के लिये बोर्ड होता है तो 5-6 साल के लिये एडमिनिस्ट्रेटर कायम रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर का किसी भी नगर से किसी भी शहर से क्या ताल्लुक है? वह एक सरकारी आदमी होता है, उसे कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होता है, इसलिए उससे काम बिगड़ जाता है। नगर पालिकाएं एक स्कीम बनाती हैं, उन सब को वह मिस मार्क कर देता है। इसलिए यह पद्धति बहुत खराब है। हमें हमारे एक्ट के अन्दर ऐसा संशोधन करना चाहिये जिससे तीन साल के अन्दर चुनाव हो जायें और यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखने की कोई आवश्यकता पड़ जाय तो वह भी 6-7 महीने से अधिक न रहे तो सम्भवतः हम सुधार कर सकते हैं। कोई भी कार्य नगरपालिका सक्षम तरीके से नहीं कर रही है, उसके दृष्टांत मैं देता हूं। हमारी योजना थी हम हरिजनों के सिर से मैले की तगारी को कुंडी को हटा सकें, लेकिन उसे हटाने में सक्षम नहीं हुए। कारण स्पष्ट है इसका, इसके मूल में यह बात है कि हर जगह, हर शहर में जितने भी मेहतर होते हैं वहां उनकी जागीर है। वे

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

इस तरह से कार्य करते हैं जैसे पुराने जागीरदार करते थे उनके तमाम घर बंटे हुए हैं। उनकी विरत सब जगह पर बंटी हुई है। यदि आप ध्यान दें तो शहरों में बड़े बड़े आदमियों के महल, घर अड़ाने रख दिये जाते हैं। म्युनिसिपैलिटी यदि मैला साफ करने जाय तो भी व नहीं करने देते, यदि हम उस मैले के कुण्डे को हटाना है उनके सिर से तो उनकी जो जागीर है, जिसे विरत सिस्टम कहते हैं उसको हमें एक्वायर कर लेना चाहिये, जिसके लिये चाहे कोई मुआवजा भी क्यों न देना पड़े फिर नगरपालिकाएं, जो वे चाहती हैं. मैला ढोने का काम कर सकेंगी।

रहा प्रश्न पंचायतों का। पंचायतों का प्रश्न ही ऐसा है। उनके चुनावों में भी बड़ी भारी भूल है। हम चाहते हैं कि सारे राजस्थान में पंचायतों के चुनाव एक साथ हों। क्या ऐसा करके हम राजनैतिक रंग नहीं दे रहे है? हम स्वयं ही उनको राजनैतिक जामा देना चाहते हैं जब कि सारे राजस्थान की पंचायतों का चुनाव एक ही साथ करना चाहते हैं। हम देखते रहते हैं कि किस पार्टी का बाहुल्य होगा, हमारी पार्टी जीतेगी या नहीं। यह पंचायतों को इस तरह से देखने का तरीका बिलकुल गलत है। जब जिस पंचायत का कार्य समाप्त हो, उसका चुनाव करा देना चाहिये और इस तरह से बहती हुई गंगा का बहता हुआ पानी रहना चाहिये। तो पंचायतों के चुनाव आप सारे राजस्थान लेवल पर एक साथ ही मत करवाइये, इससे इन्तजाम बिगड़ता है।

आपने उनके ऊपर सेक्रेटरीज, जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटीज में होते हैं, लगा दिये यह बहुत गलत तरीका है। इससे उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं बैठती है। बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जिलों के गांवों में जहां 1-1 गांव, 1-1 पंचायत 50-60-70 मील की दूरी में है वहां एक सेक्रेटरी 4-5 पंचायतों में होता है, वह क्या कर सकता है? नतीजा यह होता है कि वह भी अपनी ताकत को हथियाना चाहता है और उसका सारा काम पड़ा रहता है।

अब आप देखें, काम के बदले अनाज योजना आपने चलाई। अच्छी योजना है। सब लोग अच्छी योजना कहते हैं लेकिन मैं इसको इसलिए अच्छी योजना नहीं कहता कि यह बड़े पैमाने पर भारत सरकार के प्रति एक साजिश है। जिस प्रकार से परिवार नियोजन योजना एक बहुत बड़ी साजिश निकली उसी प्रकार से यह भी एक साजिश थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अनाज इसलिए इकट्ठा किया गया था कि वह भावों को गिराने में काम आये, कहीं अकाल पड़ जाय तो वहां देने के काम आये। वहां इसको लूटा दिया गया। लुटा इसलिए दिया गया कि छोटे से छोटा आदमी चाहे एफ. सी. आई. का अदाना अफसर है, चाहे जिले में सबसे बड़ा अफसर है वे सब यही सोच रहे थे कि अनाज इतनी मात्रा में इकट्ठा किया गया है, कहीं भाव गिर गये और उस भाव से नहीं देंगे तो क्या होगा? वे समझते थे कि जितना अनाज इकट्ठा किया गया उसमें चोरियां हुई है कहीं ऐसा न हो कि पोल खुल जाय और जितने टन इकट्ठा किया गया था वह नहीं निकले, इसलिए वे इसमें इंट्रेस्टेड थे कि

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

किसी तरह से इसको निकाल दिया जाये और ऐसे तरीकों से निकाला जाये जिससे भाव और मात्रा की पोल मालूम न पड़े। आप आश्चर्य करेंगे कि पंचायतों को जो बोरियां दी गईं, उनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस बोरी पर जितना तोल लिखा हुआ है 95 किलो की है तो 95 किलो की मानी जाये और 97 किलो की है तो 97 किलो मानी जाये, चाहे वह तोल में कितनी ही कम हो। और उनमें जो अनाज निकला वह बहुत ही निकम्मा था। मैं आपसे निवेदन करूं, सभापति महोदय, वह निकम्मा अनाज कहां से आया ? जब एफ. सी. आई. के आदमी छान कर, साफ करवा कर अनाज लेते थे, निकम्मे अनाज को रिजेक्ट कर देते थे, लेते नहीं थे, तो फिर उनके जखीरों में निकम्मा अनाज निकला कहां से ? तो इस तरह से यह एक षड़यंत्र था कि इस अनाज को किस तरह से दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं मैं और भी कहना चाहता हूं। विकास के नाम पर जिस चीज को हमें रोकना चाहिये था, वह यह थी कि जनसंख्या को हम रोक सकें और विकास के कार्यों को हम कर सकें। पहले हमारी यह नीति थी कि किसी प्रकार से खाने के साधन बढ़ा दिये जायें। सम्पन्नता के कारण आबादी कम होनी चाहिये क्योंकि विपन्नता में आबादी ज्यादा बढ़ती है इस तरह से हमने कहा था कि किसी तरह से साधनों को बढ़ा कर आबादी को बाईपास कर दें तो आबादी घटने लगेगी लेकिन सभापति महोदय, वैसा करने में हम सक्षम नहीं हुए। तो आवश्यकता यह थी कि किसी तरह से आबादी को कम कर दें

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आबादी के लिये इन्दिरा गांधी ने जो कदम उठाया वह हमारे सामने है, वह हम नहीं कर सके और इन विकास योजनाओं से हम आगे भी नहीं बढ़ सके। हमें चाहिये यह था कि आबादी को कम करते। अभी भी मौका है। हम महिलाओं की नसबन्दी करते हैं क्योंकि विपक्ष वाले पुरुषों के लिये तो यह कहते हैं कि वे नपुंसक हो जायेंगे, ललनाओं की गोद नहीं भरेगी इत्यादि बातें अनर्गल कहते हैं लेकिन फिर भी हमें आबादी को घटाना है। यही बातें मैं कहना चाहता था। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, भारत के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं, उनकी उन्नति के लिये 1959 में पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायतें पंचायत, समितियां और जिला परिषद की यह समझ कर स्थापना की गई थी कि इनसे गांवों का विकास होगा, गांवों की उन्नति होगी। पंचायतों के कांग्रेस शासन में 15 वर्षों से चुनाव नहीं हुए। हमारी जनता सरकार ने बहुत बड़ा नारा लगा कर इन पंचायतों के चुनाव तो करा दिये लेकिन बाकी न पंचायत समितियों के चुनाव कराये, न जिला परिषदों के चुनाव कराये, इसलिये चुनाव कराना बिलकुल बेकार हो गया। उन्होंने तो उससे ज्यादा खराब कर दिया कि पंचायत समितियों, जिला परिषदों में जनता के चुने हुए लोगों की जगह

११५

(श्री मोहनलाल मोदी)

प्रशासक लगा दिये, नगरपालिकाओं में प्रशासक लगा दिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की उन्नति का मुख्य साधन था उसको बिलकुल बदल दिया गया, प्रक्रिया बदल दी गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि छोटे छोटे कस्बे, गांवकी उन्नति करना चाहते हैं तो नगरपालिकाओं और पंचायतों की हालत सुधारनी पड़ेगी। इन्होंने जो पंचायतों के अन्दर काम के बदले अनाज योजना चलाई उससे यह तो मानना पड़ेगा कि गांवों में थोड़ा बहुत काम तो हुआ लेकिन इसके अन्दर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि कई जगह सारा का सारा अनाज भ्रष्टाचार में चला गया। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जनता पार्टी के लोगों का, जनता पार्टी के मंत्रियों का हाथ था। उन्होंने सारे अनाज की चोरी कर ली। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि फूलचन्द सरपंच, ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत से बेगा नाल अनाज लेकर गया और नारनौल के एक व्यापारी को बेचा पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी गई कि यह अनाज नारनौल जाकर फलां व्यापारी को बिका है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन वह भूतपूर्व उद्योग मन्त्री सर्यनारायण चौधरी के खास मित्रों में है इसलिये वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

इसी तरह से ग्राम पंचायत बल्लू के सरपंच की लोगों ने काफी शिकायत की। जितना भी अनाज अलाट हुआ वह सारा का सारा बेकार चला गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जिन लोगों ने इस काम के अन्दर भ्रष्टाचार किया है, उनके लिए विशेष तौर से आपको एक एजेन्सी या एक कमेटी गठित करनी चाहिए और उसके माध्यम से आप इसकी जांच करावें ताकि वाकई जिन लोगों ने इसके अन्दर भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके अन्दर किसी प्रकार की पार्टीबाजी का प्रश्न नहीं है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ जनता सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है और जिन्होंने सच्चाई से काम किया उनके खिलाफ जनता सरकार ने एक्शन लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक कमेटी गठित करें जो इसकी जांच करे और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करे।

पंचायत राज की जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के पास आपने कुछ नहीं छोड़ा है। उन पंचायतों के पास प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के ट्रान्सफर और उनको तनख्वाह देने के अलावा और कोई काम नहीं है। उनके पास कोई साधन नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन पंचायत समितियों जिला परिषदों को आप सक्षम बनावे, उनको अधिकार, पावर दें। मैं समझता हूं कि प्राइमरी शिक्षा पंचायत समिति से हटा लें क्योंकि इनमें जितने भी अध्यापक लोग हैं उनको मजबूर होकर राजनैतिक अखाड़े में चलना पड़ता है इसलिए शिक्षा के अन्दर से आप राजनीति को दूर करिये कृपा करके प्राइमरी एजूकेशन से इस राजनीति को दूर हटा दे तो इस देश का कल्याण होगा वरना यह गर्त में जा रहा है। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहते हैं तो फिर सारी की सारी शिक्षा पंचायतों के अधीन कर दीजिए और इसके लिए कम से कम वहां पर एकसै हो, एक डिपार्टमैन्ट हो जो इसको कन्ट्रोल कर सके। मेरा निवेदन

(श्री मोहनलाल मोदी)
यह है कि आप जिला परिषद के चुनाव करा कर जनता के प्रतिनिधि को सौंपिये और उनको पावर देकर सक्षम करें, ताकि वे गांवों के विकास, उन्नति के लिए साधन जुटा सकें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व की जो आमदनी है वह पंचायत को दे देनी चाहिए। उनके पास आय के कोई साधन नहीं हैं। काम के बदले अनाज योजना चली आए उसको बंद कर रहे हैं। अब इन पंचायतों के पास किस प्रकार के साधन हैं जिनसे कि ग्राम पंचायतें किसी तरह से ग्रामों में विकास कर सकें, गांवों की तरक्की कर सकें। जो रास्ते बनाये हैं वे टूट जाएंगे क्योंकि इनके पास थोड़ी-सी मिट्टी डालने का भी कोई साधन नहीं है। किसी तरह से विकास कार्य कर सकें, यह भी इनके लिए संभव नहीं है इसलिए राजस्व की आमदनी को ग्राम पंचायतों को दे दीजिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितनी भी नगरपालिकाएं हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। मैं आपको नीम का थाना नगरपालिका की हालत का बयान करूं कि आज बरसात के मौके पर इतनी गंदगी है कि उसकी सफाई नहीं हो पाती है। पानी भरा रहता है। बड़े शहरों का मास्टर प्लान बनता है टाउन प्लानिंग की स्कीम होती है परन्तु जो छोटी छोटी नगरपालिकाएं हैं, शहर हैं न तो उनकी कोई स्कीम्स होती है और न आपके अधिकारी वहां पर जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बढ़ा दिये गये हैं वे सारे के सारे बैठे हुए हैं आज हालत यह हो रही है कि जो पैसा आपका लगता है, खर्च होता है वह भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता है और गांवों की सफाई का प्रबन्ध नहीं होता है। जगह जगह पर कीचड़ भरा हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को वहां भेज कर वहां की अण्डर ग्राउण्ड गटर लाइन की स्कीम्स बनायी जानी चाहिए ताकि नगर स्वच्छ रह सके। आज वहां हरिजन मोहल्लों की क्या हालत है? मंत्री महोदय आप वहां जाकर देखिये जो हरिजनों का मोहल्ला है उसके चारों तरफ पानी भरा है। मच्छरों से वे लोग परेशान हैं; आप दो मिनट से ज्यादा वहां पर खड़े नहीं रह सकते हैं। मैं स्वयं आपके सैक्रेटरी को लेकर वहां पर गया था परन्तु उसके बावजूद वहां पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ न किसी प्रकार की व्यवस्था हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन छोटे छोटे गांवों, नगरपालिकाओं की सफाई के लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के माध्यम से व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा वहां पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। सारे माननीय सदस्यों ने इसकी शिकायत की है। जगह जगह पर अवैध कब्जे किए जाते हैं। इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जो मकान बना लिये गये हैं उनको आप अब तुड़वा नहीं सकते हैं। जनता सरकार भी नहीं कर सकी और आप भी नहीं कर पायेंगे क्योंकि आपके लोगों के इशारे के बिना ये कब्जे नहीं हो पाये हैं। कब्जे किसी न किसी आधार पर करते हैं और उनको रोका नहीं जा सकता। इसलिए इन अवैध कब्जों को रोकिए और और एक व्यवस्थित ढंग से नगरपालिकाओं को चलाइये जिससे उनके आय के साधन बढ़ें और वे रोशनी, पानी की व्यवस्था कर सकें जो गन्दगी वहां पर है उसको दूर

(श्री मोहनलाल मोदी)

करने के लिए अच्छी सफाई की व्यवस्था कराइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नीम का थाना नगरपालिका में कोई सार्वजनिक लैट्रिन्स नहीं हैं। इसकी व्यवस्था किसी न किसी तरह से होनी चाहिए। आपके जितने भी अधिकारी आते हैं वे सीधे गये और किसी को पिलानी जाना होता है तो एक प्रोग्राम बनाकर जाते हैं। इस प्रकार भत्ता बना लिया और उस हिसाब से नीम का थाना चले जाते हैं। इस प्रकार न तो कोई इन्सपैक्शन होता है और न कोई जांच होती है। इतनी हालत खराब है। बारिश में पूरी तरह से अव्यवस्था हो जाती है। मंत्री महोदय से विशेष कर निवेदन है कि बारिश का जो पानी आता है, जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए आप पूरा प्रबन्ध करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जितने भ्रष्ट लोग थे उनको कांग्रेस सरकार ने कम्पलसरी रिटायर कर दिया था। नीम का थाना पंचायत समिति का एक रामदेव ड्राइवर था उसको जनता सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्री ने वापस लिया और हजारों रुपये तनख्वाह के दिलाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी दुबारा जांच कराई जाये। उस भ्रष्ट आदमी ने काफी सामान की चोरी की है। काफी एलीगेशन होने से तो उसको हटाया गया था। आप जांच कराइये और राज्य की राशि उसने हड़पी है उसको वापस वसूल करने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं। नीम का थाना पंचायत समिति के अन्दर बी. डी. ओ. चार महीने से नहीं है। अकाल का काम है, अनाज का काम है और चार महीने से अधिकारी नहीं है। यह व्यवस्था है। सीनियर इन्सपैक्टर स्कूल्स वहां लगे हुए थे वे भी गत 31 तारीख को रिटायर हो चुके हैं। कम से कम इतनी व्यवस्था तो आपको देखनी चाहिए कि किसी जगह पर कोई अधिकारी है या नहीं। पंचायतों की सारी व्यवस्था ही बिगड़ी हुई है। अकाल का पेमेन्ट कई गांवों को नहीं हुआ है। झूठे मस्टर रोल का पेमेन्ट तो हो गया परन्तु सही काम करने वालों का पेमेन्ट नहीं हुआ है। ऐसी अव्यवस्था है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी व्यवस्था करेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री श्री राम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : सभापति महोदय, मुझे माँग संख्या 29 के संबंध में निवेदन करना है...

श्री सभापति : समय का पूरा ख्याल रखें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितना समय देना है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री बने श्री भैरोंसिंह शेखावत, अभी कुछ दिन पहले तक यह यहाँ पर मुख्य मंत्री रहे हैं जो जयपुर शहर से 10 सालों तक निर्वाचित होते रहे थे। उसके बाद जयपुर शहर से भंवरलाल शर्मा मंत्री रहे थे उस समय यह उम्मीद थी कि शायद जयपुर शहर की समस्याओं का समाधान होगा लेकिन 3 साल तक इन्तजार करने के बाद पता चला कि हालत

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उलटी गिर गयी है। यहां की नगर की हालत सुधरने के बजाय पूरी तरह से बिगड़ गयी। इस संबंध में कुछ थोड़े से शब्दों में अपनी बात आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा। इस बात की खुशी है कि हनुमान प्रसाद प्रभाकर, जो वर्तमान में हमारे स्वायत्त शासन के अलावा 10-11 महकमों के मंत्री हैं, से जब भी हमने अनुरोध किया जयपुर शहर की हालत के बारे में तो उन्होंने मीटिंग बुलायी, बात की सारे अधिकारियों को बुलाया इस बात की चर्चा की कि इस शहर की ही नहीं बल्कि सारे राजस्थान के शहरों की हालत सुधारी जाय।

पहली मांग तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार ने जो इलेक्टेड नगरपालिकायें थी, 140 नगरपालिकायें थी, उनको एक कलम की नोक से खत्म कर दिया था। उन्होंने तो उस प्रजातन्त्र की व्यवस्था खत्म करने की बात की थी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी नगरपालिकाओं के चुनाव करायें। नगरपालिकाओं के अन्दर वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनके हाथ में शक्ति होगी तो वे वहां का भला बुरा सोच सकेंगे। आज आप एक आई. ए. एस. आफिसर से सारा काम चलाना चाहें यह उचित नहीं है। जनता पार्टी ने तो प्रजातन्त्रीय ढंग से चलने वाली 140 नगरपालिकाओं को भंग किया था परन्तु मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हम सब प्रजातन्त्र के बलबूते पर इस सदन में बैठे हैं, राजस्थान की जनता के साथ हमने जो वायदे किये हैं उनको पूरा करने का काम करें। शहरों की जनता का जो प्रजातंत्रीय अधिकार है वह अधिकार उसे वापस दें।

दूसरी बात, मैं सफाई के बारे में कहना चाहता हूं, अभी 2-4 दिन पहले अखबारों के अन्दर . .

श्री सभापति : सम्बोधन आसन को करिये, मन्त्री को नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ज्यादातर तो, सभापति महोदय, मैं आपको देख रहा हूं। आपको ही सम्बोधित कर रहा हूं।

मैं यह अनुरोध कर रहा था कि एक फैसला आया था कि लोगों को नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है सरकार नगरपालिका या नगर विकास न्यास यह बात नहीं कह सकते हैं कि हम विकास नहीं करेंगे, हम व्यवस्था नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास उसके लिये साधन नहीं हैं। आपको उनको सुविधायें मुहैया करानी पड़ेंगी। प्रश्न यह है कि सुधार किस प्रकार हो ? आज 18 प्रतिशत लोग शहरों के अन्दर रहते हैं व इन शहरों के अन्दर, जिनमें बड़े शहर भी आते हैं, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। गांवों में सफाई की समस्या इतनी नहीं है। वहां के लोग आदी हैं, शहरों के लोग दूसरे ढंग से रहने के आदी हैं, गांवों के लोग परम्पराओं के आदी होते हैं फिर वहां की स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है, वहां शुद्ध वायु है और सारा अच्छा वातावरण है लेकिन शहरों, जिनमें जयपुर, उदयपुर, कोटा अजमेर, बीकानेर जोधपुर आदि शहर हैं, के अन्दर आज हालत खराब है। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बहुत दिन पहले एक कमेटी बनी थी। नगरपालिकाओं की आय का समाधान करने के

(118)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लिये एक कमेटी बनी थी। वह कमेटी मथाई साहब के समय में सुझाव और रिपोर्ट देने के लिये, बनी थी। आप चुंगी को समाप्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट भाषण में कहा था कि चुंगी को समाप्त करने के बारे में एक कमेटी बनायी जायेगी। चुंगी के स्थान पर अन्यथा व्यवस्था की जायेगी जिससे नगर पालिकाओं को आय बढ़ जाये। यह तो जब होगा तब होगा मैं भी यह मानता हूं कि इससे आवागमन में बहुत बाधा पहुंचती है परन्तु नगरपालिकाओं के पास इसके अलावा कोई अन्य साधन भी तो नहीं है, उनके पास क्या साधन है ? जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है कुछ नगरपालिकाएं तो हाउस टैक्स वसूल ही नहीं कर रही हैं। इसकी वसूली में दिक्कत आती है, लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था करदी जाये उसके बाद हाउस टैक्स वसूल करें। चुंगी ही सीधी नगरपालिकाओं को प्राप्त हो जाती है और जो काम तनख्वाह बांटने का काम है वह तो पूरा हो जाता है।

मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार ने मनोरंजन कर समाप्त करने के टाइम 1956 में यह बात कही थी कि मनोरंजन कर से जो जो वसूली होती जायेगी, नगरपालिकाओं को देते जायेंगे। आपने 6 गुना आय यहां पर तय की थी। लेकिन आज आय हो रही है 100 गुनी और आप दे रहे हैं 6 गुनी, जो बड़ी नगर पालिकायें हैं उनके बारे में आपसे अनुरोध करूंगा कि उनकी जो आय है वह बहुत कम है। मनोरंजन कर के साथ जो बहुत बड़ी शर्त उससे आय का साधन छीन लिया है उनके पास आमदनी का कुछ रास्ता नहीं है। जिस प्रकार की सफाई की व्यवस्था जयपुर की है, जिसकी चर्चा होती है, मैं उसके बारे में अधिक आपका समय नहीं लूंगा लेकिन इतना जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि पैदरवानी करके इसको ठीक कराने की व्यवस्था करें। आपने काफी व्यवस्था करने की कोशिश की है लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा आवश्यकता है जब तक सारी स्थिति को मैकेनाइज्ड नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं कर सकेंगे। आज हरिजनों के लड़के स्कूल में पढ़ने लगे हैं आप उनसे कब तक उम्मीद करते हैं कि आपकी नाली साफ करते रहेंगे और टट्टी उठाते रहेंगे ? कितनी बुरी बात है, हमारा भी सिर शर्म से झुक जाता है एक इन्सान एक इंसान का मैला सिर पर उठाता है। इस संबंध में हम कोई जस्टीफिकेशन देने की स्थिति में नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कई एजेन्सियां हैं जो सीवर लाइन डालने के लिये आपको फाइनेंस कर सकती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 4-5 शहरों के अन्दर वर्ल्ड बैंक की योजना है। आपसे अनुरोध करूंगा कि मैंने पिछले दो महीनों में कई अधिकारियों से बात की है, एल. आई. सी. को अगर नगरपालिका कोई योजना बनाकर पेश करती है और अगर राज्य सरकार गारण्टी दे देती है तो उस पर कर्जा देने के लिये तैयार है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जयपुर शहर को दो जोन में बांटा हुआ है साउथ जोन और नोर्थ जोन नार्थ जोन का काम करीब करीब कम्पलीशन पर है, साउथ जोन में काम कराने के लिये आप एल. आई. सी. से लोन लें या जो वर्ल्ड बैंक स्कीम 3 शहरों के लिये है उस स्कीम के अन्तर्गत लें। सर्वे करके इन शहरों के अन्दर तुरन्त सीवर लाइन की व्यवस्था

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करें। 30 साल पहले नगर विकास न्यास द्वारा शहर की चारदीवारी में जो सीवर लाइन डाली गयी थी उनमें से अधिकतर लाइनें चॉक हो गयी है और उनमें से पानी बहता रहता है, जगह जगह बाजारों में निकलता रहता है। ऐसी बुरी हालत हो गयी है कि दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है और उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। पूरे शहर में एक मशीन है वह कैसे सफाई कर सकती है पूरे शहर की? जहाँ पर शहर के अन्दर 24 इंच की लाइन होनी चाहिये वहाँ पर 9 इंच की लाइन पड़ी हुयी है।

मैं, सभापति महोदय आपके माध्यम से इस बात के लिये आग्रह करना चाहता हूं जयपुर की तरफ ध्यान दें, कि इस शहर को समस्याओं का क्या हल हो सकता है। इस बात को आप भी जानते होंगे कि जयपुर शहर का पानी इतना खराब है कि ज्यादातर आदमियों के पेट में कीड़े हैं और इसी के कारण हिन्दुस्तान भर में जितनी कीड़े मारने की दवाइयां बिकती हैं उसका 70 प्रतिशत अकेले जयपुर शहर में बिकती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बात के लिये अनुरोध करूंगा कि इस सारी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक व्यवस्था करने की बात है। यहां पर आपको साधन मिलेंगे और अगर शहरों में ही साधन नहीं मिलेंगे तो कहीं साधन मिलने की गुंजाइश नहीं है।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज कृषि भूमि के अन्दर करीबन 25 हजार मकान बने हुये हैं। आप नक्शे पास नहीं करते हैं। आपका नगर विकास न्यास या हाउसिंग बोर्ड या और कोई एजेन्सी उन्होंने अपनी ड्यूटी को ठीक से अन्जाम नहीं दिया है। मजबूर होकर लोग जहाँ जमीन उपलब्ध होती है वहाँ मकान बनायेंगे। जमीन बेची खरीदी और निर्माण शुरू हो गया। न तो वे प्लान के अन्दर है और न ही इस प्लान के अनुसार 10 फीट जगह छोड़ी है और न 5 फुट छोड़ी है। आज इस प्रकार 25 हजार मकान बन गये हैं। जयपुर का मास्टर प्लान प्रकाशित हो गया है, यह बात सही है लेकिन इस प्लान का किस प्रकार से काम शुरू होगा? मैं समझता हूं कि मास्टर प्लान पर रुपया खर्च करना बिलकुल बेकार है।

मैं आपको आज विश्वास दिलाकर करता हूं मैं लगातार मांग करता रहा हूं जब आपने अरबन एरिया घोषित कर दिया है फिर चार्जेज की मांग आप कैसे करते हैं? आप डवलपमेन्ट चार्ज ले सकते हैं। जो मकान आपकी सीमा में आ गए हैं उनको आप रेगूलेराइज करने की व्यवस्था कीजिए वरना आप उनको तुड़वा सकते हैं। तोड़ने जाओ तो वह सिर फोड़ने को आ जाते हैं। एक अधिकारी तो छत के नीचे आते आते बचा आप। तुड़वाने जायें तो पूरी ब्रिगेड लेकर जायें। यह तुड़वाने का धन्धा 1977 में किया था तो दूसरे लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाकर अपने को खुद ही तोड़ दिया। जो व्यवस्था को ठीक करने की लोगों को मकान देने की पॉलिसी थी आपने उनके लिए जो व्यवस्था करनी चाही थी, वह सारी की सारी धरी रह गई। अब आप यही कर सकते हैं कि आप सख्ती से देखें कि आगे मकान इस प्रकार से बनें नहीं। पूरा बन गया है तो तोड़ने की कोशिश नहीं की जाये। वहाँ पर उनको मजबूर कर दिया जाये कि

120

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सड़क, नाली और बिजली की व्यवस्था तो वह करें। जिन लोगों ने जमीनें बेची हैं वे डवलपमेन्ट चार्जेज दें।

इसके साथ साथ कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों का भी सवाल है। 21 अगस्त, 1971 को हमने आन्दोलन किया था। उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतउल्ला खां के पास गये थे। हमने यह आवश्यकता समझी थी कि हमें देश के रहने वालों को मकानों की व्यवस्था करके देनी है। गांवों से लोग शहर में इसलिए भाग कर आते हैं कि शहरों में उनको रोजगार मिल गये। यहां पर उनको रैन बसेरा करने को मिलता नहीं है। वह कहीं न कहीं अपना सिर छुपाने के लिए कोशिश करता है। आज सैकड़ों वर्षों से लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं उनके सिर पर कच्चे धागे की तरह से तलवार लटकी हुयी है। उनको कभी उठा दिया जाएगा। 21 अगस्त, 1971 को हमने यह बात कही थी, आप उनको रेगुलेराइज कीजिये आगे के लिए उनको रोकने की व्यवस्था कीजिए। जो कानून मानते हैं, वह आज बैठे हुए हैं। 18 हजार प्रार्थना पत्र यू. आई. टी. में पड़े हुए हैं। लोगों ने एक एक रुपया देकर फार्म भरे थे वे सारे प्रार्थना पत्र रद्द कर दिये। उन्होंने देखा कि नगर विकास न्यास अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है। लोगों ने अपनी झोंपड़े लगाये वहां पर ऐसे अवसरवादी लोग है, मैं तो यह आरोप लगाता हूं कि पिछले तीन सालों में इतना निकम्मापन रहा है कि लोगों ने गरीबों के माध्यम से कच्ची बस्तियों में मकान बना लिये हैं। उनमें ऐसे लोग भी घुस गये हैं जिनके गले में सोने की जंजीर है कार और स्कूटर भी हैं। कई लोगों ने कच्ची बस्तियों में धन्धा भी कर रखा है आज लगभग 10 हजार नये झोंपड़े इस शहर में लगे हैं। वे हाईवे के पास लगे हैं। आज ऐसी ऐसी जमीनें, जहां कि आपको बाई पास निकालना था जहां पर तुम्हारी कामर्शियल लैण्ड थी, वहां भी कब्जा कर लिया है वहां से उनको हटाने के लिये कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको तो आप रेगुलेराइज कीजिये और आगे के लिए रोकें। ढाई सौ वर्ष पहले अगर जयपुर के भू. पू. महाराजा ऐसा काम नहीं करते, यह चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं बनाई जातीं तो जयपुर को शायद ही लोग देखने के लिए आते। एक बार सारी दुनियां से टाउन प्लानर यहां आये उन्होंने यह कहा कि जयपुर के बाहर क्यों लोगों को भेजा जाता है। जो टाउन प्लानिंग जयपुर शहर में है वह हिन्दुस्तान के लिये आदर्श टाउन प्लानिंग है? आज वह टाउन प्लानिंग बिगड़ गया। आज जयपुर अन्दर जिस प्रकार से नाजायज कब्जे होते जा रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके इसमें सुधार कीजिये। मैं एक सुझाव दूंगा। टाउनप्लानिंग डिपार्टमेन्ट चीफ टाऊन प्लानर यहां पर बैठे हैं लेकिन उनके पास सिवाय नक्शे पास करने के कोई अधिकार नहीं है। यहां सवाल आया एक होटल को लेकर बहुत चर्चायें हैं एक तरफ उसको रोकने की बात थी वहां पर स्टे दिया गया। आज उस होटल की 7 मंजिल पूरी हो गयी है यह 7 मंजिलें तोड़ दो इसमें राष्ट्रीय सम्पति का दुरुपयोग होता है। भंवरलाल शर्मा से पूछा क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। जहां वह सरकारी गाड़ी छोड़ कर रोज स्कूटर से अस्पताल जाते थे, शहर में स्वायत्त शासनमन्त्री की नाक के नीचे मेन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रोड के ऊपर होटल बन रहा था, उनकी आंखों से उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि ये 7 मंजिली इमारत मेरे स्टे देने के बाद भी कैसे बन रही है? उनके पास टाउन प्लानिंग था, जो इस काम को देखते हैं। आप राजस्थान के शहरों को बनाना चाहते हैं, ऐसे आफिसर्स को एग्जोक्यूशन करने के पावर्स दीजिए। प्लानिंग अधिकारी कोई हैं? ऐसे अधिकारियों को आप पूरे अधिकार दीजिए। यही कारण है कि इस से जयपुर शहर में ही नहीं अन्य शहरों में भी कब्जे होते जा रहे हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे होते जा रहे है जैसे जिसका वश चलता है, मकानों को बनाते जाते हैं। इन चीजों का आपको पता है?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करता हूं कि आप गटर लाइन को प्राथमिकता दें। सारे शहर में उसके बारे में व्यवस्था की जाये। आज आपकी जमीनों पर मन्दिर, मस्जिद और दुकानें बन गई हैं। आज आप रोक नहीं सकेंगे। आप उनको रोक नहीं सकेंगे तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा उदाहरण नहीं देंगे। मैं उनके बारे में यही निवेदन करता हुआ एक बात और कहता हूं, ये सिनेमा और होटल सरकार की स्वीकृति से होते हैं। जहां सिनेमा बने हैं, उनका कैसा नक्शा है, किस तरह का है? दूसरे ढंग से सारा चेंज करके नेशनल हाईवे पर आ गये हैं। तो यह काम हमारा आगे के लिए ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इन शहरों को ठीक करने के लिए, इनकी हालत को सुधारने के लिए, इनके अन्दर पानी की लाइन के लिए, गटर की लाइन के लिए जिन इलाकों में सड़क नहीं बनी हैं, वहां सड़कों और नालियों को बनाने की व्यवस्था की जाये। सड़क बनाते हैं, नाली बनती नहीं हैं। महीने भर में वह सड़क बर्बाद हो जाती है। बिजली का काम अब बिजली विभाग से नगर पालिका को सौंपा गया। अब नगरपालिका के पास आ गया है। एक एक ट्यूब लाइट लगाने के लिए, एक एक बल्ब लगाने के लिए तीन तीन दफा दौड़ना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप यह व्यवस्था करें। मैं हाउसिंग बोर्ड को अनुरोध करूंगा, जहां पनी बस्तियां है वहां पर दो स्लाटर हाउस बने हुए हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि स्लाटर हाउस शहर से बाहर होना चाहिए। उसके आस पास के जो इलाके हैं, वह नहीं बन रहे हैं। वहां आदमी जा नहीं सकता है। यहां की योजना बनी हुई है। रुपया भी रखा है। आप मेहरबानी करके जल्दी फैसला करें। स्लाटर हाउस के लिए शहर से बाहर व्यवस्था करें। आज हालत यह हो रही है कि आदमी वहां से निकल नहीं सकता है। इतनी दुर्गन्ध आती है। इतनी दुर्गन्धपूर्ण वहां का वातावरण है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको ठीक करवाने के लिए आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात और कह कर मैं, माननीय सभापति महोदया, समाप्त करूंगा। नगरपालिका के बारे में हम यह मानकर चलते हैं नगर पालिका केवल माध्यम है। हम लोग यहां आते हैं।

एक मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि वन विण्डो सिस्टम कर दीजिये, कहीं पर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कन्वर्शन के झगड़े हैं, कहीं पर बिना किसी नक्शे के मकान बना दिये गये हैं या और दूसरी जो समस्यायें हैं उन सारी बातों को आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी को यह मालूम हो जायेगा कि उसको अब भूमि अलॉट होने वाली है तो उसको सुविधा हो जायेगी।

एक बात मैं विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं. इस एरिया को न तो ग्रामीण क्षेत्र में ही माना जाता है और न शहरी क्षेत्र में माना जाता है। आज जो माल शहर में आता है उस पर चुंगी लगती है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि छः मील की लिमिट में जो एरिया आता है उस एरिया में एक व्यवस्था तो दे दीजिये। अगर आप उसको ग्रामीण इलाके में मानते हैं तो सब्सिडी वगैरह की जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह वहां पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये, अगर आप उसको शहरी इलाके में मानते हैं तो शहरों को जो सुविधायें मिलती हैं वह वहां पर मिलनी चाहिये। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जो भी फैसला आपको करना है उस फैसले को करके अतिशीघ्र इसके बारे में कदम उठाने की व्यवस्था कीजिये।

अन्त में आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप प्लान्ड वे में कोई व्यवस्था कीजिये और उसमें गटर लाइन को टॉप प्रायोरिटी दीजिये जिससे सफाई की व्यवस्था ठीक हो सके और हरिजनों को जो हालत है, जैसा मैंने शुरू में भी निवेदन किया था और अन्त में और कहना चाहता हूं सफाई की व्यवस्था को जब तक आप मैकेनाइज्ड वे में नहीं करेंगे तब तक कोई सुविधा नहीं होने वाली है। कच्ची बस्तियों के अन्दर जो लोग रहते हैं उनके बारे में आप शीघ्र फैसला कीजिये ऐसी व्यवस्था कीजिये कि जो लोग जहां पर बैठे हैं वहाँ तक सड़क नल और बिजली पहुंचाने की व्यवस्था हो जाव ताकि

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को जो वायदे किये थे उनको पूरा किया जा सके।

सदन का कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभानेत्री महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय सात बजे तक बढ़ाया गया। माननीय श्री महाराम!

मांग संख्या 29 व 41 पर विचार

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदया, सामुदायिक विकास की मांग संख्या 41 के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास के जो कार्य शुरू किये गये उस वक्त गांव वालों ने सोचा था कि हम लोगों का सब तरह से विकास हो जायेगा। 1949 में नेहरू जी 2 अक्टूबर को विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन करने नागौर में आये थे तो आसपास के ग्रामीण लोग वहां पर इकट्ठे हुए। राजस्थान के चुने हुए लोग मन्त्री, जिला प्रमुख, प्रधान और गांव वाले

(श्री महाराम चौधरी)

सभी इकट्ठे हुए। गांव वालों ने यह पूछा कि यहां क्या होने वाला है तो हम लोगों ने यह बताया कि नेहरू जी अब पधार गये हैं और गांव वालों के लिए सब तरह की खेती बाड़ी, और गांव के विकास के जो काम हैं उनका पूरा इन्तजाम किया जायेगा और किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जिस तरह से अभी माननीय गोटेवाला जी ने बताया कि शहरों में रहने वाले लोगों को 18 परसेन्ट कठिनाई का सामना करना पड़ता है लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि गांव वालों को कठिनाई का सामना करने की आदत है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एक समिति गठित की जाये और जिसको ज्यादा कठिनाई हो उनके विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के कार्यक्रम बनावें। पंचायतों और पंचायत समितियों में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसका कारण यह है कि जो लोग आये उन्होंने इनको स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने दिया और दूसरी बात इनके चुनाव भी समय पर नहीं कराये गये जिसका नतीजा यह हुआ कि आफिसर लोग पंचायतों में छा गये और गांव में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। इसलिए पचायतों के चुनाव तो करा दिये लेकिन अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिये जिससे गांव वालों का विकास हो सके। गांवों में पंचायत समितियों में पहले जो कार्यक्रम चलते थे जैसे प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों पर निर्भर थे और जहां पर 25-30 लड़के हो जावें वहां पर उनको स्कूल खोलने का अधिकार दिया जाना चाहिये और विकास के लिये बजट भी खर्च करने का पहले कोई सिस्टम था। अगर किसी गांव में 20-25 लड़के पढ़ने के लिये हो जावें और दूसरे गांव में दो मास्टर हैं तो एक मास्टर को वहीं पर लगा दिया जाता था लेकिन यह अधिकार भी अब सरकार ने छीन लिया है जिस वजह से अब विकास अधिकारी वहां पर मास्टर नहीं भेज सकता है।

पंचायतों को आर्थिक सहायता जो अभी मिल रही है उसको बढ़ाया जाना चाहिये जिससे गांवों का समुचित विकास हो सके और गांव वाले अपने हिसाब से चन्दा इकट्ठा कर सकें और विकास कार्यों में लगा सकें। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो काम ग्राम पंचायतों के मार्फत किये गये हैं जैसे पंचायत भवन का निर्माण है, प्राइमरी स्कूल का भवन है, अस्पताल बनाना और छात्रावास बनाने के लिये जो योजना है उस काम में जो पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन लिया जाता है उसको बिलकुल खत्म कर दिया जाना चाहिये और पूरा का पूरा पैसा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये जिससे गांव वाले अपने यहां पर समुचित व्यवस्था कर सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास और पंचायतों के मार्फत जो भूखण्ड आवंटित करने और विकास करने की पिछली सरकार ने और उससे भी पिछली सरकार ने जो व्यवस्था की है, इन दोनों सरकारों ने आंकड़ों ही आंकड़ों में काम किया है। वास्तव में पिछड़ी कौम के या कमजोर वर्ग के आदमी जो मकान बना रहे हैं वे अधूरे पड़े हैं और जहां पर मकान बने वहां पर न तो नल है, न सड़क है और न बिजली है। मकान बिलकुल सूने पड़े हैं और कुछ

(श्री महाराम चौधरी)

मकान तो टूटने भी लग गये हैं, वहां पर मवेशी चरते हैं ।

सामुदायिक विकास या पंचायत के मार्फत पेयजल समस्या के सम्बन्ध में पंचायत समितियों को जो पैसा दिया जाता है, जो कुएं बनाये जाते हैं या पुराने कुओं की मरम्मत की जाती है उन कामों को शुरु कराने के लिये अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास जो मशीनें होनी चाहियें या जो साधन कुओं को गहरा करने के लिये होने चाहियें उन साधनों का पहले प्रबन्ध हो जाने के बाद ही स्वीकृति दी जानी चाहिये जिससे कुओं को गहरा किया जा सके। नहीं तो होता क्या है कि पहले स्वीकृति हो जाती है और अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में साधन नहीं होने की वजह से काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए पहले साधनों की व्यवस्था हो जानी चाहिये और बाद में काम की स्वीकृति दी जावे जिससे उचित काम हो सके ।

ग्रामीण स्कूलों के लिये जो पोषाहार कार्यक्रम गांवों में रखा गया है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसमें काफी भ्रष्टाचार फैल गया है। बहुत सी पंचायत समितियों में विकास खंडों में बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था की गई थी वह दूध तो बच्चों को खूब पिलाया था लेकिन आसपास के बच्चे दूध लेकर दूसरी जगह बेचते थे। इसलिए बच्चों के पोषाहार के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उस पैसे को खर्च किया जाता है लेकिन एक दूसरी तरकीब ढूंढी जाए जिससे वास्तव में बच्चों को फायदा मिले नहीं तो भ्रष्टाचार फैलता है और समय पर कार्यवाही नहीं होती है ।

श्री सभापति श्री बिहारी लाल : समय पाबंदी रखें ।

श्री बिहारीलाल (मांडल) : सभापति महोदया, हमारे बोद्धमान सदस्यों ने आज के कटौती प्रस्तावों पर प्रकाश डाला है। मैं भी कुछ दूसरी बातें बताते हुए मेरे क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत की गई थी तब लोगों को बड़ी आशा थी कि वास्तव में यह पंचायती राज बहुत बढ़िया रहेगा परन्तु जिस प्रकार नौकरशाही ने पंचायत राज को जकड़ा है उससे जनता से सीधा संबंध रखने वाली पंचायत राज संस्थाओं में जो सुदृढ़ता एवं लोक कल्याण की भावना थी वह समाप्त हो गई। मैं आपसे निवेदन करूं कि राज काज की जो व्यवस्था होती है, पहले 30 साल का राज था, बाद में दूसरा राज आया, अब दूसरा राज आ गया। मैं समझता हूं इंदिराजी की भावनाओं ने हमें जनता के आगे आने का मौका दिया, यह बिलकुल सही है, इंदिराजी की भावनायें जो हैं . . .

एक माननीय सदस्य : भाषण दे रहे हैं।

श्री बिहारी लाल : इंदिराजी की जो भावनायें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से सुनाता हूं, आपका दोष नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है, आप हमारी हर बात को काटते हैं। इंदिराजी के नाम से उनको सिद्ध होनी भी चाहिए, इनकी भावना है, इनका राज भी चला गया। मेरे पास तो उसका इलाज नहीं। ज्यों ही 30 साल बाद जनता राज आया, उन्होंने पंचायतों के मार्फत काम के बदले अनाज योजना चलाई, उन्होंने अनियमिततायें की,

(श्री बिहारीलाल)

मैं पहले ही अकाल राहत की मांग पर प्रकाश डाल चुका हूं। मैं उसमें फिर नहीं जाना चाहता परन्तु वास्तव में जो इसकी स्थिति रही वह बड़े महत्व की थी।

शुरुआत करता हूं सबसे पहले विकास अधिकारियों की स्थिति से विकास अधिकारी केवल सैकन्ड ग्रेड के जो अध्यापक हैं उनको एस. डी. आई. बनाकर विकास अधिकारी की ट्रांसफर हो जाए, जिसकी कोई ताकत नहीं कि जिला अधिकारी को विकास के लिए कोई बात कह सके। यह स्थिति पहली शुरुआत की होती है। पंचायतों का जो प्रभाव होना चाहिए, जिसका अच्छा माध्यम होना चाहिए, वह खतम हो गया।

हम लोग जहां से आए, हम चाहते हैं कि हमारी पंचायतों का और पंचायत समितियों का बड़ा विकास होता रहे, वहां की जनता को आपका राज आने के बाद उसका लाभ मिले। मैं समझता हूं 8 महीने हो गए जनता ने आपको राज भी दे दिया परन्तु स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कोई राज की स्थिति नहीं हो, वैसी की वैसी स्थिति जो पहले थी वही है।

मैं ज्यादा प्रकाश न डालकर तहसीलों के बारे में कहना चाहता हूं। तहसीलों की स्थिति बिल्कुल साफ है। मैं अपने क्षेत्र पर प्रकाश डालूं क्योंकि मैं समझता हूं माननीय बुद्धिमान सदस्यों ने बहुत प्रकाश डाला है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं मेरी तहसील के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मांडल तहसील बहुत लम्बी है, एक तरफ आसींद, एक तरफ भीम हैं उनसे मिली हुई है, 3-4 तहसीलों के बीच में ऐसे गांव आ गए हैं, उन गांवों को उस तहसील से जोड़े जिनके विकास के लिए हम लोग जनता ने चुनकर भेजा है, उसको देख सकें। मेरे पास गांवों की बहुत बड़ी लिस्ट है, जो आपको भी ध्यान में होगी उस पर ध्यान दें।

मैं अनाज योजना वाली बात करता हूं वह खूब चली। अनाज योजना में आपने ऐसी स्थिति नहीं रखी जो रखने से अच्छे काम होते हैं। सरपंच टेक्निकल नहीं होते, उनको जानकारी नहीं होती, आपने जो काम दे दिया उन्होंने तखमीने बनवाकर काम किया, सारी रोड़ियां बह गई, कोई बढ़िया काम नहीं हुआ, कोई पक्के काम नहीं हुए। पंचायतों के पास कोई अनुदान की स्थिति जोरदार नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं होता, वह न होने से विकास में ज्यादा भाग नहीं ले सकती, केवल कच्चे काम पंचायतों से आपकी अनाज योजना के मार्फत करवाए, अनाज भी आपका चला गया लेकिन काम भी वैसे नहीं रहे जो पीछे काम आ सके। 12 फीट 9 फीट की रोड बनी जिसमें आदमी निकले इधर उधर जाए तो दोनों तरफ अड़ जाए।

जब जनता ने मुझे चुनकर भेजा तो सर्व प्रथम मैंने यहां के मंत्री से मिलकर वहां के जिलाधीश को स्कूल भवन बनाने हेतु आदेश करने के लिए कहा ताकि ऐसा कोई गांव न रहे जहां स्कूल हो लेकिन बच्चे वृक्ष के नीचे बैठते हों, स्कूल को परमीशन हो गई, प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, आपके यहां से 20 तारीख को हुक्म हो गया लेकिन वहां की व्यवस्था ठीक नहीं। मैं प्रार्थना करूंगा कि वे काम चलेंगे या नहीं? अगर चलेंगे तो कब चलेंगे? मंत्री महोदय प्रकाश डालें। मैं मेरी भावना बता रहा हूं कि कोशिश करके

(श्री बिहारी लाल)

स्कूल भवन दिलवाया, सीमेंट नहीं था तो वह मंगवाया, चूने की व्यवस्था की, गांव वालों ने मदद की किन्तु अनुदान की राशि जो मिलनी थी वह देर से मिली वहां पर 25 पर्सेंट का कोटा आज तक उनको नहीं मिला। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां 25 पर्सेंट का पैसा नहीं मिला। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह राशि या तो उनकी जमा कहीं है, अगर है और मिल सकती है तो आप किसी माध्यम से वहां के जिला अधिकारी से कहकर तत्काल दिलवायें, ताकि अधूरे काम जल्दी पूरे हो जायें। शिक्षा कर की राशि बहुत जमा है, अगर इसमें देरी होती है तो शिक्षा कर की राशि स्कूल को दिलायें ताकि 20 हजार, 15 हजार, 18 हजार में भवन बन जाए। शिक्षा कर की राशि मिलने से,जो अधूरे काम पड़े हैं, पूरे हो जायें। इस आदेश के लिए मैं एक महीना पहले कह देना चाहता था ताकि इस तरह का नुकसान न हो।

दूसरी एक बात और अर्ज करूं, मांडल में जो नगरपालिका है उसकी दयनीय स्थिति है। 11 गांवों को जोड़कर नगरपालिका बनाई, अनाज योजना के माध्यम से जो गांव पंचायतों में थे उनमें पंचायतों का काफी योगदान रहा, कुछ लाभ भी ले सके परन्तु मांडल नगरपालिका का इतना दुर्भाग्य रहा कि वहां एक पैसा भी अनाज योजना के मार्फत अनुदान के रूप में नहीं मिला। न सड़कें हैं न ऐसा साधन है, न अनुदान की राशि है जिससे विकास हो सके। जो चुंगी कर की स्थिति है न मालूम कहां पैसा जाता है, बड़ी दयनीय स्थिति है, 11 गांवों की अनाज योजना का पैसा कहां गया? सब जगह स्कूल बन गए, रोड बन गई हमारे यहां, क्या कारण है? मैंने वहां भी लिखा पढ़ी की परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं मिला जिससे कि नगरपालिका को कोई अनुदान की राशि मिले, जिससे रोड बन सके। ऐसे गांव हैं जहां जानवर भी नहीं जा सकता वहां पर लोगों के पैर कट जाते हैं, बरसात का मौसम है वहां पर 20-30 हजार के काम होने से लोगों को रोजगार मिल सकता है।

वहां एक वावड़िया ग्राम है वहां सरपंच ने अनाज योजना के काम में काफी घोटाले किए, फूड मिनिस्टर भी वहां मौजूद थे। उसने आदेश दिया कि 11 महीने का पेमेंट बाकी है, जनता पार्टी के समय की बात है। अनाज योजना की स्थिति मैं बता रहा हूं, सरपंच ने लेबर को पीटा, मारा। वह रोता हुआ उपमंत्री के सामने आया, अधिकारियों ने भी कहा कि तीन दिन में पेमेंट करा देंगे, मैंने मना किया कि तीन दिन के लिए मत कहिए। जहां। मस्टर रोल हैं आज भी न मालूम स्थिति क्या है। मैं 24 तारीख को जाऊंगा तो क्या स्थिति रहेगी? मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उनकी ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको तीन बार कह दिया, आप स्थान ग्रहण करें। श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री बिहारीलाल : सभापति महोदया, बस इतनी बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि जो मैंने निवेदन किया है उस पर राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही जरूर करें।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, आप शुरू करें।

श्री दिनेश जोशी : क्या विपक्ष के नेता बदल गये हैं। विपक्ष के नेता की सीट पर आप बैठे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको क्या तकलीफ है?

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायतों के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा।

सभापति महोदया, कुछ समय पहले जब से जनता पार्टी की सरकार बनी, पंचायतों की हालत और पंचायत समितियों की हालत इस कदर खराब हो गयी है। साल के बीच में जब जनता सरकार बनी तब से पंचायतों, पंचायत समितियों की हालत बिल्कुल खराब हो गयी थी। इसके बाद पंचायत समितियों की हालत बिल्कुल खराब हो गयी थी। सभापति महोदया, यह तो अच्छा हुआ कि पंचायतों के चुनाव हुए पर पंचायतों के चुनाव के बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कराना था पंचायतों का चुनाव हो चुका था परन्तु, सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव सरपंचों के चुनाव में ही जनता पार्टी की सरकार की हार होने के कारण उन्होंने पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव नहीं कराये। पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव नहीं कराने का कारण यह था कि उनके कई सरपंच हार गये थे और उन्हें डर हो गया कि अगर इन्हीं से प्रधानों का चुनाव कराया गया तो हमारी बहुत भारी हार होगी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित विशेष रूप से पंचायत समिति सराड़ा, जो कि मेरे क्षेत्र की है, की ओर करना चाहूंगा। सभापति महोदया, वहां पर पंचायत के माध्यम से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत काम शुरू किये थे सभापति महोदया, इस फुड फोर वर्क की योजना के अन्तर्गत तो मैं मानता हूं कि आधा तो धन का उपयोग हुआ लेकिन बाकी आधे का दुरुपयोग ही हुआ। सभापति महोदय इस काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जहां जहां काम हमारे जहां पर चले वहां पर फर्जी मस्टररोल बनाकर लोगों को पेमेंट किया गया।

(5.13 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : आप तो बोलते रहें।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर फर्जी मस्टर रोल बनाये गये। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी इन्क्वायरी की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। अनाज हमारी कांग्रेस सरकार के समय इसलिये एकत्रित किया गया था कि जब कभी जरूरत पड़े तो आपात स्थिति में वह काम आये। उस अनाज को जनता पार्टी की सरकार ने अपने शासन में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दुरुपयोग किया। जो अनाज इमर्जेन्सी के वक्त काम के लिये कांग्रेस सरकार ने इकट्ठा किया था उसको जनता सरकार ने दुरुपयोग करके खतम कर दिया। सभापति महोदय जो सड़कें, बननी चाहिये थी पूरी वह इन योजनाओं के अन्तर्गत मिट्टी डालकर अधूरी छोड़ दी मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि वह पूरी करायी जानी चाहिये। सभापति महोदय, हमारे उदयपुर डिविजन में और खास तौर से मेरे

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

सराड़ा क्षेत्र में आदिवासी अधिक हैं। वहां पर मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से ध्यान देकर उन कामों को पूरा करावें जो अधूरे पड़े हैं और जो घोटाले इस काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत हुए उनकी जांच करायी जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घोटाले वाले तो गये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : आप का कलेजा काम नहीं कर रहा है, ऐसा दिखता है। आप थोड़ी सही बात सुनने की क्षमता भी रखो। सभापति महोदय, मुझे बीच में बोलकर व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी: यह तो इनकी आदत है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : आपको डर किस बात का है। मैं निवेदन कर रहा था कि मेरा आदिवासी क्षेत्र है जहां विकास बहुत कम हुआ है। जो काम के बदले अनाज योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गयी थी उससे हमारे यहां कोई फायदा नहीं हुआ है। सभी विकास के काम अधूरे पड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो काम अधूरे पड़े हैं चाहे सड़क का हो, चाहे स्कूल भवन का हो, चाहे और कोई हो उन्हें जल्दी से जल्दी राज्य सरकार पूरा करें। बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : सभापति महोदय, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्थापना सन् 1960 में नगरों की बढ़ती हुई आबादी के लिये आवासीय समस्या का सुनियोजित ढंग से किस प्रकार समाधान हो तथा शहरों में रहने वाले नागरिकों को सभी प्रकार की सुविधायें मिलें, आवास, स्वास्थ्य की किस प्रकार व्यवस्था की जाय उसके लिये इसकी स्थापना की गयी थी। सभापति महोदय, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को स्थापना हुए 20 साल हो गये, उसके कार्यकलाप इन पिछले 20 सालों में किस प्रकार के रहे उनके बारे में काफी चर्चा सदन में हो चुकी है। मैं उन बातों को सदन में फिर दोहराना नहीं चाहता पर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्य को लेकर इस विभाग की स्थापना की गयी थी शायद उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में यह विभाग सफल नहीं हो पाया इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा जिस उद्देश्य से टाउन प्लानिंग विभाग की स्थापना की गयी थी वह उसके कार्य कलापों के कारण सफल नहीं हो सका। इस संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिन नगरों में नगर विकास न्यास हैं उनके द्वारा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन शहरों की योजनायें भेजी जाती हैं। वह योजनायें टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के योजना ब्रान्च में पड़ी रहती हैं और उन पर समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप यह होता है कि वहां वे योजनायें देर से पहुंचती हैं जिसके फलस्वरूप उन शहरों में इस टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही से अनधिकृत मकान लोग बना लेते हैं। यही कारण है कि नगर विकास न्यास अपने शहरों का सही ढंग

(श्री जीतमल जैन)

से विकास नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ मैं, सभापति महोदया, यहां पर अलवर के यू. आई. टी. के बारे में भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, पिछले दो तीन सालों में तो अलवर नगर विकास न्यास ने जो काम किया है उससे अलवर का बहुत कुछ विकास हुआ है और उस पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं इस संबंध में मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि पिछले नौ-दस सालों में अलवर के अन्दर यू. आई. टी. का चेयरमैन कोई भी वहां का सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी पब्लिक चेअरमैन नहीं रहा और सारा का सारा काम वहां के कलेक्टर को यू. आई. टी. का चेअरमैन बना कर कराया गया। वहां पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। नगर विकास न्यास का मुख्य काम जो है वह यह कि बढ़ती आबादी, जो आबादी बढ़ रही है, की आवासीय समस्या का समाधान हो। समय समय पर आवश्यकतानुसार ठीक प्रकार के निर्णय नहीं लिये गये और वहां पर लोगों के लिये भूमि उपलब्ध कराकर लोगों को प्लोट नहीं नहीं दिये गये जिससे वहा पर सुनियोजित ढंग से उन लोगों के लिये मकानों का निर्माण सही तरीके से नहीं हो सका। इसके फलस्वरूप अलवर की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से वहां पर अनधिकृत मकान बन गये हैं और जिस प्रकार के यहां पर मकान बने हैं उससे यह कहा जा सकता है कि अलवर का यू.आई.टी. वहां के रहने वाले लोगों की समस्या हल करने में इनकाम्पीटेन्ट साबित हुआ। वहां का यू.आई. टी. वहां के लोगों को आवासीय समस्या को हल करने में कोई सहयोग नहीं दे पाया। इसके परिणामस्वरूप वहां कितने ही अवैध मकान बने और कई अनियमिततायें वहां पर हो गयीं। सभापति महोदया, यही एक मात्र कारण है जिसकी वजह से यह हुआ है। यह सब टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा योजनाओं को समय पर स्वीकृति नहीं देने के कारण हुआ है। इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं अलवर यू. आई. टी. में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर यू. आई. टी. वास्तव में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। सभापति महोदय, वहां जो यू. आई. टी. के अधिकारी हैं जो यू. आई. टी. के कर्मचारी हैं उनका वहां से स्थानान्तरण नहीं हो सकता है। वैसे तो हमारे मन्त्री महोदय ने ट्रान्सफर्स करने में कीर्तिमान कायम किया है पर मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन नगरपालिकाओं के, इन नगर परिषदों के और यू. आई. टी. के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रान्सफर्स एक जगह से दूसरी जगह हो सके ऐसी व्यवस्था करावें। नहीं तो होता यह है कि लोग वहां पर दस दस बीस बीस साल बैठे रहते हैं उनका वहां पर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो जाता है और बाद में उनका एक क्लिक बन जाता है। इन्हीं वेस्टेड इंट्रेस्ट के लोगों की वजह से अलवर शहर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां के यू. आई. टी. के जो इन्जीनियर है या जूनियर इन्जीनियर हैं या जो ओवरसियर्स है, कर्मचारी जो हैं उनकी

(श्री जीतमल जैन)

वजह से वहां पर अवैध मकानों का निर्माण हुआ है। किसी न किसी प्रकार का योगदान होने से वहां पर सारी कच्ची बस्तियों का और अवैध मकानों का निर्माण होता जा रहा है। अभी अभी हाल ही में मैंने देखा कि यू.आई.टी. की लापरवाही के कारण अस्पताल के सामने दस दुकानों का निर्माण तीन दिन के अन्दर अन्दर हो गया, यू. आई. टी. खड़ा खड़ा देखता रहा और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो सका। जिस प्रकार से उन दुकानों का निर्माण हुआ है वह सार्वजनिक रास्ता है और वहां ट्रैफिक ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर इस प्रकार की दस दुकानों का निर्माण हो गया और यू. आई.टी. टुकर टुकर देखता रहा। जो चेयरमैन हैं यू. आई. टी. के जब उनसे मेरी बात हुई तो कहने लगे कि मैं क्या कर सकता हूं ? कैसे समस्याओं को रोकूं, कुछ समझ में नहीं आता ?

सभापति महोदय, एक बात गन्दी बस्तियों के बारे में भी करना चाहूंगा। पिछले बीस सालों में गन्दी बस्तियों की बहुत बातें हुई हैं लेकिन उनको ठीक करने के सम्बन्ध में न तो नगर विकास न्यास ही कुछ कर पाया और न टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट ही कुछ इस सम्बन्ध में कर पाया। गन्दी बस्तियों की जो आज से तीस साल पहले हालत थी उससे भी बदतर उनकी हालत हो गयी है। उस समय परिवार में 4 व्यक्ति होंगे, आज परिवार बढ़ गया और 25-30 गज जमीन पर दस बीस लोगों का परिवार रह रहा है। उनको किसी प्रकार से नये नये और छोटे छोटे प्लाट्स देकर नयी बस्तियां बसा कर उन गन्दी बस्तियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। इन तीस सालों में यदि सौ गज के प्लाट काट कर गरीब लोगों को सस्ती दरों पर दिये जाते और मकान बनाकर किश्तों के ऊपर देते तो उनके आज मकान होते और गन्दी बस्तियां, जो कि हमारे शहरों के लिए एक अभिशाप हैं, एक कलंक हैं, को हम दूर कर सकते थे लेकिन इस संबंध में भी गत वर्षों में विशेषकर यू. आई. टी. ने कोई कार्य नहीं किया है। एक बात और छोटी बस्तियों के संबंध में कहना चाहूंगा। जब नयी बस्तियों का निर्माण होता है तो उसके आसपास छोटी बस्तियां पहले से ही विद्यमान होती हैं। चाहिये तो यह कि उन नयी बस्तियों के निर्माण के साथ ही साथ छोटी बस्तियों जो कि पहले से ही वहां पर हैं, के विकास का कार्य भी ले लिया जाता लेकिन इस बात की चिन्ता किये बिना यह छोटी और गन्दी बस्तियां उसी तरह से पड़ी रहती हैं और नयी कालोनीज का विकास हो जाता है। तो मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय आपके माध्यम से कि भविष्य में जब भी कभी इस प्रकार की योजना नयी बस्तियों की बने तो उसके आसपास जो पुराने निर्माण हैं या गन्दी बस्तियां हैं उनके निर्माण का कार्य भी उन बस्तियों के साथ किया जाये तो वह हमारे लिए कोढ़ के रूप में तो नहीं रहेंगी।

इसके साथ ही आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज जमीनों की कीमत काफी बढ़ रही हैं। गरीब आदमी या मध्यम श्रेणी का आदमी मकान नहीं खरीद सकता। यू.आई.टी. पिछले दस सालों से सक्षम नहीं है और आज एग्रीकल्चर लैण्ड है उनमें सोसाइटीज बनाकर या गलत सोसाइटीज

(श्री बीतमल जैन)

बनाकर व्यक्तिगत रूप से बराबर मकानों का निर्माण हो रहा है। उसके अन्दर यू.आई.टी. एक्शन लेने में बिलकुल सक्षम नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह भी शहरों में एक प्रकार से कोढ़ फैलता जा रहा है। इसको रोकने के लिए आपको उपाय अपनाने चाहिए। यू. आई. टी. के पास अपने साधन नहीं हैं, कोर्ट नहीं हैं कि जिससे इस प्रकार के निर्माण को रोक सके। इनको चाहिए कि सरकार की ओर से पुलिस की सहायता मिले ताकि बढ़ते हुए कोढ़ के रूप में जो बस्तियां बढ़ती जा रही हैं उनको रोका जाय। अभी हाल ही में अलवर में जो मास्टर प्लान में जमीन आई है उसमें तीन चार कालोनीज स्टेशन के पास में डवलप हो गयी हैं। और उनको सख्ती से नहीं रोका गया तो हमारा जो मास्टर प्लान बना था अलवर का सब बेकार हो गया है। आज वहां पर छोटे छोटे मकान खड़े हो गये हैं धीरे धीरे उनके अन्दर फिर बड़े आदमियों का प्रस्ताव आने लगेगा और फिर कहेंगे कि इनको बनने दिया जाय और इन एन्क्रोचमेन्ट का रेगुलेराइजेशन करने की बात करेंगे। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यू. आई. टी. कानून में खामियों के कारण एन्क्रोचमेन्ट और अनधिकृत निर्माण को रोकना मुश्किल है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यू. आई. टी. कानून के अन्दर इस प्रकार के परिवर्तन किये जायें, इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट किये जायें और इस प्रकार की शक्तियां यू. आई. टी. और नगर परिषदों को दी जायें ताकि अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं उनको तुरन्त सख्ती से रोका जाय तभी हम अपने शहरों को साफ सुथरा रख सकते हैं।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और अलवर के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। अलवर का विकास अभी गति से बढ़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है, हम चाहते है कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द हो। मैं चाहूंगा कि शहर विकसित हो रहे हैं तो नयी बस्तियों के विकास के समय ही गटर सिस्टम को प्रारंभ किया जाय। अलवर एक ऐसा शहर है कि जो विकास की ओर बढ़ रहा है, नयी कालोनीज का दस बीस वर्षों से निर्माण हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जो भी नयी कालोनीज बनें और बीस साल में जो कालोनीज बनी हैं उनमें गटर सिस्टम रखा जाय ताकि शहर जो गन्दा रहता है वह साफ हो सके। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की जहां भी आवश्यकता हो वहां से लें। अलवर औद्योगिक क्षेत्र में आता है, कहीं से पैसा उपलब्ध कराया जाकर गटर लाइन डालकर उसका विकास किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं अब नगरपालिका के संबंध में एक दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। नगरपालिका और नगर परिषदों की जो हालत है वह इतनी दयनीय है कि उन्हें देखकर तरस आता है। बीच में चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासक के होने के कारण उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सफाई और लाइट यह दो व्यवस्थायें नगर परिषद और नगरपालिकाओं के जिम्मे

(श्री जीतमल जैन)

हैं लेकिन वह पर्याप्त रूप से इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल सिद्ध हुई हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी चुनाव नगरपालिकाओं से कराये जायें ताकि जन प्रतिनिधि आकर ठीक प्रकार से नगर परिषद और नगर पालिकाओं का काम सुचारु रूप से चला सकें। नगर परिषदों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास आय के स्रोत नहीं हैं। कई तो ऐसी नगरपालिकाएं हैं कि जिनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। कुछ के पास है भी तो केवल तनख्वाह देने के बाद विकास के लिए और सड़कों के रख-रखाव के लिए उनके पास पैसा नहीं बच पाता। इस संबंध में कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये भी हैं। मनोरंजन कर का एक हिस्सा नगरपरिषदों को दिया जाय ताकि सारे विकास के काम और सड़कों के रख रखाव के काम को वह पूरा कर सके...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब कृपया समाप्त करें।

श्री जीतमल जैन : एक बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगा।

एक बात हाउस टैक्स के बारे में कहना चाहूंगा। नगरपालिकायें हाउस टैक्स लगाती हैं लेकिन वसूल नहीं किया जाता है। एक बार हाउस टैक्स शुरू होता है फिर दबाव आते हैं तो बन्द हो जाता है। इस समय में अलवर में तीन साल का हाउस टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। आज किसी मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए एक बार में तीन साल का हाउस टैक्स देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया आपके माध्यम से कि वह एक साल का हाउस टैक्स वसूल करें और लगातार करते रहें। मैं हाउस टैक्स के विरोध में नहीं हूं लेकिन एक साल से प्रारम्भ करें और एक एक साल का शुरू करें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री जीतमल जैन : बस केवल इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री उम्मेदसिंह।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : माननीय, सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान कटौती प्रस्ताव के माध्यम से डीडवाना म्युनिसिपैलिटी की तरफ दिलाना चाहता हूं। डीडवाना में मालियों का बास है उसमें न सड़क है, न बिजली है और न पाने के पानी की व्यवस्था है इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है वहां सड़क और पानी की व्यवस्था कराई जाय। काम के बदले अनाज योजना में जो कार्य पंचायत समिति डीडवाना में हुए हैं उनमें कई सरपंचों ने घोटाले किये हैं। एक कोलिया सरपंच की बात कहूंगा वह फर्जी मस्टर रोल भर कर गेहूं बाजार में बेचकर पैसे खा गया और आज दिन तक मजदूरों का पेमेन्ट नहीं किया।

श्री माधवसिंह दीवान : वह सरपंच जनता पार्टी का होगा।

(व्यवधान)

श्री उम्मेदसिंह : इसके बारे में कई बार कहा लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। डीडवाना में सभी सड़कों पर एक एक फीट के खड्डे पड़े हुए हैं इसलिए सरकार से निवेदन है सड़कों की व्यवस्था को सुधारा जाय और जो भ्रष्ट सरपंच हैं, उनके खिलाफ इन्क्वायरी बिठाई जाय।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : सभापति महोदया, मांग संख्या 29 और मांग संख्या 41 पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं जिस पर जनरली काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैं डूंगरपुर जिले की दो नगरपालिका डूंगरपुर और सागवाड़ा के बारे में निवेदन करूंगा। डूंगरपुर शहर के चारों तरफ पहाड़ हैं और एक ही ऐसी नदी है जिसका सारा पानी वर्षा के दिनों में बह कर शहर में आता है और शहर में ऐसे कई मकान हैं जिन मकानों में न केवल पानी भर जाता है बल्कि बहुत बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ तक भर जाते हैं। नगरपालिका डूंगरपुर की हालत इतनी खराब है कि वह कोई विकास का कार्य तो कर ही नहीं सकती बल्कि जिन मकानों में गंदगी भर जाती है और जो सड़कों पर गन्दगी आ जाती है उसको हटाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। डूंगरपुर नगर न मालूम कैसे बसा, यह तो पता नहीं लेकिन उसकी स्थिति यह है कि जो बसे हुए हैं, एक मकान में कई फैमिलीज रहती हैं और छोटे छोटे मकान बने हुए हैं जिनमें विशेषकर हरिजन व मुसलमान बस्तियां हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है। वैसे मकानों में जो पानी भर कर आ जाता है उसके लिये मेरा सुझाव है, डूंगरपुर की दक्षिणी साइड में एक बहुत बड़ा दरवाजा था पहले और जो पहाड़ है उनके बीच में रास्ता था उसको काटकर चौड़ा बना दिया गया है इसलिए वह सारा पानी डूंगरपुर शहर में बह कर आ जाता है, उससे जन हानि होती है, मकानों की स्थिति बिगड़ जाती है। उसके लिये यह हो सकता है कि डूंगरपुर की दक्षिण साइड में जो उदय बाग है, उस बाग से लेकर झाला तक दक्षिणी साइड का जो मन्दिर है उसको काटकर रास्ता बना दिया जाय। डूंगरपुर में आने वाला पानी मकानों को बरबाद करता है और मवेशी तक बह जाते हैं। यहां तक कि एक अध्यापक महोदय उस रास्ते से आते थे, वह बह कर गिर गये और उनके चोटें आईं। इस वर्ष भी एक गरीब आदमी की गाय बह गई और मर गई। इस तरह हमेशा नुकसान होता है। नगरपालिका का जो कूड़ा बह कर आता है, उसमें हर साल 30-35 हजार रुपया खर्च करती है। इसलिए जैसा मेरा सुझाव है यह रास्ता निकाला जा सकता है। जो पानी हमेशा बह कर आता है, चारों तरफ पहाड़ है, रास्ता निकालकर साउथ में वह पानी निकाला दिया जाय तो बचाव हो सकता है।

डूंगरपुर में कच्ची बस्तियां हैं, किन्तु आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। डूंगरपुर में आवासन बोर्ड की भी कोई स्कीम नहीं है इसलिए वहां के रहने वाले लोगों के लिए गरीब लोगों के लिये आवासन बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये। जो कृषि भूमि है उसको आवास भूमि में कनवर्ट किया जाय। आवासीय भूमि में कनवर्ट होने से वहां की समस्या दूर हो सकती है। इसी तरह डूंगरपुर शहर में एक ही सड़क है, सड़क क्या है एक ही स्ट्रीट है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं भी ठीक नहीं है। वहां के रहने वालों के लिये न कोई सार्वजनिक पेशाब घर है और न सार्वजनिक टट्टियां बनी हैं जिसमें जा सकें। इसलिए मेरा

(श्री गोविन्द आमलिया)

निवेदन है यह व्यवस्था भी करनी चाहिये। डूंगरपुर शहर के साइड में चारों तरफ कृषि भूमि है उस भूमि को भी जिस रूप में कनवर्ट किया जाय वह किया जाना चाहिये ताकि बाहर के जो मजदूर और नौकरी पेशा लोग आकर रहते हैं उनको आवास की कुछ सुविधा मिल सके। उनकी खराब हालत को सुधारने के लिये जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिये। यही नहीं डूंगरपुर की नगरपालिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के अलावा कोई विकास का कार्य कर नहीं सकते हैं। विकास का कार्य तो क्या होगा उनकी तनख्वाह भी कृषि भूमि को कनवर्ट करके चुकाई जाती है। इसी तरह नगरपालिका में प्रशासक हैं वे भी जनरली बदलते रहते हैं। इस समय तक नगरपालिका का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव नहीं होने से प्रशासक महोदय रूटीन से काम करते हैं। बार बार प्रशासक महोदय बदलते रहते हैं इसलिए नगरपालिका का चुनाव कराया जाना चाहिये।

इसी तरह सामुदायिक विकास के जो कार्य है वे नहीं के बराबर है। पहले जैसे सामुदायिक विकास में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्योग आदि सभी कार्य पंचायत समितियों में होते थे अब अध्यापकों की तनख्वाह बांटने का काम और काम के बदले अनाज योजना चालू कराना, यही थोड़ा बहुत चलता है। इसलिए मेरी राय है और मंत्री महोदय से निवेदन है कार्य जो पूर्व में होता था, पंचायत समितियों में पहले की तरह सहकारिता, कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि का कार्य होना चाहिये ताकि उनको छोटे पैमाने पर देखा जा सके और उनका विकास किया जा सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति :

(अनुपस्थित)

श्री हीरा लाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, आज जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और शहरों का और गांवों का जीवन जिस तरह का लोग जीते हैं, खास तौर से शहरों में लोगों का जीवन बड़ा जटिल होता जा रहा है। हवा, पानी आदि का जो प्रदूषण है उससे शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन दिनों दिन खराब होता जा रहा है। खास तौर से उस इलाके में जहां पर फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों का धुआं शहरों में उड़ता है और उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से शहरों में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है से जहां पानी के पाइप होते हैं उनमें लीकेज होने से गटर आदि का पानी उनमें भर जाता है। उस पानी का कोई इन्तजाम नहीं होता, इसके अलावा जो गन्दा पानी है, बड़े शहरों में गन्दा पानी निकलने के लिये गटरों में भरा रहता है, रुका रहता है उसकी सफाई नहीं होती है। इसके कारण शहरों में गन्दगी होती है, मक्खी, मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। उसके परिणामस्वरूप कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। सफाई पर ध्यान न देने से शहरों की जो व्यवस्था है - स्वास्थ्य पानी की वह ठीक नहीं है। उसकी ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। शहरों में खास तौर से मैं कच्ची बस्तियों की ओर आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कच्ची बस्तियों की आज जो स्थिति है, एक बात सही

(श्री हीरालाल आर्य)

है कि शहरों में सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अच्छे मकान हैं, गंदा पानी निकालने के लिए अच्छी नालियां हैं लेकिन जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें न आने जाने के रास्ते हैं, न वहां गंदा पानी निकालने की कोई व्यवस्था है और न ही उनमें प्रकाश की कोई समुचित व्यवस्था है ।

सभापति महोदय, एक बार मैं जयपुर की कच्ची बस्तियों को देखने गया था जिसमें हसनपुरा वगैरह हैं और इधर पड़ोस की जगह हैं । वहां के लोगों का जीवन, खास तौर से बारिश के दिनों में तो नारकीय हो जाता है । वे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहां पानी भरा रहता है, इससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अधिकारी उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं देते हैं । खास तौर से शहरों के बाद गांव की ओर या बड़े कस्बे, जहां पर नगरपालिकायें हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । मेरे क्षेत्र में दो जगह नगरपालिकायें हैं, एक इन्द्रगढ़ और दूसरा मांगरोल । इन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि ये लोग अपने कर्मचारियों का वेतन बहुत दिनों तक पड़ा रखते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक होने की वजह से कई दिनों तक कर्मचारियों का वेतन चुकाने में भी असमर्थ रहते हैं, फिर विकास के काम की तो बात अलग है । विकास के काम हो नहीं पाते । जो कुछ भी फण्ड आते हैं उससे कर्मचारियों का वेतन चुका दिया जाता है, विकास के काम करते नहीं । विकास के कामों के अभाव में हमारी नगरपालिकाओं में बहुत सारे काम ऐसे हैं, जो नहीं हो पाते हैं । खासतौर से मांगरोल जो नगरपालिका है, उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । जो वहां के ई. ओ. हैं और अधिकारी हैं और जो प्रशासक हैं, वे जनता की वास्तविक कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देते। वहां पर चोर की बावड़ी एक स्थान है जिसमें वर्षा के दिनों में भयंकर कीचड़ होता है; कीचड़ नहीं, कादा कहना चाहिए जिसमें घुटने तक पर कीचड़ में चले जाते हैं । सारे शहर कस्बे के जानवर वहां से निकलते हैं, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं । उस इलाके में पानी न होने से मां बहन भी पानी लेने के लिए शहर में आती हैं । जब वे सिर पर मटकी रख कर जाती हैं तो उनको कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं निकलने में बड़ी असुविधा होती है, उनकी इज्जत आबरू खतरे में रहती है । वहां के लोग उस कीचड़ की वजह से बालक, वृद्ध और महिलाओं को वहां से निकलने में बड़ी असुविधा होती है इस मोहल्ले के लोगों को । नगरपालिका के जो प्रशासक हैं, उनका ध्यान इस ओर दिलाया था कि यहां पर खरंजा बनाओ लेकिन जरूरत की जगह नहीं बनाकर उस शहर के बीच में बना रहे हैं । वहां एक पुराना खरंजा था उसको तोड़ कर उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं । आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार के आदेश प्रसारित करें कि जनता की भावनाओं के अनुसार यह लोग काम करें । इन्द्रगढ़ और मांगरोल जो हमारी नगरपालिकायें हैं, वहां पर पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है । बहुत बार वहां की जनता ने रिक्वेस्ट की है कि पीने के लिए पानी मिले समुचित मात्रा में । इसके लिए जो यहां के ट्यूबवेल हैं वे बड़ी क्षमता के बनाये जाने चाहिए । पानी, गंदा पानी निकालने के लिए, ड्रेनेज आदि की व्यवस्था नहीं की है । ड्रेनेज से गंदे

(श्री हीरालाल आर्य)

पानी को निकालें और पीने के पानी की जो वहाँ टंकियां हैं, वे बड़ी क्षमता की बनें ताकि वहाँ के लोगों को पानी उपलब्ध हो सके ।

फिर गांवों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियां हैं। यह सही है कि अपना राजस्थान पूरा देश गांवों का देश है; गांवों का विकास ही देश का विकास है। हमारे भाई गांव में रहते हैं । गांव की स्थानीय समस्याएं है, सड़कें, स्कूल बिल्डिंग्स, कुए, बावड़ी हैं, ये ऊपर के अधिकारी नहीं देख सकते, केवल स्थानीय व्यक्ति ही इन समस्याओं से परिचित हो सकते हैं। वहीं इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार गांवों की कठिनाई को समझा था और गांवों में काम के बदले अनाज योजना चालू की थी। काम के बदले अनाज योजना से इतने काम हुए, गांव में सड़कें बनी हैं कुएं बने हैं, तालाब बने हैं, मंदिर बने हैं, मस्जिद बनी हैं! सरपंच ने जो कुछ, जो गांव के विकास के लिए किया, हमारे उधर के भाई काम के बदले अनाज योजना से बड़े चौंकते हैं, क्योंकि कांग्रेसियों की व्यवस्था यही है कि गांव के लोग पिछड़े रहें, कष्ट में रहें ताकि दुःख दूर कराने के लिए उनके सामने आयें लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार गांव वालों को स्वाभिमान से जीने के लिए, सरपंचों को इतने अधिकार और पैसा दिया कि वे अपना काम कर सकें। ढाई साल में गांव का भाग्य बदल गया, ऐसे काम किये । लेकिन, सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों में जो चुनाव की पद्धति है, इसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो पंचायतों में चुनाव होते हैं वह सारे गांव वालों में एक तरह विवाद फैला जाते हैं, गांव का सुन्दर वातावरण खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखने लगते हैं•••

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और यह ईर्ष्या और द्वेष तब तक चलता रहता है जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव की पद्धति को बदलें। गांव में चुनाव को लेकर वहां चलने वाली जो समस्यायें हैं या जिस तरह चुनाव गांवों के वातावरण को दूषित कर देते हैं, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कमेटी बना कर किस तरह की पद्धति चुनाव के लिए लागू की जा सकती है; इसके लिए विचार करना चाहिए और वह लागू की जानी चाहिए । पंचायत समितियां पहले सभी तरह के विकास के काम करती थीं लेकिन आज विकास के काम उनसे छीनकर दूसरे काम दे दिये गये हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मेरा निवेदन है कि इस ··

(व्यवधान)

पंचायत को हमने ही कराया था। पंचायत समितियां क्योंकि गांव की स्थानीय समस्याओं को जितना समझ सकती है··

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री हीरा लाल आर्य : उनको गांव में या क्षेत्र में विकास की इकाई मानकर वहां के सारे विभागों को पंचायत समितियों के अन्तर्गत दिया जाना चाहिए। गांव में सिचाई के काम, सड़कों के काम, बिजली के काम, शिक्षा, चिकित्सा के काम, यह सारे के सारे काम और इसका जो विभाग है, यह पंचायत समितियों के अधीन कर दिये जाने चाहिए। योजनायें पंचायत समितियां बनायें, उस पर पैसा खर्च करने का अधिकार डिपार्टमेन्ट का होना चाहिए। इसलिए उनको अधिकार होगा तो गांव वाले अपनी समस्याओं को अच्छी तरह रख सकेंगे और दूर कर सकेंगे। इसलिए मेरा आपकी मार्फत यह सरकार से निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात और कहना चाहूंगा। थोड़ा-सा बस एक मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

हमारा बहुत बड़ा कस्बा है, वहां नगरपालिका के जो प्रपोजल्स हैं वह हमारी सरकार के विचाराधीन हैं, वहां नगरपालिका बनाने का काम करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो बहुत बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, उनको नगरपालिका में बदला जाय।

दूसरे हरिजनों ... ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हीरा लाल आर्य : एक और सुझाव है कि ग्राम पंचायतें जो हैं, सरपंच वहां रिजर्व नहीं रख जाते हैं। जिस तरह से हमारे यहां विधान सभा और लोकसभा में रिजर्वेशन है, उसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी सरपंचों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वहां पहुंच सकें। ऐसा मेरा निवेदन है। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्र कुमार : मेरा नम्बर है क्या ?

श्री सभापति : आपका नहीं है। माननीय श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में नगरपालिकाओं को जो अनुदान मिलता है उससे अधिक दिलाने के बारे में कटौती प्रस्तावों के मार्फत मेरे विचार रखता हूं।

डूंगरपुर जिले में दो नगरपालिकायें हैं: डूंगरपुर और सागवाड़ा। यह जिला भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी है और पिछड़ा हुआ है। फलस्वरूप इसकी आय के स्रोत बहुत ही कम हैं। यहां के शहर, नगरपालिका क्षेत्र में फ्लश लैट्रिन नहीं हैं। फ्लश लैट्रिनें भी नहीं हैं, और सार्वजनिक लैट्रिन है तो उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हरिजन लोग हैं वह मैले को अपने सिर पर और अपने हाथों में ढो कर ट्रकों में डालते हैं, यह बहुत ही बुरा है। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करता हूं कि इस योजना के लिए भी बहुत ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जावे। इसके साथ ही यहां की सड़कें बिलकुल खराब हो रही हैं। शहर में एक ही सड़क है। गलियों में जो सड़कें कच्ची हैं उस पर कोई भी काम होने नहीं है। पहले जो मेन रोड है उसका जो काम किया है वह म्युनिसिपैलिटी ने नहीं किया है और सरकार से पैसा ले करके करवाया गया। अतः रोड के

(श्री नाथूराम)

लिए भी ज्यादा से ज्यादा डूंगरपुर को अनुदान दिया जावे। लाइटों की व्यवस्था भी मेन रोड के अलावा गलियों में बिल्कुल नहीं है। इससे कई दफा चोरी की और गुंडागर्दी की वारदातें हुआ करती है। अतः मैं इसके बारे में भी आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि योजना के अन्तर्गत भी ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिया जावे।

यहां डूंगरपुर शहर दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। यह दोनों ओर पहाड़ वी टाइप की शक्ल में है। दोनों छोर चौड़ाई पर हैं दूसरा छोर एक कोने में जाकर मिलते हैं जहां घाटी है। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि उन पहाड़ों का जो पानी है नाला बना कर, नहर बना कर दोनों छोरों के घोरों के हिसाब से जहां घाटा है वहां रोका जाय। इस पानी के कारण बरसात में म्युनिसिपैलिटी को 20-30 हजार रुपया हर साल मिट्टी कीचड़ पत्थर वगैरह उठाने में खर्च करना पड़ता है। यहां तक कि दोनों पहाड़ों के बीच में एक ही सड़क है। सारा पानी उसी सड़क पर से गुजरता है जिससे वहां घरों में पानी घुस जाता है। कभी कभी तो पशु और मनुष्य भी बह जाते हैं। अतः इस बारे में भी मेरी यह प्रार्थना है कि इसकी योजना को बनाने के लिए भी सरकार अनुदान ज्यादा से ज्यादा दे।

लास्ट में मेरा एक कटौती प्रस्ताव सामुदायिक विकास के अन्तर्गत पोषाहार के बारे में है। इस बारे में भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन गत ढाई सालों के कार्यकाल में काफी अनियमिततायें हुई हैं। यह कार्यक्रम पंचायत समितियों के द्वारा चलाया गया था। पंचायत समितियों में शिक्षा विभाग के जो अध्यापक थे, वे यह कार्यक्रम चलाते थे, उनमें दलिया और तेल दोनों दिए जाते थे। देते थे कम और रसीद पूरी से लेते थे। अफसरों के द्वारा यह काम होता था और अध्यापक के द्वारा तेल और दलिया लेने वालों के फर्जी नाम और ज्यादा नाम भर कर क्षतिपूर्ति कर दी जाती थी। यहां तक कि तेल के दो पीपे एक ट्रांसपोर्ट अफसर के यहां पकड़े गए थे। जब पंचनामा किया गया, सील बन्द भी कर दिया गया तो भी सोयाबीन के तेल को सरसों के तेल में, तिल्ली के तेल में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार की वारदात हुई है। अतः यह जो ढाई सालों में पोषाहार कार्यक्रम चला है उसके बारे में सरकार से निवेदन है कि इनकी जांच की जावे और जहां भी इस प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं उन्हें दंडित किया जावे। मेरे विचार समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): सभापति महोदया, राजस्थान में पंचायती राज की शुरूआत 1959 में देश के महान नेता पं. जवाहरलाल नेहरू के हाथों से नागौर में दीपशिखा प्रज्ज्वलित करके प्रारम्भ हुई थी। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम से राजस्थान का नाम सारे देश में हुआ था। मेरा पिछले 25 सालों से पंचायती राज से सीधा और गहरा सम्बन्ध रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जब शुरुआत राजस्थान में हुई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

थी वह बहुत ही अच्छे ढ़ंग से हुई थी। उस समय पं. नेहरू ने भी नागौर में यह आशंका व्यक्त की थी कि पंचायती राज के रथ के दो पहिये हैं., एक जन प्रतिनिधि और दूसरे अधिकारी वर्ग। दोनों के बीच कितना सामंजस्य रहता है; उस पर स्पष्ट तौर पर निर्भर करती है इसकी सफलता। मेरी यह मान्यता है कि 1959 के पंचायत एवं जिला परिषद एक्ट और 1953 के पंचायत एवं न्याय पंचायत अधिनियम तथा उसके सामान्य नियमों को देखें और उसके बाद जो अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं सरकार के द्वारा, मैं यह कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर राजस्थान में इन अधिकारी महानुभावों ने हमारे जन प्रतिनिधियों के सारे दृष्टिकोण और सारे विचारों पर एक तरह से अभिशाप का काम किया है और केन्द्रीकरण की दिशा में राजस्थान का पंचायती राज भटक गया है। आज राजस्थान के पंचायती राज का मूल ढांचा समाप्त हो गया है, उसकी आत्मा निकल गयी है, उसके अन्त में निवेदन करता हूं कि आज राजस्थान में पंचायती राज नाम मात्र को रह गया है। राजस्थान में पिछली जनता पार्टी की सरकार, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दावा करती है, ने पंचायती राज की और दुर्दशा कर दी। चुनाव कराने की बात करते हैं, चुनाव हुए हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता पर साथ ही साथ यह भी सही है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में जो काम हुए हैं वह लोकतंत्र और लोक धारणा के विपरीत हुए हैं। मैं सबसे पहले तो पंचायत राज मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राजस्थान के पंचायती राज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो राजस्थान में सादिकअली कमेटी और उसके बाद गिरधारीलाल व्यास कमेटी और थोड़े दिनों पहले अशोक मेहता कमेटी के नाम से जो 3 कमेटी बनी थी, इन तीनों की रिपोर्टों का समन्वय करके पंचायती राज किस प्रकार से मजबूत हो सकता है, इसके बारे में पंचायती राज कानून बना कर राजस्थान में लागू करें।

वर्तमान कानूनों में कई अधिकार सीमित किये हैं, उनके लिए भी आप विशेष तौर से जानकारी प्राप्त करें और अधिकारों पर आप विस्तार से विचार करके वापस पंचायती राज को मजबूत करने के लिए उनको अधिकार दें।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों की इस प्रकार की स्थिति बनी है कि वे बहुत छोटी हैं। उनका आर्थिक आधार नहीं है। ऐसी पंचायतों का आप पुनर्गठन करके कुछ पंचायतों को बड़ी बनायें। जहां तक मैं समझता हूं पांच हजार के आस पास एक पंचायत की जनसंख्या रहे यह बहुत आवश्यक है।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि अभी जो ग्रुप सचिव पंचायतों में चल रहे हैं, उसके कारण भी पंचायतों की हालत बहुत खराब हो गई है। तीन चार पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सचिव आपने लगा दिया जिससे कहीं पर भी काम पूरा नहीं होता है और पंचायतों की हालत खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर पंचायत में पांच सात पंचायतों, जो छोटी हैं, काम नहीं कर पाती हैं, में आस पास के गावों को मिला कर हर पंचायत में ग्रुप सचिव अलग दें तो वह पंचायत व्यवस्थित ढंग से काम करेगी। ग्रुप सचिवों को तनख्वाह एल. डी. सी. के बराबर, पटवारी के बराबर

(140)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

और ग्राम सेवकों के बराबर उनका वेतन होना चाहिए ताकि वह काम काज बराबर ठीक ढंग से कर सकें, यह बात बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र, गुजरात की पंचायतें हैं, राजस्थान में उन पचायतों की विशेषताओं को लेकर उसके आधार पर काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है आज के दिन। पंचायतों के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जनता सरकार ने लोकतंत्र की सारी बात को समाप्त करके पंचायतों में यह व्यवस्था की है, राजस्थान में पहली बार प्रशासक पंचायतों में लगायें। प्रशासक के लगाने के बाद उन पंचायत समितियों की इतनी बुरी हालत हुई है, कि पंचायत समिति तनख्वाह बांटने की एजेन्सी मात्र रह गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे दल की तरफ से मैं दूसरा व्यक्ति बोल रहा हूं। इसलिए मुझे समय देना चाहिये इन पंचायत समितियों को मजबूत बनाने के लिये इनको कृषि, पशुधन सहकारिता उद्योग का काम देने के साथ साथ पंचायत में प्रसार अधिकारी लगाने की आवश्यकता है। उसके साथ कृषि वस्तार कार्यक्रम को अलग कर दिया है, यह कार्यक्रम सफल नहीं रहा है और बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय हो रहा है। इसलिए मैं निवदन करना चाहूंगा कि ग्राम सेवक पंचायतों में हो और कृषि कार्य को पंचायत समितियों से सम्बद्ध किया जाये। पंचायतों के अन्दर जितने भी वाटर वर्क्स के काम, विद्युत, आयुर्वेद औषधालय, सब सेन्टर, डिसपेन्सरी— यह सारे कार्य-क्रम हैं, इसके साथ साथ मिडिल स्कूल भी भी पंचायत समिति को सौंपे जाने की बात कहना चाहता हूं। मैं इसके साथ-साथ शिक्षा की डिमांड पर नहीं बोल सका शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री एक ही हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाना है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात आज की मांग तक सीमित रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां 25 छात्र उपलब्ध हैं राजस्थान में प्राइमरी स्कूल आप खोल दें। इसकी मैं माननीय मंत्री महोदय से घोषणा की अपेक्षा करूंगा। गांवों में बेसिक तौर से जरूरी है, प्राइमरी शिक्षा हो। इसके लिये अधिक से अधिक तादाद में स्कूल खोले जाने चाहिये। पंचायत एक्ट के बारे में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत एक्ट की धारा 85 नाममात्र पुलिस से सहयोग लने की बात है! पंचायती कार्य में कई बार व्यवधान आ जाता है। इसलिए इस धारा को सशक्त बनाकर के पुलिस से जब भी पंचायत किसी काम के लिये अपेक्षा करे, पूरा सहयोग मिले। पंचायतों की वसूली वगैरह है, पुलिस के सहयोग की लिखित में ही व्यवस्था हो जाय, इस प्रकार शक्ति सम्पन्न यह धारा बनायी जाये।

इसके साथ दूसरी डिमान्ड है; नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नगरपालिकाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है। खासतौर से छोटी नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है। इसके लिये मैं निवेदन करना

(श्री रतनलाल तांबी)

चाहूंगा कि छोटी नगरपालिकाओं की पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या विभाग से सीधी जोड़ी जानी चाहिए। जो बस्तियां दूर हैं, नगरपालिकाओं में वहां पेयजल की समुचित व्यवस्था हैण्ड पम्प या दूसरे तरीके से करने पर विचार करके ठीक तरह करनी चाहिए। इसी तरह मेरी समस्या जहाजपुर की है, जिसमें 12 बसें लगती हैं, 2-3 किमी की दूरी पर। न वहां पर बिजली की समुचित व्यवस्था है, न पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। इसके साथ ही गत जनता सरकार ने 140 नगरपालिकाओं को भंग किया। उसमें जहाजपुर नगरपालिका भी थी। प्रशासक लगने के बाद उस नगरपालिका की हालत बड़ी खराब हो गई। चुने हुए चेयरमैन ने 67,000 रुपये वहां सौंपे थे, आज उनकी तनख्वाह नहीं चुक रही हैं। विकास के काम नहीं हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, नगरपालिकाओं के चुनाव वापस कराये जायें, वार्डों का पुनर्निर्माण किया जाय, संख्या बढ़ गई है, उसकी सीटें भी बढ़ाई जायें, यह मेरा सुझाव है। नगरपालिकाओं में चुंगी लगी रहनी चाहिये। और कोई आय का साधन नहीं है। इस दृष्टि से चुंगी की व्यवस्था बरकरार रखने का मेरा सुझाव है।

इसके साथ-साथ भीलवाड़ा नगरपरिषद के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वहां पर पता नहीं किस ढंग से कृषि भूमि में कुछ लोगों ने खरीद की और उस पर मनमानी ढंग से प्लाट बेचते हैं। यह काम 5-7-10 व्यक्तियों का धन्धा बना हुआ है। सरकारी मशीनरी से मिली भगत करके लाखों रुपये इस नाम पर कमाये जा रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि में प्लाट्स काट कर बेचने वाली बात है। इसके बारे में विशेष ध्यान दें कि बहुत बड़ी आय की कमी हो रही है, उसको ठीक ढंग से देखे जाने के लिये मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के मामले खास तौर से छोटी नगरपालिकाएं जहां हैं, वहां बड़ी नगरपालिकाओं के मुकाबले आय का साधन बहुत कम है, किन्तु उनके मुकाबले में अनुदान दिया जाता है, वह अनुदान दुगना दिया जाना चाहिये ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर, आत्मनिर्भर बनकर ठीक ढंग से विकास कर सकें, अपने-अपने शहरों का ठीक ढंग से विकास कर सकें, यह मेरा सुझाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बाकी एक सुझाव आप लिखकर मंत्री महोदय को भेज दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक सुझाव देकर समाप्त कर रहा हूं। मंत्री महोदय को कहां लिखकर भेजूंगा और कहां पहुंचेगा। एक निवेदन यह है कि मेरा सुझाव यह भी है कि जिस प्रकार सरपंच का निर्वाचन होता है, उसी प्रकार नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव आम पब्लिक से हो। इसके बारे में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मेरा सुझाव है । माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे । मैंने जैसे पंचायतों के बारे में और नगरपालिकाओं के बारे में सुझाव दिये हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जायेगा, इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री अनंग कुमार ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जो नगरपालिकाएं हैं, उनकी स्थिति अलग-अलग है । विशेष रूप से कुछ नगरपालिकाएं हैं जो ऐसी हैं, जिनकी वित्तीय स्थिति काफी दयनीय है । वित्तीय स्थिति दयनीय होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है । वहां जो आय के स्रोत हैं, वह चन्दा चुकाने में समाप्त हो जाता है । सभापति महोदय, इस स्थिति में झालावाड़ जिले के अंदर झालावाड़ और झालरापाटन दो नगरपालिकाएं हैं । झालावाड़ शहर के अन्दर चुंगी की इतनी कम आमदनी है, उससे जो आमदनी होती है उससे वहां तनख्वाह नहीं चुका पानी हैं और वर्ष के अन्त में वहां पर जमीन और प्लाट्स बेचने पड़ते हैं उससे कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाई जाती है । ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि वह शहर के विकास के लिये कुछ कार्य कर सके, पैसा खर्च कर सके , वहां सड़कों की व्यवस्था कर सके, सुचारु रूप से बिजली की व्यवस्था कर सके, पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके । इस प्रकार की स्थिति झालारापाटन की नगरपालिका की है । झालरापाटन नगरपालिका में कोई वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है । पूर्व में वहां दो मेले लगते थे, उनकी आदमनी झालरापाटन नगरपालिका को होती थी, करीब 10-12 वर्ष पूर्व वह दोनों मेले राज्य सरकार ने ले लिये इससे वह आमदनी का साधन वहां पर समाप्त हो गया । यदि झालरापाटन नगरपालिका को इन दोनों की आमदनी मिलेगी तो सम्भवतः वहां की शहर की हालत सुधर सकती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ झालरापाटन के पास है, जो नगरपालिकाएं छोटी हैं वहां पर वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है विशेष रूप से उन नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिया जाये । ताकि वहां सड़कों का विकास बिजली की समुचित व्यवस्था हो सके, पीने के पानी की व्यवस्था हो सके ।

सभापति महोदय, विशेष रूप से जो छोटी नगरपालिकाएं हैं, उनके अन्दर वित्तीय सहायता के अभाव के अन्दर जो अनु. जाति और अनु. जनजाति के लोग रहते हैं, और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, अक्सर शहरों के अन्दर अनु. जाति और अनु. जनजाति के लोगों के जो मोहल्ले बने हुए हैं, वह शहर के आखिर में बने हुए हैं । सारे शहर के गन्दे पानी का नाला शहर से होकर उन आखिर में बने मोहल्ले में से गुजरता है । सभापति महोदय, अनु.जाति और अनु. जनजाति के जो लोग उन मोहल्लों में रहते हैं उस नाले के वजह से उनकी स्थिति बहुत खराब रहती है, उनको जीवनयापन बहुत खराब करना पड़ता है । उन मोहल्लों की ओर विशेष रूप से सरकार जो अपने आपको अनु. जाति और अनु. जनजाति का रहनुमा कहती है, विशेष रूप से ध्यान दें उनके विकास का प्रयत्न करें । झालावाड़ शहर के बारे में

(श्री अनंगकुमार जैन)

खास तौर से,मैं निवेदन करना चाहूंगा । वहां दो मुख्य नगरपालिकाएं हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, और दो नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिसमें मुख्य रूप से 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग रहते है, उन नगरपालिकाओं में जाकर वह नाला समाप्त होता है । इसके बारे में पिछले समय जनता सरकार ने योजना बनाई थी, उस योजना को राज्य सरकार को भेजा था लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, विशेष रूप से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस योजना को स्वीकृति प्रदान करें ताकि झालावाड़ शहर में अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनके मोहल्ले के अन्दर से जो नाला गुजरता है, यदि उसका प्लान बनाकर, उस नाले को पक्का बना दिया जाये, अन्डरग्राउन्ड बना दिया जाय तो वहां के मोहल्ले के लोग अच्छी तरह से जीवनयापन कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, दूसरी मांग पंचायतों के बारे में है विशेष रूप से पंचायती राज के अन्दर काम के बदले अनाज योजना से कार्य करवाये गये हैं । कांग्रेस के दोस्तों ने बड़े जोर शोर से सरपंचों के भ्रष्टाचार और उनकी जांच के लिये कहा । मैं भी निवेदन करता हूं कि उन सरपंचों की भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये इसके बारे में मंत्री महोदय जवाब दें । सभापति महोदय, निश्चित रूप से सरपंचों के खिलाफ जांच होनी चाहिये लेकिन वह दल के आधार पर नहीं होनी चाहिये बल्कि जिन सरपंचों ने भ्रष्टाचार किये हैं उनके खिलाफ होनी चाहिये । मैं विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रटलाई ग्राम पंचायत के सरपंच, जिसके विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में 30469 का घोटाला पाया गया, प्राथमिक जांच से यह बात साबित हो चुकी है इसके अलावा भी उसके खिलाफ कई घोटाले हैं जिनके कारण 21-11-79 को उसको निलंबित किया गया । सभापति महोदय, स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस सरपंच के खिलाफ गंभीर जांच के मामले सामने आये हैं और प्राथमिक इन्क्वायरी में वह साबित हो चुके हैं । उसके 6 माह बाद उसको फिर रीइंस्टेट करने के आदेश सेक्रेटेरिएट से प्रसारित किये गये । इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है ? कहते हैं पुरानी सरकार ने जो काम बिगाड़े उनको सुधार रहे हैं । सभापति महोदय, जिस चीज को...

श्री रामनारायण डूडी : पिछली सरकार ने ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें । माननीय सदस्य,स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामनारायण डूडी : इन्होंने केवल रंजिश के आधार पर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री अनंगकुमार जैन : प्रश्न सं. 251 और 180 के जवाब में ...

श्री सभापति : आपस में बातें न करें ।

श्री अनंग कुमार जैन : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि सरपंच श्री तुलसीराम पालीवाल के विरुद्ध

144

(श्री अनंगकुमार जैन)

काम के बदले अनाज योजना में देवनारायण लिंक रोड एवं पुलिया के निर्माण कार्य में 39073.39 रु. का घोटाले का मामला पाया जाता है। दूसरी ओर उसी सरपंच को फर्जी स्टे आर्डर के तहत रीइंस्टेट के आदेश प्रसारित किए जाते हैं। इन आदेशों के खिलाफ लोगों ने मंत्री महोदय को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, वह प्रार्थना-पत्र मंत्री महोदय के विचाराधीन है लेकिन मंत्री महोदय बार बार रमाकांत अग्रवाल पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि आप इस सरपंच को रीइंस्टेट कीजिये उसको चार्ज दिलवाइये। एक तरफ सरकार स्वीकार करती है कि सरपंच भ्रष्टाचारी है दूसरी तरफ मंत्री महोदय टेलीफोन करके आदेश देते हैं कि इसके रीइंस्टेट की कार्यवाही आज तक क्यों नहीं हो रही है। सभापति महोदय, कांग्रेस के मंत्री एक तरफ इस बात की वकालत कर रहे हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये यह स्वीकार करते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप कब जांच करवायेंगे, जिस सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला साबित हो चुका है कम से कम उसको रीइंस्टेट करवाने की कोशिश तो मत करिये।

सभापति महोदय, काम के बदले अनाज योजना में हुए घोटालों की निश्चित रूप से जांच करने की बात कही गई है। मैं भी कहता हूं, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये लेकिन जांच का माध्यम क्या हो इस पर सरकार कायम नहीं है। जांच का माध्यम दूसरा किया जा रहा है। जो विधायक लिख कर दे दें तो सरपंच के खिलाफ जांच होगी और अगर दो विधायक लिखकर दे दें कि जांच नहीं होनी चाहिये तो उस सरपंच के खिलाफ जांच नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, भ्रष्ट सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये वह निष्पक्ष की जानी चाहिये।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। उसके लिये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता शासन में ग्राम पंचायतों को 4 आने की बजाय ढाई रुपये अनुदान दिया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि इस अनुदान को और बढ़ाया जाय ताकि वे और अच्छा काम कर सकें।

श्री सभापति : श्री रामधन।

श्री रामधन (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं। मैं म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने के विषय में विशेष जोर दे रहा हूं क्योंकि सभी पूर्व सदस्यों ने कहा उससे जाहिर होता है कि प्रशासक लगाने के बाद, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद म्युनिसिपैलिटी में कोई काम नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टाचार के। दूसरी तरफ काम के बदले अनाज योजना के बारे में इधर कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने कहा, उधर जनता पार्टी वालों ने कहा; वास्तव में योजना अच्छी थी। उसका दुरुपयोग किया गया इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। मैं तो आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण दूंगा क्योंकि मुझे मालूम है, शीघ्र ही घण्टी बजा देंगे। लाडनूं म्युनिसिपैलिटी एरिया में राजकीय अस्पताल है, जिसमें मैंने स्वयं लेडीज वार्ड में जाकर देखा है, वहां पंखे तक उतार कर ले गये जनता पार्टी के आदमी और विधायक बनने के बाद दो साल तक कोशिश नहीं की, कर्मचारी ले गये या कौन ले गया, कोई मालूम नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप चिकित्सा के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री रामधन : नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बोल रहा हूं। वहां डाक्टर भी नहीं है। छः महीने से डाक्टर का पद खाली पड़ा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रीजी का आपकी तरफ से ध्यान दिलवाना चाहता हूं।

श्री सभापति : आज की मांग पर बोलें, माननीय सदस्य।

श्री रामधन : और पंचायतों में भ्रष्टाचार का सवाल है उनके जब तक दुबारा चुनाव नहीं होंगे, उनकी जब तक जांच नहीं होगी, मैं समझता हूं, सुधार नहीं होगा। क्योंकि काम के बदले अनाज योजना चली थी उसमें लूटो खोसो और खाओ के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उससे आधे का काम हुआ है। आधा अनाज फालतू खा गये हैं। इसलिए आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसमें असली जांच करवावें। मैं नहीं कहता कि पार्टी के आधार पर जांच की जाय और दो सदस्यों के दस्तखत करके देने से जांच न हो। ऐसा नहीं है, न होगा क्योंकि यह तो अपना अपना आईना है। मैं तो चाहता हूं निष्पक्षता के आधार पर जांच हो और जो चोर हैं वे दण्डित हों। पंचायत समितियों के चुनाव न होने की वजह से जो छूट पंचायतों को मिली इसका जिन्होंने नाजायज फायदा उठा कर धोखा किया है, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिये ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की चोरियां न करें। जहां तक पंचायतों में ग्राम सेवकों को लिखा पढ़ी के लिये लगाया गया उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। यहां तक कि बाकलियों, मीलनवाद और चुनाई पंचायतों में 8-8 बोरियां देते हैं उनके लिये कहा गया कि बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने मेहनत की थी उनको मजदूरी का कितना दिया 1.500 कि ग्रा और 4 किलो के हिसाब से वह गेहूं जाकर बाजार में बेचते हैं। इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका मुझे भरोसा है कि काम के बदले अनाज योजना चली थी उसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाई जाय। और ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। मैं तो टाइम का ध्यान रखता हूं। आप जल्दी घंटी बजा देंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव दुबारा करवावें और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी जल्दी से जल्दी करवायें ताकि जनता के प्रतिनिधि वहां पर आकर जो धांधली कर रहे हैं उसको रोकने में सहायक हों। म्यूनिसिपैलिटी एरिया का सवाल है तो जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव होते हैं उसी तरह से होने चाहिए ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसे मेरे सुझाव भी हैं। इसलिए मुझे आशा है, मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे इसमें सुधार करवायेंगे और पंचायतों, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव कम से कम जल्दी से जल्दी करवा देंगे।

श्री सभापति : श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, सामुदायिक विकास विभाग की मांग संख्या 41 पर विचार हो रहा है इस पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था ।

श्री मेघराज तांवड़ : आपने कहा था कि इनके बोलने के बाद । चार अन्य और बोल गये हैं ।

श्री बाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत राज्य की 105 पंचायतों के अन्दर केयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें बच्चों को दोपहर का नाश्ता दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष के 37,500 बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है जिस पर 19 लाख 25 हजार रुपया व्यय किया जा चुका है। इस 80-81 के बजट के अन्दर भी 8 लाख 38 हजार बच्चे को लाभान्वित करके 19 लाख 38 हजार रुपये का प्रावधान, निर्धारित किया गया है । यानि 500 बच्चों को केयर प्रोग्राम के तहत दोपहर का नाश्ता देने का प्रावधान है पिछले बजट में 19 लाख 38 हजार था इस साल भी 19 लाख 38 हजार का ही बजट रखा है यह मुझे असम्भव लगता है। 500 बच्चों को अधिक नाश्ता दिया जाएगा और रकम वही है जबकि भाव 20 प्रतिशत बढ़ गये हैं । बजट बनाने वाले ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं रखा है। सामुदायिक विकास की मांग की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। इसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है । गरीबों के बच्चों को महत्व नहीं दिया गया। जहां पिछली सरकार ने हमारी जनता सरकार ने राजस्थान में 19 लाख 38 हजार से 3 लाख 37 हजार 500 बच्चों को दोपहर का भोजन, नाश्ता दिया था वहां आपकी सरकार केवल 500 बच्चों को और नाश्ता देने की बात कर रही है और इसके लिए कोई अधिक बजट नहीं दे रही है। मैं समझता हूं कि कोई जादू हो जाए तो बात अलग है, वरना इस बजट में असंभव है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, सामुदायिक विकास योजना के तहत ग्रामीण पेयजल, कूप निर्माण की बात भी कही गयी है। मेरे क्षेत्र में उजाड़ा करके एक स्थान है। यह बिलकुल उजड़ा हुआ है। यहां पर मीणा बहुल जाति रहती है। इस क्षेत्र में पानी की भयंकरतम समस्या है। आजादी के 32 साल बाद भी लोगों को दो किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए विवश होना पड़ता है। पिछली सरकार ने 350 कुओं के निर्माण की मांग पास करायी थी वहां आपकी सरकार केवल 50 कुओं के निर्माण की मांग रख कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ रही है । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजट प्रावधान के तहत जो धनराशि रखी गयी है 19 लाख लाख 38 हजार उसको या तो बढ़ावें या इनकी संख्या कम करें । इसी प्रकार केयर प्रोग्राम के अन्तर्गत भी धनराशि को बढ़ावें या बच्चों की संख्या को कम कर दें वरना राजस्थान में 3 लाख 38 हजार बच्चों के स्थान पर केवल 2 लाख 38 हजार बच्चों को ही आप इस प्रोग्राम के अन्तर्गत ले सकेंगे । जो फिगर्स इस बजट में दिए गए हैं मैं उनको अस्वीकार करते हुए इसे तरक्की का बजट नहीं मानता । मैं इसको अप्रगति का बजट मानता हूं ।

मेरा निवेदन है कि कोटा नगर एक औद्योगिक नगरी है। परन्तु इस बजट में उसके साथ अन्याय किया गया है । राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर शहरों के लिए सीवरेज योजना के लिए धनराशि का प्राव-

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

ध्यान किया गया है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि कोटा नगर को इसमें भूल गये हैं। राजस्थान में अगर कोई शहर बढ़ रहा है, कोई नगर तरक्की कर रहा है तो वह मेरा कोटा नगर ही है परन्तु दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने मेरे कोटा नगर के साथ पक्षपात किया है, अन्याय किया है। कोटा ही राजस्थान में एकमात्र औद्योगिक नगर है और बगीचे के नगर के रूप में भी उसको माना जाता है। पिछले साल दो करोड़ रुपये की सीवरेज स्कीम्स कोटा नगर के लिए स्वीकृत हुई थी। कोटा नगरपालिका की स्थिति अच्छी नहीं है। इसकी अच्छी स्थिति इसलिए नहीं है कि कुछ पूंजीपति, धन्ना सेठ इस नगरपालिका का सत्यानास करने पर तुले हुए हैं। ये लोग हाई कोर्ट में गये और वहां पर नगरपालिका की भली प्रकार से पैरवी न होने के कारण केस हार गये किन्तु वहां के योग्य प्रशासक कमिश्नर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन से सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ी, वहां से हमारी नगरपालिका जीत कर आई और एक करोड़ रुपये की चुंगी जो डी. सी. एम. खा जाती थी, को कोटा नगरपालिका के कारिंदों ने निकाला है। मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि इन तीन बड़े नगरों के साथ साथ कोटा नगर को भी लिस्ट में लिया जाए और इस नगर को भी सीवरेज स्कीम में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

कई माननीय सदस्यों ने नगरपालिकाओं की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह नगरपालिकाओं का मूलभूत अधिकार है कि मनोरंजन कर पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मनोरंजन कर वसूल करने का अधिकार स्वायत्तशासी संस्थाओं को होना चाहिए। आप चाहते हैं कि स्वायत्त शासी संस्थाएं प्रगति की ओर अग्रसर हों तो मनोरंजन कर का पूरा का पूरा पैसा नगरपालिकाओं को दे दें तब वे आगे को बढ़ सकेंगी, पनप सकेंगी। इसके लिए मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पुरजोर शब्दों के साथ निवेदन है।

एक निवेदन और है। राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हैं। कोटा नगरपालिका की भी यही स्थिति है। सिटी मजिस्ट्रेट पार्ट टाइम प्रशासक का काम करते हैं। कोटा जैसे महा नगर के लिए यह उचित नहीं है। मुझे याद है जब मैं कोटा नगर परिषद् में प्रेसीडेन्ट था तब हम किस प्रकार से काम करते थे। कोटा की चहुंमुखी प्रगति करनी है तो पार्ट टाइम प्रशासक ठीक प्रकार से काम कर सके, यह संभव नहीं है। इसलिए आप वहां पर पूरे समय के लिए किसी प्रशासक को नियुक्त करें।

नगरपालिकाओं को अनुदान राशि देने में मंत्री महोदय को मनमाना अधिकार है। जिसको चाहे, अपनी चहेती नगरपालिकाओं को इस अधिकार के तहत वे ओब्लाइज कर सकते हैं। यह धनराशि मंत्री महोदय के हाथ में रहती है और जिसको चाहे, जिस प्रकार से चाहे और जितनी चाहे उतनी राशि मंत्री महोदय उस नगरपालिका को दे सकते हैं...

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं मिलेगी। आपने भी मनमानी की है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : हम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। एक उदाहरण भी आप दें।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर जो चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं हैं उनके लिए आप एक क्राइटेरिया तय करें कि बड़ी आबादी वाली नगरपालिकाओं को अनुदान देने की जरूरत नहीं। राजस्थान की जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उन को अनुदान की राशि तय कर दी थी, इतनी आबादी वाली नगरपालिकाओं को हम इतना प्रतिशत अनुदान देंगे। मैं समझता हूं कि जब आप इसकी लिस्ट बनाएंगे तो मेरे क्षेत्र की सांगोद नगरपालिका को भी अनुदान राशि देकर उसका विकास करना न भूलेंगे

एक माननीय सदस्य : सवाल ही नहीं उठता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं जानता हू हमारे मंत्री महोदय इतने संकुचित दायरे के नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अनुदान राशि वितरित करते समय सांगोद नगरपालिका का अवश्य ही ध्यान रखेंगे।

अब मैं एक महत्वपूर्ण निवेदन करने जा रहा हूं। राज्य कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में मुक्ति दी जाती है। मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार की रियायत शिक्षण शुल्क की नगरपालिका और पचायत समितियों के कर्मचारियों को दी जानी चाहिये। जो नगरपालिका और पचायतों के कर्मचारी हैं उनकी काफी दयनीय स्थिति है। शहर में रहने वाले राज्य कर्मचारियों की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी नगरपालिका के कर्मचारियों की है। मेरा निवेदन है कि

एक माननीय सदस्य : नाकेदार की स्थिति कैसी है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अधिकांश स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति दयनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति शिक्षण शुल्क से मुक्ति दें। नगरपालिका, पचायतों के कर्मचारियों के बच्चों को आप शिक्षण शुल्क में रियायत दें। इस शैक्षणिक सत्र में यह संभव न हो तो अगले सत्र में तो देने की अवश्य ही कृपा करें।

चुंगी के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं इसका हामी हूं। नगरपालिका की एक मात्र आय चुंगी से होती है। जिस दिन इसको समाप्त कर दिया गया नगरपालिकाएं धड़ाम से समाप्त हो जाएंगी। मेरा निवेदन करना यह है कि चुंगी की दरों में आप समानता लाइये। कहीं तौल पर चुंगी है। कहीं रुपयों पर चुंगी है। कोटा में रुपयों पर चुंगी है, अजमेर में तोल पर है। एक हजार के सोने पर इतने रुपये की चुंगी होगी। जयपुर में इतने तौल पर इतना-सा पैसा बनेगा। तो चुंगी की दरों में जो असमानता है आप उसको ठीक करें। चुंगी में जो असंगति है उसको ठीक करें। चुंगी कानून में जो असंगतियां हैं उनको ठीक करें। भ्रष्टाचार की जो बात चुंगी में है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रक नगरपरिषद सीमा में घुसता है और ट्रक नगर परिषद की सीमा से बाहर निकलता है तो चुंगी के लोग, नगरपरिषद के लोग धरोहर के रूप कुछ राशि अपने पास जमा कर लेते हैं और जब वह ट्रक सीमा पार करता है तो उसको वह वापस कर दी जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वह राशि लूट ली जाती है। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ न कुछ राशि तयकर दीजिये, वह नगर परिषद को देकर बड़ा खुश होगा। वह दर निश्चित होगी तो उससे चुंगी की आमदनी भी बढ़ेगी और ट्रक वाला खुशी खुशी दे भी जायगा लेकिन चुंगी में राजस्थान में मैं समझता हूं ट्रक वाला सीमा पर 5 रुपया देता है तो वापस निकलने पर उसको 2 रुपया ही वापस मिलना है, 3 रुपये की राशि खा जाते हैं। नगर परिषद के रेवेन्यू आफिसर से लेकर चुंगी का छोटे से छोटा कर्मचारी का इसमें हिस्सा होता है। कोटा में करीबन रोजाना 2000 ट्रक निकलते हैं। अगर एक ट्रक वाला पांच रुपया देगा तो इस हिसाब से ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ऐसी बेईमानी को आप निश्चित रूप से समाप्त करें। आप उधर जाते रहते हैं। कोटा की ही बात नहीं है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर सब जगह इसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। इसको समाप्त करने की कृपा करें।

एक निवेदन यह है कि यू. आई. टी. और हाउसिंग बोर्ड ये दोनों मिलकर या अलग अलग भूखण्ड लेकर प्लाट बनाते हैं। हाउसिंग बोर्ड और यू. आई. टी. बड़ी बड़ी योजना बनने के बाद एरिया डवलप करने के लिये नगर परिषद को कहते हैं। जब वह प्लाट हो जाता है तो नगर परिषद की जिम्मेदारी आ जाती है कि वह वहां बिजली पहुंचाये, नालियां बनवाये, सड़क ठीक करायें। लेकिन नगरपरिषद को कोई प्रतिशत नहीं मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जितना पैसा जमीनों को बेचने से मिलता है उसका कुछ पैसा यू. आई. टी. नगर परिषद को दें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान में विशेष रूप से मिलावट के संबंध में कहना चाहूंगा। मैंने आपके माध्यम से पहले भी अनुरोध किया था और जब चिकित्सा की डिमान्ड पर चर्चा होगी तब फिर कहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान में एक प्रयोगशाला बनी थी जयपुर में लेकिन मेडिकल विभाग ने उसमें अपना दफ्तर बना लिया है। मिलावटी सामान की जांच के लिये वर्ल्ड बैंक से 18 लाख रुपये से प्रयोगशाला बनायी गयी थी। उसको वापस प्रयोगशाला ही बनाया जाये।

अब मैं पंचायतों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी सरकार ने पहली बार चुनाव कराये है इसका मुझे गर्व है।

एक माननीय सदस्य : आप की सरकार या जनता पार्टी की सरकार।

श्री दाऊदयाल जोशी : हां जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार ने पहली बार पंचायतों के चुनाव कराये और मेरी सरकार ने 25 पैसे को बढ़ाकर ढाई रुपये प्रत्येक आदमी के आधार पर ग्राम पंचायतों को दिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप वास्तव में ईमानदारी से

(श्री बाऊदयाल जोशी)

लोकतंत्र और समाजवाद में आस्था रखते हैं तो ग्राम पचायतों के अनुदान को बढ़ाकर ढाई रुपये से कम से कम 5 रुपया तक करने की घोषणा आप इसी बजट में करें। आज ग्राम पंचायतों की हालत गिरती जा रही है। उसको ठीक करने के लिये यह बहुत आवश्यक है। यही मेरा निवेदन है।

जयहिन्द

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : लिस्ट में तो बहुत लोग हैं। समय कब बढ़ाया गया है।

एक माननीय सदस्य : तो समय बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सभापति महोदय, मैं..

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट।

(व्यवधान)

समय की सीमा है।

श्री माधवसिंह दीवान : वे बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री सभापति : समय 7 बजे तक बढ़ाया गया था......

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, समय 7 बजे तक बढ़ाया गया था। बी. ए. सी. की लास्ट मीटिंग हुयी थी उसमें आपके नेता महोदय भी मौजूद थे। मुझे स्पीकर साहब ने कहा था कि हमेशा डिमान्ड पर हाउस 7 बजे तक चलेगा। 7 बजे तक रिप्लाई भी आ जाना चाहिये और उसी आधार पर मैंने समय 5 से 7 बजे तक का बढ़ाया था। उसी हिसाब से बोलने के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था कि जरूरी माननीय सदस्यों को टाइम दे दीजिये। बोलना तो सभी चाहते है। फिर हर डिमान्ड पर रोजाना बी.जे.पी. की 15 आदमियों की लिस्ट आ जाती है और सभी चाहते हैं कि रोजाना बोले, यह कतई सम्भव नहीं है। हमारे 134 सदस्य हर डिमान्ड पर रोजाना बोलना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह पूरे नहीं बोल सकते हैं। आपके कहने से हम समय नहीं बढ़ा सकते हैं। हम तो नियमों के अनुसार चलते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति जी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एकमात्र सदस्य हूं मैं पानी पीने गया हुआ था मुझे मौका दिया जाय

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने अपना टर्न गंवा दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सात बजे तक का समय बढ़ाया गया है तो साढ़े ६ बजे जवाब आना चाहिये।

श्री सभापति : अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 7 बजे तक का निर्णय सभी पार्टी के लोग ले चुके हैं तो मैं समझती हूं कि मजबूरी होगी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, या तो समय बढ़ाया जाय या फिर 6.30 बजे मंत्री महोदय का जवाब आना आवश्यक था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं, सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सचेतक जी से पहले भी निवेदन किया था। आज की स्थिति देखें जो कांग्रेस अर्स के बन्धु जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये थे। बी. जे. पी. के 19 थे, जनता पार्टी के 4 लोग थे, लोकदल के 2 लोग थे और प्रगतिशील में से 2 लोगों के थे, कांग्रेस के 34 लोग थे। क्या हमको उनसे अधिक समय मिल गया। कृपया उसके हिसाब से व्यवस्था दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे 34 में से 34 के 34 नहीं बोले हैं केवल 8-10 बोले हैं। आपके माननीय सदस्यों ने 7-7 मिनट बोलने के बजाय 15-15 मिनट बोल लिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : समय बढ़ाया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय कतई नहीं बढ़ाया जाये।

(व्यवधान)

श्री बृज सुन्दर शर्मा : मिनिस्टर का जवाब आने दीजिए। आखिर हम इस विधान सभा में किस लिए बोलते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सूची उठाकर देखिये कि मेरा दूसरा नम्बर था। मेरा नम्बर काटकर 18 नम्बर किया गया है। फिर भी मुझे अन्त में भी नहीं बोलने दिया जाय, मैं समझती हूं बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपका दाऊदयाल जोशी, बंशीलाल पटवा के बाद नम्बर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मेरा मूल कटौती प्रस्ताव है जिस पर मैंने मेहनत करके तैयारी की है उसमें मेरा दूसरा नम्बर है। श्री राम रघुनाथ जी के बाद मेरा नम्बर आता है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, बी. ए. सी. की व्यवस्था का प्रश्न है, पता नहीं वह झूठी है या सच है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज फिर निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनकी संख्या के अनुसार बोलने के समय का आवंटन किया जाये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : 80 कटौती प्रस्ताव दिये थे। ऐसा नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम लोगों ने 18 आदमियों के नाम दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अब मन्त्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

(6.40 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिये थे। हम आशा रखते थे कि हमें भी बोलने का अवसर मिलेगा। मेरे क्षेत्र में बहुत परेशानियां हैं। अगर हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो साल में एक बार तो बोलने का मौका मिले। आप चाहें तो बोलने का समय सीमित कर दें। लेकिन बोलने का समय मिल जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की परेशानियां बता रहे हैं, और इनकी ज्वलन्त समस्याएं हैं, अगर यह बोलते हैं तो हमारे दल की तरफ से 35 सदस्यों ने नाम दिये हैं, अभी तक 11 बोल पाये हैं। अगर हम 35 के 35 नाम दें तो पूरी रात हो जाएगी। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है। नियमों व प्रक्रिया के हिसाब से समय का अवंटन करते रहे हैं। आपने स्वयं यह निर्णय लिया था कि 7 बजे तक डिमाण्ड चलेगी उसी हिसाब से निर्णय लिया था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था। 19 आदमियों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। जैसा कि माननीय खेतसिंह जी कह रहे हैं, ग्यारह आदमी बोले हैं। हमारे 5 आदमियों को मौका मिला है। हमको भी बोलने दिया जाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप 25 बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके कितने सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 19 नाम दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, कितने हैं। माननीय सदस्य, यह तो बताइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पांच हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच आपके होंगे तो हम 20 होंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

आधा घण्टा बढ़ा देते हैं। कुछ कांग्रेस आई के माननीय सदस्य बोल जायें। कुछ आपके माननीय सदस्य बोल जायें। यह मेरा प्रस्ताव है। सभी कोई बोलें यह सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह तो अनुपात से होगा।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा समय नहीं है। 7 बजे उत्तर दिया जाना प्रारम्भ होगा। पांच पांच मिनट बोल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीन अगर उधर से बोलते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यह करें। तीन विपक्ष की ओर से और दो पक्ष की ओर से बोल लें।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

यह सम्भव नहीं है। अच्छा, चार विपक्ष से और तीन पक्ष से बोल लें। पांच मिनट से अधिक भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य।

क्या सदन की सम्मति है कि विधान सभा की बैठक का समय 7.45 बजे तक बढ़ा दिया जाय.

(स्वीकृत)]

7.45 तक समय बढ़ाया गया।

श्री मेघराज।

मांग संख्या29 व 41 पर विचार

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कटौती प्रस्ताव पर मैंने पहले विचार रखे थे। मेरा निवेदन है कि यह इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है जो कि शहरों को सुन्दर बनाने के लिए काम करता है। लेकिन मैं इस टाउन प्लानिंग डिपार्टमेण्ट को शहर के बाहर की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां गन्दी बस्तियां है, कच्ची बस्तियां हैं। उन गरीब लोगों के लिए न झोंपड़ियां हैं, न पानी है, न लाइट है, न और कोई व्यवस्था है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है। हिन्दुस्तान में समाजवाद की बात करने वालों का क्या यही समाजवाद है? एक तरफ रंगीन महल खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ झोंपड़ियों में दीया तक नहीं है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन गन्दी बस्तियां में आप जनता के वोट लेने की बात करें तो मैं चाहूंगा, जैसा कि बंगाल सरकार ने किया है, उसी तरह से यहां की सरकार भी उनको मकान बनाकर दे। दूसरी तरफ जितने औद्योगिक नगर हैं, हमें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपने समय कम दिया है, यहां नगर विकास न्यास के भ्रष्टाचार की बात की है। मैं नगर विकास न्यास में बाबू रह चुका हूं। मैं अच्छी तरह से जनता हूं कि वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला है। सभी आफिसर डिपार्टमेन्ट के मालिक बने हुए हैं। उदयपुर में यही हाल है। एक काश्तकार की जमीन लेकर लाखों कमा रहे हैं। वह जमीन बेकार जा रही है। उस पर पाबन्दी लगानी चाहिए। इस तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं इधर जनता पार्टी वाले कहते हैं। किसने निकाल दिया है? आज तक किसे निकाला है? उनको 30 साल हो गये हैं। 30 साल में एक लड़का बाप बन जाता है। इसकी दोनों पर जिम्मेदारी है। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। लेकिन अपनी कमजोरी जानते हैं। जनता पार्टी के राज में उदयपुर में, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मदनलाल दुगड़, जनसंघ और आर. एस. एस. का आदमी था। मोती मगरी स्कीम बनी। स्वायत्त शासन मन्त्री, मैं इस विषय में पढ़ कर सुनाता हूं। 380 और 339 की जमीन को अन्याय से खा जाने वाले इनसे वह जमीन छुड़ाई जाये। रामकिशोर बोहरा, विनय कुमार बोहरा, सम्पतलाल बोहरा, इनको उस जमीन से निरस्त किया जाये।

एक चम्पावाड़ी की जमीन है। आप को पता नहीं है। उदयपुर के भू. पू. महाराणा की जमीन है। वहां मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इन दोनों ने जमीन खरीद ली है। प्लान बना रखा है। मैं चाहूंगा स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, उस जमीन को रुकवाया जाये। गरीबों को अलॉटमेण्ट किया जाये। दूसरी तरफ कच्ची बस्तियों का प्लान बनाया जाये। उनको प्लाट बना कर दिये जाये

154

(श्री मेघराज तावड़)

श्रीमन् मैं पंचायत राज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पंचायत राज की तरफ क्यों आकर्षित करना चाहता हूं? शुरू शुरू में पंचायत का काम ठीक चला। लेकिन आज जो पंचायत व्यवस्था है। थ्री टायर और टू टायर सिस्टम गलत है। यह पंचायत की बात करते हैं, क्यों न उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाय, उनको सूखा दलिया डालकर उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। श्रीमान मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि समाजवाद की बात करने वाली सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे उनके खाने-पीने की व्यवस्था करे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : रहने की और होस्टल की व्यवस्था करे। आज पंचायत समितियों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सर्विस की कोई सुरक्षा नहीं है, उनको मकान भत्ता नहीं मिलता है, उनको चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है और दूसरी अन्य सुविधायें उनको नहीं दी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय और पंचायत राज मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देवें। उन हजारों कर्मचारियों की तरफ ध्यान दें। एक पंचायत समिति में एक ओवरसियर होता है जिसमें तीन तीन पंचायतें होती हैं इसके जरिये आज भ्रष्टाचार हुआ है मैं चाहूंगा मंत्री महोदय के पास एक भोरी का सरपंच आया है जिस पर भ्रष्टाचार का घोटाला है।

पंचायतों में जो भ्रष्टाचार होता है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको मन्त्री महोदय सजा दिलायेंगे और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा।

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी समय में टाउन प्लानिंग का काम स्वायत्त शासन विभाग देखा करता था लेकिन इसके कार्य के विस्तार को देखते हुए यह नया विभाग बनाया गया और कहा गया कि छोटे और बड़े नगरों का प्लानिंग जायगी। मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस विभाग को अलग से बने हुए इतने दिन हो गये केवल पांच नगरों का प्लानिंग किया गया है और वह भी प्लान अपर्याप्त है। जब तक पूरा प्लान नहीं बन जाता तब तक उसकी क्रियान्विति भी असम्भव है। मैं आपका जयपुर की ओर ध्यान दिलवाना चाहूंगी। जयपुर में जहां पर बगीचे थे, वहां बस्तियां हो गई और जहां आबादी होनी चाहिए वहां पर बगीचे लगा दिये। इस तरह की प्लानिंग बनाया गया है कि आबादी को तोड़कर बगीचा बना दिया जायेगा और जहां बस्ती बन गयी थी वहां लोगों के लिए यह कहा गया कि यहां से उन सब को हटा दिया जायेगा। जहां आबादी बसी हुयी है उसको हटाकर और दूसरी आबादी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

समाप्त दी जायेगी। मैं प्रतापनगर कालोनी की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पर भी इस प्रकार के आदेश दिये गए, कई बार परिवर्तन की मांग की गई। लेकिन जरा भी ख्याल नहीं किया गया। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई स्कीम भी नहीं बनाई गई। स्कीम जब बनी उसमें अलग व्यवस्था को लिया गया है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यू. आई. टी. के बाईलॉज बनाने का काम बहुत बड़ा है जिसमें कि नक्शे पास किये जाते हैं या और कोई उनको सुविधायें दी जाती। आवास की समस्या के समाधान हेतु बाईलाज बने नहीं किसी जमाने में यू. आई. टी. 60 और 80 फीट छोड़कर बनाने वाली बात थी, एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम इसको नियमित नहीं करेंगे और दूसरी ओर जैसे आदर्शनगर का पुनर्वास का एरिया है वहां पर अभी नियमितीकरण हुआ ही नहीं है। एक समस्या में लोग उलझे हुए हैं आये दिन उन पर तरह तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक तरफ तो कन्स्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इनका नियमितिकरण नहीं हो रहा है, इसलिए हमको कोई न कोई नया दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ेगा। एक ओर कहा जाता है कि छोटे प्लाट का सब डिवीजन नहीं किया जायेगा और दूसरी ओर कच्ची बस्तियों में 50 गज के प्लाट दिये जाने की बात की जाती है आखिर उनमें भी इंसान ही रहने वाले हैं, आखिर सबके लिए आपको एक दृष्टिकोण लेकर चलना पड़ेगा। सीलिंग से बहुत कुछ जमीन मिल सकती थी लेकिन लोगों ने बड़े दामों पर उनको बेच दी। उन पर कालोनी बसाने का प्रयत्न नहीं किया गया। जबकि यहां पर आबादी एरिया है तो कृषि भूमि का आवंटन क्यों किया गया? वहां पर कन्वर्शन किये जाने की जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आता कि किस ढंग से प्लानिंग किया जाती है? इस पर तुरन्त विचार करने की निश्चित रूप से जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: शहरी जमा बन्दी की जो पूंजी की बात है, लीज पंजाब में यू. आई. टी. की होती है। यहां पर 9 कालोनीज की लीज ले ली गई लेकिन यह नहीं कहा गया कि कौन-कौनसी ली गई और कौन-कौनसी में अंशदान दिया गया। उनकी व्यवस्था भी नहीं हो पायी है। मैं कहना चाहूंगी कि शहरों में जो आबादी बढ़ती जा रही है उसके निवास की समस्या पर नये दृष्टिकोण को लेकर बात की जानी चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगी कि जैसलमेर के मास्टर प्लान में चौड़ी सड़कें बनाने के सम्बन्ध में पटवों की हवेलियों को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। इस तरह का जो तुगलक शाही फरमान है मैं समझती हूं यह उचित दृष्टिकोण नहीं है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से और भी समस्यायें हैं, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं होने से यहीं समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास पर अपने विचार रखना चाहता हूं। पंचायतों की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन दयनीय होती जा रही है। जब तक हम पंचायतोंको स्वायत्तता प्रदान नहीं करेंगे और उनके आर्थिक श्रोत पैदा नहीं करेंगे तब तक पंचायतों की दशा और भी बिगड़ती जायेगी। पचायतों के पास सैकड़ों बीघा चरागाह की भूमि है उसका सर्वेक्षण करके उसको स्थाई आय का श्रोत बनाया जा सकता है। उसमें वृक्षारोपण किया जाकर, 10 एकड़ भूमि में वन लगा कर स्थाई आय का स्त्रोत उत्पन्न किया जा सकता है और जब इस प्रकार से पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जायगी तो वह स्वतः ही अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी और किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जो भी काम पूरा करना है उसको वह स्वयं पूरा कर सकती है।

इसके अलावा पंचायतों की आय बढ़ाने के लिये चरागाह भूमि में घास उगाई जा सकती है, इस प्रकार से आय का एक स्थाई स्त्रोत हो सकता है, इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी काम के बदले अनाज योजना में पंचायतों के भवन निर्माण की योजना शुरू हुई, वे कार्य अधूरे पड़े हैं। इसके अलावा यदि उपयुक्त स्थान पर दुकानों का निर्माण करा दिया जावे और पंचायत बाजार की स्थापना हो सके तो इस योजना से पंचायतों की आर्थिक स्थिति दुकानों को किराये पर देकर सुदृढ़ की जा सकती है।

एक सुझाव मेरा और है, कांजी हाउस से पंचायतों का आर्थिक विकास हो सकता है लेकिन उसमें पुलिस हस्तक्षेप को रोकना चाहिये। लोग अपने पशुओं को एक माह में स्वामित्व बताने के बाद वापस ले सकते हैं। लेकिन एक महीने की बात नहीं, 6-6 महीने के बाद भी पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट आखिरी टाइम पर दर्ज करके मवेशियों को कांजी हाउस में दे दिया और उसका परिणाम क्या होता जा रहा है ? मैं जनता शासन की आलोचना नहीं करता हूं। उस समय मैंने एस.पी. से भी कहा था लेकिन उस समय किसी ने सुनवाई नहीं की, ध्यान नहीं दिया। इसका असर मेरे यहां पड़ा है। आज कोई भी पंचायत मवेशी नीलाम करने को तैयार नहीं है, 500) की मवेशी दो रुपए में लेने को तैयार नहीं है, क्लर्क मिल जाते हैं, पुलिस आएगी और मवेशी ले जाएगी। यह स्थिति 6 महीने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने पर है। 12 महीने ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा, इस पर भी गंभीरता से विचार करें। पुलिस का जो अनुचित हस्तक्षेप है, विधिवत हस्तक्षेप भले ही चले लेकिन जो अनुचित हस्तक्षेप चल रहा है उससे पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर बहुत भार पड़ता है, इसको भी हमें देखना चाहिए।

एक सुझाव और है। आपने पंचायतों को लकड़ी काटने का अधिकार दे दिया। जो लकड़ी पंचायत स्वयं नीलाम करती हैं सूखे पेड़ की उसको भी वन विभाग के जो नाके है वहां से निकलने नहीं देते और उसके कारण जो पंचायतों को अपनी सूखी लकड़ी बेचने का अधिकार है उससे व वंचित रह जाती हैं, खरीददार कहते हैं कि परमिट दिलाया जाए

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

हम खरीद लेंगे, हम रकम देने को तैयार हैं, जब स्वयं पंचायत सूखी लकड़ी नीलाम करती है तो उसको आने देने में में रुकावट क्यों है ? और उधर से रोजाना व्यापारी सैंकड़ों गाड़ियां लेकर यहां आते हैं, 25 रुपए प्रति गाड़ी लिया जाता है. वन विभाग की चौकी पर उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। पंचायती लकड़ी को रोकने के लिए वहां खड़ा कर देते हैं। इस प्रक्रिया की ओर ध्यान देना चाहिए । पंचायतों में जो अनुचित लकड़ी रोजाना आ रही हैं, यह लकड़ी उपभोक्ता को रोजाना महंगी मिल रही है. . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी: एक मेरा और सुझाव है । काम के बदले अनाज योजना और अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायतों ने जो काम कराया उनमें बलगाड़ी पर और कारीगरों पर नकद राशि का भुगतान करना पड़ता है । इसके अलावा सामान पर जो राशि पंचायतों ने खर्च की है वह राशि अकाल राहत विभाग से पंचायतों को मिलनी चाहिए, अगर वह राशि नहीं मिलो तो एक एक पंचायत में 20-25 हजार की बकाया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी । जब पंचायत मंत्री यहां हैं और अकाल सहायता विभाग भी उनके पास ही है तो वह इस ओर ध्यान दें, ताकि पंचायतों की बकाया दूर हो सके ।

श्री अध्यक्ष: श्री रामकिशोर मीणा ।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं नहीं बोलना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचंद कटारिया ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय। कृपया समय का ध्यान रखें !

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं ग्राम पंचायतों के सबंध में निवेदन करना चाहूंगा । आम तौर से ऐसी शिकायतें हैं कि जो काश्तकार अपनी खातेदारी चाहते हैं उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं और सारी जो खातेदारी की जमीन है वह राज्य सरकार ने अपने अधीन ले ली है इस प्रकार काश्तकारों गश्त लगानी पड़ती है ग्राम पंचायतों की । इसलिए इस प्रकार खातेदारी में जो ग्राम पंचायतों में काश्तकार गश्त लगाते हैं उनके अधिकार दिए जायं ।

दूसरे, सवाई माधोपुर में जो नगरपालिकायें मानटाउन और सवाई माधोपुर, उन दोनों को एक कर दिया जाए । इससे जो ज्यादा पैसा खर्च होता है वह एक ही में लगेगा ।

जो नोटिफाइड एरिया मानटाउन नगर पालिका का है उसमें गत 15 सालों में हजारों की संख्या में फर्जी पट्टे दे दिए गए हैं जिसकी जांच राज्य सरकार के यहां चल रही है। उन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, अनुमानतः कम से कम एक डेढ़ करोड़ की वह जमीन है. उसको मुक्त दिलाई जाए और फर्जी पट्टे जो सरपंच ने दे दिए हैं अपने कार्यकाल में नगरपालिका गठन से पहले, उनकी जांच कराई जाए, पट्टों को निरस्त किया जाए और पुनः नीलामी की जाए ताकि विकास कार्य हो सकें . . .

(श्री हंसराज शर्मा)

सवाई माधोपुर नगरपालिका की दयनीय स्थिति है और मानटाउन की भी ऐसी है, दोनों के मिल जाने से दोनों शहर एक हो जायेंगे और ज्यादा दूर भी नहीं है।

दूसरा निवेदन है कि पहले नगरपालिकाओं द्वारा हाउस टैक्स लगाया गया था, बोर्डों ने तय किया, राज्य सरकार ने 10-12-63 को तय किया था लेकिन कई वर्षों से हाउस टैक्स वसूल नहीं किया गया और नगरपालिकाओं का जो बोर्ड भंग हो गया तो 1-4-75 से वहां के जो प्रशासक थे उन्होंने तुरन्त वसूली के आदेश दे दिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो हाउस टैक्स वहां लगाया गया है, सक तकनीकी अधिकारियों ने नहीं बनाया, साधारण रेवेन्यू क्लार्कों ने मकानों का एस्टीमेट बनाया और हाउस टैक्स का निर्णय करके रिपोर्ट नगरपालिकाओं को दे दी, उसी आधार पर हाउस टैक्स वसूल किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के हाउस टैक्स के लिए नगर पालिकाओं में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि उनको मकानों की रिपेयरिंग के लिए, नल बिजली के लिए 16 प्रतिशत की छूट देनी चाहिए किन्तु सवाई माधोपुर में 10 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इस प्रकार से नगरपालिका द्वारा हाउस टैक्स की वसूली के लिए सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। यदि कोई आदमी नया निर्माण कराना चाहे तो इजाजत नहीं दी जाती है, स्वीकृति लेने जाता है तो इजाजत नहीं दी जाती है राशन कार्ड लेने जाते हैं तो इजाजत नहीं दी जाती है। इस प्रकार बहुत बड़ा आतंक मच रहा है हाउस टैक्स का। इसलिए आप इस संबंध में जांच करायें और हाउस टैक्स जो लगा दिया गया है, वह माफ कराया जाए। वहां एक सर्वे कराया जाए और टेक्निकल आदमियों ने जो एस्टीमेट बनाया है यदि वह उचित है तो हाउस टैक्स लिया जाए।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पंचायत राज की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों को जो प्राथमिक विद्यालय के काम, काम के बदले अनाज योजना के तहत करवाए जाने का अधिकार दिया था उसके तहत गांवों में प्राथमिक विद्यालयों का काफी निर्माण हुआ है और काफी भवनों की सुविधा हो गई है लेकिन जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च-माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें भवनों का अभाव है और अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं है कि वे इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण काम के बदले अनाज योजना के तहत या अपने अनुदान से करवा सकें। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक विद्यालय भवन इस योजना के तहत बनवाए जाने का अधिकार पंचायतों को दिया जाए। पंचायतों को जो ढाई रुपए का अनुदान दिया जाता है उसको बढ़ाकर 5 रुपए अनुदान दिया जाए और कुछ और अधिक आर्थिक सहायता दी जाए तभी पंचायत गांवों में विकास का काम कर सकती हैं। अगर पंचायतों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाए और केवल उनका गठन किया जाए तो उससे गांवों का क्या विकास हो सकेगा ? बिना आर्थिक सहायता के पंचायतों का कोई विकास नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

हो सकता। पहले अनुदान कम था, जनता पार्टी ने अनुदान को बढ़ाया, यह बात सबको मालूम है। इस तरह से ढाई रुपए की जो उस समय कीमत थी वह आज बढ़कर दुगुनी हो गई है। आज इस समय यदि उतना ही विकास करना चाहते हैं तो अनुदान ढाई रुपए से बढ़ाकर 5 रुपये करना चाहिए। इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि पंचायतों को और अनुदान दें ताकि वे आत्म-निर्भर बनें और कुछ गांवों में जो स्कूल भवनों की कमी है वह दूर की जा सके। कई ऐसे स्कूल हैं जहां पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है। एक टांका बनाने पर कम से कम 15,000 हजार रुपए लग सकते हैं इसलिए वह अच्छी स्थिति नहीं होगी तो आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेषरूप से आकर्षित करना चाहता हूं और उन्हें यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह पंचायतों को और अधिक अधिकार दें। उन्हें यह भी अधिकार दें कि वह प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों का भी निर्माण करा सके।

अध्यक्ष महोदय, इस पिछली सरकार ने काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कई काम शुरू किये गये थे अगर कहीं पर अनाज की कमी हो जाय तो मैं यह भी निवेदन मन्त्री महोदय से करना चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करायें जिससे कि पंचायत पैसा देकर भी उन योजनाओं को पूरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों की जो आर्थिक स्थिति है वह कमजोर है इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायतों द्वारा पूरी तरह से विकास नहीं हो सकेगा इसलिए आप उन्हें अधिक से अधिक धन दें वरना पंचायतें गठित करने से ही विकास का काम पूरा नहीं हो सकता है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : प्रॉन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैन्चेज में कोई भी मन्त्री नहीं है। सदन में कोई मन्त्री ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आप भाषण समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि अनुदान की राशि पंचायतों की बढ़ायी जाय।

इसके अलावा जहां पर काम के बदले अनाज योजनायें नहीं चल रही हैं वहां पर पंचायतों को और अधिक सहायता देंगे तो ही आप उनके साथ न्याय कर पायेंगे अन्यथा नहीं। यहां पर यह भी कहा गया कि इन योजनाओं को बन्द कर दिया जाय और सरपंचों से काम छीन लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि जिन सरपंचों के खिलाफ में भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं और जो सरपंच बदमाशियां करते हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही जरूर करें पर आप पंचायतों के अधिकारों को छीनने की बात नहीं करें। आज, अध्यक्ष महोदय, यह बड़े बड़े इन्जीनियर्स और एक्सेसीज व असिसटेन्ट इन्जीनियर्स लाखों रुपये डकार जाते हैं, बड़े बड़े बंगले उनके बने हुए हैं उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर बेचारे

(श्री हेमाराम चौधरी)

सरपंच जो कि 5-50 रुपये की चोरी करते हैं उनके लिये आप पंचायतों के अधिकार छीनलें यह कहां तक उचित है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों को आप दण्डित करें, पर पंचायतों को और अधिकार देकर और आर्थिक सहायता देकर और ज्यादा सुदृढ़ बनायें जिससे कि गांवों को अच्छा विकास हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा पंचायतों के चुनावों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरपंचों के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के मामले चुनावों में सामने आये उनके खिलाफ तो कार्यवाही करनी चाहिये, पर अध्यक्ष महोदय, जो प्रधान के के चुनाव नहीं कराये गये और जो जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये हैं उसके कारण जो पंचायत समिति जिला परिषदों की कड़ी होती है वह पूरी तरह नहीं जुड़ पाई है। जो सरपंचों को प्रधान वगैरह गाइड कर सकते थे वह नहीं कर पाये हैं और जिला परिषदों की बैठक में वह लोग जाकर एम. एल. एज. वगैरह के साथ बैठ कर विचार-विनिमय नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : तो मेरा निवेदन है कि अब पंचायतों के नये सिरे से वापस चुनाव कराये जायें और पंचायतों का पुनः गठन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री बंसी लाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी यदि हम गांवों का विकास करना चाहते हैं, गांवों का सुदृढ़ करना चाहते है गांवों को व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं, शहरों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिये पंचायत, नगरपालिकाओं नगरपरिषदों को सुदृढ़ करना होगा। आज जो रूरल एरियाज हैं उनमें जब तक हम पंचायतों को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक हम गांवों का अच्छा विकास नहीं कर पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में छोटी-मोटी योजनाये जनता पार्टी के राज्य में कुछ शुरू की गयी थीं जिससे गांवों का विकास हुआ था, इसमें काम के बदले अनाज योजना शुरू की गयी थी। वह योजना ठीक थी, पर आज भी गांवों में कमजोर वर्ग के लोग जैसे चमार हैं, रेगर हैं हरिजन है, उनको गांवों में पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाया। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है गांवों में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाय। अध्यक्ष महोदय आज मेरे ही क्षेत्र में करीब 100-100 घर रैगरों के हैं 100-110 घर चमारों के हैं और 50-50 घर हरिजनों के हैं। इन लोगों को, अध्यक्ष महोदय, पिछली गर्मी की ऋतु में पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाया था इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप दूसरी छोटी मोटी योजनायें विकास की चाहे जारी रखें पर इन गरीब तबके के लोगों को आप पेयजल की जरूर व्यवस्था करावें। इनके लिये चाहे आप गांवों में कुई खुदवायें या और कोई नल वगैरह लगाकर व्यवस्था करावें ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके। यह काम, अध्यक्ष महोदय, युद्ध स्तर पर होना चाहिये

(श्री बंसीलाल पटवा)

जिससे कि उन लोगों को पीने का पानी मुहैया हो सके। इसके साथ साथ मैं नगरपालिकाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक दृष्टि से चाहे आप पंचायतों को ले लें, चाहे आप नगरपालिकाओं को ले लें, इन सभी की आर्थिक हालत कमजोर है। हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, कि इनमें चाहे डिग्रीज का भले ही अन्तर हो पर इन सभी की आर्थिक स्थिति दयनीय ही है। इसका मूल कारण यह है कि इन नगरपालिकाओं का जो पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट है वह आये दिन उनके कामों में अवरोध पैदा करता रहता है। आज नगरपालिकाओं में स्टाफ की बढ़ोतरी की जाती है, पर उनकी आर्थिक हालत बहुत कमजोर होने से वह अपनी दूसरी योजनाओं के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं इस तरह वहां विकास का काम जो होता है वह नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दें। अध्यक्ष महोदय, आज इन नगरपालिकाओं में इनका जो पेरेन्ट डिपार्टमेंट वह इस तरह का अवरोध पैदा करता है कि वह किसी भी प्रकार से अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भीलवाड़ा की नगरपालिका के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा में जो प्रशासक है वह नगरपालिका का पार्ट टाइम प्रशासक है और, अध्यक्ष महोदय, पार्ट टाइम प्रशासक होने से वह भीलवाड़ा की नगरपालिका का ध्यान विशेष रूप से नहीं रख सकता है। मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है चाहे आप शासक रखें लेकिन वहां पर आप फुल टाइम प्रशासक को रखें जिससे कि वह अधिकारी कुछ समय देकर विकास का काम कर सके। दूसरे अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे भीलवाड़ा का 14 लाख रुपये का कन्स्ट्रक्शन बजट था नगरपालिका के पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट के पास योजना स्वीकृति के लिये गयी पर वहां पर पता नहीं क्या सिस्टम है कि उसको काटपीट कर 8 लाख रुपये ही कर दिया। इसी तरह नगरपालिका के पेरेन्ट डिपार्टमेंट के पास 12 केसेज भेजे गये थे उनमें से सिर्फ दो केस की ही मन्जूरी आयी बाकी दस काम की मन्जूरी नहीं आयी। तो अध्यक्ष महोदय, कोई ज्यादा भारी नहीं था सिर्फ रुपये जमा कराने के बारे में थी। एक ही प्रकार के 12 केस थे उनमें से सिर्फ दो ही केसेज में डिपार्टमेन्ट ने सैंक्शन दी। मेरा निवेदन है कि जब मामले एक ही प्रकार के हैं तब क्या कारण है कि बाकी दस मामलों में कोई सैंक्शन नहीं मिली? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार इन्टरफियरेन्स पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा होता रहता है जिससे कि नगरपालिकाओं के काम में अवरोध पैदा होता। अवरोध पैदा होने का कारण यह है कि वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है वहां पर करप्ट प्रेक्टिसेज चलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट का इन्टरफियरेन्स है उसको रोका जाना चाहिये जिससे कि नगरपालिकाओं के काम में अवरोध पैदा नहीं हो।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि अभी यह भी निवेदन करना चाहूंगा। मुख्यमन्त्रीजी ने अपने भाषण में यह कहा था कि हम चुंगी को समाप्त करते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें स्थानीय इकाइयों

(श्री बंसीलाल पटवा)

को मजबूत करना है, जैसा कि गान्धीजी ने कहा था कि हमें गांवों का विकास करना है तो हमें उनके लिये गांवों की इकाइयों को मजबूत करना होगा और उसके लिये चुंगी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप स्थानीय इकाइयों को मजबूत करना चाहते हैं और चुंगी को समाप्त करना चाहते हैं यह कहां तक उचित है ? दूसरे आप चुंगी की समाप्ति क्या करोगे आप चुंगी में एकरूपता तो ला नहीं सके हो अभी तक? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुंगी को समाप्त नहीं किया जाय। इसके अलावा आप जो चुंगी में एग्जम्पशनस देते हैं, नगरपालिक एक्ट के सैक्शन 104 और 107 के तहत उसमें आने गवर्नमेन्ट को यह पावर दिये हैं कि चुंगी में एग्जम्पशन्स कितना दिया जाय। उसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे टैक्स माफ करें पर ऐसे नहीं कि ऐसा करने से वहां की नगरपालिका कमजोर होती जाय इसलिए इस बात की ओर आप विशेष तौर से ध्यान रखें। पिछले वर्षों में बहुत बड़े बड़े एग्जम्पशन्स दिये गये जिससे इन नगरपालिकाओं की हालत बहुत ही दयनीय हो गया और कई काम रुक गये। इसके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में एक सड़क नगरपालिका द्वारा 12 वर्ष पहले बनाई गई थी उसकी हालत अब इतनी खराब हो गयी है कि नगरपालिका पेचिंग भी उस सड़क पर नहीं करा सकती, इसका कारण यह है कि वहां की नगरपालिका की आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। इसके अलावा थोड़ा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो टेक्निकल काम इन सड़कों का है वह वहां इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स द्वारा कराया जाता है। उनके काम की जो क्वालिटी है उसमें निरन्तर गिरावट आ रहा है। मैं सन् 60 से देख रहा हूं वैसे सम्वत् 25 से मैं नगरपालिका भीलवाड़ा में रहता आया हूं और बीच में भीलवाड़ा नगरपालिका का मैं चेयरमैन भी रहा हूं। तो मेरा निवेदन है कि जो गिरावट आ रही है उसमें सुधार हो और कन्स्ट्रक्शन का। वर्क्स स्टेण्डर्ड मेनटेन रहना चाहिये ऐसी व्यवस्था हो कि जो भी निर्माण कार्य है वह ठीक तरह से निर्माण होने चाहिये। अगर नगरपालिकाओं के इन्जीनियर्स या ओवरसियर होशियार नहीं हों तो वह काम पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर्स से कराया जाना चाहिये ताकि अच्छा क्वालिटी का काम हो। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा मास्टर प्लान के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हैं, चाहे चीफ टाउन प्लानर हों, उन्होंने मास्टर प्लान बनाने में कोई काम नहीं किया। मैं तो कह सकता हूं उदयपुर भीलवाड़ा, कहीं का मास्टर प्लान नहीं बना है। मैंने मास्टर प्लान बनाने के लिए बहुत जोर दिया फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगर मास्टरप्लान नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं है, पर आप यह तो करें कि जो लोग अपने मकानों को आगे लाकर एनक्रोचमेन्ट कर रहे हैं उनके लिये आप एक सर्वे लाइन बना कर नकशा बनालें ताकि जब भी मकान के बारे में आपके पास केस आये तो आपके पास पूरी फाइल नहीं आवे सिर्फ वह सर्वे लाइन और नकशा आ जावे जिससे कि आपको जितनी जमीन देनी हो वह आप दे सकें।

(श्री बन्सीलाल पटवा)

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह आज कच्ची बस्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि कच्ची बस्तियों को नियमित किया जा रहा है, बसायी जा रही है। उसके लिये निवेदन है कि जहां हरियाली हो जहां ग्रीन बैल्ट हो वहां पर यह कच्ची बस्तियां नहीं बसाई जानी चाहिये। आज जितने भी बड़े बड़े शहर है आप चाहे तो उदयपुर को लें, चाहे भीलवाड़ा को लें, चाहे जयपुर को लें, उनमें आज जो कच्ची बस्तियां बस रही हैं वह एग्रीकल्चर लैण्ड में बस गयी हैं।

यह टाउन प्लानर का दोष है, यू.आई.टी. और नगर परिषदों का दोष है क्योंकि वह बस्तियां नहीं बसाते और साल-साल भर तक स्कीम नहीं भेजते। इस दयनीय स्थिति के कारण गरीब आदमी को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती तो इस तरह की बस्तियां बसती है। कोई एग्रीकल्चरल लैण्ड पर बस्ती बसाता है और जो छोटे गरीब लोग हैं वह कहीं अपनी बीबी के जेवर बेचते है, कर्ज लेते हैं और फिर मकान बनाते हैं। टाउन प्लानर इन बस्तियों को बसाता तो यह स्थिति नहीं होती। लेकिन जो स्थिति खड़ी हुई है उसको आगे नहीं चलने दिया जाये और जितनी भी कच्ची बस्तियां है, उनके समुचित विकास का तरीका अपनाया जाये जिससे गांवों का भी विकास हो और शहरों का भी विकास हो और हम एक दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ सकें, इस तरह से प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही कहकर अपने विचार समाप्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। सदन की अनुमति से सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 29 व 41 पर विचार

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतें नगर परिषद्, नगर विकास न्यास और स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में कई महत्वपूर्ण विषयों पर माननीय सदस्य महानुभावों के कई अमूल्य सुझाव मिले हैं। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, प्रयत्न इस बात का होगा कि उन सुझावों का उपयोग हम आगे जाकर करें। मैं मानकर चलता हूं कि आज जिन विभागों की मांगों पर विचार हो रहा है, वह न केवल लोकतंत्र की दृष्टि से बल्कि गांवों और शहरों के विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जन प्रतिनिधियों की दृष्टि से इन सारे प्रश्नों पर चिंतित होना और सुझाव देना एक स्वाभाविक बात है। जिन माननीय सदस्यों ने इन सारे प्रश्नों पर विचार व्यक्त किये हैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे सुझाव जो कि लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, शहरों और ग्रामों में रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान कर सकें उनके संबंध में निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके को अपना कर विचार किया जायेगा।

मैं सबसे पहले पंचायतों के प्रश्न पर जो सुझाव दिये गये हैं उनके ऊपर अपना उत्तर देना चाहूंगा। मैं मानकर चलता हूं

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

कि सन् 59 में देश के स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित कर पंचा. राज का श्रीगणेश किया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि विधान सभा और लोक सभा का एक अपना विशेष महत्व है किन्तु ग्रामीण समस्याओं के समाधान की दृष्टि से अधिक से अधिक नागरिकों का सहयोग विकास के कामों में लिया जाये और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो, इन सारी दृष्टि से पंचायतों का विशेष महत्व है। पंचायतों की कार्य पद्धति, पंचायतों के अधिकार, पंचायतों के कार्यक्षेत्र इन सब प्रश्नों पर कई बार समितियों के द्वारा और अलग अलग तरीके से विचार किया गया। सर्वप्रथम, गिरधारीलाल व्यास के संयोजन में एक समिति का गठन किया गया इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और उन सब समितियों की जो राय थी वह आई। किन्तु उन सब रायों पर जो कुछ भी उन्होंने विचार प्रकट किये, उनके ऊपर बैठ कर कोई विचार लाया गया हो, मै ऐसा मानकर नहीं चलता। समितियां बनती हैं, समितियां बनाने का उद्देश्य उन सारे प्रश्नों का समाधान होता है किन्तु जैसा मैंने आपसे कहा कि पंचायतों के मामले में, पंचायत समितियों के मामले में और जिला परिषदों के मामले में समितियां अवश्य बना लीं लेकिन उनके द्वारा दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन करने का जहां तक प्रश्न हैं वह नहीं हो पाया।

मैं जब पंचायतों के संबंध में बात करता हूं तो तीन चार मुख्य बिन्दु यहां उठाये गये हैं। एक तो पंचायतों का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, पंचायतों के अन्दर भ्रष्टाचार है, पंचायतों के पास साधन-सुविधाओं का अभाव है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तो मुख्य रूप से यह कहा गया। दूसरी ओर कुछ सदस्यों ने शिक्षा को पंचायतों से लेने का आग्रह भी किया है। मैं मानकर चलता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से पंचायतों को हमें मजबूत करना होगा। जब पंचायतो को मजबूत करने की बात हम स्वीकार करके चलते हैं तो अब उनसे किसी अधिकार को या उनको दिये गये कार्य को वापस लेने का प्रश्न मै समझता हूं, राज्य सरकार की नीति से संबंध नहीं रखता है। क्योंकि राज्य सरकार की नीति निश्चित रूप से पंचायतों को मजबूत करने की है। शिक्षा उनके पास है और यदि आवश्यकता हो तो मैं तो व्यक्तिशः समझता हूं कि गांवों के विकास की दृष्टि से जो छोटी मोटी योजनाएं हैं, उनका जिम्मा भी ग्राम पंचायतों पर सौंपा जाना चाहिए। इसलिए ये जो सुझाव आये हैं कि अधिकारों में कुछ कटौती की जाये या और कुछ किया जाये मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह सही है कि ग्राम पंचायतों के विकास की दृष्टि से हमें उनको आर्थिक सुदृढ़ आधार-शिक्षा देनी होगी और वह कैसे दे सकते हैं इन प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा, क्योंकि ग्रामीण जीवन से इस भारत का अटूट संबंध है। यदि ग्रामीण समस्याओं का समाधान हम समय पर नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि उन मतदाताओं के प्रति जिन मतदाताओं के कारण आज आप और हम सब सदन में बैठे है न्याय नहीं होगा। इसलिए मै मानकर चलता हूं कि ग्राम पंचायतों के कामों को और गति देने की दृष्टि से प्रयत्न किया जाये।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

ग्रुप सचिवों के प्रश्न को लेकर भी यहां चर्चा हुई। करीब आठ हजार पंचायतें राजस्थान में हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है। तो यह अभी सम्भव नहीं है कि हर ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव हो और वह सारी ग्राम पंचायतों के काम को देखें। आज ग्राम पंचायतों के चुनाव होते है और जनप्रतिनिधि उनमें चुने जाते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जो सरपंच आता है या जो पंच बनता है उसका भी एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह गांवों के विकास की दृष्टि से कुछ समय निकाले। महीने में दो दिन, महीने में चार दिन निकाले, या दिन में एक घण्टा निकाले लेकिन ग्रामों के विकास की दृष्टि से वह अपने उत्तरदायित्व को वहन करें। केवल सरपंच बनने के बाद सारे काम का उत्तरदायित्व आज सचिव पर सौंप देंगे तो ग्राम पंचायतों का जो सही दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। इसलिए ग्रुप सचिव बढ़ाने वाली बात मैं उचित मानकर नहीं चलता।

ग्राम पंचायतों में राजनीति के प्रवेश को लेकर भी यहां काफी चर्चा की गयी। हम कहने को बहुत अच्छी बात कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को बने हुए, काफी वर्ष हो गए। मैं केवल कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। सन् 1963 से 1976 तक सरपंचों की दृष्टि से जो कुछ निर्णय राज्य सरकार ने लिए, उसमें केवल 28 सरपंचों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद 1977-78 और 79 में 85 सरपंचों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में इतने सरपंचों को उच्च न्यायालय की शरण क्यों लेनी पड़ी। उसका कारण क्या है? या तो हम मान लें पहले कुछ देखा नहीं जाता था और तीन सालों में बहुत बारीकी से देखने का प्रयत्न किया गया। यह मान लें, मैं शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि जैसा सार्वजनिक जीवन का अनुभव रहा है, अगर तथ्यों के आधार पर बात करना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है। राजनैतिक विरोध की ज्वाला के कारण कई सरपंचों को निलम्बित किया गया और उन्हें बाध्य किया गया कि वह उच्च न्यायालय की शरण में जायं......

एक माननीय सदस्य : 13 हैं।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अब मुझे बोलने दें, मेरा उत्तर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बाधा न डालें,

(व्यवधान)

माननीय सदस्य .....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ....जब चश्मा दूसरे रंग का हो जाता है तो वैसा ही दिखता है.......

(व्यवधान)

(166)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

आपस में बातें न करें...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सुबह से लेकर शाम तक कई बातें कही गईं, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया और जब वास्तविक आंकड़े देकर बताना चाहता हूं तो भाषण में व्यवधान उपस्थित करते हैं......

(व्यवधान)

राजनीति में प्रवेश 1977 के आम चुनावों के बाद हुआ। 1977 में लोकतन्त्र के नाम से वोट बंटोरे और लोकतन्त्र को बचाने का नारा दिया लेकिन इतिहास ने यह सिद्ध कर कि जिस लोकतन्त्र को बंटोरने की कोशिश की वे तीन साल में ही समाप्त हो गये...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आपस में बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पंचायती क्षेत्र में किसी ने राजनीति का रूप दिया तो निश्चित रूप से जनता पार्टी ने दिया ...

(व्यवधान)

मैं वायदा करके चलना चाहता हूं यह सही है कि भ्रष्ट सरपंचों और पंचों को बचाने के लिये किसी की कोशिशें मंजूर नहीं होंगी, यह मैं कह सकता हूं ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसी इनकी नीति रही है वह यही है कि मेरा उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं है...

(व्यवधान)

बीच बीच में व्यवधान तो न डालें।

तो मैंने आपसे कहा कि विकास अधिकारियों के प्रश्न को और वहां पर जो तकनीकी स्टाफ होना चाहिये, इस प्रश्न को उठाया ठीक है, पंचायतों को विकास के काम सौंपे जाते हैं और उन विकास कार्यों की जांच यदि समय पर नहीं होती है और कहीं पर भुगतान विलम्ब से होता है तो यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर निश्चित-रूप से विचार किया जायेगा। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायतों में काम किये जाते हैं तो उसका समय पर भुगतान होना ही चाहिये और वहां जो तकनीकी अधिकारी हैं, उनका जब तक प्रमाण-पत्र नहीं मिले तो उसके भुगतान में विलम्ब होना स्वाभाविक है ये दिक्कतें उनके सामने आती हैं। अब इसके लिये ऐसे रास्ते निकाले जायेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें न आयें—ये तो मैंने पंचायतों के बारे में बात कही।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

अब नगरपालिकाओं और नगर विकास न्यास की बातें भी यहां बहुत कही गईं। नगरपालिकाओं का और नगर विकास न्यासों का जो गठन हुआ है, यह बहुत स्पष्ट है कि चुनी हुई नगरपालिकायें थी और जनता पार्टी का जब राज आया तो उन्होंने उन चुनी हुई नगरपालिकाओं को समाप्त किया। मैं पूछता हूं क्या लोकतन्त्र का तकाजा यही था कि जो चुनी हुई नगरपालिकायें थीं उनको भंग कर दिया जावे?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : 144 को भंग किया है आपने एक आर्डर से......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि लोकतन्त्र की रक्षा करनी थी तो उसका अर्थ होता है कि नगरपालिकायें भंग कर दो?

नगरपालिकाओं के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मैं विश्वास दिला कर कह सकता हूं निश्चित रूप से आगामी 6 महीने में नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जायेंगे और मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं कि जो प्रतिक्रियावादी ताकतें है, उनको सफलता नहीं मिलेगी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न आ गया..

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न आ गया है।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : 90 परसेन्ट कब्जा कर लेंगे, यह हम बताते है... चैलेन्ज क्या करते हैं आप?

(व्यवधान)

श्री वासुदयाल जोशी: कुछ समझ में नहीं आता है तो चुनाव-चुनाव...

श्रीमति उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

इस तरह आसन की अवहेलना न करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : सितम्बर में ही देख लेना....

एक माननीय सदस्य : चुनाव आयेंगे तब देख लेंगे...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे तो बीच बीच में xxx कहीं जा रहा था। यह कोई संसदीय शब्द नहीं है। इस तरह xxx कर रहे हैं कृपया इन्हें ताडना दीजिये कि शब्द का प्रयोग इस तरह से xxx करके बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें।

(व्यवधान)

कृपया अब आप विराज जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह किसको कह रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री घनश्याम तिवाड़ी: xxx

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व में व्यवस्था हो चुकी है इस तरह के शब्दों के लिये...

(व्यवधान)

यह कोई चौपाल नहीं है। यह राजस्थान विधान सभा है। आपका इस व्यवस्था के बाद खुद कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि अगर डेकोरम को मेन्टेन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण कर लें..

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, आप बैठ जायं...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: अगर ये गलत परम्परा डालते हैं तो...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह राजस्थान विधान सभा है यहां की कुछ परम्परायें हैं, इन परम्पराओं को हिन्दुस्तान भर में आदर किया जाता है। इसके बावजूद राजस्थान विधान सभा के लोग दंगा करते हैं।

(व्यवधान)

xxx कांग्रेस के सदस्यों को विचार करना चाहिये कि हम राजस्थान के विधान सभा में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो हम बैठे रहें या वाक आउट करके चले जायें यह परम्परा रही तो यह आपको भी खा जायेगी। यह शासन आज आपका है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। यह विधान सभा है, कोई चौपाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : xxx आगे से इस प्रकार से नहीं बोले, क्या समझते हैं हमको।

(व्यवधान)

---

xxx शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : इनको बाहर निकालिए × × ×

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी: अध्यक्ष महोदय ये क्या व्यवस्था है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कही गयी कि पंचायत समिति.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें । मेरा माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की बात कोई न करें जिससे सदन में या सदन में किसी माननीय सदस्य को उत्तेजित होने को बाध्य होना पड़े । यह शब्द का प्रयोग जो हुआ है इसके बारे में पहले भी व्यवस्था दी गयी थी कि इस तरह के शब्द का प्रयोग आइन्दा वाद-विवाद के अन्दर न किया जाय जब तक कि विचारणीय विषय के लिए आवश्यक न हो । दिन भर बहुत ही अच्छी चर्चा या डिबेट हुई और उसके बाद में बड़े अफसोस की बात है कि उत्तेजना का वातावरण व्यर्थ में माननीय सदस्य बनाते हैं । यदि इस चर्चा को लाइटली लेते हैं तो यह मखौल का ही विषय है । मुझे आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, अभी इसका प्रश्न पूछ लेंगे ताकि जवाब आ जाय । मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं । पौने आठ बजने का समय आ गया है । माननीय सदस्यों से पुन: नम्र निवेदन करूंगा कि वे शान्ति-पूर्वक सुनें, यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं उसका उत्तर दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

लेकिन वाद-विवाद के माहौल में विपक्ष के सदस्यों से माननीय निवेदन है कि वे उत्तेजित न हों ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया शान्ति रखिये, आपस में बात न करें ।

श्री त्रिलोक सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से ये बातें कही गई हैं । मैं माननीय खेतसिंहजी से कहना चाहता हूं कि इन लोगों को ट्रेनिंग देकर लायें.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोकसिंह : आपको तो चुप रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, कृपया स्थान ग्रहण करें । आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य इस तरह से ।

× × × अभिव्यक्ति एवं शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित किया गया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा अभी अवगत कराया पिछले दिनों में भी इस शब्द के प्रयोग पर आपने आपत्ति की थी और विधान सभा की कार्यवाही से निकाल दिया था और कहा। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग न करें, आपने इस प्रकार की व्यवस्था दी है तो इस व्यवस्था को यदि सदस्य चैलेंज करते हैं तो फिर रूल 292 देखें। उसका मुलाहिजा करें, उस पर अमल करें। वह रूल यह कहता है :—"The Speaker may, if he deems necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business thereof."

तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था दे दी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जायेगा, अब यदि प्रयोग करते हैं तो आप रूल 292 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। जब तक आवश्यक न हो। जब डिबेट में चर्चा का विषय ही ऐसा हो जाय तो फिर········

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने व्यवस्था दी है, इस समय इस शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं था, इसका अर्थ यह हुआ कि आपने जो व्यवस्था दी, आपने व्यवस्था की आपके निर्णय की अवहेलना की गयी। जब इस प्रकार के निर्णय की अवहेलना लगातार करते हैं तो आपका यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को आप इस रूल 292 के अन्तर्गत निलंबित करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। [illegible] को मैंने सुना नहीं, मैं ध्यान रखूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय 25 बार इस बात का उल्लेख किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : विधान सभा की कार्यवाही में यदि बात अंकित हो गई तो कम से कम उसको डिलीट करने के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष : यदि वह हुआ है, रिकार्ड में है और किसी सन्दर्भ में नहीं किया गया है तो उसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले विशेष अनुदान के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई और कहा गया कि उसमें राजनैतिक पक्षपात नहीं बरता जाना चाहिए और नगरपालिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। मैं विशेष आंकड़े इस समय नहीं देना चाहता। राजस्थान में कुल नगरपालिकाएं 152 हैं, उनमें से वर्ष 1978-79 और 1979-80 में करीब 82 नगरपालिकाओं को केवल अनुदान दिया गया। 110 नगरपालिकाओं को अनुदान नहीं दिया गया। किन्तु इसके साथ साथ मैं एक तथ्य और सदन के सामने रखना चाहूंगा कि कुछ नगरपालिकाओं को सन् 1978-80 में भी दिया गया और 79-80 में भी

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

दिया गया, वह केवल नाम मात्र की नगरपालिकाएं हैं, उदाहरण के लिए छाबड़ा। इस छबड़ा को वर्ष 78-79 में 40 हजार रुपये अनुदान दिया गया और 79-80 में भी 40 हजार का अनुदान दिया गया। सांगानेर नगरपालिका को भी 75 हजार रुपये 78-79 में दिये और 79-80 के अन्दर 40 हजार रुपये दिये गये। जहाजपुर को 78-79 में 40 हजार रुपयों का अनुदान दिया गया। और 79-80 में भी 40 हजार रुपये दिये गये। तो मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं। इतने उदाहरण आपके सामने रखे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये किन मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र थे, जहां इस प्रकार का अनुदान दिया गया ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि आबादी के अनुसार अनुदान देने की व्यवस्था का निर्णय किसने किया ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये भूतपूर्व मन्त्रियों के निर्वाचन क्षेत्र थे; यहां पर पक्षपातपूर्ण रवैया बरता गया था ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं . . .

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : 30 साल तक उसको अनुदान देना ठीक था——

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा पक्षपात कहीं नहीं हुआ, 152 नगरपालिकाओं में से केवल 72 नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया । और 110 को पिछले साल नहीं दिया गया और उसके अन्दर हर साल दिया जाय । इतना राजनैतिक भेदभाव अगले वर्षों में नहीं पनपा जायेगा ।

इसके साथ-साथ, नगरपालिका कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी काफी चर्चा की गई । मैं मान कर चलता हूं कि नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं, वे भी हमारे उसी तरह के कर्मचारी हैं जिनकी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए । राणावत वेतन आयोग की स्थापना और जो उसके निर्णय हैं वह म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिए प्राप्त हुए । जैसा मैंने आपसे कहा यह स्वीकार करके चलते हैं कि सभी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि जिसके कारण राणावत वेतन आयोग को पूरी तरह से सभी नगरपालिकाओं में मूर्त रूप दिया जा सके । हमारा प्रयत्न निश्चित रूप से यह होगा कि नगरपालिका कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्यायें हैं उनमें हम किस प्रकार से मदद कर सकें क्योंकि आखिर में वे भी रात दिन मेहनत करते हैं, उनका भी परिवार है । नगरपालिका के कर्मचारियों के प्रति जितनी

172

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सहानुभूति विपक्ष की है उतनी ही सत्ता पक्ष की भी है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि...

श्री गोपाल पचेरवाल : उसके लिए कर क्या रहे हैं ? क्या देने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इसके साथ साथ सिर पर मैला ढोने की प्रथा की चर्चा भी यहां पर की गई। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी यहां पर चर्चा की थी। मैं मान कर चलता हूं कि यह हमारा सबसे बड़ा कलंक है और जैसे सभी साथियों ने इस प्रश्न पर कहा है, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि गए वर्षों में काफी प्रयत्न हुए हैं और कई तरह के साधन उसके सम्बन्ध में जुटाए गए हैं। हमारा निश्चित रूप से यह प्रयत्न होगा कि वह जो प्रथा हमारे सिर पर एक कलंक है उसको हम किस प्रकार दूर करें। सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा है उसको आज नहीं तो कल समाप्त करना ही होगा।

इसके साथ-साथ एक बात और थी। निर्माण कार्यों की जो स्वीकृति है वह समय पर प्राप्त नहीं होती और परिणाम यह होता है कि जो काम होना चाहिए वह समय पर नहीं हो पाते। मैंने आपसे निवेदन किया कि नगरपालिकाओं की अलग अलग स्थितियां हैं। चार श्रेणियों में नगरपालिकायें विभक्त हैं, ए, बी,सी,डी, इसके अन्दर भी हर नगरपालिका के अपने-अपने आर्थिक स्त्रोत हैं और आर्थिक स्त्रोत ही नहीं बल्कि तकनीकी आधार पर भी वे जितनी सावधान होंगी उतनी ही निर्माण कार्यों की गति भी सक्रिय हो सकती है। यदि हमारे यहां निदेशक विभाग से विलम्ब होता है तो विलम्ब नहीं होने दिया जाय इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव है।

एक मूल प्रश्न चुंगी के सम्बन्ध में उठाया गया है। मैं मान कर चलता हूं कि जब तक नगरपालिकाओं के आर्थिक स्त्रोत मजबूत नहीं किये जायेंगे तब तक नगरपालिका की जो भावना है वह भावना मूर्त रूप नहीं ले सकेगी। जिस प्रकार मैंने ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में कहा कि ग्रामीण समस्याओं के लिये ग्राम पंचायतों को समाधान करना होगा उसी प्रकार नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में हमें मजबूत बनाना होगा इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा उसके पीछे भी यही भावना। थी लेकिन आज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं के आर्थिक स्त्रोत जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाये जायेंगे जिसकी वजह से नगरपालिकाओं के आर्थिक स्त्रोत पर कोई चोट पहुंचे, यह मैं आपको विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ एक प्रश्न यहां पर नहीं उठाया गया मैं समझता हूं कि उठाया जाना चाहिए था। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि नगरपालिका और नगर विकास न्यास इन दोनों का को-आर्डिनेशन होना चाहिए और जब तक को-आर्डिनेशन नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र की प्रगति की ओर पैर नहीं रख सकते। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

का जो क्षेत्र है वे नगर विकास न्यास को दिया हुआ है। वहां पर भूमि के विक्रय का अधिकार है वह नगर विकास न्यास के अन्तर्गत है। जो नगर विकास न्यास कानून है उसके अन्दर यह भी लिखा हुआ है कि नगर विकास न्यास अपना जो खर्चा है वह केवल अपनी स्कीम एरिया में ही कर पाएगा दूसरे एरिया में नहीं कर सकेगा। जैसा कि यहां पर अजमेर शहर के बारे में बताया गया उदयपुर के बारे में कई बातें कही गई, जयपुर के बारे में कहा गया कि वहां के गांव उसमें ले लिए गए। उनके विकास का उत्तरदायित्व आखिर किसके ऊपर है। यदि म्यूनिसिपैलिटी पर भार डाल कर चलना चाहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी वालों का कहना होता है कि यह म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, हम इसका विकास कैसे करें। यू. आई.टी. को कहते हैं तो वे कहते हैं कि यू. आई.टी.ऐक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार स्कीम एरिया में ही खर्च कर सकते है। जो कुछ गांव लिए गए और जो स्कीम एरिया में नहीं आते हैं उनके विकास का मूल प्रश्न जुड़ा हुआ है। मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यह मूल प्रश्न है जिसको मैंने अपनी ओर से कहा है। आखिर मे तालमेल बिठाना होगा नगरपालिका और यू.आई.टी में। अगर नगरपालिका और यू. आई. टी. में तालमेल नहीं बिठाया गया तो यू. आई.टी. में जो कच्ची बस्तियां हैं उनके विकास का प्रश्न निश्चितरूप से कठिन होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि शहरों के अन्दर तो फिर भी कुछ काम किए गए हैं, सड़कें बनी हैं नालियां बनी है, बिजली लगी है और काम हो रहे हैं लेकिन जो कुछ गांव लिए हैं उन में जो कच्ची बस्तियां हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस सारे प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर शीघ्र ही कोई रास्ता निकालेगी। जिस व्यवस्था में दोनों संगठन मिल कर काम करें और किसका उत्तरदायित्व है इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा, यह जानकारी मैं अपनी ओर से सदन को देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ नगर विकास न्यासों के बारे में कई तरह की बातें कही गई। शिकायतें भी आई। मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार की शिकायतें निश्चित रूप से हो सकती हैं, मैं उनसे मना नहीं करता। किन्तु भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में मेरा केवल निवेदन एक ही है कि जो शिकायत हो वह स्पष्टतः दी जाये तो मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि उसको हम छुपायेंगे नहीं उस पर जो भी कार्यवाही हो सकती हैं, करेंगे। क्योंकि आखिर में शिकायत की दृष्टि से खाली शिकायत हो जाय और प्रमाणित नहीं हो तो राज की स्थिति और भी चिन्ताजनक हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप हमें पूरी जानकारी दें जैसे आज चम्पाबाग की बात यहां पर कही गई और भी कुछ बातें कही गईं। जयपुर के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही गई। ये सब बातें कही गई। ऐसी बात नहीं है कि दिमाग में नहीं है या जानते नहीं हैं किन्तु सब बातों के सम्बन्ध में आज कुछ कहा जाय यह सम्भव नहीं है। उनकी कानूनी क्या स्थिति है, शिकायत रैलेवेंट है या नहीं। इसका जो प्लानिंग अप्रूव होना चाहिए वह अप्रूव हुआ या नहीं, इस दिशा में कागज पड़े हुए हैं। वे सब आज मेरी जानकारी में नहीं हैं, जो प्रश्न उठाए गए हैं उस सम्बन्ध में विशेष रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

एक ज्वलन्त समस्या कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में यहां पर पर बार-बार उठाई गई कच्ची बस्तियों का जहां तक सम्बन्ध है निश्चित रूप से मुझे इतने साथी मिले हैं चाहे किसी पार्टी के हों, मैंने निवेदन किया है कि इस समस्या का समाधान हमें मानवीय दृष्टिकोण से करना होगा। मानवीय दृष्टिकोण से करने का अर्थ यह नहीं है, बात बहुत साफ है कि इस प्रश्न पर अभी विचार करने की स्थिति नहीं है। केवल अर्थ उपार्जन करने की दृष्टि से कच्ची बस्तियों का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन नहीं मिल सकता परन्तु जिन लोगों के पास सिर ढकने को मकान नहीं है और जो लोग दर-दर की ठोकरें खाते हैं उनको यदि यू.आई.टी से या नगरपालिका से या या कि हाउसिंग बोर्ड से कोई भी ऐसी व्यवस्था आल्टरनेटिव व्यवस्था करके नहीं देते हैं तो आखिर में उनको सिर ढकने को जगह चाहिये ऐसी मेरी मान्यता है। राज्य सरकार 1971 के सम्बन्ध में तो प्रतिबद्ध है किन्तु 71 के बाद दस साल में पानी बहुत बह गया, कई उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आ गए हैं। जयपुर भी दस साल में बहुत बदल गया, उदयपुर भी दस साल में बहुत बदल गया है, जोधपुर भी दस साल में बहुत बदल गया है। इन सारे प्रश्नों पर भी नए सिरे से विचार करके नीति निर्धारित की जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है।

तो संक्षेप में मैंने नगर विकास न्यास के सम्बन्ध में नगर पालिकाओं और पंचायतों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं। राजस्थान आवासन बोर्ड का जहां तक प्रश्न है, अलग अलग गांवों में कार्य प्रारम्भ करने की बात है। राजस्थान आवासन बोर्ड के नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जहां पर दो सौ आवेदन-पत्र प्राप्त हो जायेंगे वहां पर राजस्थान आवासन बोर्ड अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दे सकता है। डूंगरपुर में भी इस योजना का प्रारूप प्रकाशित किया गया था और भी कई स्थानों पर योजना का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, आवेदन आमन्त्रित किए गए थे किन्तु मुझे कहते हुए अफसोस है कि वहां पर दो सौ आवेदन पत्र भी प्राप्त नहीं हुए। इस दृष्टि से राजस्थान आवासन बोर्ड अपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकता। मैं अभी भी इस बात के लिए तैयार हूं कि जिन जिन गांवों के अन्दर माननीय सदस्य बन्धु राजस्थान आवासन बोर्ड की गतिविधियां चाहते हैं वहां पर दो सौ आवेदन पत्र यदि प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार को वहां पर काम प्रारम्भ करने में कोई संकोच नहीं होगा। साधन जुटाये जायेंगे, जमीन भी जाएगी लेकिन आवेदक दो सौ हों यह न्यूनतम शर्त है। राजस्थान आवासन बोर्ड का काम इसके बिना शुरू नहीं हो सकता। राजस्थान आवासन बोर्ड की गतिविधियों का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ स्थानों पर बहुत अच्छा काम हुआ है। जयपुर में निश्चित रूप से समस्या है। करीब बीस बाइस हजार रजिस्टर्ड हैं, ये सब चीजें हैं, जमीन कैसे अवाप्त हो, जमीन कैसे मिले किस तरह से मिले। अभी दो माह का समय हुआ है, इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकी है, इसलिए आज मैं इस स्थिति में नहीं है। जहां तक लम्बी सूची है उस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है जैसे सम्भव होगा आगे बैठेंगे, दुबारा इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकेंगे।

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

इसके साथ साथ नगर आयोजना विभाग के सम्बन्ध में भी यहां पर काफी चर्चा हुई। मैं एक बात स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर आयोजना विभाग का काम केवल योजना बनाना है और इसमें कुछ एक लाख के ऊपर के गांव हैं, उस के बाद पचास हजार से लेकर एक लाख तक के गांव हैं, उसके अलावा जैसलमेर और आबू जैसे पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी योजना का काम हाथ में लिया है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि नगर आयोजना विभाग का काम केवल यह है कि योजना बना कर मास्टर प्लान तैयार करके राज्य सरकार को सौंपे और उसके बाद क्रियान्विति की जो जिम्मेदारी है वह अलग अलग विभागों की आती है इससे नगर आयोजना विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

यहां पर मुख्य नगर नियोजक के सबंध में कहा गया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि कभी कोई लिखित शिकायत ऐसी आती है तो मुझे इसकी जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु इसके साथ अलग यह भी कहना चाहूंगा कि सदन में किसी एक अधिकारी के प्रति इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं जो निश्चित रूप से एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आखिर में इस तरह के आरोप लगाने के साथ साथ व्यक्तिश: भी लिखित रूप में दिए जा सकते थे, उनकी जांच की जा सकती थी किन्तु यदि केवल सदन में आरोप लगा कर ही दूर हो जाये और आगे लिखित में नहीं दें तो फिर मेरी भी लाचारी होगी। मुझे लिखित में दें तो मैं जांच कराने को तैयार हूं, इतना मैं आपसे कह सकता हूं।

बाकी केवल किसी प्रश्न को उछालने का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रश्न पर एन्टी—करप्शन से सारी जांच हो रही है। मैं सूचनार्थ निवेदन कर चुका हूं वह सारी रिपोर्ट सरकार के पास है। जब सरकार के पास विचाराधीन है, यहां पर इस प्रश्न को उठाने के पहले मुख्य नगर नियोजक के सम्बन्ध में आरोप इस रूप में लगाये गए हैं, वह कितने व्यक्ति हैं, कितना रुपया आता है, कहां आता है? उनकी बीवी क्या काम करती है?

मैं समझता हूं, जिस गहराई के साथ, जिस विस्तृत विवरण के साथ यहां आरोप लगाये गये वह इस बात के द्योतक हैं कि शायद उनकी जानकारी उनके परिवार से भी ज्यादा हैं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं सदस्य बंधुओं से, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके सम्बन्ध में आरोप लगायें जाये तो निश्चित रूप से प्रामाणिकता के आधार पर होने चाहिये और उनको लिखित में देने की तैयारी होनी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं एक बात अन्त में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा आज सदन में जिन विभागों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया, उन विभागों का महत्व राजनैतिक दृष्टि से नहीं है मगर किसी सदस्य को बुरा लगे तो फिर मैं आप लोगों से माफी चाह सकता हूं, क्योंकि राजनीति की बात आयी तो मेरे पास जो तथ्य थे, जो मुझे देना था, मैंने दिये। अन्त में इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास के काम में राजनीति को नहीं आने दिया जायेगा। विकास का काम निश्चित रूप से समानता के आधार पर होगा। नगरपालिकाओं के

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

विकास की दृष्टि से यदि कुछ और किसी बात को सोचने की आवश्यकता हुई तो सोचा जायेगा। हाउस टैक्स का जो प्रश्न उलझा हुआ है उसके ऊपर निश्चित-रूप से विचार करना होगा। कांग्रेस की सरकार ने कुछ निर्णय उस सम्बन्ध में लिये थे, किन्तु आपकी जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिये थे उनके अन्दर परिवर्तन किया, यह सब बातें हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं और आपने जो कुछ किया उसको यदि हम थोड़ा बहुत बदल दें, इसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिये। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं।

अन्त में मैं समाप्त करते हुए जितने कटौती प्रस्ताव आये है, उनको अस्वीकार करते हुए मांग करता हूं कि इन मांगों को पारित किया जाये।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि 13 साल में आपके शासन काल में जो ग्राम आलमपुर पंचायत रही उसको मानटाउन नगर-पालिका बना दी, उसमें 600 केस करीब फर्जी पट्टों के हैं और दो फाइलें कम्पलीट आपके विभाग में है. आप जांच करालें और यदि आप मुनासिब समझें तो जनता पार्टी वालों ने घोटाले किये हैं या आपके कार्य-काल में शासन काल में आपके सरपंचों ने घोटालें किये हैं. इनकी जांच निश्चित करायी जाये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मांग संख्या 29 व 41 का पारण

मांग संख्या-29

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,45,40,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41—सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49,37,74,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 12 अगस्त, 1980 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-08 बजे मंगलवार दिनांक 22 अगस्त, 1980 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 455 की सूचि

क्रम संख्या	नाम आवेदन कर्ता	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	जांच पूर्ण होने की तारीख	लाइसेन्स देने की तारीख	आदेश होने अथवा रद्द करने की तारीख	फीस जमा कराने की तारीख	लाइसेन्स जारी होने की तारीख	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1—	मै. राजेश एण्ड कम्पनी	28-1-80	28-3-80	3-5-80	—	12-5-80	27-5-80	
2—	मै. शाएय ट्रेडर्स	29-1-80	24-4-80	30-4-80	—	7-5-80	15-5-80	
3—	मै. जयदयाल महावीर प्रसाद	1-2-80	6-2-80	6-2-80	—	7-2-80	18-2-80	
4—	मै. जयपुर वेसन-एण्ड दाल मिल	4-2-80	6-2-80	8-2-80	—	9-2-80	18-2-80	
5—	मै. जोहरीलाल राधावल्लभ	8-2-80	22-2-80	25-3-80	—	1-4-80	7-4-80	
6—	मै. बंशीधर रामविलास	18-2-80	7-4-80	8-4-80	—	9-4-80	29-4-80	
7—	मै. ओमप्रकाश खटोड़ एण्ड कं.	10-3-80	9-4-80	13-5-80	—	4-6-80	6-6-80	
8—	मै. जगदीश प्रसाद एण्ड कंपनी	15-3-80	21-3-80	3-4-80	—	4-4-80	7-4-80	
9—	मै. मित्तल ब्रादर्स	17-3-80	4-7-80	—	—	—	—	डीलर द्वारा पूर्ति नहीं है।
10—	मै. सीताराम सन्तोषकुमार	28-3-80	7-4-80	14-4-80	—	18-4-80	29-4-80	
11—	मै. रामबिलास जगदीशनारायण	5-4-80	17-5-80	23-5-80	—	1-7-80	3-7-80	
12—	मै. जैन एण्ड कम्पनी	11-4-80	22-5-80	24-5-80	—	26-5-80	3-6-80	
13—	मै. मिलापचन्द्र नरेशकुमार	16-4-80	26-4-80	2-5-80	—	3-5-80	5-5-80	
14—	मै. श्रीनिवास एण्ड कम्पनी	14-4-80	3-5-80	13-5-80	—	—	—	धरोहर राशि अभी जमा नहीं कराई है।
15—	मै. सोमानी खाद वस्तु भंडार	16-4-80	28-4-80	3-5-80	—	5-5-80	6-5-80	
16—	मै. गोविंदनारायण रामकिशोर	22-4-80	4-5-80	5-5-80	—	9-7-80	17-7-80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17—मै.	भगवती स्टोर	1–5–80	27–6–80	—	18–7–80	—	—	दरख्वास्त छोटी चोपड़ पर लाईसेन्स मांगने तथा अभद्र व्यवहार करने के कारण खारिज की गई है।
18—मै.	श्रोमप्रकाश एण्ड कम्पनी	5–5–80	15–5–80	19–5–80	—	20–5–80	27–5–80	
19—मै.	सुवालाल बजरंगलाल	13–5–80	10–6–80	12–6–80	—	14–6–80	16–6–80	
20—मै.	श्यामसुन्दर विनोदकुमार	13–5–80	26–7–80	2–8–80	—	—	—	धरोहर राशि जमा होनी है।
21—मै.	राजस्थान एजेन्सी	2[illegible]–5–80	10–7–80	—	10–7–80	—	—	दो व्यापारियों को एक स्थान पर लाईसेन्स नहीं दिया जा सकता है।
22—मै.	सत्यनारायण शंकरलाल खुटेटा	3–6–80	—	—	—	—	—	रिपोर्ट ई. आई. से वांछित है।
23—मै.	रामेश्वरलाल श्रोमप्रकाश	3–6–80	—	—	—	—	—	रिपोर्ट ई. आई. से वांछित है।
24—मै.	डूंगरमल एण्ड कम्पनी	3–6–80	26–7–80	31–7–80	—	—	—	धरोहर राशि जमा होनी हैं।
25—मै.	रामचन्द्र रिकूमल	5–6–80	7–7–80	—	17–7–80	—	—	सूरजपोल मंडी में दुकान अलाट होने के कारण लाईसेन्स नहीं दिया जा सकता है।
26—मै.	सत्यनारायण शंकरलाल	7–6–80	—	—	—	—	—	रिपोर्ट ई. आई. से वांछित है।
27—मै.	काबरा इन्टरप्राईजेज	7–6–80	19–7–80	—	—	—	—	डीलर द्वारा पूर्ति नहीं की गई है
28—मै.	गजानन्द एण्ड कम्पनी	13–6–80	1–7–80	—	—	—	—	"
29—मै.	लक्ष्मीनारायण ब्रजमोहन	13–6–80	8–7–80	—	29–7–80	—	—	व्यवसायी के न मिलने पर प्रार्थना-पत्र दाखिल दफ्तर किया गया।
30—मै.	आराधना एन्टरप्राईजेज	1–7–80	26–7–80	31–7–80	—	—	—	धरोहर राशि जमा होनी है।
31—मै.	राजेन्द्रकुमार कमलकुमार	1–7–80	19–7–80	22–7–80	—	—	—	धरोहर राशि जमा होनी है।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न 456 के अनुदेश

Copy of the Office Memorandum No. F. 1 (3) FD (Gr.II)/76-I dated the 23rd January, 1976 addressed to all Heads of Departments.

Sub:—Transfer of Government Servants on deputation/Foreign Service to other Governments, Public Undertakings Autonomous Bodies, Government Companies, Corporations etc. Grant of Deputation (Duty) Allowance.

The scheme for grant of Deputation (Duty) Allowance to State Government employees transferred on deputation/foreign service to Central Government or other State Governments, Public Undertakings, Autonomus Bodies (incorporated or not), and other Bodies etc. wholly or substantially owned or controlled by Government has been under review for some time past. As a result of review, the Governor is now pleased to decide that grant of Deputation (Duty) Allowance to State employees who go on deputation or on foreign service to ex-cadre posts shall be regulated in accordance with the provisions contained in the following paragraphs.

2. The term 'deputation' will cover only appointments made by transfer on a temporary basis. It does not cover permanent appointments made by transfer or final absorption or by direct recruitment in competition with open market candidates to the aforesaid bodies.

3. *Deputation (Duty) Allowance*.— (i) The Deputation (Duty) Allowance shall be @20% of the basic pay of the employee subject to a maximum of Rs. 300/- p. m. provided that basic pay of the employee in the pay scale of his parent department from time to time plus deputation (duty) allowance does not exceed the maximum of the scale of the post

held on deputation or, where post on deputation has a fixed pay, that fixed pay.

(ii) The 'basic pay' for the above purpose shall mean pay drawn in the scale of pay of the substantive appointment held or the pay in the scale of pay of the officiating appointment in an employee's parent cadre provided that it is certified by the appointing authority that but for the deputation the employee would have continued to hold officiating appointment indefinitely.

(iii) The special pay shown in the schedule II of the Special pay in the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules 1969 as may be amended from time to time shall only be deemed as part of basic pay provided it has been drawn continuously for more than two years at the time of deputation. Personal pay if any, drawn by an employee in his parent department may be allowed in addition. This will not be absorbed in deputation (duty allowance but will be absorbed in other increases of pay for example increment, or increase of pay by promotion for any other reason.

(iv) In cases of persons transferred on deputation or on foreign service within the same station, the deputation (duty) allowance referred to in clause (i) above shall be @10% of the employee's basic pay instead of @20%. Whether a person goes to the same station or not for this purpose will be determined with reference to the station where he was on duty before proceeding on deputation / foreign service.

4. *Pay on Deputation* — (i) An employee sent on deputation/foreign service may elect to draw either the pay in the scale of pay of to new post to which he is deputed as may be fixed under R. S. R.

(ii) his basic pay in the parent department plus personal pay, if any, plus deputation (duty) allowance at the rate mentioned in para 3 above.

(iii) With a view to ensure that a Government servant on deputation does not get abnormal increase in the pay because of the option exercised as at clause (i) of this para, it has been decided that where the minimum of the scale of pay of the deputation post is substantially in excess of the deputationist basic pay plus deputation (duty) allowance @20%, the appointing authority may restrict the pay of deputationist even below the minimum of the pay of the deputation post under rlue 36 of Rajasthan Service Rules. In such a case the pay allowed under rule 36 of R. S. R. should not exceed the basic pay of the deputationist by more the amount shown below:

(a) for employees in receipt of basic pay above Rs. 750/-	25% of basic pay or Rs. 2 5/ whichever is more
(b) for employees in receipt of basic pay above Rs. 300/- upto 750/	30% of basic pay or Rs. 100/- whichever is more.
(c) for employees in receipt of basie pay of/ and below Rs 300/-	33.1/3% of basic pay

(iv) However, in the case of employee who are already on deputation and drawing pay higher than that admissible under clause (iii) of this para, they shall have to deposit the difference in the Government account from the date of this order till the commencement of further extension, if any, of the period of deputation when their pay shall be fixed in accordance with the provisions of this order.

5. *Restriction on continuation of deputation.*-

(i) Where the basic pay of the Government servant at the time of his proposed deputation exceeds the maximum of the pay scale of the new post to which he is deputed or the fixed pay he should not be sent on deputation. If the basic pay of the employee exceeds the maximum pay of post held on the deputation or fixed pay of the post at any time sub-

sequent to his deputation, the period of the deputation of the employee shall be restricted to a period of six months from the date his pay thus exceeds the maximum and the employees should be reverted to the parent department.

6. *Compensatory Allowances.*–(i) *Dearness Allowance*: Dearness allowance will be regulated under the rules of the parent Govt. or under the rules of borrowing Government/ foreign employer according as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of post held on deputation.

(ii) House Rent Allowance.–House rent allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Government/ foreign employer or under the rules of parent Government whichever is more beneficial.

(iii) Travelling Allowance.–Travelling allowance shall be admissible according to the rules of borrowing Government/ foreign employer or under the rules of parent Government whichever is more beneficial.

(iv) Compensatory (City) Allowance.- Compensatory (City) allowance shall be admissible according to the rules of the parent Government or borrowing authority whichever is more beneficial.

(v) Medical Concession.– Medical Concession shall be admissible according to the rules of borrowing Government/ foreign employer or under the rules of parent Government whichever is more beneficial.

(vi) Project Allowances : Project Allowance admissible in a project area shall be admissible in addition to the deputation (duty) allowance.

7. *Joining time pay and Transfer Travelling Allowances.*– He will be entitled to travelling allowance and joining time both or joining the post on deputation or on reversion there

from the parent department under the rules of the Government/foreign employer to which he is deputed. The expenditure on this account shall be borne by the borrowing authority/foreign employer.

8. *Leave and pension Contribution.*— During the period of deputation he will be governed by leave and pension rules of the lending authority or parent employer applicable to him before such transfer. The leave salary and pension contribution shall be paid by the borrowing authority/foreign employer in accordance with the provisions contained in the Rajasthan Service Rules.

9. ***Begining** and end Deputation.*—The deputation will commence from the date on which he hands over the charge of post under Government and on the date he assume charge of a post under Government.

10. *Payment of Bonus or ex-gratia.*— (i) A Government servant drawing pay not exceeding Rs. 1600/- p.m. on deputation to public Sector undertaking or Co-operative Societies Institutions etc. which are legally required to pay bonus under the payment of Bonus Act, 1965 may be allowed to accept bonus declared by such undertakings, Co-operative Societies etc.

(ii) Were payment of bonus is not a legal obligation and Public Undertakings or co-operative Societies/Institutions declare *ex-gratia* award, it may be allowed to be accepted by the Government servant on deputation to these Undertaking or Co-operative Societies/Institutions provided that the pay of the deputationist does not exceed Rs. 1600-per month In future however, such *ex-gratia* award declared by Public Sector Undertakings which are not under a legal obligation to pay bonus under the payment of Bonus Act, 1965 would be available only to those deputationist who are drawing pay not exceeding Rs. 1600/- in the scale prescribed for the deputation post in the Public Sector Undertakings|Co-operative

184

Societies/Institutions and not to those who draw their grade pay admissible under Government with deputations allowance.

(iii) The term 'pay' used in clause (i) & (ii) above shall have the same meaning as 'Salary' or 'wage' as defined in Section 2(2). of the 'payment of Bonus Act, 1965 and shall include pay, special pay, if any, and dearness allowance. As deputations (duty) allowance has been classified as special pay it should also be taken into account for purposes of paragraph (i) & (ii) above. City Compensatory Allowance, House Rent Allowance etc. should not be taken into account for the purpose.

(iv) The grant of Bonus or *ex-gratia* award under paragraphs (i) & (ii) above will be further subject to the following restrictions.—

(a) Where the payment of bonous of *ex-gratia* award as the case may be under paragraphs (i) & (ii) above is allowed to an employee drawing salary exceeding Rs. 750/- p m. the *ex-gratia* award or bonus shall be calculated as if the salary was Rs. 750/ p.m.

(b) The maximum amount of bonus or *ex-gratia* award payable under paragraphs (i) & (ii) of this para read with clause (iv) (a) of this para, as the case may be to a Government employer on deputation in such undertakings should be limited to 20% of the salary not exceeding Rs. 750/-pm.

(v) Government servants affected by provisions contained in sub para (ii) above may exercise option either to continue on deputation with deputation allowance where it is admissible without eligbility for *ex-gratia* awards or to option for the scale of pay of the post under the public sector undertakings|Co-operative Societies/Institutions and be eligible for for the *ex-gratia* award. option should be exercised within 3 months of the date of issue of these orders.

(vi) For the facility of the Government servants it is clarified that payment of bonus is not a legal obligation in the Rajasthan Financial Corporation, Rajasthan State Electricity Board and the Rajasthan State Road Transport Corporation.

(vii) Payment of bonus or *ex-gratia* award for the current accounting year or subsequent years will be regulated under these orders. Past cases in which payment has not been allowed may also be disposed of under these orders. No bonus or *ex-gratia* award will be allowed under these orders for service rendered on deputation for any period prior to the year in which payment of Bonus Act, 1965 was promulgated.

(viii) A number of an All India Service, who is on deputation to a Public Sector Undertakings, in which not less than 51% of the paid up share Capital is held by the Rajasthan Government may be allowed to accepcted bonus or *ex-gratia* declared by such Undertakings in respect of the year 1973-74 and onwards provided—

(a) the undertakings have been earning profits;

(b) the payment is made from the employer's share of the available surplus of 40% as per payment of Bonus Act, 1965;

(c) the payment of Bonus *ex-gratia*. shall be calculated on the basis of actual salary drawn except that in the case of a member of service drawing salary of Rs. 1600/- or more, the salary shall be deemed to be Rs. 1600/- p.m.

(ix) A Government servant who elects to draw pay in the scale of pay of the post to which he is deputed under clause (i) of para 4 of this order shall be entitled to receive payment of bonus or *ex-gratia* payment as the case may be, from the foreign employer of the organisation to which he is on deputation and to retain it. But where a Government servant who is in receipt of pay of his post in the parent department plus deputation allowance under clause (ii) of para

4 of the order is entitled to receive bonus under the payment of Bonus Act while on deputation, he shall be required to credit the amount of bonus payment so received to the Government Account. The authority making payment of bonus shall also ensure that the amount of bonus made to him has been credited by the Government servant to the Govt. Account.

11. *Duration of Deputation*:—The maximum period for which a Government servant may remain on deputation should not exceed three years at a time.

12 *Non-applicability*.—These orders shall not apply to:

(i) Government servants sent on deputation to Panchayat Samitis and Zila Parishads;

(ii) A Government servant who is appointed by the Govt. as an Administrator|Executive Officer|Municipal Commissioner or in any other capacity or these services are placed on deputation to a superseded Municipal Council or Board.

13. This order is being issued in supersession of all previous orders/circulars etc. on the subject. This will take effect from 1. 3. 1976 and shall also apply to Government servants already on deputation.

14. In certain cases Government servants could only be sent on foreign service after their consent had been obtained as required under rule 141 of R. S. Rs. In such cases some of the existing deputationists might prefer to seek reversion on account of changes in their terms and conditions of deputation made under this order. The authority competent to send such Government servants on deputation may, therefore, give them a notice in writing atleast one month in advance of the date from which this order is applicable, so that in case they want to seek reversion to their parent deptt. They may do so at their option not later than 1. 3. 1976.

Copy of Office Memo. No. F. 1 (3) FD(Gr 2)/76 dated 1. 12. 76 addressed to all Heads of Departments.

Sub:–Transfer of Government servants on deputation foreign service to other Governments, Public Undertakings, Autonomous Bodies, Government Companies, Corporations etc. Grant of Deputation (Duty) Allowance.

G. S. R. 148.-The undersigned is directed to refer to this Department Office Memorandum of even number dated 3-1-76 on the subject noted above and to say that consequent upon the revision of pay scales with effect from 1. 9. 76. the Government has been pleased to order the following amendments shall be made in the after mentioned order:–

1. For the existing para 3(i), the following shall be substituted namely :–

"3(i) The Deputation (Duty) Allowance shall be @ 14%of the basic pay of the employee subject to a maximum of Rs. 250/-p. m."

2. For the existing para 3(iv), the following shall be substituted, namely:–

"3.(iv) In cases of persons transferred on deputation or on foreign service within the same station, the deputation (duty) allowance referred to in clause (i) above shall be @7%of the employee's basic pay subject to a maximum of Rs. 100/-p. m. Whether a person goes to the same station where he was on duty before proceeding on deputation foreign service."

3. In para 4 (iii), the existing expression "@20%" shall be substituted by the expression "@14%"

4. For the existing item (a), (b) (c) of para 4 (iii) the following shall be substituted namely.-

"(a) for employees in pay receipt . 17% of basic pay of basic pay above 1200/-p m. 225/-whichever is more

(b) for employees in receipt of basic pay of/and below Rs. 1200/- 17%of basic pay. p.m.

5. The para 5 of the aforementioned order shall remain in abeyance till further orders.

6. These orders shall be deemed to have come into force with effect from 1-9-1976. In case the deputation allowance already paid before issue of these orders works out to be in excess of amount admissible under these orders, recovery of such over payments shall be deemed to have been waived.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Gr.2) DEPARTMENT

No.F.1(3)FD(Gr.2)/76-I Dated Jaipur; 20.6.80

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Transfer of Government servants on Deputation/ Foreign service to other Governments, Public Undertakings, Autonomous Bodies, Government Companies, Corporations etc. Grant of Deputation (Duty) Allowance.

The Governor has been pleased to order that in the Finance Department Office Memorandum of even number dated 23.1.1976 as amended from time to time the existing para 3(i) and para 5 may be substituted as follows:-

"3. *Deputation (Duty) Allowance*: (i) The Deputation (Duty) Allowance shall be @ 14% of the basic pay of the employee subject to a maximum of Rs. 250/- p m. provided that basic pay of the employee in the pay scale of his parent department from time to time plus deputation (duty) allowance does not exceed the maximum of the scale of the

post held on deputation or, where post on deputation has a fixed pay, that fixed pay."

"5. *Restriction on continuation of deputation*:-Where the basic pay of Government servant at the time of his proposed deputation exceeds the maximum of the pay scale of the new post to which he is deputed or the fixed pay he should not be sent on deputation. If the basic pay of an employee exceeds the maximum pay of post held on the deputation of fixed pay of the post at any time subsequent to his deputation, the period of the deputation of the employee shall be restricted to a period of six months from the date his pay thus exceeds the maximum and the employee should be reverted to the parent department."

Sd/-
(M.L. Gaur)
Dy. Secretary to Government.

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 469 की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	राजपुरा
2.	भसीनखेड़ी
3.	सोमन खेड़ी
4.	सारोला
5.	किथसरा
6.	बिनायगा
7.	खेड़ासारड़ा
8.	भीमसागर
9.	हरिश्चन्द्र सागर

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 470 की सूची

वर्तमान में बनीपार्क निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे राजकीय विद्यालयों की सूची

माध्यमिक विद्यालय :—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गोकुलपुरा
2. ,, नांगल बैसा बोहरा
3. ,, दुर्गापुरा
4. ,, रेजीडेन्सी
5. ,, गणपतिनगर

उच्च प्राथमिक विद्यालय :—

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, झोटवाड़ा
2. ,, मीनावाला
3. ,, हीरापुरा
4. ,, मोतीडूंगरी
5. ,, सोडाला
6. ,, हसनपुरा पू.
7. ,, रामपुरारूपा
8. ,, खातीपुरा
9. ,, गोकुलपुरा
10. ,, बड़ोदिया
11. ,, (कन्या) झोटवाड़ा
12. ,, (कन्या) दुर्गापुरा

प्राथमिक विद्यालय :—

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती
2. ,, शेखावाटियों का घेर
3. ,, रेलवे स्टेशन
4. ,, रेजीडेन्सी
5. ,, स्पीनिंग एण्ड वीविंग
6. ,, सुशीलपुरा
7. ,, एयरपोर्ट
8. ,, बाईस गोदाम
9. ,, सिविल लाईन्स
10. ,, सी-स्कीम
11. ,, देवड़ी
12. ,, केलेवरी लाईन
13. ,, गणपतिनगर
14. ,, हथरोई
15. ,, हसनपुरा ओल्ड
16. ,, हसनपुरा बजार
17. ,, मानसिंहपुरा
18. ,, बाढ़ देवरी
19. ,, रामनगर कालोनी
20. ,, (कन्या) सी-स्कीम
21. ,, (कन्या) मानसिंहपुरा टौंक फाटक

बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में निजी विद्यालयों को दिये जा रहे अनुदान का विवरण

क्रम सं० 1	विद्यालय का नाम 2	राशि (रुपया) 3
1.	मुस्लिम उ. मा. विद्यालय	117581/-
2.	साधुवासवानी सैकेण्डरी स्कूल	41930/-
3.	पुरुषार्थी मिडिल स्कूल	4357/-
4.	आदर्श नवीन बाल मन्दिर, जयपुर	11995/-
5.	रवि बाल निकेतन, जयपुर	8614/-
6.	महावीर दि. जैन मा. विद्यालय	467567/-
7.	सिंधी उ. प्रा. विद्यालय, बनीपार्क	49996/-
8.	एस. एस. जी. पारीक मा. वि.	57725/-
9.	बाल विद्या मन्दिर, सी-स्कीम	56968/-
10.	प्रेम शान्ति प. स्कूल ,,	52033/-
11.	टैगोर विद्या भवन बनीपार्क	99358/-
12.	जनता बाल निकेतन, सी स्कीम	36877/-
13.	कुमावत क्षत्रिय मा. विद्यालय	23498/-
14.	रेलवे नूतन प्राथमिक शाला	17995/-
15.	राजोरिया प्रा. विद्या, हसनपुरा	19015/-
16.	अभिनव बाल भारती, हसनपुरा	19153/-
17.	काशी बाई छगनलाल झवेरी विद्या मन्दिर	57642/-
18.	सरस्वती विद्या निकेतन, माधोसिंह सर्किल	47367/-
19.	यूनियन उ. प्रा. विद्यालय	14768/-
20.	राष्ट्रीय विद्या निकेतन सी-स्कीम	27936/-

परिशिष्ट–5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रतापगढ़ टाउन हाल हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

471. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्तशासन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ में म्यूनिसिपल टाउन हाल का निर्माण कब किया गया और किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अवाप्तशुदा भूमि के मालिकों को भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ में टाउन हाल का निर्माण रियासत के समय सन् 1946-50 में हुआ था। रियासत के समय टाउन हाल निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता व उपलब्ध भूमि पर निर्माण करवाया गया।

(2) टाउन हाल से सम्बन्धित भूमि में रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि श्री मांगीलाल के खाते में दर्ज होने व उसके द्वारा आवेदन करने पर जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ की सिफारिश पर उनके द्वारा निर्धारित राशि मुआवजे के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। किन्तु इस प्रश्न पर पुनः कानूनी राय प्राप्त की जा रही है।

बीकानेर एवं लूनकरणसर तहसीलों के ग्रामों हेतु क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें

472. श्री मालूराम लेघा (लूणकरसर): क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की बीकानेर एवं लूनकरणसर तहसीलों के पेयजल संकट-ग्रस्त ग्रामों के लिये लिफ्ट कैनाल एवं राजस्थान नहर के जल स्रोत पर आधारित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं तैयार की जाकर उन पर भारत सरकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

सम्बन्धित तहसीलों हेतु नहर के जल स्रोत पर आधारित तीन क्षेत्रीय योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं ? इनमें से दो योजनाएं अर्थात क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, खारी-कुलाटी एवं विस्तार योजना, लूनकरणसर कालावास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। क्षेत्रीय योजना, बाडसर हिण्डौन विश्व बैंक परियोजना में प्रस्तावित है। इन योजनाओं को पूरा करने हेतु अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रधानाध्यापक तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर पदोन्नतियां

473. श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) शैक्षणिक सत्र 1979-80 में कितने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शिक्षक आरक्षित कोटे में प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नत किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या आगामी सत्र में आरक्षित रिक्त पदों को उन लोगों से भरने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 1979-80 में अनुसूचित जाति के सात एवं अनुसूचित जन जाति के दो व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक के पद पर व एक को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई।

(2) रोस्टर प्रणाली के अनुसार यह पद दो सत्र तक केरी ओवर होंगे तथा पात्रता जोन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अध्यापक उपलब्ध होने पर उन्हें पदोन्नति दी जा सकेगी।

ग्रामीण जल प्रदाय योजना को मूर्त रूप देना

474. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सन् 1973 में तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उसके मुख्य विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के संदर्भ में सरकार ने यह घोषणा की थी कि जो गांव 5000 रु. धनराशि जमा कर देगा वहीं नल योजना प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

(3) उक्त योजना को 1977 तक लागू नहीं करने के क्या कारण थे तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या इरादा है ?

(4) उक्त योजना के अधीन जमा धनराशि के बारे में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1973 में राज्य स्तर का ग्रामीण जल योजना नहीं बनाई गई थी।

(2) वर्ष 1973 में राज्य के कुछ जिलों में पंचायतों द्वारा योजना की लागत की 2.5 प्रतिशत राशि जमा करना प्राथमिकता का एक आधार था।

(3) ऐसे ग्रामों में जहां राशि जमा थी, प्राथमिकता दी जाकर योजनाएं स्वीकृत की गई। यह व्यवस्था वर्तमान में भी चालू है।

(4) यह राशि राज्य सरकार के कोष में जमा है तथा यह केवल योजना स्वीकृति हेतु प्राथमिकता का आधार तय करने के लिए है।

राजगढ़ (अलवर) में बस स्टण्ड की व्यवस्था व उप-डिपो स्थापित करना

475. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़

(श्री समर्थलाल)

(अलवर) में रोडवेज का कोई बस स्टण्ड नहीं है ? यदि हाँ, तो इस समस्या पर कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजगढ़ में राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सब-डिपो बनाने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो यह सब-डिपो कब तक स्थापित हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा राजगढ़ (अलवर) में बस स्टेण्ड बनाने की कोई योजना नहीं है।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

डूंगरपुर जिले की जल प्रदाय योजनायें

47 . श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1979-80 में डूंगरपुर जिले की कितनी जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई और उनमें से कितनी योजनायें क्रियान्वित की गई ?

(2) क्रियान्वित की गई योजनाओं में से कितनी योजनाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं और कितनी बन्द हैं और क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) योजनाओं के लिए खरीद किये गये सामान का वास्तविक उपयोग कितना हुआ एवं बेकार कितना पड़ा है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में डूंगरपुर जिले में कुल 98 विभिन्न प्रकार की योजनायें स्वीकृत की गई हैं तथा सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया।

(2) 98 क्रियान्वित योजनाओं में से 3 योजनाओं में जल वितरण प्रारम्भ हो चुका है। शेष पर कार्य प्रगति पर है तथा कोई योजना बन्द नहीं है।

(3) योजनाओं के लिए खरीदे गये सामान का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है एवं कोई सामान बेकार नहीं पड़ा है।

जिला सवाई माधोपुर के कुछ वृद्ध लोगों को पेंशन बन्द किया जाना

477. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है ? पंचायत समितिवार सख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नई सरकार आने के बाद कुछ लोगों की पेंशन बन्द हुई है ? यदि हाँ, तो किस किस जाति के कितने लोगों की ?

(3) सरकार का वृद्धावस्था पेंशन चालू रखने के बारे में क्या विचार है और बन्द की गई पेंशन कब तक चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में 3,296 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही

(समाज कल्याण मंत्री)

है। पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) नई सरकार आने के बाद इस जिले में किसी भी व्यक्ति की पेंशन बन्द नहीं की गई है।

(3) पेंशन चालू है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 477 की सूची

जिला सवाई माधोपुर में वृद्धावस्था पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों की पचायत समिति वार सूची

क.सं.	नाम पंचायत समिति	पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	पंचायत समिति, खण्डार	173
2	पंचायत समिति, सवाई माधोपुर	507
3	पंचायत समिति, गंगापुर	233
4	पंचायत समिति, नादौती	106
5	पंचायत समिति, बाली	209
6	पंचायत समिति, बामनवास	125
7	पंचायत समिति, हिण्डौन	542
8	पंचायत समिति, महुआ	234
9	पंचायत समिति, टोडाभीम	245
10	पंचायत समिति, करौली	657
11	पंचायत समिति, सपोटरा	265

5,000 आबादी वाले ग्रामों को सड़कों के जाल बिछाकर नगरों से जोड़ना

478. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम भगवतगढ़ से सुरवाल तहसील सवाई माधोपुर की सड़क निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकारी नीति के अनुसार 1971 की जनसंख्या पर आधारित 5,000 आबादी वाले ग्रामों को शहरों से जोड़ने का अभियान सरकार ने चलाया था ? इस अभियान के अन्तर्गत ग्राम भगवतगढ़ को शहर से नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या पूर्व में इस सड़क निर्माण हेतु सरकार ने कभी कोई धनराशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो कितनी ? स्वीकृतशुदा राशि को खर्च नहीं करने का क्या कारण रहा ?

(4) क्या यह सही है कि यह धनराशि अधिकारियों की लापरवाही से निर्माण कार्य में खर्च नहीं की गई ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) ग्राम भगवतगढ़ से सूखाल सड़क की पूर्ण स्वीकृति नहीं होने के कारण निर्माण अधूरा रहा है।

(2) भगवतगढ़ की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार केवल 4004 ही है।

(3) जी हां। इस सड़क की स्टेट प्लान मद से दिनांक 14-6-78 को 3 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। मंजूर शुदा राशि पूर्णतया खर्च हो चुकी है।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

नाथद्वारा क्षेत्र के ग्रामों को जल प्रदाय

479. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों द्वारा सरकार को धनराशि जमा कराई गई है? यदि हां, तो नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में योजना प्रारम्भ की जायेगी और कब?

उत्तर

जी हां। कुछ पंचायतों द्वारा धनराशि जमा करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में अभी नई योजनाओं हेतु ग्रामों का अन्तिम चयन नहीं किया गया है। योजनाओं का क्रियान्वयन धन की उपलब्धि के अनुसार किया जायेगा।

ग्राम देवली हुल्ला जल प्रदाय योजना

480. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सोजत पंचायत समिति, जिला पाली के अन्तर्गत ग्राम देवली हुल्ला जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है? जिला समिति ने यह योजना कितनी बार वरीयता के आधार पर स्वीकृति हेतु सरकार को भेजी है और यह योजना कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम देवली हुल्ला हेतु परम्परागत स्रोत जल योजना स्वीकृत की जाकर मार्च, 1980 से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस एक ग्राम हेतु कोई नल योजना जिला आयोजना समिति द्वारा नहीं भेजी गई है।

श्रीगंगानगर में निर्मित आवासन मंडल के मकान

481. श्री राधेश्याम (गंगानगर): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्रीगंगानगर शहर में आवासन बोर्ड द्वारा मकान निर्मित कराये जा रहे हैं? यदि हां, तो उनकी वर्गवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या मकान देरी से बनाये जाने के कारण लोगों की आवास समस्या बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो इस ओर सरकार क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या यह सही है कि आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित करवाये जा रहे मकानों में घटिया किस्म की ईंट व सीमेंट प्रयोग में लाई गई है?

(श्री राधेश्याम)

(3) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा जनता की शिकायत पर उक्त मकानों में लगाये गये मैटीरियल की प्रयोगशाला में जांच करायी गई थी जिसमें घटिया स्तर का माल लगाया जाना पाया गया था ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान आवासन बोर्ड के श्री गंगानगर आवासीय योजना में 827 मकान निर्माणाधीन हैं। वर्गवार संख्या सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मैटीरियल की जांच करवाई गई थी। घटिया माल लगाया जाना नहीं पाया गया।

: सूची :

कमजोर आय वर्ग	353
अल्प आय वर्ग .	197
मध्यम आय वर्ग (अ)	251
मध्यम आय वर्ग (ब)	26
योग	827

जहाजपुर में जल प्रदाय विभाग का सब-डिवीजन खोलना

482. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :——

(1) जन-स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन एवं सब-डिवीजन कितने वर्क लोड पर स्वीकृत किये जाते हैं ? भीलवाड़ा में 2½ करोड़ का वर्कलोड होने पर भी वहां अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के पूरे पद सृजित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्कलोड के आधार पर नये डिवीजन एवं सब-डिवीजन सृजित करने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले के लिए कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि नये सब-डिवीजन एवं डिवीजन स्थापित करने के मामले के साथ जहाजपुर में नॉर्म्स के आधार पर सब-डिवीजन खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जहाजपुर से 25 मील दूर शाहपुरा तथा अन्य दूर दराज स्थित ग्रामों की असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का इस वित्तीय वर्ष में जहाजपुर में नया सब-डिवीजन खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्ड एवं उप खण्ड जिस कार्य भार के अनुपात में सृजित किये जाते हैं, उसका विवरण संलग्न है। भीलवाड़ा में 1.6 करोड़ रु. का कार्य भार है। परन्तु राज्य कोष पर अतिरिक्त संस्थापन भार न हो तथा वर्तमान में योजनाओं का कार्य सुगमता पूर्वक चलने के कारण खण्डों व उप खण्डों के और पद सृजित नहीं किये गये हैं।

(199)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां, कार्य भार के अनुपात में एवं योजना कार्य को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु जब भी आवश्यक होगा, नये खण्ड व उप खण्डों का सृजन किया जावेगा। भीलवाड़ा जिले के लिये समयावधि तय करना अभी सम्भव नहीं है।

(3) जहाजपुरा में भी उप खण्ड के सृजन का निर्णय उत्तर संख्या दो के अनुसार किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 482 का विवरण

खण्ड एवं उप खण्ड सृजित करने हेतु नार्म्स का विवरण

(1) खण्ड कार्यालय :—

एक खण्ड कार्यालय के अधीन चार उपखंड कार्यालय में खण्ड का कार्य वितरण होगा।

नगरीय :—

(अ) मूल कार्य		रुपया 80.00 लाख
(ब) संधारण कार्य		
	(1) फैला हुआ नगरीय क्षेत्र	,, 32.00 लाख
	(2) सघन नगरीय योजना प्रथम श्रेणी नगर	,, 40.00 लाख

ग्रामीण :—

(अ) मूल कार्य	,, 70.00 लाख
(ब) संधारण कार्य	,, 28.00 लाख

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

ग्राम आधार योजना केन्द्र चिकित्सा हेतु झालावाड़ के उप-केन्द्र पर निम्नलिखित गांव के लोग पशु चिकित्सा हेतु आते रहते हैं:-

1. रावल
2. डोबल
3. रामपुरिया
4. सेमली कल्याण
5. सालड़ी
6. पालाण्डा
7. परसोली
8. कुटकी
9. मुण्डला
10. नन्दपुरा
11. किरनिया